सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या 4 – वर्ष 2021

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या 4 – वर्ष 2021

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		**v**
कार्यकारी सार		**vii**
अध्याय-I विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	**1.1**	**1**
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	**1.2**	**4**
प्रतिवेदन की संरचना	**1.3**	**4**
शासकीय लेखे की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	**1.4**	**5**
राजकोषीय अवशेष : घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	**1.5**	**10**
लेखापरीक्षा जांचोपरांत घाटा और कुल ऋण	**1.6**	**14**
अध्याय-II राज्य के वित्त		
राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन	**2.1**	**17**
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	**2.2**	**17**
राज्य के संसाधन	**2.3**	**19**
संसाधनों का अनुप्रयोग	**2.4**	**30**
लोक लेखा	**2.5**	**44**
ऋण प्रबंधन	**2.6**	**49**
राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण	**2.7**	**52**
संस्तुतियाँ	**2.8**	**60**
अध्याय-III बजटीय प्रबन्धन		
बजट प्रक्रिया	**3.1**	**63**
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ	**3.2**	**66**
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	**3.3**	**74**
संस्तुतियाँ	**3.4**	**82**
अध्याय -IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें		
राज्य की संचित निधि या लोक लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ	**4.1**	**85**
राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त गैर–बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना	**4.2**	**89**
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियाँ	**4.3**	**90**

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न होना	4.4	92
उपभोग प्रमाणपत्र के प्रेषण में विलम्ब	4.5	93
संक्षिप्त आकस्मिक बिल	4.6	95
वैयक्तिक जमा/वैयक्तिक लेजर खाते	4.7	96
लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग	4.8	97
बहुप्रयोजनीय मानक मदः '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत अत्यधिक व्यय	4.9	100
मुख्य उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष	4.10	101
ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष	4.11	103
विभागीय आंकड़ों का मिलान न किया जाना	4.12	103
स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना	4.13	104
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/निगम/ कम्पनियां	4.14	105
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि	4.15	106
संस्तुतियाँ	4.16	107
अध्याय-V राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य–कलाप		
परिचय	5.1	109
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	5.2	111
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	5.3	111
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	5.4	113
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	5.5	114
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का लाभ/हानि	5.6	114
निवल मूल्य का क्षरण	5.7	116
लाभांश का भुगतान	5.8	117
पूँजी पर प्रतिफल	5.9	118
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	5.10	118
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण	5.11	119
ब्याज व्याप्ति अनुपात	5.12	119
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण	5.13	120
सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	5.14	121
सांविधिक निगमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	5.15	121
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.16	122
अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5.17	124
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	5.18	125
संस्तुतियाँ	5.19	125

विवरण		सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
परिशिष्टियाँ			
परिशिष्ट – 2.1	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े		**127**
परिशिष्ट – 2.2	2015–20 की अवधि में स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह		**129**
परिशिष्ट – 2.3	आरक्षित निधियों का विवरण		**130**
परिशिष्ट – 3.1	वर्ष 2019–20 के दौरान एकमुश्त प्रावधान		**131**
परिशिष्ट – 3.2	2019–20 के बजट अभिलेख में केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थायें) का उल्लेख नहीं किया जाना		**132**
परिशिष्ट – 3.3	उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कुल केन्द्रांश और वित्त पोषण प्रतिरूप में राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानकर्ता के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है।		**133**
परिशिष्ट – 3.4	2019–20 में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले अनुदान		**134**
परिशिष्ट – 3.5	जिन प्रकरणों में अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए		**139**
परिशिष्ट – 3.6	अनावश्यक पुनर्विनियोजन		**143**
परिशिष्ट – 3.7	योजनायें जिनके लिए मूल और अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका		**148**
परिशिष्ट – 3.8	उन योजनाओं का विवरण जिनसे मूल, अनुपूरक प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया		**168**
परिशिष्ट – 4.1	विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण		**174**
परिशिष्ट – 4.2	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण और निवेशों का विवरण		**176**
परिशिष्ट – 5.1	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इस अध्याय में शामिल किए गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय परिणाम का सारांश		**177**
परिशिष्ट – 5.2	राज्य पीएसयूज का विवरण जो इस अध्याय में शामिल नहीं हैं		**181**
परिशिष्ट – 5.3	इस अध्याय में शामिल किये गये राज्य पीएसयू से सम्बंधित 31 मार्च 2020 को पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी		**186**
परिशिष्ट – 5.4	31 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के बीच पूँजीए ऋण एवं प्रत्याभूति के अन्तर को दर्शाती हुई विवरणी		**191**
परिशिष्ट – 5.5	राज्य पीएसयूज जिनके लेखे बकाया थे उनमें राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्र		**199**
	पदों की व्याख्या		**204**
	प्रथमाक्षरी		**206**

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद–151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन का अध्याय I प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण तथा अन्तर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, शासकीय लेखे की संरचना बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों का सूक्ष्म राजकोषीय विश्लेषण एवं राज्य के घाटे/अधिशेष सहित राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन करता है।

3. इस प्रतिवेदन का अध्याय II, राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जिसमे प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में विगत वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान समग्र रुझान, राज्य के ऋण की वस्तुस्थिति एवं राज्य के वित्त लेखे पर आधारित लोक लेखे के मुख्य लेनदेनों का विश्लेषण करता है। सूचनाओं की प्राप्ति, पीएसयू, प्राधिकरणों, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य विभाग आदि जहां कभी भी आवश्यक हो वहां से प्राप्त/उपयोग किया गया है।

4. इस प्रतिवेदन का अध्याय III, राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है एवं राज्य सरकार के विनियोग एवं आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर समीक्षा करता है।

5. इस प्रतिवेदन का अध्याय IV, राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत लेखे की गुणवत्ता पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है एवं निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन किए जाने की स्थिति पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

6. इस प्रतिवेदन का अध्याय V, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय प्रदर्शन, राज्य सरकार का पीएसयू में निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पीएसयू द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूंजी इत्यादि पर एक वृहद दृष्टिकोण प्रदान करता है।

7. यह प्रतिवेदन विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं लेन–देनों की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित टिप्पणियाँ एवं सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा परिणाम पर टिप्पणियों शामिल की गई हैं तथा प्रतिवेदन में राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ पृथक रूप से सम्मिलित की गई हैं।

लेखापरीक्षा कार्य भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यकारी सार

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) की वित्तीय स्थिति पर यह प्रतिवेदन, वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने एवं वित्तीय आकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधानमण्डल को संकेत करती हैं। इस विश्लेषण को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने हेतु, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) (संशोधन) अधिनियम 2016, चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं 2019–20 के बजट अनुमानों में परिकल्पित लक्ष्यों के मध्य एक वृहद तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास किया गया है। इस प्रतिवेदन को पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है:

अध्याय–I प्रदेश सरकार के वित्त का एक नजर में विहंगावलोकन है।

अध्याय–II वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2020 को जीओयूपी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं ऋण प्रबंधन पर व्यय की प्रवृत्ति पर सूक्ष्म दृष्टि डालता है।

अध्याय–III विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं इसमें अनुदानवार विनियोगों तथा सेवादायी विभागों द्वारा जिस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया है, उसका विवरण प्रदान करता है।

अध्याय–IV उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रतिवेदन आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की वस्तु सूची है।

अध्याय–V राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय प्रदर्शन, पीएसयू में राज्य सरकार के निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पीएसयू द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति, इक्विटी एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल आदि पर एक विहंगावलोकन है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राज्य की राजकोषीय स्थिति

जैसा कि लेखे में दर्शाया गया है, वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य ने राजकोषीय आधिक्य एवं राजस्व आधिक्य क्रमशः ₹ 11,083 करोड़ एवं ₹ 67,560 करोड़ प्राप्त किया है। कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (28 प्रतिशत), बजट अनुमानों/मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) (29.98 प्रतिशत), यूपीएफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम, 2016 (30.00 प्रतिशत) एवं चौदहवें वित्त आयोग (31.67 प्रतिशत) द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य सरकार ने निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स को राजस्व प्राप्ति लेखे में अंतरित कर दिया। किसी वास्तविक नगद प्राप्ति के बिना असाधारण लेनदेन होने के कारण, इससे राज्य का राजकोषीय तथा राजस्व आधिक्य प्रभावित हुआ है। अतः वर्ष 2019–20 के दौरान, ₹ 67,560 करोड़ के राजस्व आधिक्य एवं ₹ 11,083 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य को निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ को राज्य की राजस्व प्राप्ति में बिना वास्तविक रोकड़ की प्राप्ति के अंतरण के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

(प्रस्तर 1.4.1, 1.4.2, 1.5 एवं 1.6.1)

बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 3,66,393 करोड़) बजट अनुमान (₹ 3,91,734 करोड़) की तुलना में ₹ 25,341 करोड़ कम थी। बजट अनुमानों के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों में कमी भारत

सरकार (जीओआई) से सहायता अनुदान की कम प्राप्ति एवं बजट अनुमानों/एमटीएफआरपी के सापेक्ष में स्वयं के कर राजस्व संग्रहण में कमी के कारण थी। राजस्व व्यय (₹ 2,98,833 करोड़) बजट अनुमान (₹ 3,63,957 करोड़) से ₹ 65,124 करोड़ कम था। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत परिव्यय (₹ 59,998 करोड़) बजट अनुमान (₹ 77,641 करोड़) से ₹ 17,643 करोड़ कम था।

(प्रस्तर 1.4.1 एवं 1.5.2)

निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

लेखे के अनुसार, वर्ष 2019–20 के दौरान, ₹ 3,66,393 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर राजस्व (₹ 1,22,826 करोड़), करेतर राजस्व (₹ 81,705 करोड़), संघ करों और शुल्कों का अंश (₹ 1,17,818 करोड़) एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 44,044 करोड़) सम्मिलित थे। राज्य के स्वयं के कर राजस्व (₹ 1,22,826 करोड़) में 2018–19 की तुलना में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से राज्य आबकारी, वाहनों पर कर और विद्युत पर कर और शुल्क में वृद्धि के कारण हुई। करेतर राजस्व में वर्ष 2018–19 की तुलना में 171.44 प्रतिशत की वृद्धि, मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स को करेतर राजस्व में अंतरित करने के कारण हुई। प्रभावी रूप से, वर्ष 2019–20 के दौरान करेतर राजस्व (निक्षेप निधि के अंतरण को छोड़कर) की प्राप्ति ₹ 10,525 करोड़ थी, जो वर्ष 2018–19 के दौरान करेतर राजस्व से 40 प्रतिशत कम थी।

(प्रस्तर 2.3.2, 2.3.2.1, 2.3.3.1 एवं 2.3.4)

राजस्व व्यय (₹ 2,98,833 करोड़) कुल व्यय का मुख्य घटक बना रहा और इसका हिस्सा 2015–16 में 74.31 से बढ़कर 2019–20 में 82.79 प्रतिशत हो गया। वेतन और मजदूरी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर प्रतिबद्ध व्यय (₹ 1,84,604 करोड़) राजस्व प्राप्ति का 50.38 प्रतिशत था।

(प्रस्तर 2.4.2 एवं 2.4.4)

पूंजीगत व्यय (₹ 59,998 करोड़) में वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान 3.95 प्रतिशत की कमी आयी। इसके अतिरिक्त, सभी तीनों क्षेत्रों सामान्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान गिरावट प्रदर्शित हुई है।

(प्रस्तर 2.4.5)

समेकित निक्षेप निधि

सरकार ने अपनी अवशेष देयताओं के विमोचन हेतु एक समेकित निक्षेप निधि का गठन (मार्च 2020) किया, जिसे वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागू होना था एवं इसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रशासित किया जायेगा। राज्य सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार विद्यमान निक्षेप निधि के मार्च 2020 के अंत तक अवशेष राशि को समेकित निक्षेप निधि में अंतरित करना था। तथापि, राज्य सरकार ने विद्यमान निक्षेप निधि के सम्पूर्ण अवशेष ₹ 71,180.23 करोड़ को राज्य के गैर कर राजस्व में हस्तान्तरित (30 मार्च 2020) कर दिया।

राज्य सरकार का सामान्य नकद अवशेष 31 मार्च 2020 को ₹ 21,386.75 करोड़ था जो कि निक्षेप निधि के बुक बैलेन्स (गैर कर राजस्व में हस्तान्तरण से पूर्व) से कम था। तथापि, निक्षेप निधि अवशेष को घटाकर शून्य करने पर राज्य सरकार के पास ₹ 2,91,185.86 करोड़ की धनराशि के इसके खुले बाजार के ऋणों के ऋण परिशोधन हेतु 31.03.2020 को निक्षेप निधि/समेकित निक्षेप निधि में कोई धनराशि नहीं थी। अग्रेतर, विद्यमान निक्षेप निधि के गैर कर राजस्व में जमा धन का ऋणशोधन में उपयोग नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए इसका सृजन किया गया था। ऋणों के पुनर्भुगतान

के लिये समेकित निक्षेप निधि में पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय विवेकशीलता की इस कमी के निराकरण की आवश्यकता है।

निक्षेप निधि को बंद करते हुए राज्य सरकार ने संघ एवं राज्यों हेतु मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में निर्धारित लेखा सिद्धान्तों का अनुपालन नहीं किया। अग्रेतर, ₹ 71,180.23 करोड़ का यह अंतरण बिना वास्तविक नगद प्राप्ति के मात्र एक पुस्तकीय समायोजन था। अतः वर्ष 2019–20 के राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय अधिशेष को निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ को राज्य की राजस्व प्राप्तियों में अंतरण के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

संस्तुति : *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि की अवशेष धनराशि को वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निवेशित किया जाये न कि यह केवल बुक प्रवृष्टि हो। समेकित निक्षेप निधि में पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में वांछित है, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निधि में वार्षिक अंशदान बकाया देयताओं का कम से कम 0.5 प्रतिशत हो। अग्रेतर, निधि से अन्तरण को राजस्व प्राप्तियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिये और ऋण के विमोचन पर ऋण के पुनर्भुगतान के समान धनराशि को निक्षेप निधि से मुख्य शीर्ष 8680 (विविध शासकीय लेखे) में अन्तरित किया जाना चाहिये।*

(प्रस्तर 2.5.2.1)

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ)

भारत सरकार के इस दिशानिर्देश कि एसडीआरएफ का संचालन ''ब्याज सहित आरक्षित निधि'' के अंतर्गत किया जाना चाहिए, के प्रतिकूल राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ का संचालन "ब्याज रहित आरक्षित निधि" के अंतर्गत किया जा रहा है। अग्रेतर, निधि में अवशेष राशि को एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से निवेश नहीं किया गया। राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 के लिए निधि के निवेश रहित अवशेष पर ₹ 116.55 करोड़ के ब्याज को जमा नहीं किया था।

संस्तुति : *राज्य सरकार को एसडीआरएफ की अवशेष धनराशि को "ब्याज सहित आरक्षित निधियां" श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों में अन्तरित करना चाहिए और एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार उपार्जित ब्याज को निधि में प्रेषित करना चाहिए। राज्य सरकार को एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधि में अवशेष धनराशि का निवेश भी करना आवश्यक है।*

(प्रस्तर 2.5.2.2)

आकस्मिक देयताएं– प्रत्याभूतियों की स्थिति

प्रत्याभूतियों के विमोचन के उद्देश्य से, राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार एक प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी। तथापि, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया। राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 में 23 संस्थाओं यथा सांविधिक निगम, सरकारी कम्पनियाँ एवं अन्य संस्थाओं को उनके द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्रत्याभूति दी। वर्ष 2019–20 के अंत में, ₹ 1,18,696.49 करोड़ की शेष प्रत्याभूति थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्याभूति शुल्क का संग्रहण/लेखांकन संघ और राज्यों के लिए मुख्य और लघु शीर्ष की सूची के अनुसार लघु शीर्ष में नहीं किया जा रहा है।

संस्तुति : *राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन एवं परिचालन करना चाहिये। राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्याभूति शुल्क की शीघ्र वसूली हो। सरकार को उन*

संस्थाओं की वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिये जिन्होंने प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया है और/या जिनके लेखे बकाया हैं। अग्रेतर, प्रत्याभूति शुल्क का संग्रहण/लेखांकन मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुरूप किया जाना चाहिये।

(प्रस्तर 2.5.2.3 एवं 2.7.2.2)

बिना विधायी प्राधिकार के व्यय

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा भूमि के क्रय एवं कार्यालय भवन समूह के निर्माण पर व्यय ₹ 51.21 करोड़ के विधायी प्राधिकार को सुनिश्चित करने में असफल रही, जो संविधान के अनुच्छेद 204 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन था।

संस्तुति : *राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना किया गया व्यय संविधान के अनुच्छेद 204 में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है अतः इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य सरकार को विधानमंडल के प्राधिकार के बिना यूपीईआरसी के भवन निर्माण पर व्यय के कारणों की जांच एवं जिम्मेदारी नियत की जानी चाहिए।*

(प्रस्तर 3.2.1)

व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वर्ष 2019–20 के दौरान कई प्रकरणों में राजस्व को पूँजीगत एवं पूँजीगत को राजस्व के रूप में व्यय का गलत वर्गीकरण पाया गया। व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का संयुक्त प्रभाव राजस्व अधिशेष के ₹ 85.01 करोड़ आधिक्य के रूप में परिणित हुआ।

संस्तुति : *कुछ व्यय मदों का पूँजीगत या राजस्व प्रकृति के रूप में वर्गीकरण कुछ मानक मदों में सम्मिलित था, जैसा कि प्रस्तर 3.2.2 में बताया गया है, इसे यूपी बजट मैनुअल (यूपीबीएम) के साथ संरेखित करने हेतु समीक्षा एवं निवारण की आवश्यकता है।*

(प्रस्तर 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 एवं 3.2.2.3)

एकमुश्त प्रावधान

यूपी बजट मैनुअल (यूपीबीएम) में निहित दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 18 अनुदानों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत ₹ 6,767.78 करोड़ के एकमुश्त प्रावधान बजट में आवंटित किए गए थे एवं इन प्रावधानों के सापेक्ष ₹ 6,572.33 करोड़ (प्रावधान का 97 प्रतिशत) का व्यय हुआ।

संस्तुति : *एकमुश्त बजटीय प्रावधान यूपीबीएम के प्रस्तर 31 का उल्लंघन है और यूपीबीएम के प्रावधानों के आलोक में इसे प्रतिबंधित या पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है।*

(प्रस्तर 3.2.3)

व्यय आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

वर्ष 2019–20 के दौरान अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के प्राधिकार से ₹ 10.71 लाख का अधिक संवितरण था। विधायी प्राधिकार से अधिक व्यय को राज्य के पिछले राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नियमित रूप से बताया गया है। तथापि, वर्ष 2005–06 से 2018–19 तक के 102 अनुदानों और 46 विनियोगों के अंतर्गत ₹ 32,525.25 करोड़ के व्ययाधिक्य के प्रकरणों को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक विनियमित नहीं किया गया है।

संस्तुति : *विधायी प्राधिकार से अधिक व्यय (2005-06 से 2019-20 की अवधि से सम्बन्धित) संविधान के अनुच्छेद 205 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमितीकरण हेतु राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।*

(प्रस्तर 3.2.4.1 एवं 3.2.4.2)

बचतें

2019–20 के दौरान ₹ 5,26,809.22 करोड़ के कुल प्रावधानों के सापेक्ष ₹ 1,27,382.47 करोड़ की बचतें हुई जो कुल बजटीय प्रावधानों का 24.18 प्रतिशत था। इतनी बड़ी बचतें राज्य सरकार द्वारा योजना बनाने एवं उनके क्रियान्यवन में व्यापक अंतर का सूचक है। 49 अनुदानों के 71 मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक में, ₹ 1,24,946.48 करोड़ की बचतें हुई। अग्रेतर, अनुदान में मूल आवंटन के सापेक्ष बचत के बावजूद अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक अनुदान का प्रावधान अन्य विभागों को निधियों के संवितरण को रोकता है।

संस्तुति : *अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोजन निधि आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। वित्त विभाग निधियों के उपयोग को इष्टतम करने हेतु संबंधित विभागों को संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय योजनाओं/परियोजनाओं के लागत अनुमान में सुधार करने हेतु परामर्श दे सकता है।*

(प्रस्तर 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 एवं 3.3.5)

व्यय की अनुचित तीव्रता

वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय का संकेन्द्रण सार्वजनिक निधियों के सुदृढ़ प्रबंधन के सिद्धांतों के विरुद्ध है। व्यय के अतिरेक को रोकने हेतु यूपीबीएम में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। चार अनुदानों में, उनके कुल बजटीय प्रावधानों का 50 प्रतिशत या उससे अधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतिम महीने अर्थात मार्च 2020 में किया गया। अग्रेतर, अनुदान संख्या 44 – पर्यटन विभाग में ₹ 276.95 करोड़ के मार्च 2020 के दौरान व्यय से ₹ 100 करोड़ को वैयक्तिक जमा/वैयक्तिक लेजर खाते में अन्तरित किया गया जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक विभागों को निर्गत दिशानिर्देशों (मार्च 2018), जिसमें संचित निधि से धन आहरित कर वैयक्तिक निक्षेप/वैयक्तिक लेजर खाते में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, का उल्लंघन था।

संस्तुति : *सरकार व्यय की स्थिर गति को बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में विशेष रूप से मार्च में व्यय की अनुचित तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।*

(प्रस्तर 3.3.6)

बचतों के अभ्यर्पण में विलम्ब

यूपीबीएम में प्रावधान है कि नियंत्रण अधिकारियों को सभी अंतिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। तथापि, ₹ 1,27,382.47 करोड़ की कुल बचत में से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन मात्र ₹ 19,658.69 करोड़ अभ्यर्पित किए गये एवं शेष ₹ 1,07,723.78 करोड़ व्यपगत हो गये।

संस्तुति : *25 मार्च तक निधियों के अभ्यर्पण के संबंध में यूपीबीएम के प्रस्तर 141 के निर्देशों के अनुपालन में निधियों के इष्टतम उपयोग और बजटीय अनुशासन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*

(प्रस्तर 3.3.8)

शासकीय प्राप्तियों को शासकीय लेखे से बाहर रखा जाना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का शासकीय लेखाओं के माध्यम से लेखाकरण न अपनाने के कारण राज्य सरकार के लेखे से यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि उपकर, शुल्क आदि के मद में कितनी धनराशि एकत्रित की गयी तथा कितनी धनराशि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर बोर्ड (यूपीबीओसीडब्ल्यू) को हस्तांतरित की गयी। बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 2015–16 से 2019–20 के दौरान पंजीकृत कार्यों पर व्यय उपलब्ध निधियों के सापेक्ष 3.81 प्रतिशत से 7.20 प्रतिशत के मध्य था एवं 5.55 से 23.36 प्रतिशत श्रमिकों को आच्छादित किया गया।

संस्तुति : *उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि राज्य के लोक लेखे का भाग होनी चाहिये एवं वहाँ से यह बोर्ड के खाते में अन्तरित की जा सकती है। उ.प्र. बीओसीडब्ल्यू बोर्ड को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार करने एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अपने अधिदेश को पूर्ण करना चाहिये।*

(प्रस्तर 4.1.1)

राज्य सरकार ने राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ₹ 110.16 करोड़ की प्राप्तियाँ राज्य के लोक लेखा से बाहर रखी गयीं।

संस्तुति : *राज्य सरकार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन करना चाहिए और निधि के अवशेष को राज्य के लोक लेखे में जमा करना चाहिए।*

(प्रस्तर 4.1.2)

राज्य सरकार के ऋणों को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण संकेतकों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर बजटीय ऋणों का सहारा लिया। परिणामस्वरूप, ऋण स्टाक ₹ 5,107.58 करोड़ बढ़ गया तथा वर्ष 2019–20 के दौरान संज्ञान में लिये गये ऋण स्टाक ₹ 5,02,412.02 करोड़ एवं जीएसडीपी से ऋण स्टाक अनुपात 28.00 प्रतिशत के सापेक्ष ये क्रमशः ₹ 5,07,519.60 करोड़ एवं 28.28 प्रतिशत हो गये।

संस्तुतिः *राज्य सरकार को गैर–बजट ऋण से बचना चाहिये एवं राज्य सरकार की ओर से पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा लिए गए परन्तु राज्य सरकार द्वारा सर्विस किये गये ऋणों को संचित निधि में जमा करना चाहिये।*

(प्रस्तर 4.2)

परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियां

राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 के दौरान परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना हेतु ₹ 2,023.76 करोड़ को अग्रेत्तर निवेश हेतु नामित निधि प्रबन्धक को प्रेषित नहीं किया। परिणामस्वरूप, अप्रेषित निधि से कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई क्योकिं यह अभिदाताओं के निवेश कोष का हिस्सा नहीं बन सका।

संस्तुतिः *राज्य सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित करना चाहिये जिससे गैर–हस्तान्तरित धनराशि अभिदाताओं के निवेश के कोष का भाग बन सके और मूल्य वृद्धि प्राप्त कर सके।*

(प्रस्तर 4.3)

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न होना

राज्य सरकार ने यात्रियों या मृतक आश्रितों या अन्य अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 द्वारा प्राधिकृत उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, 2015–16 से 2019–20 के दौरान ₹ 536.38 करोड़ की धनराशि यूपीआरटीएआरएफ में जमा नही की गयी।

संस्तुतिः *सांविधिक आवश्यकता होने के कारण, सरकार को 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' की स्थापना करनी चाहिए जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधि का उपयोग किया जा सके।*

(प्रस्तर 4.4)

उपभोग प्रमाण पत्रों (यूसी) के प्रेषण में विलम्ब

2001–02 से 2018–19 (सितम्बर 2018 तक) की अवधि के दौरान निर्गत अनुदानों हेतु 31 मार्च, 2020 तक ₹ 15,697.94 करोड़ के कुल 41,376 यूसी बकाया थे। यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नही है कि संवितरित धन का उपभोग उन उद्देश्यों हेतु किया गया जिसके लिए उन्हें विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूसी के उच्च लम्बित होने की स्थिति निधियों के गबन, अपयोजन एवं दुर्विनियोजन के जोखिम से भरी हुई है।

संस्तुतिः *सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्गत अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे एवं बकायेदार अनुदान प्राप्तकर्ता को नया अनुदान निर्गत करने से पूर्व सभी बकाये की समीक्षा की जा सकती है।*

(प्रस्तर 4.5)

संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिल

संक्षिप्त आकस्मिक बिल (एसी बिल) को आहरण के अगले माह के अंत तक समायोजित करने हेतु कोडल प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, 31 मार्च 2020 तक ₹ 17.06 करोड़ के अग्रिम वाले 1,323 संक्षिप्त आकस्मिक बिल समायोजन हेतु लंबित थे जिसमें वर्ष 2017–18 तक आहरित 1,185 एसी बिल सम्मिलित थे।

संस्तुतिः *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण अधिकारी निर्धारित समय के अन्दर संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का समायोजन करें जैसा कि नियमों में वांछनीय है।*

(प्रस्तर 4.6)

वैयक्तिक जमा खाता

कुल 781 वैयक्तिक लेजर खातों (पीएलए)/वैयक्तिक जमा खातों (पीडी) में से, 225 पीएलए/पीडी खाते जिनमें ₹ 11.95 करोड़ की अवशेष धनराशि थी, पिछले तीन वर्षों से असंचालित थे। इन असंचालित पीएलए/पीडी खातों को राज्य सरकार द्वारा बंद नहीं किया गया जोकि उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता नियमावली, 1998 में निहित कोडल प्रावधानों का उल्लंघन है।

संस्तुतिः *वित्त विभाग को सभी पीडी खातों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये करनी चाहिए कि इन पीडी खातों में अनावश्यक रूप से पड़ी सभी धनराशियों को तत्काल संचित निधि में प्रेषित किया जाय। अग्रेतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमों/कोडल प्रावधानों में निहित निर्देशों को दोहराना चाहिए एवं यह सुनिश्चित*

करना चाहिए कि नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने वाले विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की गयी है।

(प्रस्तर 4.7)

लघु शीर्ष 800 तथा मानक मद 42 का अविवेकपूर्ण उपयोग

वर्ष 2019–20 के दौरान, व्यय पक्ष में 82 राजस्व एवं पूंजीगत मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 36,247.60 करोड़ की धनराशि एवं प्राप्ति पक्ष में ₹ 76,255.58 करोड़ की धनराशि सम्बंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय/प्राप्तियों में अभिलेखित की गयी। लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत बड़ी राशि का लेखांकन वित्तीय रिर्पोटिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। वर्ष 2019–20 के दौरान मानक मद '42–अन्य व्यय" के अंतर्गत ₹ 11,820.86 करोड़ का व्यय किया गया जो कि राज्य की संचित निधि के कुल व्यय ₹ 3,83,351.68 करोड़ का 3.08 प्रतिशत था। 18 अनुदानों में मानक मद '42–अन्य व्यय' के अंतर्गत किया गया व्यय उन अनुदानों के कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक था। मानक मद '42–अन्य व्यय' में बड़ी राशियों का वर्गीकरण किया जाना वित्तीय रिर्पोटिंग का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता है।

संस्तुतिः *वित्त विभाग को, महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श से, वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियां और व्यय भविष्य में समुचित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित किए जाएं। अग्रेतर, मानक मद के स्तर पर मानक मद 42–अन्य व्यय का अविवेकपूर्ण प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।*

(प्रस्तर 4.8 एवं 4.9)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकलाप

31 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 113 पीएसयूज थे जिनमें छः सांविधिक निगम एवं 107 सरकारी कम्पनियां (जिनमें 44 अकार्यरत कम्पनियां सम्मिलित हैं) थी। यह प्रतिवेदन 33 पीएसयूज के वित्तीय निष्पादन को सम्मिलित करता है जिनके लेखे तीन या अधिक वर्ष से बकाया नहीं थे एवं कार्यरत थे अथवा समापन के अधीन नहीं थे। इन 33 पीएसयूज ने उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 69,786 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर उत्तर प्रदेश के वर्ष 2019–20 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3.89 प्रतिशत के बराबर थे।

(प्रस्तर 5.1)

उत्तर प्रदेश सरकार का निवेश एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

31 मार्च 2020 को 33 पीएसयूज जिनके वित्तीय निष्पादन को इस अध्याय में शामिल किया है, में कुल निवेश ₹ 2,21,303.75 करोड़ था। निवेश में पूँजी के लिये 59.44 प्रतिशत एवं दीर्घकालीन ऋण के लिये 40.56 प्रतिशत सम्मिलित था। इनमें से इन पीएसयूज में राज्य सरकार का निवेश ₹ 1,31,849.34 करोड़ है जिसमें पूँजी ₹ 1,28,647.69 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 3,201.65 करोड़ सम्मिलित है।

2019–20 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 33 पीएसयू द्वारा उठाई गयी कुल हानि ₹ 14,210.90 करोड़ थी। इन 33 पीएसयूज में से, 15 पीएसयूज ने ₹ 517.61 करोड़ लाभ कमाया तथा 18 पीएसयूज ने ₹ 14,728.51 करोड़ की हानि उठाई। शीर्ष हानि उठाने वाले पीएसयूज उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 8,118.80 करोड़) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,567.16 करोड़) एवं शीर्ष लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 167.37 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 123.75 करोड़) थे।

(प्रस्तर 5.2 एवं प्रस्तर 5.6)

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं से मिलान

राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिये। तथापि, 31 मार्च 2020 को 64 पीएसयूज के पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति के सम्बन्ध में अन्तर विद्यमान थे। इसके बावजूद कि अन्तर के समाधान हेतु लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित पीएसयूज एवं विभागों के साथ इस मुद्दे को समय–समय पर उठाया गया है, आंकड़ों में यह अन्तर पिछले बहुत वर्षों से सतत बना हुआ है।

संस्तुतिः *राज्य सरकार एवं संबंधित पीएसयूज को पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आंकड़ों के अन्तर को जीओयूपी के वित्त लेखाओं और पीएसयूज के अभिलेखों के आधार पर समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिये।*

(प्रस्तर 5.4)

बकाया लेखे

69 कार्यरत पीएसयूज में से केवल तीन पीएसयूज ने वर्ष 2019–20 के लिये अपने लेखे प्रस्तुत किये और शेष 66 कार्यरत पीएसयूज के 255 लेखे बकाया थे। 44 अकार्यरत पीएसयूज में से एक पीएसयू यथा उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 2019–20 के लिये अपने लेखे प्रस्तुत किये, 41 पीएसयूज के 674 लेखे बकाया थे और शेष दो पीएसयूज के समापन में जाने के तिथि को कोई लेखा बकाया नहीं था। जीओयूपी ने 107 में से 41 पीएसयूज में लेखाओं के बकाया की अवधि के दौरान ₹ 59,832.24 करोड़ (पूँजीः ₹ 18,681.08 करोड़, ऋणः ₹ 1,837.27 करोड़, अनुदानः ₹ 15,525.07 करोड़ एवं सब्सिडीः ₹ 23,788.82 करोड़) प्रदान किये।

संस्तुतिः *प्रशासनिक विभाग को पीएसयूज के लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिये सख्ती से अनुश्रवण करना चाहिये एवं आवश्यक निर्देश निर्गत करने चाहिये। सरकार पीएसयूज के लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं को भी देख सकती है एवं लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठा सकती है।*

(प्रस्तर 5.16)

अध्याय - I

विहंगावलोकन

अध्याय–I

विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। राज्य[1] की जनसंख्या 2011 में 19.98 करोड़ से बढ़कर 2020 में 22.79 करोड़ हो गई और इसमें भारत की दशकीय वृद्धि दर 11.25 प्रतिशत के सापेक्ष 14.08 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है जो बड़े पैमाने पर कृषि द्वारा संचालित है तथा प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की आधी है। वर्ष 2018–19 की अवधि में राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर ₹ 66,512 थी जो भारत की प्रति व्यक्ति आय (₹ 1,26,406) से 47 प्रतिशत कम थी। कृषि सबसे बड़ा नियोक्ता[2] है, जो हर तीन कामगारों में से दो को रोजगार देता है। यह दलहन, दुग्ध, गेहूं, गन्ना, मक्का, आलू, आम, चमड़ा और हस्तशिल्प का प्रमुख उत्पादक है। 2011–12 में गरीबी रेखा[3] से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 29.43 प्रतिशत था। 2011 की जनगणना में साक्षरता दर[4] 67.7 प्रतिशत थी; यद्यपि यह वर्ष 2011 की जनगणना में अखिल भारतीय औसत 73 प्रतिशत से 5.3 प्रतिशत नीचे थी।

तालिका 1.1 सामान्य आंकड़े

क्रम संख्या	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्रफल		2,40,928 वर्ग किमी
2	जनसंख्या		
	अ.	2011 की जनगणना के अनुसार	19.98 करोड़
	ब.	वर्ष 2020	22.79 करोड़
3	अ.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ब.	जनसंख्या का घनत्व[5] (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बीपीएल)[3] (2011-12) (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)		29.43 प्रतिशत
5	अ.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	56.3 प्रतिशत
	ब.	साक्षरता[6] (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73 प्रतिशत)	67.7 प्रतिशत

[1] भारत और राज्य के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2011–36 (नवंबर 2019), तालिका 8, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या पर गठित तकनीकी समूह की जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट।

[2] http://up.gov.in/social-demography.pdf

[3] भारतीय रिजर्व बैंक, तालिका 162 (गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/publications/PDFs/162_BST130913.pdf)

[4] आर्थिक एवं सांख्यिकी प्रभाग, राज्य योजना संस्थान, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश एक नज़र में 2019।

[5] आर्थिक एवं सांख्यिकी प्रभाग राज्य योजना संस्थान, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश 'एक नजर में 2019' (updes.up.nic.in)

[6] आर्थिक एवं सांख्यिकी प्रभाग राज्य योजना संस्थान, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश 'एक नजर में 2019' (updes.up.nic.in)।

क्रम संख्या	विवरण		आंकड़े
6	शिशु मृत्यु दर[7] (2018) (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 32 प्रति 1000 जीवित जन्म)		43 प्रति 1000 जीवित जन्म
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा[8] (2013-17) (अखिल भारतीय औसत = 69 वर्ष)		65 वर्ष
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर		₹ 17,94,508 करोड
9	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2011-12 से 2019-20)	उत्तर प्रदेश	10.32
		सामान्य श्रेणी के राज्य	10.53
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2011-12 से 2019-20)	उत्तर प्रदेश	12.01
		सामान्य श्रेणी के राज्य	11.98
11	दशकीय जनसंख्या वृद्धि[9] (2011 से 2020)	उत्तर प्रदेश	14.08 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	11.13 प्रतिशत

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) एक निश्चित समय अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतयः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों से संबंध रखते हैं।

वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और राज्य के जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.2 में दी गयी है।

तालिकाः 1.2 वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय जीडीपी[10] की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राष्ट्रीय जीडीपी (2011-12 श्रृंखला)	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
विगत वर्ष के सापेक्ष जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
राज्य की जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला)	11,37,808	12,90,289	14,60,443	16,68,229	17,94,508
विगत वर्ष के सापेक्ष जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.45	13.40	13.19	14.23	7.57

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

---

7 Census india.gov.in/vital-statistics/SRS-Report 2018.

8 कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एसआरएस आधारित जीवन तालिका 2013-17।

9 भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2011-2036 (तालिका 8)

10 वर्ष 2015–16 से 2018–19 के लिए वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी और जीएसडीपी को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है, अतः पूर्ववर्ती राज्य वित्त लेखा प्रतिवेदनों में 2015–16 से 2018–19 के जीडीपी/जीएसडीपी के सन्दर्भ में दर्शाये गए प्रतिशत अनुपात/उछाल अनुपात भी संशोधित हो गए हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (एमओएसपीआई/जीओआई) की वेबसाइट पर 31.07.2020 तक के जीएसडीपी विवरण को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। जीडीपी एमओएसपीआई द्वारा दिनांक 29.05.2020 को निर्गत प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार है।

वर्ष 2018–19 की अवधि में जीएसडीपी की वृद्धि दर 14.23 प्रतिशत थी और 2015–19 की अवधि में मुख्यतः वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई परन्तु 2019–20 की अवधि में घटकर 7.57 प्रतिशत हो गई। यद्यपि, 2015–20 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर भारत की जीडीपी वृद्धि दर से अधिक थी। 2015–16 में जीएसडीपी से क्षेत्रीय योगदान की 2019–20 के उसी के साथ तुलनात्मक स्थिति **चार्ट** 1.1 में दी गई है।

चार्ट 1.1: जीएसडीपी से क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2015–16 से 2019–20)

स्रोतः अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार

नोटः **कृषि (प्राथमिक) क्षेत्र** में कृषि (पशुपालन सहित), वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन आदि सम्मिलित हैं; **उद्योग (द्वितीयक) क्षेत्र** में विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोगिता सेवायें एवं निर्माण सम्मिलित हैं तथा **सेवा (तृतीयक) क्षेत्र** में व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्त सेवायें, बीमा, रियल एस्टेट, सामुदायिक, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवायें सम्मिलित हैं।

जीएसडीपी में क्षेत्रीय वृद्धि

सभी क्षेत्रों की क्षेत्रवार वृद्धि को **चार्ट** 1.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.2: क्षेत्रवार वृद्धि दरः 2015–16 से 2019–20

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कृषि	11.35	9.42	12.67	8.71	5.44
उद्योग	13.12	24.05	9.71	8.76	3.06
सेवा	10.63	9.78	12.27	11.95	11.80

स्रोतः अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर में गिरावट विशेषकर 2017–18 से देखी गई जबकि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर पांच वर्ष की अवधि में लगभग स्थिर रही है। उद्योग और कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में 2017–20 की अवधि में गिरावट के कारण राज्य की जीएसडीपी वृद्धि मंद होकर वर्ष 2019–20 में 7.57 प्रतिशत हो गई।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के किसी राज्य के लेखे से सम्बन्धित प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करायेंगे। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

लेखे के रखरखाव के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचर, चालान और प्रारंभिक और सहायक लेखे तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा इन लेखे की स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है और उन्हें सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे, विनियोग लेखे और राज्य के बजट अभिलेखों से प्रतिवेदन हेतु मुख्य आंकड़े प्राप्त होते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के अन्य आंकड़े (लेखांकन एवं एमआईएस),
- जीएसडीपी आंकड़े और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी; तथा
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

चौदहवें वित्त आयोग (एफसी), राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों की संस्तुतियों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया गया था।

मसौदा प्रतिवेदन 22 फरवरी 2021 को टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन को निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय - I	**विहंगावलोकन** यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण और अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है तथा शासकीय लेखे की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म–राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है ।
अध्याय - II	**राज्य के वित्त** यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2015–16 से 2019–20 की अवधि में समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के वित्त लेखे के आधार पर राज्य के ऋण विवरणिका लोक लेखे के प्रमुख लेनदेनों का विश्लेषण करता है।
अध्याय - III	**बजटीय प्रबंधन** यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन

	पर आख्या देता है। बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा के संबंध में टिप्पणियों जैसे विधि के प्राधिकार के बिना व्यय, पूंजीगत और राजस्व के बीच व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान, अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोजन, व्ययाधिक्य और उसका नियमितीकरण, पारदर्शिता और बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता से संबंधित टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है।
अध्याय - IV	**लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन प्रथाएं** यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों के निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर–अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है। प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दों के साथ–साथ लेखे की पूर्णता, पारदर्शिता और माप के सम्बन्ध में टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है।
अध्याय -V	**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली** इस अध्याय में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय प्रदर्शन, पीएसयू में राज्य सरकार के निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पीएसयू द्वारा लेखे को प्रस्तुत करने की स्थिति, इक्विटी और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल आदि पर चर्चा की गई है।

1.4 शासकीय लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है:

i. राज्य की संचित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से धन को विधि और भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित उद्देश्यों एवं तरीके के अतिरिक्त विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि) राज्य की संचित निधि (भारित व्यय) पर एक प्रभार होती हैं तथा विधायिका द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

ii. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा स्थापित किया गया है, तथा राज्य विधानमंडल द्वारा व्यय का प्राधिकार लंबित रहने की दशा में अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान किये जाने हेतु राज्यपाल के निवर्तन पर रखी जाती है। निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की संचित निधि के सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य लेखा शीर्ष के नामे व्यय को लेखांकित कर की जाती है।

iii. राज्य का लोक लेखा (संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन को लोक लेखे में जमा

किया जाता है। लोक लेखे में प्रतिदेय जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, निक्षेप (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों जो कि अस्थायी शीर्ष हैं जिनकी अंतिम लेखांकन लंबित है) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

भारत में यह एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाय। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट अभिलेख बनता है। अग्रेतर, बजट में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्ययों से पृथक प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर–राजस्व, गैर–कर राजस्व, संघ करों/शुल्कों का अंश, और भारत सरकार से अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, सम्मिलित होते हैं । यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कार्यकलापों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान संपत्तियों के निर्माण के लिए हों) हेतु किए गए व्ययों से संबंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न सम्मिलित हैं:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत शुद्ध लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर–ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली।

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश, और सरकार द्वारा पीएसयू एवं अन्य इकाईयों को ऋण और अग्रिम पर व्यय सम्मिलित हैं।

वर्तमान में सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन–देन की विशेषता	वर्गीकरण
लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी मुख्य और लघु शीर्षों की केन्द्र एवं राज्य के लेखों की सूची (एलएमएमएच) में मानकीकृत	कार्य–शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदानों के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष (4–अंकीय)
	उप–कार्य	उप मुख्य लेखाशीर्ष (2–अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3–अंकीय)
राज्यों हेतु छोड़ी गयी नम्यता	योजना	उप शीर्ष (2–अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2–अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	मानक शीर्ष–वेतन, लघु कार्य, आदि (2–अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के मद की पहचान करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजीगत, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4–अंकीय मुख्य शीर्षों के प्रथम अंक में सन्निहित आंकिक तर्क द्वारा प्राप्त होता है। मानक शीर्ष बजट अभिलेखों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

शासकीय लेखे की संरचना

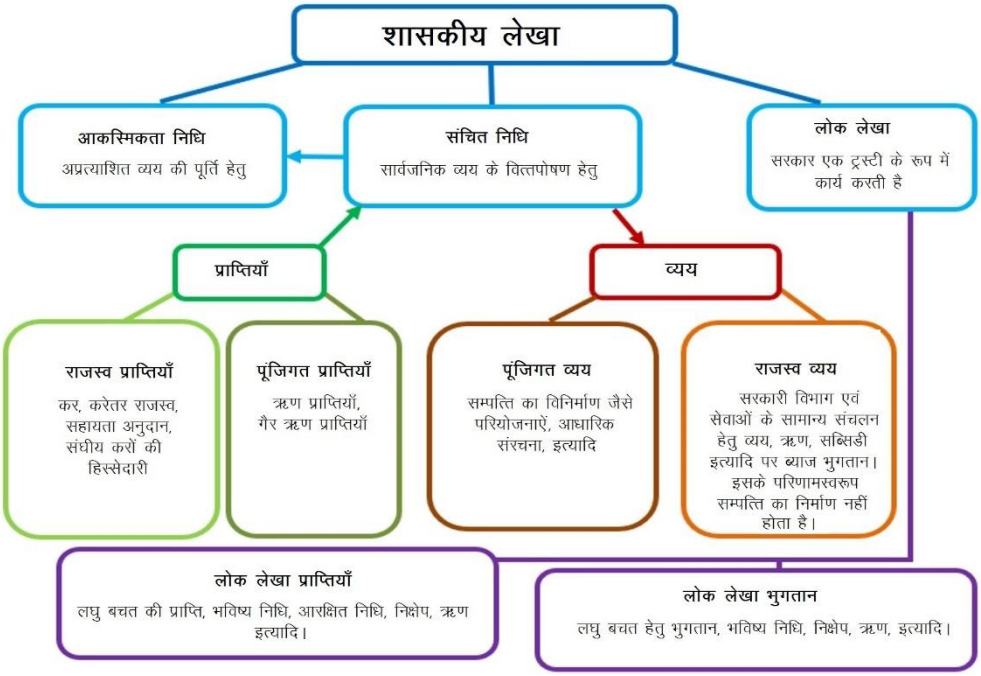

वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के लेन देन को वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में पुस्तांकित किया जाता है:

राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखे के साथ राजस्व और पूंजीगत लेखे द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम और लेखों में अंकित शेष राशि से निकाली गयी राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण, देयता और परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखे सामान्यतः (कुछ अपवादों के साथ) लघु शीर्ष तक के लेन–देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर तक, अर्थात् वसूलियों को व्यय में कमी के रूप में लेखांकन के पश्चात दर्शाए जाते हैं ।

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए मतदेय अनुदानों और भारित विनियोगों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। यह लेखे निधियों के उपयोग को समझने में सहायता करते हैं, वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी करते हैं अतः वित्त लेखों के पूरक हैं।

बजटीय प्रक्रियाएं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल एक **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में राज्य विधानमंडल के समक्ष वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत कराते हैं। अनुच्छेद 203 के अनुसार उक्त विवरण राज्य विधानमंडल को अनुदानों हेतु मांगों/विनियोगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात विनियोग विधेयक को विधानमंडल द्वारा वांछित धन के संचित निधि से विनियोग का प्रावधान करने हेतु अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को उसके बजटीय अनुमान तैयार करने और उसकी व्यय गतिविधियों के अनुश्रवण में मार्गदर्शन प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य

सरकार की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय III** में दिया गया है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

राजकोषीय परिचालनों का सारांश, वित्तीय स्थिति, बजट अनुमानों का वास्तविक उपलब्धि से तुलना का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है। राजकोषीय संकेतकों अर्थात राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा की स्थिति की चर्चा इस प्रतिवेदन के **प्रस्तर 2.7** में की गई है। **तालिका 1.3** वर्ष 2019–20 हेतु बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों का 2019–20 के वास्तविकों से तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.3: बजट अनुमानों के सापेक्ष 2019-20 के वास्तविक आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (पुनरीक्षित अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	वास्तविक का जीएसडीपी से प्रतिशत
1.	स्वयं का कर राजस्व	1,40,176.00	1,34,038.94	1,22,825.83	87.62	6.84
2.	गैर–कर राजस्व	30,632.96	31,375.92	81,705.08[11]	266.72	4.55
3.	संघीय करों/शुल्कों का अंश	1,52,863.17	1,35,312.19	1,17,818.30	77.07	6.57
4.	सहायता अनुदान और अंशदान	68,062.27	69,538.4	44,043.97	64.71	2.45
5.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)**	**3,91,734.40**	**3,70,265.45**	**3,66,393.18**	**93.53**	**20.42**
6.	ऋण और अग्रिम की वसूली (गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति)	5,681.60	5,681.6	5,640.58	99.28	0.31
7.	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	73,268.48	63,268.48	73,808.69	100.74	4.11
8.	**पूंजीगत प्राप्तियां (6+7)**	**78,950.08**	**68,950.08**	**79,449.27**	**100.63**	**4.43**
9.	**कुल प्राप्तियां (5+8)**	**4,70,684.48**	**4,39,215.53**	**4,45,842.45**	**94.72**	**24.84**
10.	**राजस्व व्यय जिसमें से**	**3,63,957.04**	**3,43,983.28**	**2,98,833.04**	**82.11**	**16.65**
11.	ब्याज भुगतान	35,373.92	34,562.53	34,813.02	98.41	1.94
12.	**पूंजीगत व्यय जिसमें से**	**80,369.58**	**82,368.80**	**62,118.03**	**77.29**	**3.46**
13.	पूँजीगत परिव्यय	77,641.13	79,010.91	59,998.03	77.28	3.34
14.	ऋण और अग्रिमों का संवितरण	2,728.45	3,357.89	2,120.00	77.70	0.12
15.	**कुल व्यय (10+12)**	**4,44,326.62**	**4,26,352.08**	**3,60,951.07**	**81.24**	**20.11**
16.	**राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) अधिशेष (5-10)**	**27,777.36**	**26,282.17**	**67,560.14**	**243.22**	**3.76**
17.	**राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (5+6-15)**	**(-)46,910.62**	**(-)50,405.03**	**11,082.69**	**-**	**0.62**
18.	**प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+)[12] {(5+6)- (15-11)}**	**(-)11,536.70**	**(-)15,842.50**	**45,895.71**	**-**	**2.56**

स्रोतः 2019–20 के वित्त लेखे और राज्य सरकार के बजट अभिलेख

2019–20 के दौरान राज्य सरकार ने निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के खाता शेष को प्राप्ति खाते में स्थानान्तरित किया। बिना वास्तविक धनराशि प्राप्ति के असाधारण लेन देन के कारण इससे राज्य का राजस्व एवं राजकोषीय अधिशेष प्रभावित

[11] गैर कर राजस्व में निक्षेप निधि के बुक बैलेन्स ₹ 71,180.23 करोड़ का मार्च 2020 में अंतरण सम्मिलित है।

[12] राजकोषीय घाटा से ब्याज अदायगियां घटाकर।

हुआ। अतः 2019–20 के दौरान ₹ 67,560 करोड़ के राजस्व अधिशेष एवं ₹ 11,083 करोड़ के राजकोषीय अधिशेष को निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ को बिना वास्तविक नकद प्राप्ति के राजस्व प्राप्तियों में हस्तांतरण के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि **प्रस्तर 2.5.2.1** में विस्तार से चर्चा की गई है।

1.4.2 सरकार की संपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

शासकीय लेखे सरकार के वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से निर्मित संपत्तियों को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं, और संपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम एवं नकद शेष सम्मिलित होते हैं।

31 मार्च 2019 की तुलना में 31 मार्च 2020 को देयताओं और संपत्तियों का सार **तालिका 1.4** में दिया गया है।

तलिका 1.4: परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व					परिसम्पत्तियां				
विवरण		31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक	*प्रतिशत वृद्धि /कमी*	विवरण		31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक	*प्रतिशत वृद्धि /कमी*
संचित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	3,53,189.92	4,05,048.84	14.68	अ	सकल पूंजीगत परिव्यय	5,21,867.09	5,81,865.12	11.50
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	11,979.59	11,528.75	-3.76	ब	ऋण और अग्रिम	30,709.56	27,188.98	-11.46
आकस्मिकता निधि									
स	आकस्मिकता निधि (कार्पस)	600.00	600.00	0.00	आकस्मिकता निधि (अप्राप्त)		629.73	0.00	-100
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि ।	54,413.34	57,727.01	6.09	अ	अग्रिम	75.34	58.43	-22.44
ब	निक्षेप	25,687.88	23,581.17	-8.20	ब	प्रेषण	113.09	0.00	-100.00
स	आरक्षित निधि	72,824.77	4,526.25[13]	-93.78	स	उचन्त एवं विविध	3,081.44	4,909.54	59.33
द	प्रेषण	0.00	200.41	-	नकद शेष (निर्धारित निधि में निवेश सहित)		26,912.11	21,443.36	-20.32
य	व्यय से अधिक प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	64,692.86	1,32,253.00	104.43	प्राप्तियों से अधिक व्यय का संचयी आधिक्य		-	-	-
योग		**5,83,388.36**	**6,35,465.43**		**योग**		**5,83,388.36**	**6,35,465.43**	

स्रोतः 2019–20 के वित्त लेखे

2019–20 के दौरान व्यय से प्राप्तियों में संचयी आधिक्य में वृद्धि का मुख्य कारण राज्य के आरक्षित निधि के अन्तर्गत निक्षेप निधि के समस्त अवशेष (₹ 71,180.23 करोड़) का गैर कर राजस्व मद में लेखांतरण था। इस लेने देन में राज्य सरकार को कोई नगद राशि प्राप्त नहीं हुयी थी।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2004 के अनुसार, कुल दायित्व का अर्थ राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखे के अन्तर्गत दायित्व है। राज्य सरकार 2017–19 की अवधि में देयताओं को जीएसडीपी के

[13] आरक्षित निधि में कमी मुख्य रूप से मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बकाया बुक बैलेन्स को गैर–कर राजस्व में स्थानांतरित करने के कारण थी ।

30.50 प्रतिशत तक सीमित नहीं रख सकी जैसा कि यूपी एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम, 2016 में निर्धारित है। वर्ष 2017–18 और 2018–19 की अवधि में कुल दायित्व क्रमशः ₹ 4,67,842.18 करोड़ (जीएसडीपी का 32.03 प्रतिशत) एवं ₹ 5,18,095.50 करोड़ (जीएसडीपी का 31.06 प्रतिशत) रहा। तथापि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल दायित्व ₹ 5,02,412.02 करोड़ (जीएसडीपी का 28 प्रतिशत) रहा जो यूपी एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम, 2016 में निर्धारित लक्ष्य (जीएसडीपी का 30.00 प्रतिशत) के अन्दर था।

1.5 राजकोषीय अवशेषः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 (यूपीएफआरबीएम) को एक मध्यम अवधि में राजस्व घाटे को समाप्त कर, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक सीमित करके बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित कर एवं पारदर्शिता में सुधार कर राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया था। इस संदर्भ में यह अधिनियम घाटे के उपायों और ऋण स्तर के सम्बन्ध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

समय–समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम में दिए गए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों का 2015–20 की अवधि में राज्य का प्रदर्शन **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: यूपीएफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2019-20
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व अधिशेष	14,340	20,283	12,552	28,250	67,560
		✓	✓	✓	✓	✓
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)[14] (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	तीन प्रतिशत	-34,143 3.00	-41,187 3.19	-27,810 1.90	-35,203 2.11	+11,083 0.62
		✓	✗	✓	✓	✓
कुल बकाया ऋण[15] का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	2015–16 और 2016–17 में 31 प्रतिशत, 2017–18 और 2018–19 में 30.50 प्रतिशत तथा 2019–20 में 30.00 प्रतिशत	32.28	32.80	32.03	31.06	28.00
		✗	✗	✗	✗	✓

स्रोतः राज्य सरकार के बजट अभिलेख, यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 और यूपीएफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम, 2016 एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि लेखे में दर्शाया गया है, वर्ष 2019-20 के दौरान, राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात बजट अनुमानों/एमटीएफआरपी, यूपीएफआरबीएम अधिनियम और चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर था। राजकोषीय घाटा अनुमानित जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं रखने के लक्ष्य के विरूद्ध, राजकोषीय अधिशेष (₹ 11,083 करोड़) था जो जीएसडीपी का 0.62 प्रतिशत था। कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (28.00 प्रतिशत) बजट अनुमान/एमटीएफआरपी (29.98 प्रतिशत), यूपीएफआरबीएम अधिनियम (30.00 प्रतिशत) एवं चौदहवें वित्त आयोग (31.67 प्रतिशत) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम था। राज्य का

[14] 2015–17 की अवधि में उदय योजना पर व्यय के अतिरिक्त।

[15] 2015–17 की अवधि में कुल अवशेष ऋण में उदय योजना का ऋण सम्मिलित है।

राजस्व अधिशेष 2018–19 के ₹ 28,250 करोड़ (जीएसडीपी का 1.69 प्रतिशत) से बढ़कर 2019–20 में ₹ 67,560 करोड़ (जीएसडीपी का 3.76 प्रतिशत) हो गया।

राज्य ने वर्ष 2019–20 की अवधि में एमटीएफआरपी (₹ 27,777 करोड़) और पुनरीक्षित बजट (₹ 26,282 करोड़) में प्रस्तावित राजस्व अधिशेष के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 2018–19 में ₹ 3,161 करोड़ (जीएसडीपी का 0.19 प्रतिशत) का प्राथमिक घाटा 2019–20 में ₹ 45,896 करोड़ (जीएसडीपी का 2.56 प्रतिशत) के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया। तथापि, वर्ष 2019–20 की अवधि में इन उपलब्धियों को निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ राज्य की राजस्व प्राप्ति में बिना नगद प्राप्ति हस्तांतरण के संयोजन के साथ देखा जाना चाहिए।

1.5.1 मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति

यूपीएफआरबीएम अधिनियम 2004 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक बजट के साथ एक मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) रखेगी। एमटीएफआरपी निहित पूर्व धारणाओं के विनिर्देश के साथ निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए पंचवर्षीय प्रवाहित लक्ष्य निर्धारित करेगी।

1.5.2 राजकोषीय मानकों की तुलनात्मक स्थितिः एमटीएफआरपी में अनुमानित के सापेक्ष वास्तविक

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत एमटीएफआरपी 2019 में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों हेतु लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2019–20 की वास्तविक की तुलना **तालिका 1.6** में दर्शायी गई है:

तालिका 1.6: एमटीएफआरपी में अनुमान के सापेक्ष 2019–20 के वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजकोषीय चर मदें	एमटीएफआरपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2019-20)	विचलन (प्रतिशत में)
1	स्वयं का कर राजस्व	1,40,176.00	1,22,825.83	-12.38
2	करेतर राजस्व	30,632.96	81,705.08[16]	166.72
3	संघीय करों/शुल्कों का अंश	1,52,863.17	1,17,818.30	-22.93
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	68,062.27	44,043.97	-35.29
5	**राजस्व प्राप्ति (1+2+3+4)**	**3,91,734.40**	**3,66,393.18**	**-6.47**
6	राजस्व व्यय	3,63,957.04	2,98,833.01	-17.89
7	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	27,777.36	67,560.17	143.22
8	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)46,910.62	11,082.69	123.63
9	प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)11,536.70	45,895.71	497.82
10	ऋण स्टॉक–जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)	29.98	28.00	-6.60
11	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत)[17]	7.00	7.57	8.14

स्रोतः वित्त लेखे 2019–20 एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख ।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से पता चलता है किः

- एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में कमी संघीय करों/शुल्कों के अंशो के कारण (₹ 35,044.87 करोड़), भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 24,018.30 करोड़) और स्वयं के कर राजस्व (₹ 17,350.17 करोड़) की कम प्राप्तियों के कारण थी। अग्रेतर विश्लेषण से विदित हुआ कि स्वयं के कर राजस्व में कमी (₹ 17,350.17 करोड़) मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 5,748 करोड़) तथा इसके बाद बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,143 करोड़), राज्य

[16] निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स को करेतर राजस्व में अंतरण को सम्मिलित करके।

[17] एमटीएफआरपी 19 में राज्य सरकार ने वर्ष 2018–19 में पुनरीक्षित अनुमान ₹ 14,76,455 करोड़ वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 15,79,807 करोड़ जीएसडीपी का अनुमान लगाया था।

आबकारी (₹ 4,192 करोड़), स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (₹ 3,109 करोड़), भू–राजस्व (₹ 352 करोड़) और वाहनों पर कर (₹ 149 करोड़) के अन्तर्गत थी। इसके अतिरिक्त गैर–कर राजस्व, में एमटीएफआरपी की तुलना में सकारात्मक विचलन प्रदर्शित हुआ परन्तु यह मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बकाया शेष को राजस्व प्राप्ति लेखे में अंतरण के कारण था। यदि इस अंतरण को गैर–कर राजस्व से बाहर रखा जाता है, तो यह घटकर वास्तविक रूप से ₹ 10,524.85 करोड़ पर आ जाएगा जो एमटीएफआरपी में अनुमानित राशि से अत्यन्त कम (65.64 प्रतिशत) है।

- राजस्व व्यय में तीनों क्षेत्रों में कमी देखी गई: (i) सामान्य सेवाएं (₹ 31,998 करोड़; मुख्य रूप से ऋण में कमी या बचाव गैर–विनियोग के कारण ₹ 21,857.01 करोड़), (ii) सामाजिक सेवाएं (₹ 24,900 करोड़; मुख्य रूप से शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति खंड में ₹ 6,360.30 करोड़, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण खंड में ₹ 2,982.15 करोड़ एवं जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास खंड में ₹ 7,790.41 करोड़) और (iii) आर्थिक सेवाएं (₹ 8,227 करोड़; मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों में ₹ 2,228.81 करोड़, ग्रामीण विकास में ₹ 5,682.05 करोड़)।

- एमटीएफआरपी में अनुमानित आंकड़ों के सापेक्ष राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे की सूचित वास्तविक प्राप्तियाँ सकारात्मक थी। यह मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बकाया शेष को राजस्व प्राप्ति लेखे में अंतरण के कारण था।

1.5.3 प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

मुख्य राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटा मानदंडों (राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा), जीएसडीपी से अधिशेष/घाटे एवं जीएसडीपी से राजकोषीय देयताओं के अनुपात के प्रवृत्ति विश्लेषण को 2015–20 निम्नलिखित **चार्ट 1.3** से **1.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: अधिशेष/घाटे की मानकों में प्रवृत्ति

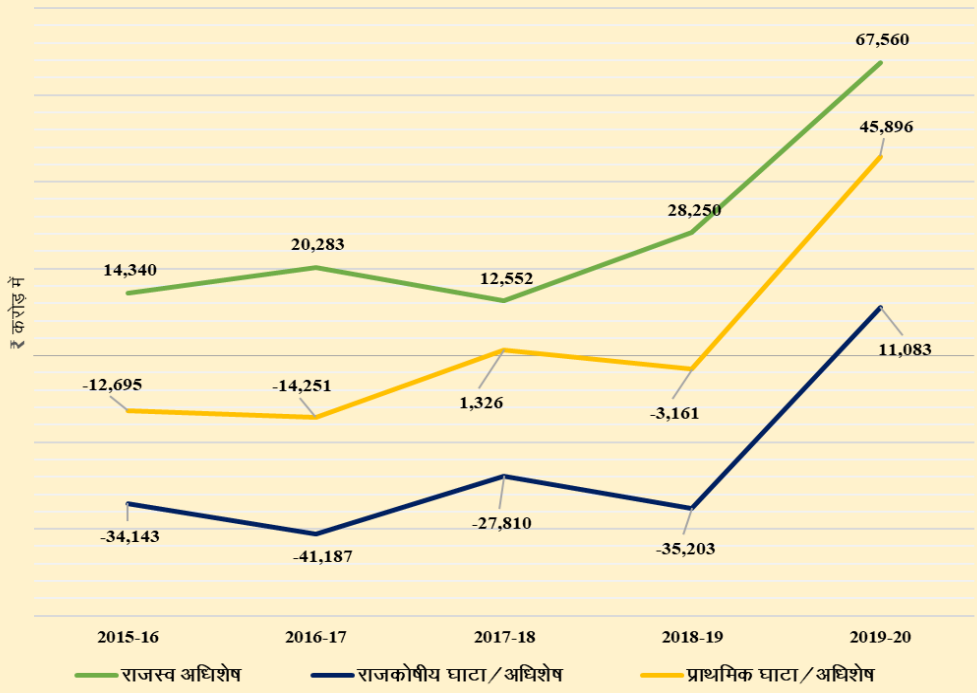

नोट: वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु क्रमशः ₹ 67,560 करोड़ एवं ₹ 11,083 करोड़ क्रमशः राजस्व अधिशेष और राजकोषीय अधिशेष मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बकाया शेष को गैर–कर राजस्व में अंतरण के कारण था।

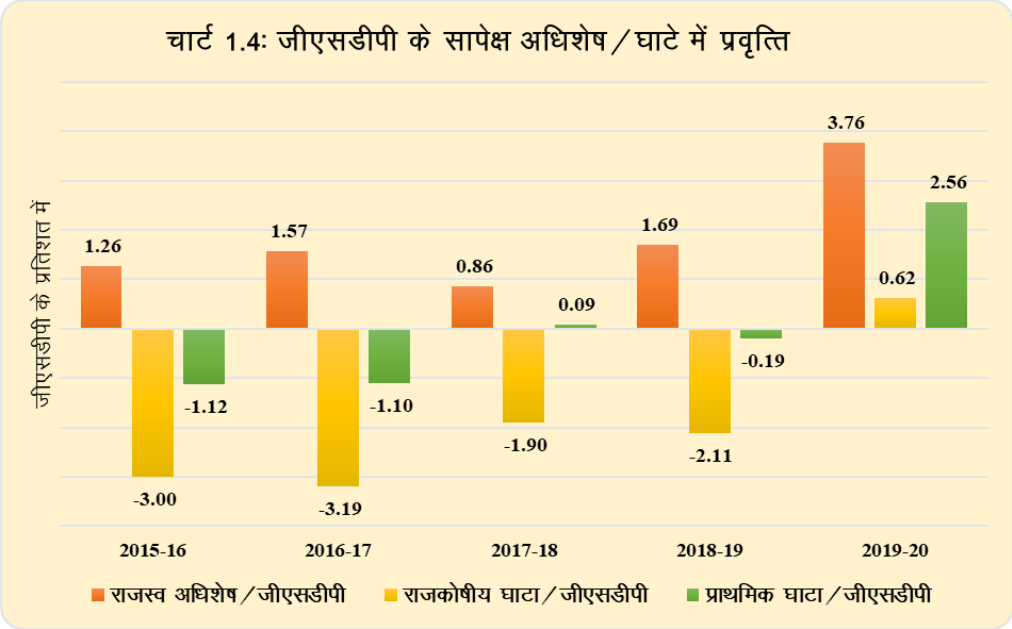

नोटः 2019–20 की अवधि में राजस्व अधिशेष, राजकोषीय अधिशेष एवं प्राथमिक अधिशेष को मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बकाया शेष को गैर–कर राजस्व में अंतरण के संयोजन के आलोक में पढ़ना चाहिए।

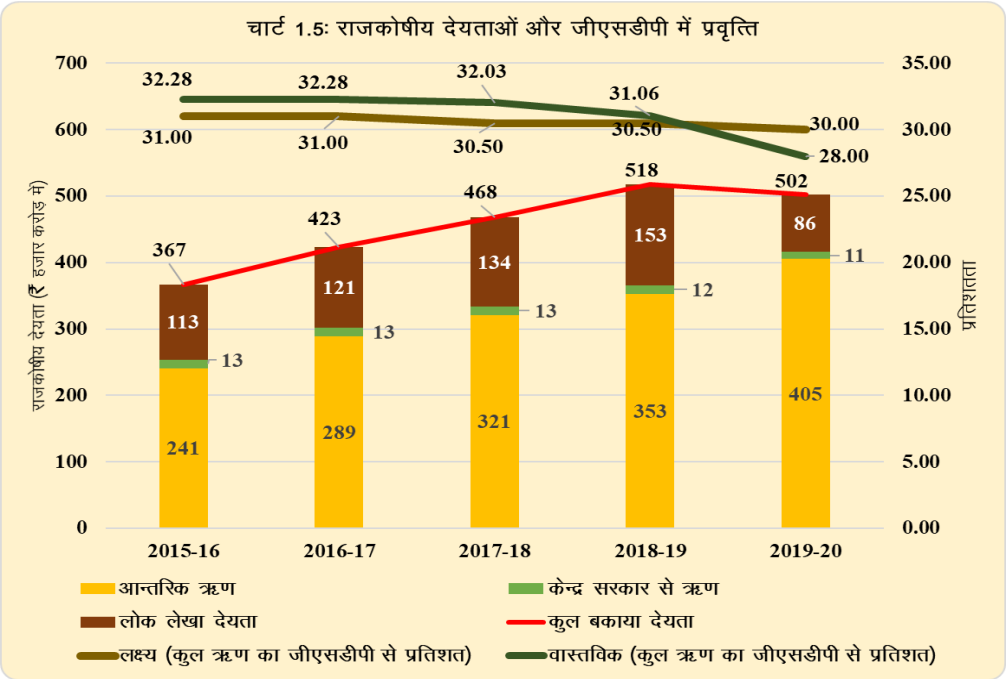

2015–19 की अवधि में राज्य के लम्बित राजकोषीय देयता में ₹ 1,50,844 करोड़ (41.07 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि वर्ष 2019–20 की अवधि में यह विगत वर्ष से 3.03 प्रतिशत (₹ 15,683 करोड़) घटकर ₹ 5,18,095 करोड़ के स्थान पर ₹ 5,02,412 करोड़ हो गयी।

2015–19 की अवधि में प्रति व्यक्ति औसत ऋण[18] उल्लेखनीय रूप से 35.39 प्रतिशत (₹ 17,103 से ₹ 23,156) बढ़ गया एवं 2018–19 में ₹ 23,156 से 4.30 प्रतिशत घटकर 2019–20 में ₹ 22,161 हो गया।

[18] पिछले कैलेंडर वर्ष की जनसंख्या से विभाजित ऋण; किसी विशेष कैलेंडर वर्ष में जनसंख्या उस वर्ष के अक्टूबर माह के प्रथम दिवस की जनसंख्या होती है।

1.6 लेखापरीक्षा जांचोपरांत घाटा और कुल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में घाटा एवं ऋण की स्थिति, दो महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतक हैं। इन संकेतकों को अन्य हितधारकों यथा संघ सरकार, वित्तीय संस्थान, बैंकों आदि द्वारा अनुदान/ऋण आदि के रूप में कोई अग्रेतर वित्तीय सहायता प्रदान करते समय भी गम्भीरता से देखा जाता है। राज्य के वित्त का उत्तम चित्रण करने हेतु राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण एवं गैर बजट राजकोषीय परिचालन करना जैसा लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया है निम्नलिखित प्रस्तर में उल्लिखित है।

1.6.1 लेखापरीक्षा के उपरान्त – घाटा/अधिशेष

कुछ मुद्दों यथा निक्षेप निधि के शेष का राजस्व प्राप्ति लेखे में अंतरण, राजस्व व्यय का पूंजीगत के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, गैर बजट राजकोषीय परिचालन, 'उत्तर प्रदेश दुर्घटना राहत कोष' में राशि का विनियोग न करना, ब्याज युक्त आरक्षित निधियों में ब्याज का जमा न किया जाना, आदि एवं प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में चर्चा किये गए अन्य मुद्दे वित्त लेखे 2019–20 में उल्लिखित राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय अधिशेष पर प्रभाव डालते हैं। घाटे के वास्तविक आंकड़ों का निर्धारण करने हेतु उपर्युक्त मामलों का समाधान एवं वास्तविक घाटा का मूल्यांकन करने में उचित संज्ञान लिया जाना चाहिए।

उपरोक्त मुद्दों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजस्व अधिशेष और राजकोषीय अधिशेष क्रमशः ₹ 14,236.02 करोड़ और ₹ 14,151.01 करोड़ का अतिरेक हुआ है जिसे **तालिका 1.7** में आगणित किया गया है और लेखापरीक्षा प्रभाव का परिणाम **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा जांच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटे

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय अधिशेष पर प्रभाव	
	अतिरेक	न्यूनोक्ति	अतिरेक	न्यूनोक्ति
पूंजीगत के स्थान पर राजस्व मद के अन्तर्गत लेखांकित किये गये मद (प्रस्तर 3.2.2.3 में सन्दर्भित)	-	7.21	-	-
राजस्व के स्थान पर पूंजीगत मद के अन्तर्गत लेखांकित किये गये मद (प्रस्तर 3.2.2.1 एवं 3.2.2.2 में सन्दर्भित)	92.22	-	-	-
ब्याज युक्त आरक्षित निधि शेष (राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि) पर ब्याज का भुगतान न किया जाना (प्रस्तर 2.5.2.4 में सन्दर्भित)	31.69	-	31.69	-
निक्षेप निधि से राजस्व प्राप्ति के रूप में संचित निधि में अंतरित धनराशि । (प्रस्तर 2.5.2.1 में सन्दर्भित)	13,877.20 (*)	-	13,877.20 (*)	-
आरक्षित निधि शेष (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) पर ब्याज का भुगतान न किया जाना (प्रस्तर 2.5.2.2 में सन्दर्भित)	1,616.55	-	116.55	-
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न किया जाना (प्रस्तर 4.4 में सन्दर्भित)	125.57	-	125.57	-
योग	**14,243.23**	**7.21**	**14,151.01**	
शुद्ध प्रभाव	**14,236.02** (राजस्व अधिशेष का अतिरेक)		**14,151.01** (राजकोषीय अधिशेष का अतिरेक)	
(*) इसके अतिरिक्त, निक्षेप निधि से ₹ 57,303.03 करोड़ को राजस्व प्राप्तियों में 2019–20 में बिना वास्तविक धन प्राप्ति के अंतरित किया जाना प्राप्ति की एक असाधारण मद थी।				

स्रोतः वित्त लेखे 2019–20 और लेखा परीक्षा विश्लेषण।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	लेखे के अनुसार	अतिरेक	वास्तविक/लेखा परीक्षा जांच के बाद
1	2	3	4	5 = 3-4
1	राजस्व अधिशेष *(+)*/घाटा *(-)*	67,560.14	14,236.02	53,324.12
2	राजकोषीय अधिशेष *(+)*/घाटा *(-)*	11,082.69	14,151.01	(-) 3,068.32

स्रोतः लेखापरीक्षा विश्लेषण।

1.6.2 लेखापरीक्षा के उपरान्त – कुल लोक ऋण

ऋणों के सामान्य घटकों यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण आदि के अतिरिक्त ''कुल बकाया लोक ऋण'' की व्यापक परिभाषा में गैर–बजट ऋण भी सम्मिलित हैं। गैर–बजट ऋण या गैर–बजट वित्तपोषण सामान्यतः किसी विशेष वर्ष या वर्षों में व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा उन वित्तीय संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करता है, जो उस वर्ष/उन वर्षों के बजट में अनुदान/विनियोग प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंबित नहीं होते हैं, अतः विधायी नियंत्रण से बाहर रहते हैं। उन्हें सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जो सरकार की ओर से बाजार ऋण के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं। तथापि, सरकार को अपने बजट से ऋणों का पुनर्भुगतान करना होता है। इसलिए, गैर–बजट ऋणों/वित्तपोषण में एक तो आवर्ती आधार पर ब्याज का भुगतान और दूसरा ऋणों, जैसे और जब वह देय हों, का बजट से पुनर्भुगतान सम्मिलित होता है।

राज्य सरकार, ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी होने पर भी, राज्य सरकार के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से ऋणों को बजट से बाहर प्रदर्शित कर नियत निर्धारित शुद्ध ऋण सीमा की उपेक्षा कर सकती है। जिससे गैर बजट ऋणों का राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ता है। बजट में प्रकट किए बिना ऐसे देयताओं का सृजन पारदर्शिता और भावी पीढ़ी की सहभागिता दोनों पर प्रश्नचिह्न उठाता है। ऐसे गैर–बजट ऋणों को बजट अभिलेखों में प्रकटीकरण विवरणों या लेखे में नहीं लिया जाता है और न ही उन्हें विधायी स्वीकृति प्राप्त होती है।

लेखापरीक्षा की जांच से पाया गया कि 2017–19 की अवधि में राज्य सरकार ने ₹ 6,494.00 करोड़ के गैर बजट ऋण का सहारा लिया। इस प्रकरण पर प्रतिवेदन के **प्रस्तर 4.2** में विस्तार से चर्चा की गई है। गैर बजट ऋणों के कारण, समग्र ऋण में जीएसडीपी के कुछ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जैसा कि **तालिका 1.9** में दिया गया है:

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के उपरान्त समग्र ऋण

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का प्रतिशत
1.	लेखे के अनुसार 31.03.2020 को समग्र ऋण	5,02,412.02	28.00
2.	गैर बजटीय ऋण के कारण ऋण की न्यूनोक्ति (प्रस्तर 4.2 में सन्दर्भित)	5,107.58	0.28
	योग	**5,07,519.60**	**28.28**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं राज्य सरकार के पीएसयू/निगमों/अन्य निकायों द्वारा प्रदत्त सूचनायें

तालिका 1.9 से यह स्पष्ट है कि गैर–बजट ऋणों के कारण जीएसडीपी से ऋण–स्टाक का अनुपात 28.00 प्रतिशत से बढ़कर 28.28 प्रतिशत हो गया है।

अग्रेतर, इन गैर बजटीय ऋणों के ऋणमुक्त किये जाने हेतु निक्षेप निधि का गठन नहीं किया गया था क्योंकि लेखों के अनुसार इन्हें राज्य सरकार के समग्र ऋण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अध्याय - II

राज्य के वित्त

अध्याय–II

राज्य के वित्त

2.1 राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

यह खंड वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का एक समग्र दृश्य प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित संकेतकों के विश्लेषण की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 11.04 प्रतिशत की वृद्धि ✓ राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि ✓ गैर–कर प्राप्तियों में 171.44 प्रतिशत की वृद्धि[19] ✓ केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश में 13.85 प्रतिशत की कमी ✓ भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में 2.45 प्रतिशत की कमी
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 0.96 प्रतिशत की कमी ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.21 प्रतिशत की कमी ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 13.73 प्रतिशत की वृद्धि ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 6.62 प्रतिशत की कमी ✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 19.83 प्रतिशत की वृद्धि
पूंजीगत व्यय	✓ पूंजीगत व्यय में 3.95 प्रतिशत की कमी ✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 27.03 प्रतिशत की कमी ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 0.70 प्रतिशत की कमी ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 3.03 प्रतिशत की कमी
ऋण और अग्रिम	✓ ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 66.37 प्रतिशत की कमी ✓ ऋण और अग्रिमों की वसूली में 6.17 प्रतिशत की वृद्धि
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 43.05 प्रतिशत की वृद्धि ✓ लोक ऋण की अदायगी में 8.13 प्रतिशत की वृद्धि
लोक लेखा	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 2.70 प्रतिशत की कमी ✓ लोक लेखा से संवितरण में 21.66 प्रतिशत की वृद्धि *(मुख्यतः निक्षेप निधि के अन्तर्गत ₹ 71,180.23 करोड़ के अवशेष के गैर कर राजस्व में बुक अन्तरण के कारण)*
रोकड़ अवशेष और निवेश	✓ 31 मार्च 2019 की तुलना में 31 मार्च 2020 को नकद शेष और निवेश में ₹ 5,469 करोड़ (20.32 प्रतिशत) की कमी।

2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

यह खंड वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान के राज्य की निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना करता है।

---

[19] मार्च 2020 में बिना वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के निक्षेप निधि के बुक बैलेन्श ₹ 71,180.23 करोड़ का करेतर राजस्व में अन्तरण सम्मिलित है।

राज्य सरकार की प्राप्तियों को दो श्रेणियों यथा राजस्व प्राप्तियों[20] और पूंजीगत प्राप्तियों[21] में विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा, लोक लेखा से संवितरण के बाद इसमें उपलब्ध निधियों से सरकार द्वारा इसे अपने घाटे के वित्तीयन के लिए भी उपयोग किया जाता है।

2015–20 की अवधि के लिये राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध ऑकड़े ***परिशिष्ट 2.1*** में दिये गये हैं। निम्नलिखित **तालिका 2.1** राज्य के वित्तीय संसाधनों के घटकों एवं उप–घटकों को प्रदर्शित करता है।

तालिका 2.1: वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की तुलना

विवरण		2018–19 *(₹ करोड़ में)*	2019–20 *(₹ करोड़ में)*	वृद्धि / कमी (प्रतिशतता में)
स्रोत	प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष और निवेश	11,481	26,912	134.40
	राजस्व प्राप्तियां	3,29,978	3,66,393	11.04
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	5,313	5,641	6.17
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)[22]	30,878	51,408	66.49
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	19,922	(-) 68,590	(-) 444.29
	आकस्मिकता निधि	230	662	187.83
	योग	**3,97,802**	**3,82,426**	**(-) 3.87**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	3,01,728	2,98,833	(-) 0.96
	पूंजीगत व्यय	62,463	59,998	(-) 3.95
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	6,303	2,120	(-) 66.37
	आकस्मिकता निधि	396	32	(-) 91.92
	अन्तिम रोकड़ अवशेष एवं निवेश	26,912	21,443	(-) 20.32
	योग	**3,97,802**	**3,82,426**	**(-) 3.87**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2.2.1 वर्ष 2019–20 दौरान संचित निधि के अन्तर्गत निधियों के घटक–वार स्रोतों और अनुप्रयोगों को **चार्ट 2.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.1 वर्ष 2019–20 के दौरान संसाधनों का संघटन और अनुप्रयोग

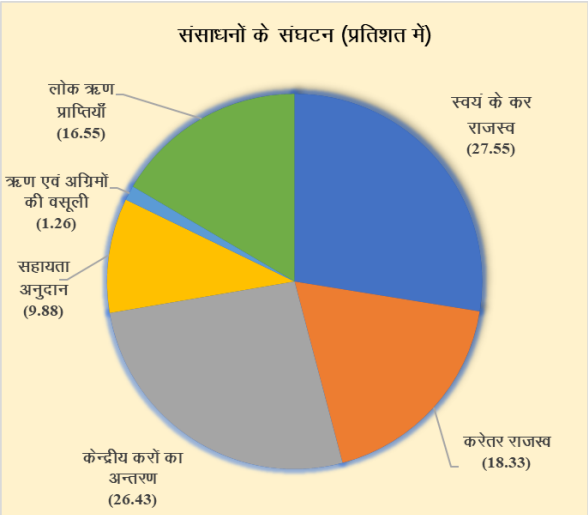

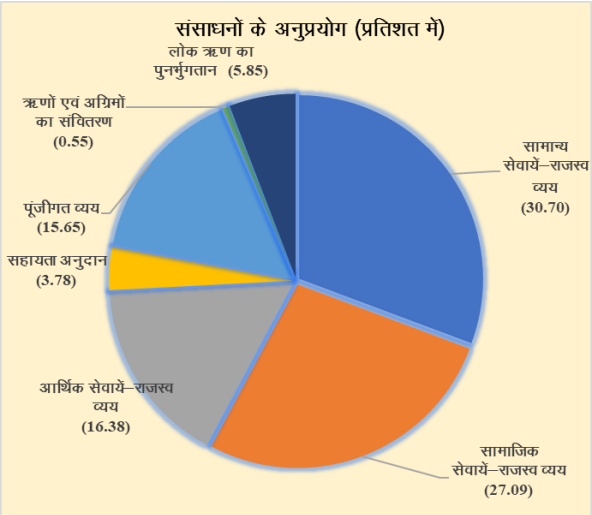

---

[20] राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

[21] पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूली, ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों / वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से लिये गये ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

[22] लोक ऋण प्राप्तियाँ (₹ 73,808.69 करोड़) – लोक ऋण की अदायगी (₹ 22,400.61 करोड़)

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है :

(i) **राजस्व प्राप्तियों** के अन्तर्गत स्वयं का कर राजस्व, करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

(ii) **पूंजीगत प्राप्तियों** के अन्तर्गत विविध पूंजी प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण की प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की संचित निधि के भाग होते हैं।

(iii) **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** इसके अन्तर्गत जमा, उचंत, प्रेषण, आदि जो संचित निधि के अंग नहीं हैं, के संबंध में प्राप्तियां और संवितरण हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते है एवं राज्य विधायिका के मत के अधीन नहीं होते हैं। इसके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद अवशेष सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्तियों के संघटन का विवरण

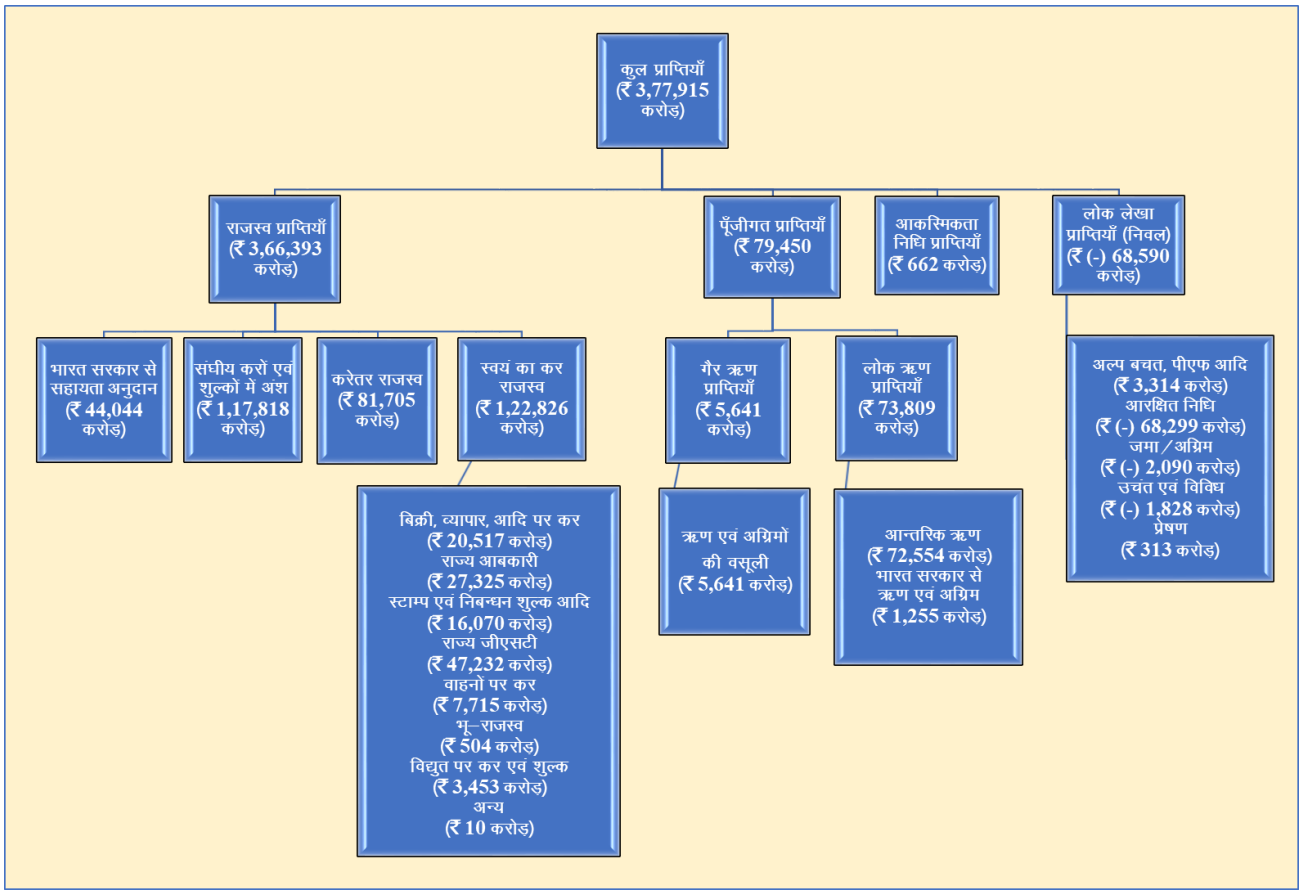

वर्ष 2019–20 के दौरान में राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 3,77,915 करोड़ थी। इसमें ₹ 3,66,393 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां, ₹ 79,450 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां,

(–) ₹ 68,590 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ[23] और ₹ 662 करोड़ की आकस्मिकता निधि की प्राप्ति सम्मिलित है। राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,22,826 करोड़ का स्वयं का कर राजस्व, ₹ 81,705 करोड़ का करेतर राजस्व, ₹ 1,17,818 करोड़ के केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश और ₹ 44,044 करोड़ का भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 5,641 करोड़ की गैर ऋण प्राप्तियां एवं ₹ 73,809 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियां सम्मिलित है।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

वर्ष 2019–20 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 3,66,393 करोड़ थी जो विगत वर्ष की तुलना में 11.04 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। वर्ष 2019–20 के दौरान बिना वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ के अवशेष के संचित निधि के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों में अन्तरण के कारण वर्ष के दौरान करेतर राजस्व काफी अधिक था।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि

वित्त लेखे का विवरण 14 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार ने निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स को राजस्व प्राप्तियों[24] में बिना वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के अन्तरित कर दिया। 2015–20 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन को **तालिका 2.2 (अ)** और **तालिका 2.2 (ब)** में प्रस्तुत किया गया है एवं **चार्ट 2.3** एवं **चार्ट 2.4** में भी दर्शाया गया है।

तालिका 2.2 (अ): राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मापदण्ड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियां (आरआर) (₹ करोड़ में)	2,27,076	2,56,875	2,78,775	3,29,978	3,66,393
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.40	13.12	8.53	18.37	11.04
स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	81,106	85,966	97,393	1,20,122	1,22,826
करेतर राजस्व (₹ करोड़ में)	23,135	28,944	19,795	30,101	81,705
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं का कर और करेतर राजस्व) (प्रतिशत)	10.77	10.23	1.98	28.19	36.15
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.35	5.99	13.29	23.34	2.25
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011–12 श्रेणी) *(वर्तमान मूल्य पर)*	11,37,808	12,90,289	14,60,443	16,68,229	17,94,508
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.45	13.40	13.19	14.23	7.57
आरआर/जीएसडीपी (प्रतिशत)	19.96	19.91	19.09	19.78	20.42
उछाल अनुपात[25]					
जीएसडीपी के संबंध में राजस्व उछाल	1.40	0.98	0.65	1.29	1.46
जीएसडीपी के संबंध में राज्य के स्वयं का राजस्व उछाल	0.87	0.76	0.15	1.98	4.78
जीएसडीपी के सम्बन्ध में राज्य के स्वयं का कर राजस्व उछाल	*0.75*	*0.45*	*1.01*	*1.64*	*0.30*

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0 सरकार

[23] निवल लोक लेखे प्राप्तियां वित्तीय वर्ष के अंत में लघु बचत और भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा/अग्रिम, उचंत एवं विविध और प्रेषणों का निवल अवशेष है।

[24] मुख्य शीर्ष 0075–800 (विभिन्न सामान्य सेवायें) के अन्तर्गत।

[25] उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के परिमाप को इंगित करता है। उदाहरण के लिये, जीएसडीपी के सम्बन्ध में राजस्व उछाल 1.85 का आशय यह है कि राजस्व प्राप्तियों में 1.85 प्रतिशत की वृद्धि की प्रवृत्ति है, यदि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है।

तालिका 2.2 (ब): राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति (निक्षेप निधि के अवशेष के करेतर राजस्व में अन्तरण के कारण प्राप्तियों को छोड़कर)

मापदण्ड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियां (आरआर) (₹ करोड़ में)	2,22,377	2,52,729	2,74,353	3,17,285	2,95,213
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.39	13.65	8.56	15.65	(-)6.96
स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	81,106	85,966	97,393	1,20,122	1,22,826
करेतर राजस्व (₹ करोड़ में)	18,436	24,798	15,373	17,408	10,525
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.35	5.99	13.29	23.34	2.25
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं का कर और करेतर राजस्व) (प्रतिशत)	10.47	11.27	1.81	21.96	(-)3.04
आरआर/जीएसडीपी (प्रतिशत)	19.54	19.59	18.79	19.02	16.45
उछाल अनुपात					
जीएसडीपी के संबंध में राजस्व उछाल	1.40	1.02	0.65	1.10	(-)0.92
जीएसडीपी के संबंध में राज्य के स्वयं का राजस्व उछाल	0.84	0.84	0.14	1.54	(-)0.40
जीएसडीपी के सम्बन्ध में राज्य के स्वयं का कर राजस्व उछाल	*0.75*	*0.45*	*1.01*	*1.64*	*0.30*

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0 सरकार

(i) वित्त लेखों के आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण, जिसका विवरण तालिका 2.2(अ) में दिया गया है, से उद्घाटित हुआ कि:

- वर्ष 2019–20 के दौरान सरकार की राजस्व प्राप्तियां ₹ 3,66,393 करोड़ थी। 2015–20 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 12.71 प्रतिशत थी।
- 2015–20 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्ति वृद्धि दर में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। यह 2015–16 में 17.40 प्रतिशत थी जो 2017–18 में घटकर 8.53 प्रतिशत हो गई, 2018–19 में बढ़कर 18.37 प्रतिशत हो गई और पुनः 2019–20 में घटकर 11.04 प्रतिशत हो गयी।
- विगत वर्ष 2018–19 के सापेक्ष वर्ष 2019–20 में स्वयं के कर राजस्व में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि करेतर राजस्व में 171.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ii) व्युत्पन्न आँकड़ों (निक्षेप निधि के अवशेष के करेतर राजस्व में अंतरण के कारण प्राप्तियों को छोड़कर) के विश्लेषण, जिसका विवरण तालिका 2.2 (ब) में किया गया है, से उद्घाटित हुआ कि:

- राज्य की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 2,95,213 करोड़ परिकलित की गई और वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की वास्तविक वृद्धि दर (–) 6.96 प्रतिशत परिकलित की गई।
- विगत वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि करेतर राजस्व में 39.54 प्रतिशत की कमी आई थी।
- राजस्व उछाल जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.2 (अ) से देखा जा सकता है, राजस्व उछाल जो वर्ष 2018–19 के दौरान 1.29 था, वर्ष 2019–20 में बढ़कर 1.46 हो गया। तथापि, यदि करेतर राजस्व में निक्षेप निधि की प्राप्तियों को छोड़ दिया जाये तो वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व उछाल (–) 0.92 प्रतिशत एवं स्वयं

का राजस्व उछाल (–) 0.40 हो जायेगा जैसा कि तालिका 2.2 (ब) में दर्शाया गया है। इसका आशय यह है कि वर्ष 2019–20 की अवधि में जब जीएसडीपी में एक आधार इकाई की वृद्धि हुई, राजस्व प्राप्तियों एवं स्वयं के कर राजस्व ने क्रमशः 0.92 आधार इकाई एवं 0.40 आधार इकाई की ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाया।

चार्ट 2.3: वर्ष 2015–20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों/जीएसडीपी

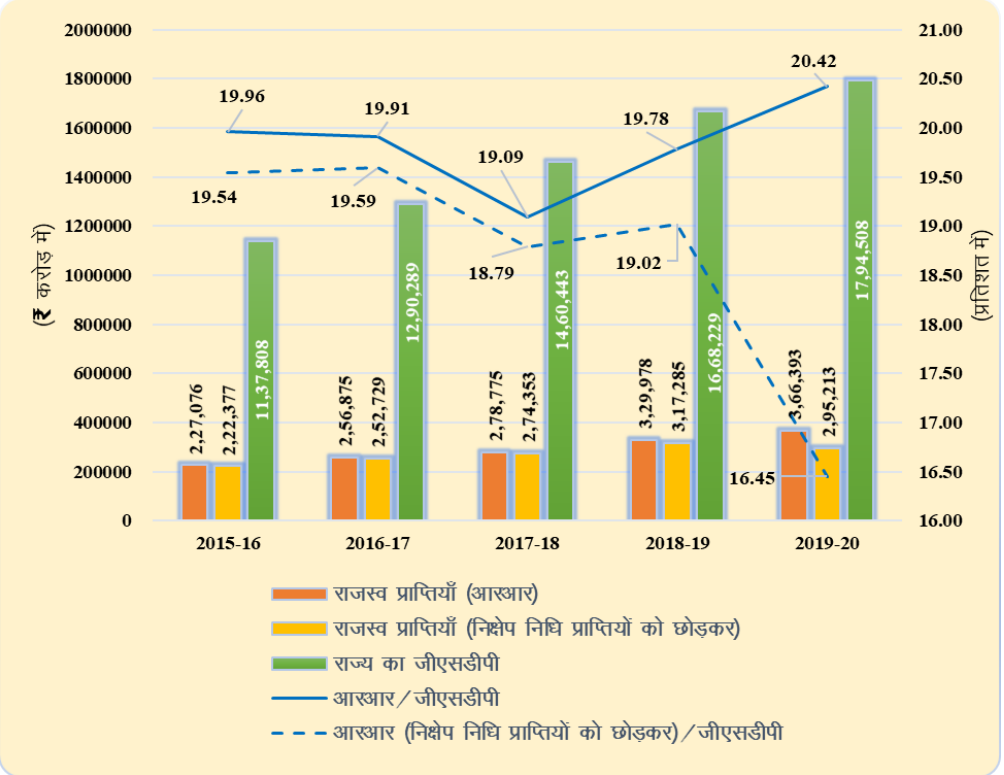

चार्ट 2.4: वर्ष 2015–20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

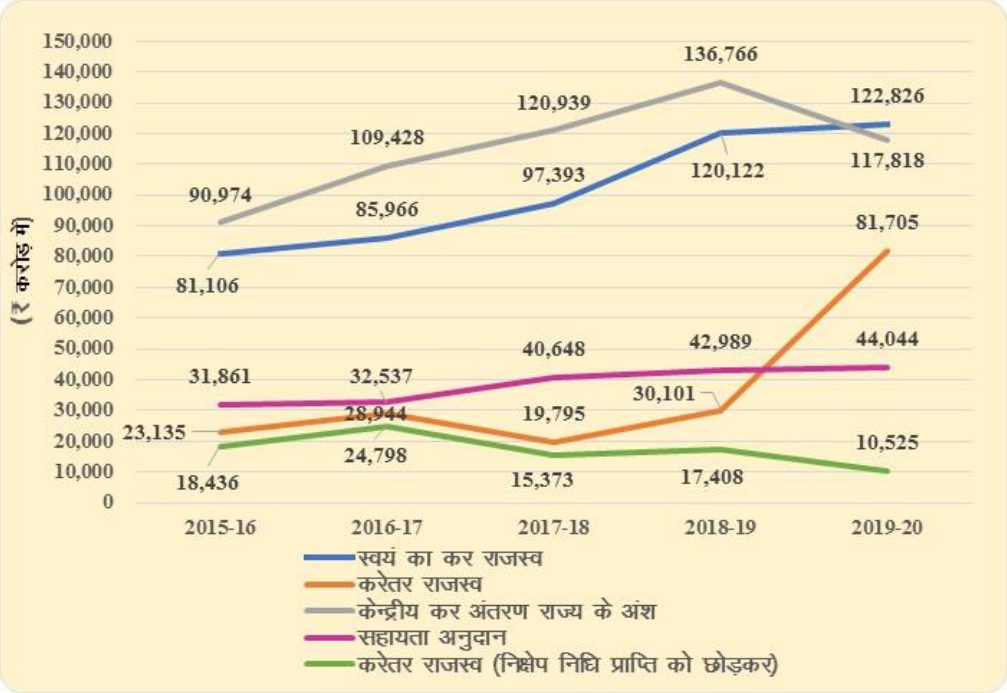

2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन

राज्य के स्वयं के संसाधनों में स्वयं का कर राजस्व और करेतर राजस्व सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू–राजस्व, विद्युत पर कर और शुल्क, सामानों एवं यात्रियों पर कर आदि हैं। करेतर राजस्व के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियां यथा सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियाँ एवं रोकड़ अवशेष का निवेश, लाभांश और इक्विटी निवेश से लाभ, खनिज, वन और वन्य जीवन, के संरक्षक के रूप में उन रखी गई संपत्ति के उपयोग की अनुमति के लिए रॉयल्टी शुल्क या ऐसी अन्य सेवाओं और सरकार के तंत्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए उपयोग शुल्क सम्मिलित हैं। 2015–20 की अवधि के दौरान स्वयं के कर/करेतर राजस्व के संग्रहण का विवरण ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

2.3.3.1 स्वयं के कर राजस्व

वर्ष 2019–20 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य का स्वयं का कर राजस्व ₹ 1,22,826 करोड़ था। 2015–20 की अवधि के दौरान, यह 2015–16 के ₹ 81,106 करोड़ से 51.44 प्रतिशत (₹ 41,720 करोड़) बढ़कर 2019–20 में ₹ 1,22,826 करोड़ हो गया। स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.5** में दिया गया है।

चार्ट 2.5: 2015–20 के दौरान स्वयं का कर राजस्व

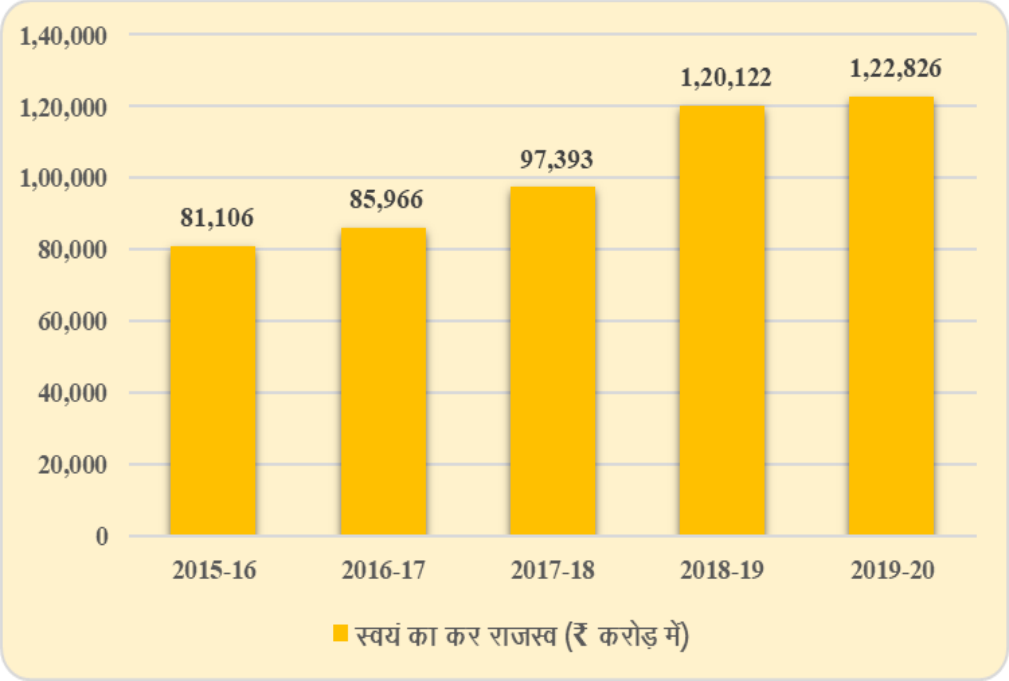

2015–20 की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: 2015–20 के दौरान कर राजस्व की प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाइन
1.	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	47,692	51,883	31,113	23,798	20,517	
2.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	-	-	25,374	46,108	47,232	
3.	राज्य आबकारी	14,084	14,274	17,320	23,927	27,325	
4.	वाहनों पर कर	4,410	5,148	6,404	6,929	7,715	
5.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	12,404	11,564	13,398	15,733	16,070	
6.	भू राजस्व	505	760	1,336	631	504	
7.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,338	1,556	2,124	2,978	3,453	
8.	अन्य कर	673	781	324	18	10	
	योग	**81,106**	**85,966**	**97,393**	**120,122**	**122,826**	

स्रोतः सम्बन्धित वर्ष के वित्त लेखे

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2019–20 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 2.25 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से राज्य आबकारी (₹ 3,398 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 786 करोड़) और विद्युत पर कर और शुल्क (₹ 475 करोड़) में वृद्धि के कारण थी जो कि वर्ष 2018–19 की तुलना में बिक्री, व्यापार आदि पर करों में ₹ 3,281 करोड़ की कम प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित हो गयी थी क्योंकि यह कर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) जो 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित हुआ था, में समाहित हो गया।
- वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अन्तर्गत कम प्राप्तियां वैट की कम प्राप्तियों (₹ 3,095.30 करोड़) और बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों से अधिक वापसी (₹ 147.44 करोड़) के कारण हुई।
- वर्ष 2018–19 के सापेक्ष वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह में ₹ 1,124 करोड़ की वृद्धि हुई।
- राज्य आबकारी में वृद्धि मुख्यतः देशी स्प्रिट (₹ 12,890 करोड़), माल्ट शराब (₹ 4,072 करोड़) तथा विदेशी शराब एवं स्प्रिट (₹ 10,071 करोड़) की बिक्री के कारण थी। राज्य आबकारी नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 के लिये प्रोसेसिंग शुल्क, फुटकर विक्रेताओं के लिये नवीनीकरण शुल्क तथा देशी शराब की न्यूनतम गारण्टी मात्रा आदि में वृद्धि किया।
- स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि गैर–न्यायिक स्टाम्प की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।
- विद्युत पर कर एवं शुल्क की प्राप्तियों में वृद्धि विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर अधिक संग्रह के कारण हुई।
- अन्य करों में वस्तुओं और यात्रियों पर कर, होटल रसीद पर कर, मनोरंजन कर, सट्टेबाजी पर कर, सिनेमाघरों में प्रदर्शित विज्ञापनों पर कर आदि सम्मिलित हैं। इसमें कमी मुख्य रूप से 1 जुलाई 2017 से इन करों का वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलन के कारण हुई।

2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम क्रियान्वित किया, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, वस्तु एवं सेवाकर के क्रियान्वयन के कारण राज्यों को राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति पाँच वर्षों की अवधि के लिए करेगी। जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत जीएसटी में सम्मिलित करों के राजस्व आंकड़ों हेतु एक आधार वर्ष (2015–16) माना गया। राज्य में किसी वर्ष के लिये अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 प्रतिशत प्रति वर्ष) को लागू करके की जानी थी।

वित्त लेखे में वर्ष 2019–20 के लिये जीएसटी के अन्तर्गत राजस्व आंकड़ों को प्राप्ति की प्रकृति यथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास युटिलाइजेशन एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी), आईजीएसटी का विभाजन–एसजीएसटी के कर घटक का अंतरण एवं आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन के अनुसार दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश के मामले में, आधार वर्ष (2015–16) के दौरान सम्मिलित करों से राजस्व ₹ 33,359 करोड़ था। अतः आधार वर्ष के आकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019–20 हेतु अनुमानित राजस्व ₹ 56,342 करोड़ था, जिसके सापेक्ष एसजीएसटी के रुप में ₹ 47,232 करोड़ संग्रहीत किया गया। इसमें आईजीएसटी में राज्य के अंश के रुप में ₹ 2,457 करोड़ सम्मिलित हैं। एसजीएसटी की कुल प्राप्तियों में से, ₹ 340 करोड़ आईजीएसटी से अग्रिम विभाजन के समाधान के रूप में भारत सरकार को अन्तरित किया गया। राज्य सरकार ने जीएसटी के क्रियान्वयन से राजस्व हानि के लिए भारत सरकार से ₹ 5,180 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त किया।

जीएसटी के संग्रह के स्वचालन के साथ, जीएसटीएन परिसर में अखिल भारतीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय से 22 जून 2020 को अवगत कराया गया। अग्रेतर, निर्णय को लागू करने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में थी। इसलिए, जीएसटीएन डेटा तक लेखापरीक्षा पहुंच प्रदान किये जाने के भारत सरकार के निर्णय के पूर्ण कार्यान्वयन के लम्बित रहने से वर्ष 2019–20 के लिए राज्य सरकार के लेखे को नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर उसी प्रकार प्रमाणित किया गया है, जैसे तब किया जाता था जब अभिलेखों का रखरखाव मैनुअली किया जाता था।

2.3.4 करेतर राजस्व

वर्ष 2019–20 के दौरान करेतर राजस्व के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 81,705 करोड़ थी, जो वर्ष 2018–19 की तुलना में 171.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। तथापि, यह मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स को राजस्व प्राप्ति खाते[26] में अन्तरित करने के कारण था।

वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोत और उनकी प्रवृति का विश्लेषण **तालिका 2.4** में दिया गया है।

[26] निक्षेप निधि से शीर्ष 0075–800–04 के अन्तर्गत प्राप्तियां।

तालिका 2.4: 2015–20 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाइन
(i) ब्याज प्राप्तियाँ	633	1,165	1,093	1,712	1,469	
(ii) लाभांश एवं लाभ	43	86	31	175	39	
(iii) अन्य करेतर प्राप्तियाँ						
(क) विभिन्न सामान्य सेवाएं	4,949	4,460	4,841	13,678	72,044	
(ख) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,222	1,548	3,259	3,165	2,181	
(ग) उर्जा	1,322	2,939	4,696	5,735	1,044	
(घ) सिंचाई (वृहद्, मध्यम एवं लघु)	652	783	953	909	1,024	
(ङ) सड़क एवं पुल	652	929	366	932	707	
(च) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	10,652	14,092	432	381	480	
(छ) अन्य एवं विविध	3,010	2,942	4,124	3,413	2,717	
योग	**22,459**	**27,693**	**18,671**	**28,213**	**80,197**	
महायोग [(i), (ii) एवं (iii)]	**23,135**	**28,944**	**19,795**	**30,101**	**81,705**	

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–20 के दौरान करेतर राजस्व में समग्र वृद्धि मुख्य रूप से लोक लेखा के अन्तर्गत निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेंस के संचित निधि के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों में अन्तरण के निवल प्रभाव के कारण थी। वर्ष 2019–20 के दौरान प्रभावी रूप से करेतर राजस्व के रूप में प्राप्तियां ₹ 10,525 करोड़ (निक्षेप निधि के बुक बैलेंस के अन्तरण को छोड़कर) थी, जो कि पिछले वर्ष 2018–19 के करेतर राजस्व से 40 प्रतिशत कम थीं। वर्ष 2019–20 के दौरान करेतर राजस्व में कमी ऊर्जा में ₹ 4,691 करोड़ (81.80 प्रतिशत), अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग में ₹ 984 करोड़ (31.09 प्रतिशत), ब्याज प्राप्तियाँ में ₹ 243 करोड़ (14.19 प्रतिशत) एवं लाभांश और लाभ में ₹ 136 करोड़ (77.71 प्रतिशत) की कमी के कारण थी। अलौह खनन राजस्व में कमी का कारण मुख्य रूप से खनिज रियायत शुल्क, किराए और रॉयल्टी से कम प्राप्ति के कारण था, जबकि ऊर्जा (करेतर राजस्व) में कमी उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए शेयर पूंजी के लिए भारत सरकार से कम प्राप्ति के कारण थी।

2.3.4.1 केन्द्र सरकार से अन्तरण

केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य सरकार के अंश के घटक निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर आदि हैं।

पांच वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में उत्तर प्रदेश के अंश की प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 2.5** में दी गयी है।

तालिका 2.5: 2015–20 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर का अन्तरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	-	-	1,718	33,757	33,434
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	-	-	12,212	2,694	0
निगम कर	28,603	35,099	37,043	47,563	40,171
निगम कर से भिन्न आय पर कर	19,815	24,394	31,280	35,028	31,477
सीमा शुल्क	14,587	15,098	12,208	9,695	7,468

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	12,206	17,241	12,761	6,442	5,192
सेवा कर	15,681	17,515	13,719	1,252	0
अन्य कर[27]	82	81	(-)2	335	76
केन्द्रीय कर अन्तरण	90,974	1,09,428	1,20,939	1,36,766	1,17,818
विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	36.55	20.28	10.52	13.09	(-)13.85
राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर के अन्तरण की प्रतिशतता	40.06	42.60	43.38	41.45	32.16

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2019–20 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश के अन्तर्गत प्राप्तियों में वर्ष 2018–19 की तुलना में ₹ 18,948 करोड़ (13.85 प्रतिशत) की कमी आयी। केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 32.16 प्रतिशत था। वर्ष 2019–20 के दौरान भारत सरकार से कुल अन्तरण (कर अन्तरण और सहायता अनुदान सहित) में 2018–19 की तुलना में 9.95 प्रतिशत (₹ 17,893 करोड़) की कमी आयी।

2.3.4.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार को भारत सरकार (जीओआई) से उप मुख्य शीर्षों जैसे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और भारत सरकार से अन्य अन्तरण के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष 2015–20 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति **तालिका 2.6** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.6: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आयोजनेतर अनुदान	8,274	9,335	-	-	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	1,933	232	-	-	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान[28]	16	56	-	-	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	21,638	22,914	-	-	-
विशेष आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	-	-	-	-	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं (सीएसएस) हेतु अनुदान	-	-	27,731	31,250	25,824
वित्त आयोग अनुदान	-	-	8,849	9,318	12,965
राज्य/विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य अन्तरण/अनुदान	-	-	4,068	2,421	5,255
योग	**31,861**	**32,537**	**40,648**	**42,989**	**44,044**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 2.54	2.12	24.93	5.76	2.45
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष सहायता अनुदान की प्रतिशतता	14.03	12.67	14.58	13.03	12.02

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

[27] इसमें सम्पत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क सम्मिलित है।

[28] 2017–18 से 2019–20 के दौरान कोई आकड़े नहीं है क्योंकि वर्ष 2017–18 से आयोजनागत एवं आयोजनेतर अनुदान के नामकरण को सीएसएस हेतु अनुदान, वित्त आयोग अनुदान एवं राज्यों के अन्य अनुदानों से प्रतिस्थापित किया गया था।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार से अनुदान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 2015–20 की अवधि के दौरान समग्र वृद्धि 2015–16 में ₹ 31,861 करोड़ से 38.24 प्रतिशत बढ़कर 2019–20 में ₹ 44,044 करोड़ हो गई। अग्रेतर, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 में सहायता अनुदान में 2.45 प्रतिशत (₹ 1,055 करोड़) की मामूली वृद्धि हुई। राज्य सरकार को केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 25,824 करोड़ प्राप्त हुए जो वर्ष 2018–19 की तुलना में 17.36 प्रतिशत कम थे। वर्ष 2018–19 की तुलना में वित्त आयोग अनुदानों और अन्य अन्तरणों में क्रमशः ₹ 3,647 करोड़ (39.14 प्रतिशत) और ₹ 2,834 करोड़ (117.06 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.3.4.3 चौदहवां वित्त आयोग अनुदान

XIVवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के लिए राज्य को अनुदान की अनुशंसा की थी । वर्ष 2015–20 के दौरान स्वीकृत तथा प्राप्त धनराशि का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है ।

तालिका 2.7: 2015–20 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त चौदहवॉ वित्त आयोग अनुदान

(₹ करोड़ में)

XIVवें वित्त आयोग की अनुशंसायें				भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान		
	2015–16 से 2018–19	2019–20	योग	2015–16 से 2018–19	2019–20	योग	2015–16 से 2018–19	2019–20	योग
स्थानीय निकाय (आधारभूत एवं निष्पादन अनुदान):									
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	24,936.52	10,840.04	35,776.56	29,303.95	9,659.47	41,419.41	25,480.15	9,659.47	37,595.61
(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	7,113.03	3,136.18	10,249.21		2,455.99			2,455.99	
स्थानीय निकायों के लिये योग	**32,049.55**	**13,976.22**	**46,025.77**	**29,303.95**	**12,115.46**	**41,419.41**	**25,480.15**	**12,115.46**	**37,595.61**
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	2,909	820	3,729[29]	1,947.46	849.30	2,796.76	1,947.45	849.30	2,796.75
कुल योग	**34,958.55**	**14,796.22**	**49,754.77**	**31,251.41**	**12,964.76**	**44,216.17**	**27,427.60**	**12,964.76**	**40,392.36**

स्रोतः XIVवें–वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु अनुशंसित कुल अनुदान ₹ 46,025.77 करोड़ के सापेक्ष, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 41,419.41 करोड़ प्राप्त हुए; इस प्रकार राज्य सरकार को ₹ 4,606.36 करोड़ की धनराशि कम प्राप्त हुई। अग्रेतर, राज्य सरकार ने 2015–20 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹ 37,595.61 करोड़ अवमुक्त किए; इस प्रकार राज्य सरकार ने ₹ 3,823.80 करोड़ की धनराशि कम अवमुक्त किया। यह अल्पअन्तरण वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि से सम्बन्धित था। वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान में राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि नगरीय/ग्रामीण स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया।

अग्रेतर, 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार केंद्र और राज्य के मध्य 75:25 अनुपात के साझेदारी पैटर्न के अन्तर्गत भारत सरकार से राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अन्तर्गत ₹ 2,796.75 करोड़ की सहायता अनुदान के लिए पात्र थी।

[29] कुल अनुदान के 25 प्रतिशत के राज्यांश सहित

राज्य सरकार को उपर्युक्त धनराशि प्राप्त हुई जो एसडीआरएफ को हस्तांतरित कर दी गई। राज्य सरकार ने भी 2015–20 की अवधि के दौरान अपने राज्य के अंश का 25 प्रतिशत ₹ 918.09 करोड़ इस निधि में जमा किया।

2.3.5 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां यथा विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से उधार आदि) से ऋण प्राप्तियां और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं। राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों में 2019–20 में ₹ 22,541 करोड़ की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2018–19 की तुलना में 39.61 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, आंतरिक ऋण के अन्तर्गत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 42.85 प्रतिशत (₹ 21,763 करोड़) की वृद्धि हुई थी। 2015–20 की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्तियों में उतार–चढ़ाव आया और यह वर्ष 2015–16 में ₹ 73,920 करोड़ के उच्चतम स्तर पर था।

2017–20 की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों की वसूली में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। वर्ष 2019–20 के दौरान इसमे विगत वर्ष (₹ 5,313 करोड़) की तुलना में 6.17 प्रतिशत (₹ 5,641 करोड़) की वृद्धि हुई। 2015–20 की अवधि के दौरान भारत सरकार के ऋणों और अग्रिमों में व्यापक रूप से उतार–चढ़ाव आया और 2019–20 के दौरान यह ₹ 1,255 करोड़ के उच्चतम स्तर पर था। पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन में प्रवृत्तियां **तालिका 2.8** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.8: वर्ष 2015–20 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूंजीगत प्राप्तियाँ	75,240	67,944	47,653	56,908	79,450
(i) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
(ii) ऋण एवं अग्रिम की वसूली (गैर ऋण प्राप्तियाँ)	726	259	236	5,313	5,641
(iii) लोक ऋण प्राप्तियॉ, जिसमें से	74,514	67,685	47,417	51,595	73,809
आंतरिक ऋण	73,920	66,654	46,314	50,791	72,554
आंतरिक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	*111.00*	*(-)9.83*	*(-)30.52*	*9.67*	*42.85*
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	594	1,031	1,103	804	1,255
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	*22.22*	*73.57*	*6.98*	*(-)27.11*	*56.09*
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	*109.78*	*(-)9.16*	*(-)29.94*	*8.81*	*43.05*
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	*177.10*	*(-)64.33*	*(-)8.88*	*2,151.27*	*6.17*
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	*12.45*	*13.40*	*13.19*	*14.23*	*7.57*
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	*110.27*	*(-)9.70*	*(-)29.86*	*19.42*	*39.61*

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2.3.6 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन केन्द्रीय करों में राज्यांश और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को सम्मिलित किये बगैर स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के संदर्भ में किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य के स्वयं

के कर राजस्व की प्राप्ति मध्यावधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति 2019 (एमटीएफआरपी) एवं XIVवें वित्त आयोग द्वारा किये गये अनुमान से क्रमशः 12.38 प्रतिशत और 18.93 प्रतिशत कम थी जैसा कि **तालिका 2.9** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.9: वर्ष 2019–20 के दौरान अनुमान के सापेक्ष कर एवं करेतर प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	XIVवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी	वास्तविक	इनके सापेक्ष वास्तविक का प्रतिशत विचलन	
				वित्त आयोग अनुमान	बजट अनुदान/ एमटीएफआरपी
स्वयं के कर राजस्व	1,51,500	1,40,176	1,22,826	(-)18.93	(-)12.38
करेतर राजस्व	44,344	30,633	81,705	84.25	166.72
करेतर राजस्व (निक्षेप निधि से प्राप्ति को छोड़ने के बाद)			10,525	(-)76.27	(-)65.64

स्रोतः XIVवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं वर्ष 2019–20 के लिये उ0प्र0 का वार्षिक वित्तीय विवरण

2019–20 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व XIVवें वित्त आयोग एवं बजट अनुमान/एमटीएफआरपी में किये गये अनुमान की तुलना में काफी कम था। यह मुख्य रूप से बजट अनुमानों की तुलना में एसजीएसटी (₹ 5,748 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 4,192 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,143 करोड़) एवं स्टाम्प और निबन्धन शुल्क (₹ 3,109 करोड़) के कम संग्रह के कारण था। XIVवें वित्त आयोग अनुमान एवं बजट अनुमानों के सापेक्ष करेतर राजस्व में अधिकता लोक लेखे के अन्तर्गत निक्षेप निधि के अवशेष ₹ 71,180.23 करोड़ के संचित निधि के अन्तर्गत करेतर राजस्व में अन्तरण के प्रभाव के कारण थी। निक्षेप निधि अवशेष के इस अन्तरण के कारण विविध सामान्य सेवाओं (मुख्य शीर्ष 0075) के अन्तर्गत करेतर राजस्व ₹ 14,051 करोड़ के बजट अनुमान के सापेक्ष ₹ 72,404 करोड़ था। वास्तव में निक्षेप निधि से बिना वास्तविक नकद प्राप्ति के इस अन्तरण को छोड़ने के बाद करेतर राजस्व ₹ 10,525 करोड़ था जो कि XIVवें वित्त आयोग के अनुमान एवं बजट अनुमानों/एमटीएफआरपी से कम था।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के संरचना के अन्तर्गत व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किये गये व्यय की लागत पर नहीं हों। उप प्रस्तरों सहित यह प्रस्तर राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि और संघटन

राजस्व शीर्ष, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित व्यय राज्य सरकार के कुल व्यय को संस्थापित करता है। 2015–20 की अवधि के दौरान राज्य का कुल व्यय वर्ष 2015–16 में ₹ 2,86,277 करोड़ से 26.08 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹ 3,60,951 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय (₹ 86,097 करोड़) में वृद्धि के कारण थी, जो कि पूंजीगत परिव्यय (₹ 4,425 करोड़) और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण (₹ 6,698 करोड़) के अन्तर्गत कम व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गयी। 2015–20 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 80.37 प्रतिशत था और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण सहित पूंजीगत व्यय 19.63 प्रतिशत था। वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 82.79 प्रतिशत तथा ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय 17.21 प्रतिशत था। इस प्रकार राजस्व व्यय का कुल व्यय मे प्रमुख अंश था।

2015–20 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं राजस्व, पूंजीगत और ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत इसकी संरचना को **तालिका 2.10** में संक्षेपित किया गया है और **चार्ट 2.6** में भी दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: 2015–20 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (टीई)	2,86,277	3,13,122	3,06,821	3,70,494	3,60,951
राजस्व व्यय (आरई)	2,12,736	2,36,592	2,66,224	3,01,728	2,98,833
पूंजीगत परिव्यय (सीई)[30]	64,423	69,789	39,088	62,463	59,998
ऋण एवं अग्रिम	9,118	6,741	1,509	6,303	2,120
जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में					
टीई/जीएसडीपी	25.16	24.27	21.01	22.21	20.11
आरई/जीएसडीपी	18.70	18.34	18.23	18.09	16.65
सीई/जीएसडीपी	5.66	5.41	2.68	3.74	3.34
ऋण एवं अग्रिम/जीएसडीपी	0.80	0.52	0.10	0.38	0.12

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.6: अवधि 2015–20 के दौरान घटकवार व्यय की प्रवृत्तियाँ

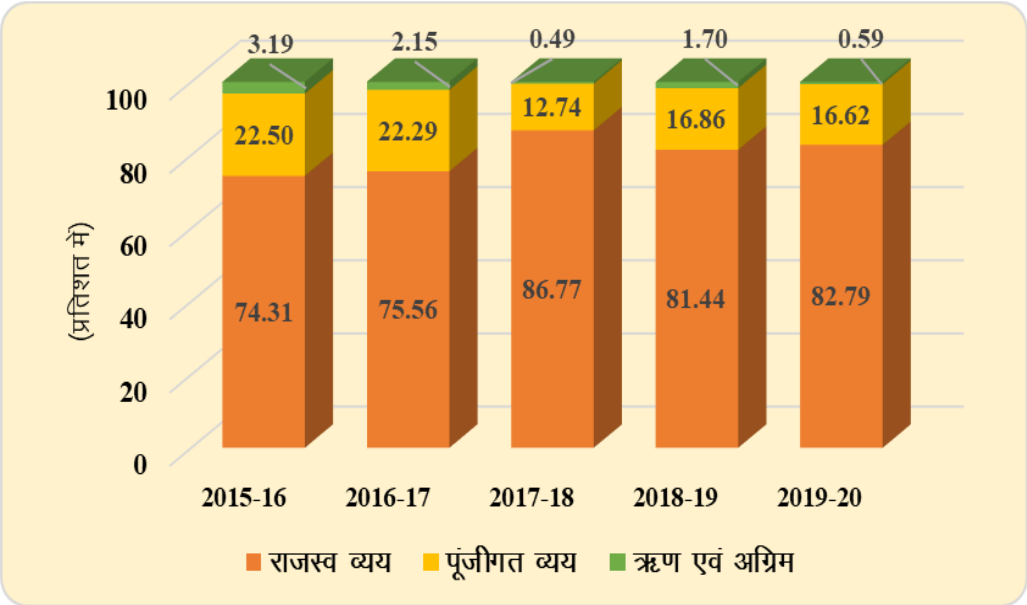

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

संचित निधि के अन्तर्गत व्यय विशिष्ट कार्यों या सेवाओं के अनुरूप क्षेत्रों जैसे 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायता अनुदान और अंशदान', 'लोक ऋण', 'ऋण एवं अग्रिम' में वर्गीकृत किये जाते हैं। सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं, ऋण एवं अग्रिम तथा सहायता अनुदान के अन्तर्गत श्रेणीवार व्यय की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.7** में प्रस्तुत किया गया है।

[30] वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान पूंजीगत व्यय में उदय योजना के अन्तर्गत व्यय क्रमशः ₹ 6,083 करोड़ तथा ₹ 3,700 करोड़ सम्मिलित था। वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 के दौरान पूंजीगत व्यय में अत्यधिक कमी मुख्य रूप से लघु/सीमान्त कृषको के लिए कृषि ऋण माफी योजना हेतु ₹ 36,000 करोड़ के बजट प्रावधान के कारण थी।

चार्ट 2.7: 2015–20 की अवधि के दौरान में क्षेत्रवार व्यय की प्रतिशतता

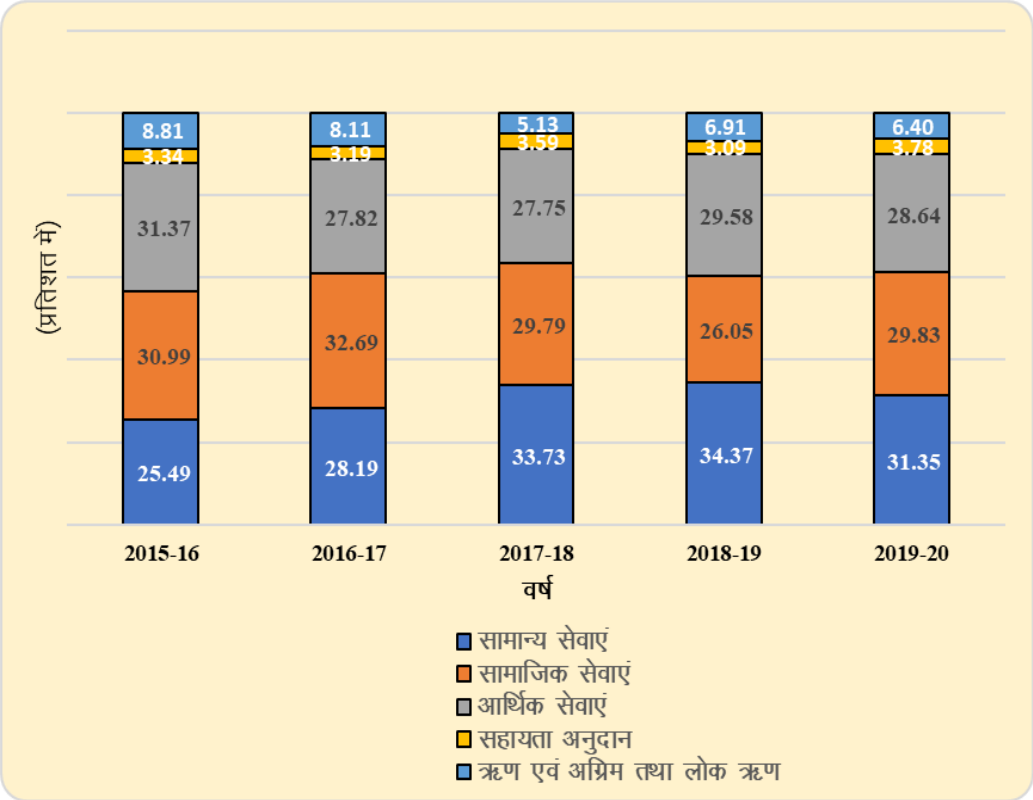

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत घटकवार व्यय को **चार्ट 2.8** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.8: वर्ष 2019–20 के दौरान घटकवार व्यय

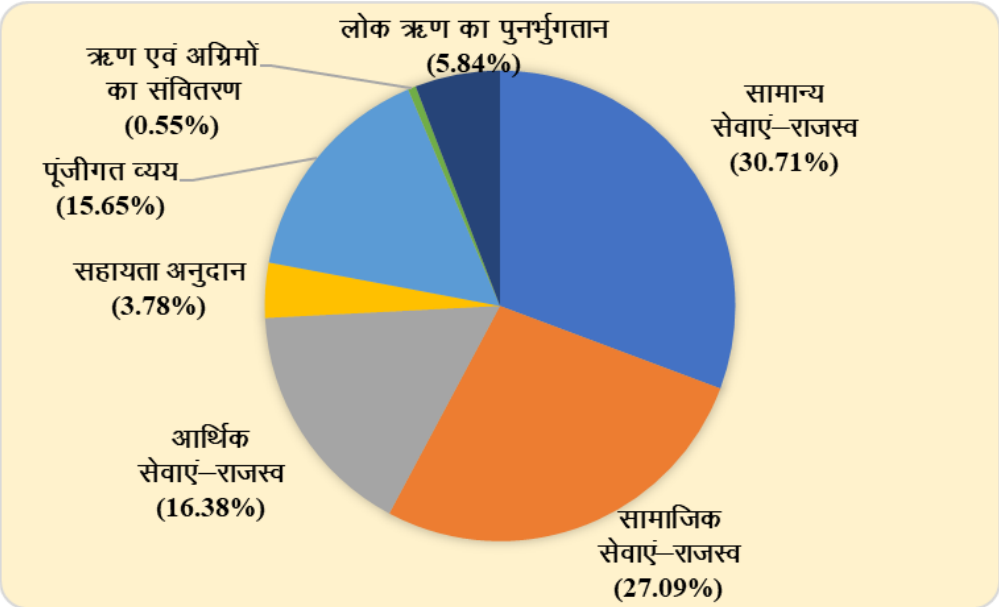

चार्ट 2.8 दर्शाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय कुल व्यय का उच्चतम 30.71 प्रतिशत था जिसमें राज्य के अंगों, राजकोषीय सेवाओं, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं और पेंशन पर व्यय सम्मिलित है। सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय कुल व्यय का 27.09 प्रतिशत था जिसमें शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं पोषण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता आदि पर व्यय सम्मिलित है। आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 16.38 प्रतिशत था जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं, ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा,

उद्योग एवं खनिज एवं परिवहन आदि पर व्यय सम्मिलित है। पूंजीगत व्यय (ऋण के सर्विस को छोड़कर) कुल व्यय का 15.65 प्रतिशत था।

2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, पूंजीगत कार्यों के संचालन और रखरखाव पर व्यय, सब्सिडी, स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य को अन्तरण सम्मिलित हैं। राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड **तालिका 2.11** में दिए गए हैं।

तालिका 2.11: वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (टीई)	2,86,277	3,13,122	3,06,821	3,70,494	3,60,951
राजस्व व्यय (आरई)	2,12,736	2,36,592	2,66,224	3,01,728	2,98,833
आरई की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.39	11.21	12.52	13.34	(-) 0.96
टीई के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	74.31	75.56	86.77	81.44	82.79
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	18.70	18.34	18.23	18.09	16.65
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	93.68	92.10	95.50	91.44	81.56
निम्न के सापेक्ष राजस्व व्यय का उछाल					
जीएसडीपी (अनुपात)	1.96	0.84	0.95	0.94	(-) 0.13
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	1.40	0.85	1.47	0.73	(-) 0.09

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा और इसका अंश वर्ष 2015–16 में 74.31 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 82.79 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय की वृद्धि दर में वर्ष 2019–20 में (–) 0.96 प्रतिशत से वर्ष 2015–16 में 24.39 प्रतिशत के उच्च स्तर के बीच व्यापक रूप से उतार–चढ़ाव बना रहा। वर्ष 2019–20 में राजस्व व्यय में कमी मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ऋण के परिहार या कमी हेतु विनियोग के लिये प्रावधान (₹ 26,404 करोड़), सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹ 684 करोड़), आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 6,619 करोड़) और शस्य पालन (₹ 3,774 करोड़) के कारण थे।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय वर्ष 2015–16 में 18.70 से घटकर वर्ष 2019–20 में 16.65 प्रतिशत हो गया। जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व व्यय उछाल, जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व व्यय में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.13 से स्पष्ट है कि राजस्व उछाल जो वर्ष 2018–19 में 0.94 था, वर्ष 2019–20 में राजस्व व्यय की नकारात्मक वृद्धि दर के कारण घटकर (–) 0.13 हो गया।

राजस्व व्यय को आगे सामान्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र और सहायता अनुदान में विभाजित किया गया है। सामान्य क्षेत्र में राज्य के अंग, राजकोषीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, ब्याज भुगतान, ऋण की सर्विसिंग और पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित हैं। क्षेत्र/उप क्षेत्र वार राजस्व व्यय **चार्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

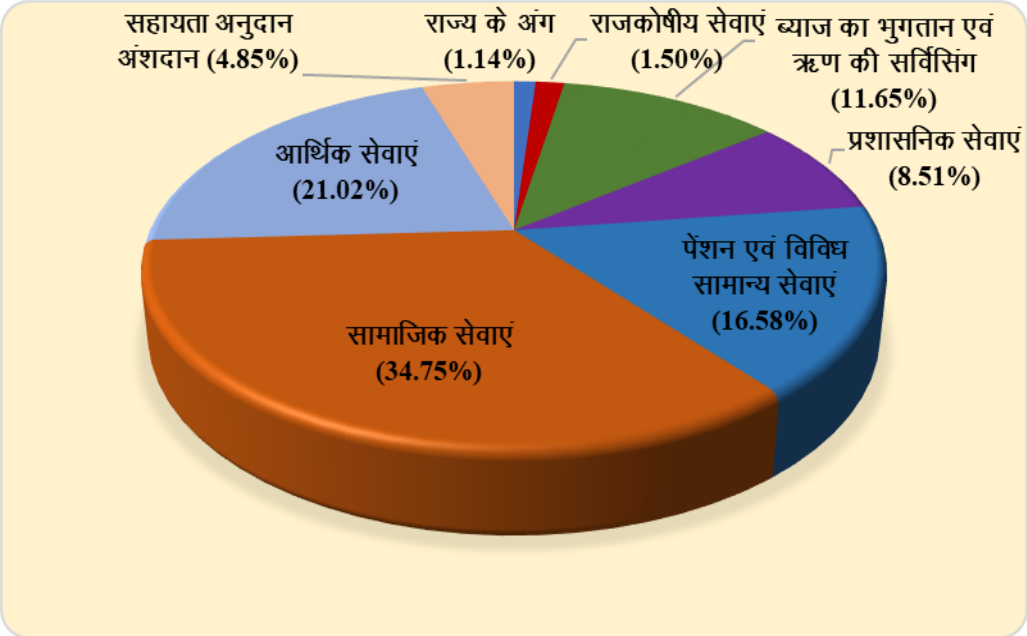

2.4.3 प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान और ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है। प्रतिबद्ध व्यय से इतर अन्य व्यय को गैर–प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय के अंश की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध एवं गैर प्रतिबद्ध व्यय का अंश

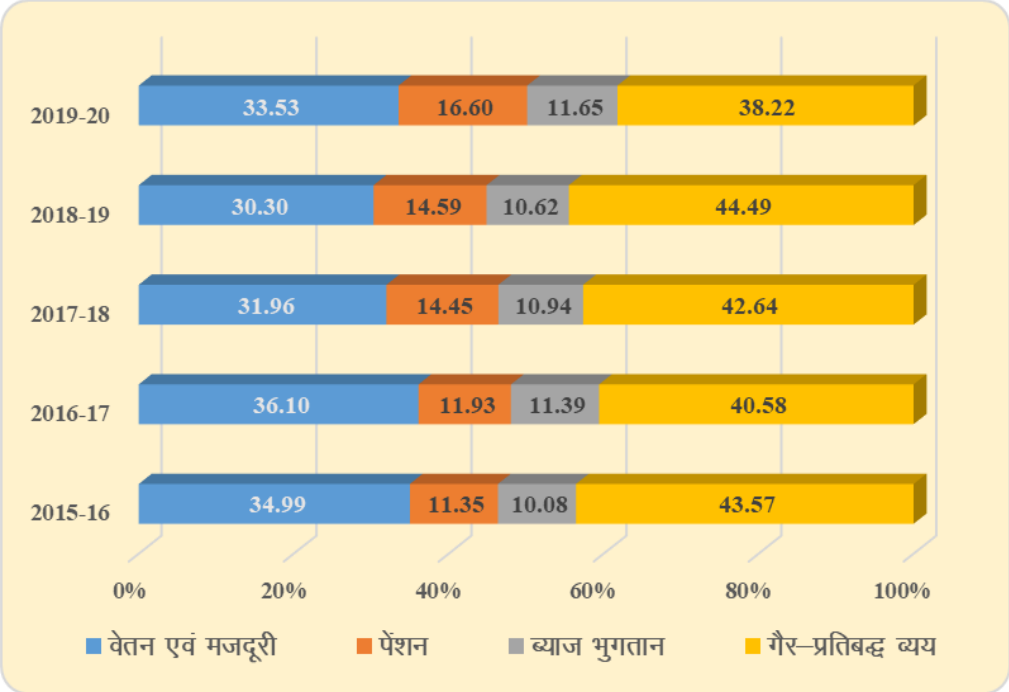

2.4.4 प्रतिबद्ध व्यय

2015–20 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध व्यय **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12 : वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन	74,439	85,416	85,076	91,413	1,00,188
(i) वेतन	33,881	37,547	43,490	50,471	53,508
(ii) मजदूरी	643	824	921	1,062	1,357
(iii) सहायक अनुदान (वेतन)	39,915	47,045	40,665	39,880	45,323
पेंशन	24,150	28,227	38,476	44,024	49,603
ब्याज भुगतान	21,448	26,936	29,136	32,042	34,813
योग	**1,20,037**	**1,40,579**	**1,52,688**	**1,67,479**	**1,84,604**
राजस्व प्राप्ति (आरआर) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन	32.78	33.25	30.52	27.70	27.34
पेंशन	10.64	10.99	13.80	13.34	13.54
ब्याज भुगतान	9.45	10.49	10.45	9.71	9.50
योग	**52.86**	**54.73**	**54.77**	**50.75**	**50.38**
राजस्व व्यय (आरई) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन	34.99	36.10	31.96	30.30	33.53
पेंशन	11.35	11.93	14.45	14.59	16.60
ब्याज भुगतान	10.08	11.39	10.94	10.62	11.65
योग	**56.43**	**59.42**	**57.35**	**55.51**	**61.78**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय व्यय की प्राथमिकता तय करने और सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी निवेश को पूरा करने में राज्य को प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात यह इंगित करता है कि राज्य के पास नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में सीमित लचीलापन है। वर्ष 2019–20 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वर्ष 2018–19 की तुलना में 10.23 प्रतिशत (₹ 17,125 करोड़) की वृद्धि हुई। 2015–20 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में उतार–चढ़ाव रहा और वर्ष 2019–20 में यह कुल राजस्व व्यय के 61.78 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर था। प्रतिबद्ध व्यय के घटक वार विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

2.4.4.1 वेतन पर व्यय

राज्य सरकार में 31 मार्च 2019 को 12,40,155 स्वीकृत पद थे। वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय ₹ 53,508 करोड़ था। मानक मद 'सहायक अनुदान–सामान्य (वेतन)[31] तथा मानक मद 'मजदूरी' के अन्तर्गत व्यय धनराशि क्रमशः ₹ 45,323 करोड़ और ₹ 1,357 करोड़ को गणना में लेते हुए, वेतन मद पर कुल

[31] प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं, स्वायत्त निकायों, इत्यादि के कर्मचारियों से सम्बन्धित।

व्यय ₹ 1,00,188 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का 27.34 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 33.53 प्रतिशत था।

अग्रेतर, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय में वर्ष 2018–19 की तुलना में छः प्रतिशत (₹ 3,037 करोड़) की वृद्धि हुई है। तथापि, यह एमटीएफआरपी में राज्य सरकार द्वारा किए गए आकलन (₹ 63,927 करोड़) के सापेक्ष ₹ 10,419 करोड़ कम था। वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय राजस्व प्राप्तियों का 14.60 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 17.91 प्रतिशत था।

2.4.4.2 ब्याज भुगतान

वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान, ब्याज के भुगतान पर व्यय 12.87 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 21,448 करोड़ रुपये से बढ़कर ₹ 34,813 करोड़ हो गया। वर्ष 2018–19 की तुलना में, वर्ष 2019–20 में ब्याज भुगतान में 8.65 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 2,898 करोड़ द्वारा) और छोटी बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 332 करोड़ द्वारा) पर ब्याज भुगतान में वृद्धि के कारण हुई। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, ब्याज भुगतान पर व्यय वर्ष 2015–16 में 9.45 प्रतिशत से 2019–20 में 9.50 प्रतिशत होकर 0.05 प्रतिशत की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। अग्रेतर, जैसा कि **प्रस्तर 4.2** में चर्चा की गयी है, राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों द्वारा लिए गये गैर–बजट ऋण की सर्विसिंग पर ब्याज के भुगतान के लिए ₹ 566.64 करोड़ की वित्तीय सहायता (सहायता अनुदान) प्रदान किया।

2.4.4.3 पेंशन भुगतान

राज्य में दिनांक 31 मार्च 2020 को 10.85 लाख पेंशनभोगी थे। 2015–20 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 24,150 करोड़ से ₹ 49,603 करोड़ के मध्य विस्तारित था। वर्ष 2019–20 में, पेंशन पर व्यय धनराशि ₹ 49,603 करोड़ (अवकाश नकदीकरण लाभों पर ₹ 1,972.36 करोड़ सहित) में विगत वर्ष (₹ 44,024 करोड़) के सापेक्ष 12.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकार के योगदान के साथ अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति लाभों के अधिक भुगतान के कारण हुई थी, यद्यपि पेंशन के कम्मुटेशन मूल्य के अन्तर्गत व्यय में कमी हुई। वर्ष 2019–20 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 13.54 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 16.60 प्रतिशत था। तथापि राज्य सरकार ने डीसीपीएस के प्रति अपने सांविधिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि शासकीय योगदान की धनराशि ₹ 1,232.29 करोड़, यद्यपि जिसे 2019–20 में राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित किया गया, को 2019–20 के दौरान डीसीपीएस के लिये नामित मुख्य शीर्ष 8342 में हस्तान्तरित नहीं किया गया, जैसा कि **प्रस्तर 4.3** में चर्चा की गयी।

2.4.4.4 सब्सिडी

2015–20 की अवधि के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण **तालिका 2.13** में दिया गया है।

तालिका 2.13: वर्ष 2015–20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	7,691	8,045	9,284	14,053	14,092
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.39	3.13	3.33	4.26	3.85
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.62	3.40	3.49	4.66	4.72

सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2015–16 में ₹ 7,691 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹ 14,092 करोड़ हो गया। वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 14,092 करोड़ की सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का क्रमशः 3.85 प्रतिशत और 4.72 प्रतिशत थी। इसमें केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 1,447.69 करोड़ की केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है। वर्ष 2019–20 के दौरान सब्सिडी के मुख्य अंश वाले विभाग **तालिका 2.14** में दिये गये।

तालिका 2.14: 2019–20 के दौरान सब्सिडी का मुख्य अंश वाले विभाग

अनुदान संख्या	प्राप्तकर्ता विभाग का नाम	सब्सिडी की धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल सब्सिडी का प्रतिशत	मुख्य उद्देश्य
09	उर्जा	7,910.00	56	यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रतिपूरक अनुदान (₹ 4,790 करोड़), यूपीपीसीएल को विद्युत कर के लिए भुगतान की गई धनराशि के सापेक्ष राजस्व प्रतिपूरक अनुदान (₹ 3,120 करोड़)।
83	समाज कल्याण	1,672.92	12	अनुसूचित जाति (₹ 1,490.91 करोड़) और अनुसूचित जनजाति (₹ 182.01 करोड़) के लिए विशेष घटक योजना
11	कृषि	2,202.31	16	कृषि उत्पादन में सुधार (₹ 1,200 करोड़) और राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (₹ 413 करोड़) के लिये किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अनुदान।

2.4.4.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता, सहायता अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। 2015–20 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा **तालिका 2.15** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.15: वर्ष 2015–20 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(क) पंचायती राज संस्थाएँ (जिला परिषद एवं ग्राम पंचायतें)	3,069.63	7,572.31	10,096.44	16,209.80	12,517.71
(ख) शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम एवं नगरपालिकाएँ)	598.84	1,002.05	1,208.46	3,081.35	9,059.97
योग (क+ख)	**3,668.47**	**8,574.36**	**11,304.90**	**19,291.15**	**21,577.68**
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम)	13,056.85	8,440.26	133.41	7,053.03	8,940.17
(घ) स्वायत्त निकाय (विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाएं एवं अन्य)	1,584.81	2,295.33	5,405.83	6,436.96	37,393.78
(च) गैर–सरकारी संगठन	26,055.25	30,260.69	26,038.26	181.61	7,140.75
(छ) विविध	32,703.14	32,806.92	49,338.56	58,801.38	18,282.08
योग (ग+घ+च+छ)	**73,400.05**	**73,803.20**	**80,916.06**	**72,472.98**	**71,756.78**
महायोग (क+ख+ग+घ+च+छ)	**77,068.52**	**82,377.56**	**92,220.96**	**91,764.13**	**93,334.46**
राजस्व व्यय	2,12,736	2,36,592	2,66,224	3,01,728	2,98,833
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	36.23	34.82	34.64	30.41	31.23

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 93,334.46 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसमें ₹ 16,822.57 करोड़ की केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान सहायता अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय सहायता में लगातार वृद्धि हुई, केवल वर्ष 2018–19 को छोड़कर जिसमें यह कुछ कम हुई। वर्ष 2015–16 के सापेक्ष वर्ष 2019–20 के दौरान इसमें ₹ 16,265.94 करोड़ (21.11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, यह 2015–16 में 36.23 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019–20 में 31.23 प्रतिशत हो गयी।

पंचायती राज संस्थाओं को सहायता वर्ष 2015–16 में ₹ 3,069.63 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹ 12,517.71 करोड़ हो गयी यद्यपि, वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान यह ₹ 3,692.09 करोड़ कम हो गयी। इसमें केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को निर्गत अनुदान (₹ 2,732.44 करोड़) भी सम्मिलित है जो वर्ष 2018–19 की तुलना में मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ₹ 6,328 करोड़ घट गयी।

2015–20 की अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2015–16 में ₹ 598.84 करोड़ से लगातार बढ़कर 2019–20 में ₹ 9,059.97 करोड़ हो गई। वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान इसमें ₹ 5,978.62 करोड़ (194 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना (₹ 4,170.27 करोड़) एवं स्मार्ट सिटी मिशन (₹ 114.00 करोड़) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के निर्गत होने के कारण थी। शहरी स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए ₹ 6,420.69 करोड़ सम्मिलित थे।

स्वायत्त निकायों के प्रकरण में, वर्ष 2019–20 में ₹ 31,502.82 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद/प्राथमिक स्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर केजी/नर्सरी स्कूल को ₹ 28,860.32 करोड़ की सहायता के वर्गीकरण के कारण थी जिसे वर्ष 2018–19 के दौरान विविध की श्रेणी में सम्मिलित किया गया।

2.4.5 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों, आदि जैसे अचल अवसंरचना सम्पत्तियों के सृजन पर होने वाला व्यय है। राज्य सरकार के लिए अपने निवेश पर पर्याप्त रिटर्न अर्जित करने, उधार ली गई निधि की लागत वसूल करने और वित्तीय संक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के उपाय हेतु पहल की आवश्यकता है। वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय और कुल व्यय से इसके प्रतिशत को **चार्ट 2.11** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.11: 2015–20 की अवधि के दौरान राज्य में पूंजीगत व्यय

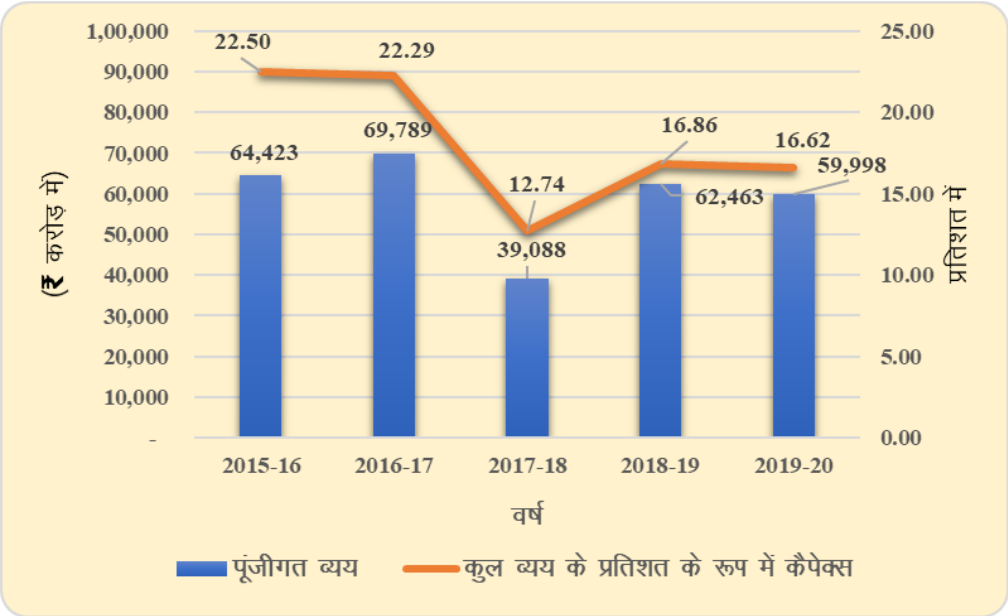

चार्ट 2.11 से स्पष्ट है कि 2015–20 की अवधि के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 12.74 प्रतिशत से 22.50 प्रतिशत के बीच रहा, यह वर्ष 2017–18 के दौरान कुल व्यय का न्यूनतम 12.74 प्रतिशत और वर्ष 2015–16 में उच्चतम 22.50 प्रतिशत था।

कुछ मुख्य शीर्ष, जहां वर्ष 2019–20 के दौरान पूंजीगत व्यय बहुत अधिक था, **तालिका 2.16** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.16: वर्ष 2019–20 के दौरान मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय

क्र0 सं0	प्रमुख शीर्ष और उसका नामकरण	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	4801–ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम (उत्पादन, पारेषण और वितरण गतिविधियों के लिए)	8,249
2	5054–सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	सड़क एवं पुल	21,376
3	4700–वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	वृहद सिंचाई	4,448
4	4515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	3,706
5	4408–खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय	खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह	3,890
6	4215–जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,384
7	4210– चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	पीएचसी, सीएचसी आदि का निर्माण	2,123
8	4216– आवास पर पूंजीगत परिव्यय	आवास	2,112

स्रोतः वित्त लेखे 2019–20

वर्ष 2019–20 के दौरान पूंजीगत व्यय वर्ष 2018–19 में ₹ 62,463 करोड़ के पूंजीगत व्यय के सापेक्ष ₹ 59,998 करोड़ था। वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के

दौरान पूंजीगत व्यय में ₹ 2,465.38 करोड़ (3.95 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से सामान्य सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य प्रशासनिक सेवाओं में ₹ 924.13 करोड़ (27 प्रतिशत), आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 1,466.83 करोड़ (3.03 प्रतिशत) और सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 74.42 करोड़ (0.70 प्रतिशत) की कमी के कारण थी।

2.4.5.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के लिए विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तनों का विवरण **तालिका 2.17** में दिया गया है।

तालिका 2.17 : विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 2019–20 के दौरान पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/ कमी (-)
5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	19,816.31	21,376.18	7.87
4408-खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय	2,370.11	3,890.04	64.13
4406-वानिकी और वन्यजीवन पर पूंजीगत परिव्यय	216.97	714.67	229.39
4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	13,409.18	8,248.83	(-) 38.48
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओ पर पूंजीगत परिव्यय	1,893.49	651.86	(-) 65.57
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3,333.19	2,111.56	(-) 36.65

स्रोतः वित्त लेखे 2019–20

मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धि/कमी का प्रमुख कारण नीचे दिया गया है:

मुख्य शीर्ष 5054 (सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय)– वर्ष 2019–20 के दौरान मुख्य परिवर्तन प्रमुख गतिविधियों जैसे राज्य राजमार्ग का निर्माण कार्य (₹ 759.38 करोड़), पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना (₹ 1,799.35 करोड़), बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना (₹ 1,538.02 करोड़), गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे (₹ 357.18 करोड़), राज्य की सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (₹ 366.87 करोड़), आदि पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 4408 (खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय)– वृद्धि मुख्य रूप से खाद्यान्नों के अधिक क्रय और आपूर्ति (₹ 1,574.12 करोड़) के कारण हुई।

मुख्य शीर्ष 4406 (वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय)– वृद्धि मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक और फार्म वानिकी योजनाओं जैसे सामाजिक वानिकी (₹ 260.33 करोड़), पौध नर्सरी प्रबंधन योजना (₹ 159.62 करोड़) और गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना (₹ 75 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 4801 (ऊर्जा परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय)– कमी मुख्य रूप से एकीकृत विद्युत विकास योजना के कार्य के लिये अंश पूंजी में निवेश (₹ 863.42 करोड़) तथा भूमिगत केबलिंग के लिए यूपीपीसीएल को अंश पूंजी (₹ 196.43 करोड़) पर कम व्यय के कारण थी। विगत वर्ष (2018–19) की तुलना में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अन्तर्गत विद्युत के लिए शेयर पूंजी में कम निवेश (₹ 1,071.14 करोड़) हुआ।

मुख्य शीर्ष 4070 (अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)– कमी मुख्य रूप से न्यायिक भवनों के निर्माण के लिये अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर के भुगतान पर व्यय (₹ 116.62 करोड़) और प्रयागराज में कुंभ मेला 2019 पर व्यय (₹ 1,077.56 करोड़) में कमी के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 4216 (आवास पर पूंजीगत परिव्यय)– कमी मुख्य रूप से ग्रामीण आवास के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना हेतु केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं पर व्यय (₹ 224.58 करोड़) में कमी और प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण (₹ 1,051.25 करोड़) के अन्तर्गत कम व्यय के कारण थी।

2.4.5.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खण्ड वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

पीएसयू में निवेश की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रम जो घाटे में चल रहे हैं या जहां निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पर पूंजीगत व्यय, किया गया निवेश और दिया गया ऋण धारणीय नहीं है और पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया। पीएसयू में निवेश की गई अंश पूंजी पर रिटर्न पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। पीएसयू में निवेश की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे यथा निवेश पर रिटर्न, निवल मूल्य का क्षरण, लाभांश भुगतान, नियोजित पूंजी पर रिटर्न आदि पर प्रतिवेदन के **अध्याय 5** में विभिन्न प्रस्तरों के अन्तर्गत विस्तार से चर्चा की गई है।

अपूर्ण परियोजनाओं पर निधियों का अवरोधन

वित्त लेखे का परिशिष्ट IX अपूर्ण कार्यों की समग्र स्थिति को दर्शाता है। परिशिष्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में अपूर्ण कार्यों की सूची सम्मिलित है, यद्यपि सूची में राज्य सरकार के अन्य विभागों के सभी अपूर्ण कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लम्बे समय के लिये अभिप्रेत लाभों से वंचित रखता है। अग्रेतर, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि ऋण और ब्याज देनदारियों की सर्विसिंग के रूप में अतिरिक्त दायित्व की ओर ले जाती है। परिशिष्ट IX के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक विभागवार अपूर्ण कार्यों (जिन्हें 31 मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना था) और उसमें अवरुद्ध पूंजी की स्थिति **तालिका 2.18 (अ)** और **(ब)** में दी गई है।

तलिका 2.18 (अ) : 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्ण होने का लक्षित वर्ष	31 मार्च 2020 को अपूर्ण कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2020 तक)
2015-16	1	2.55	2.42
2016-17	8	31.11	20.12
2017-18	14	670.98	586.87
2018-19	14	349.76	165.18
2019-20	206	5,142.66	6,178.24
योग	**243**	**6,197.06**	**6,952.83**

स्रोतः वित्त लेखे 2019–20

तालिका 2.18 (ब) : 31 मार्च 2020 तक विभागवार अपूर्ण परियोजनायें

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
लोक निर्माण	223	4,198.32	3,210.92
सिंचाई	20	1,998.74	3,741.91
योग	**243**	**6,197.06**	**6,952.83**

स्रोतः वित्त लेखे 2019–20

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार के दो प्रमुख विभागों (लोक निर्माण और सिंचाई विभाग) में, 243 परियोजनाएं (लोक निर्माण में 223 परियोजनाएं और सिंचाई विभाग में 20 परियोजनाएं) अपूर्ण थीं और परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2020 तक इन परियोजनाओं पर व्यय धनराशि ₹ 6,952.83 करोड़ का राज्य के लोगों को सुविधाओं और राज्य के आर्थिक विकास की दिशा में सहायता के रूप में भी कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त हुआ।

2.4.5.3 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का क्रियान्वयन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) जो गंभीर वित्तीय दबाव से जूझ रही थी, के वित्तीय सुधार के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारम्भ किया (नवम्बर 2015) ।

राज्य डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम के लिए और उसकी ओर से यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य निष्पादित किया गया था। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा 30 सितंबर 2015 को डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत (वर्ष 2015–16 में 50 प्रतिशत और वर्ष 2016–17 में 25 प्रतिशत) दो वर्ष की अवधि में अधिग्रहण करने का प्रावधान करती है। तदनुसार, डिस्कॉम्स का ₹ 44,403 करोड़[32] का बकाया ऋण का राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में अधिग्रहण किया गया। राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण वितरण कंपनियों को अनुदान, ऋण और इक्विटी के मिश्रण के रूप में स्थानांतरित कर दिये गये, जैसा कि **तालिका 2.19** में वर्णित हैं।

तालिका 2.19: 31 मार्च 2020 को उदय के अन्तर्गत इक्विटी/ऋण/सब्सिडी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	अनुदान	योग
2015-16	11,353[33]	6,083	12,166	29,602
2016-17	3,700	3,700	7,401	14,801
योग	**15,053**	**9,783**	**19,567**	**44,403**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

अग्रेतर, राज्य सरकार को डिस्कॉम की हानियों, यदि कोई हो, को एक चरणबद्ध ढंग से निम्नानुसार अधिग्रहण करना हैं।

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली हानियॉ	वर्ष 2016–17 की हानि का 5%	वर्ष 2017–18 की हानि का 10%	वर्ष 2018–19 की हानि का 25%	विगत वर्ष की हानि का 50%

[32] डिस्कॉम का 30 सितम्बर 2015 को प्रभावी बकाया ऋण ₹ 59,205 करोड़ था, जिसमें 30 सितम्बर 2015 को बकाया ऋण ₹ 53,935 करोड़ तथा वित्तीय पुनर्गठन योजना 2012 के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 (30 सितम्बर 2015 के पूर्व) के दौरान निर्गत ₹ 5,270 करोड़ के बांड सम्मिलित थे।

[33] 2015–16 (30 सितम्बर 2015 के पूर्व) के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पुनर्गठन योजना 2012 के अन्तर्गत निर्गत ₹ 5,270 करोड़।

एमओयू के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 4,891.72 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण को उदय परियोजना के अन्तर्गत अनुदान में परिवर्तित किया और उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों में ₹ 2,400 करोड़ की हानियों का अधिग्रहण किया।

2.4.5.4 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सरकार या सांविधिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य अवसंरचना के विकास के लिए जनता की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु उनके साथ मिलकर कार्य करने में सक्षम बनाने वाले ढांचे को प्रदान करने हेतु एक व्यवस्था है।

वर्ष 2019–20 के लिए वित्त लेखे के खंड–I के अनुलग्नक एच में उन पीपीपी परियोजनाओं का विवरण दिया गया है, जहां विकासकर्ता चयनित किये गये हैं। यह विवरण एक सरकारी वित्तीय संस्थान *यूपी के प्रदेशीय औद्योगिक और निवेश निगम* (पिकप) द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रदान किया गया है। पीपीपी मोड के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण **तालिका 2.20** में दिया गया है।

तालिका 2.20 : 2019–20 तक के पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	क्षेत्र	पूर्ण परियोजनाएँ		चल रही परियोजनाएँ	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	औद्योगिक विकास	-	-	1	13,782.00
2.	लोक निर्माण	-	-	9	8,083.40
3.	शहरी विकास	-	-	33	5,103.40
4.	ऊर्जा	-	-	14	66,488.64
5.	जल विद्युत	-	-	6	2,713.42
	योग	**-**	**-**	**63**	**96,170.86**

स्रोत : वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे

2.4.6 व्यय प्राथमिकताएं

निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी है, यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाती है।

तालिका 2.21: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

विवरण	एई / जीएसडीपी	सीई / एई	शिक्षा / एई	स्वास्थ्य / एई
सामान्य श्रेणी के राज्यों का अखिल भारतीय औसत (2015–16)	16.97	14.81	15.68	4.79
उत्तर प्रदेश	25.16	22.50	16.14	4.70
सामान्य श्रेणी के राज्यों का अखिल भारतीय औसत (2019–20)	15.15	12.97	15.91	5.21
उत्तर प्रदेश	20.11	16.62	15.45	5.53

(एई–कुल व्यय, सीई–पूँजीगत व्यय)

तालिका 2.21 से यह स्पष्ट है कि यद्यपि वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2019–20 में राज्य के कुल व्यय के साथ–साथ पूंजीगत व्यय का जीएसडीपी से अनुपात में गिरावट आयी, लेकिन यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से अधिक था। वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2019–20 में शिक्षा पर व्यय के कुल व्यय से अनुपात में कमी आयी। यह भी सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से थोड़ा कम था। अग्रेतर, वर्ष 2019–20 में वर्ष 2015–16 की तुलना में स्वास्थ्य पर व्यय के कुल व्यय से अनुपात में सुधार हुआ। यह भी वर्ष 2019–20 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से ऊपर था।

2.4.7 मानक मदवार व्यय

वर्ष 2019–20 के दौरान मानक मदवार व्यय को **चार्ट 2.12** में दर्शाया गया है ।

चार्ट 2.12 : वर्ष 2019–20 में मानक मदवार व्यय (प्रतिशत में)

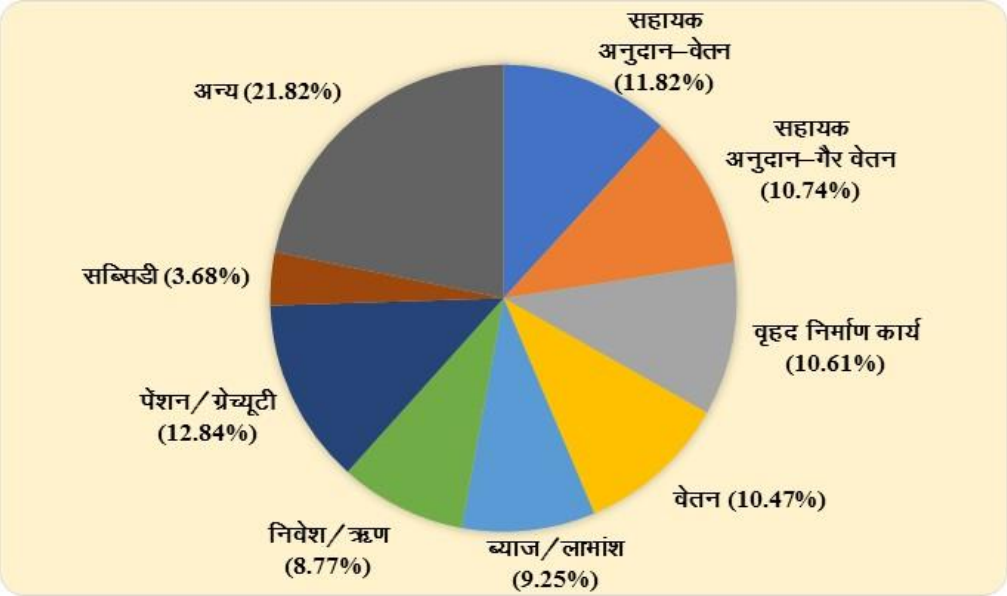

चार्ट 2.12 से स्पष्ट है कि 2019–20 के दौरान वेतन, वेतन के लिए सहायता अनुदान और पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय कुल व्यय का 35 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, सहायता अनुदान (गैर–वेतन), ब्याज/लाभांश और सब्सिडी पर व्यय कुल व्यय के क्रमशः 10.74 प्रतिशत, 9.25 प्रतिशत और 3.68 प्रतिशत हैं। निवेश एवं ऋण और वृहद निर्माण कार्यों जो कि पूंजीगत प्रकृति के थे, पर व्यय कुल व्यय के क्रमशः 8.77 प्रतिशत और 10.61 प्रतिशत हैं।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियों एवं संवितरणों से सम्बन्धित कुछ संव्यवहारों यथा लघु बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखे जाते है एवं वे राज्य विधायिका के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। सरकार इनके संबंध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात अवशेष विभिन्न प्रयोजनों एवं उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि है।

2.5.1 निवल लोक लेखा संव्यवहार

लोक लेखा के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण–21 में दर्शाई गई है तथा 2015–20 की अवधि के दौरान लोक लेखा (निवल) के संव्यवहारों का विवरण **तालिका 2.22** में दिया गया है।

तालिका 2.22 : 2015–20 के दौरान घटक वार लोक लेखा (निवल) संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप–क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	1,534	1,619	2,530	3,646	3,314
आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	0	0	0	0	1757
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	2,561	7,225	8,265	13,545	(-)70,056
जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	92	187	220	184	883
	(ब) ब्याज रहित जमा	(-)1,635	(-)405	1,189	2,000	(-)2,990
	(स) अग्रिम	0	(-)83	4	12	17
उचन्त एवं विविध	(अ) उचन्त	300	152	(-)1,436	(-)236	(-)1,743
	(ब) अन्य लेखे	(-)977	440	(-)778	459	(-)85
	(स) बाह्य देशों की सरकारों के साथ लेखे	0	0	0	0	0
	(द) विविध	0	0	0	0	0
प्रेषण	(अ) मनी आर्डर तथा अन्य प्रेषण	(-)194	750	(-)3,910	329	308
	(ब) अन्तर शासकीय समायोजन लेखे	(-)3	(-)2	4	(-)16	5
योग		**1,678**	**9,883**	**6,088**	**19,923**	**(-)68,590**

नोट : धनात्मक क्रेडिट अवशेष तथा ऋणात्मक डेबिट अवशेष को प्रदर्शित करता है ।

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखे के अन्तर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियां सृजित की जाती हैं। इन निधियों को राज्य के साथ–साथ भारत सरकार (जीओआई) के संचित निधि से अंशदान या अनुदान से पूरा किया जाता है। राज्य आपदा अनुक्रिया निधि, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि, केंद्रीय सड़क निधि आदि के लिए भारत सरकार से अंशदान प्राप्त होता है। आरक्षित निधियों एवं निर्धारित निधियों से निवेश के बारे में विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरण 21 और 22 में उपलब्ध है। वर्ष 2019–20 के दौरान आरक्षित निधियों का विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है।

क्रियाशील तथा अक्रियाशील आरक्षित निधियाँ: वर्ष 2019–20 के प्रारंभ में 35 आरक्षित निधियॉ (14 क्रियाशील और 21 अक्रियाशील निधियॉ) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित थीं। वर्ष के दौरान अक्रियाशील निधियों में से 18 निधियों को राज्य सरकार द्वारा बंद कर दिया गया और एक नई आरक्षित निधि खोली गई। इस प्रकार, 31 मार्च 2020 को ₹ 4,526.25 करोड़ के अवशेष के साथ कुल 18 आरक्षित निधियाँ अस्तित्व में थी। जिनमें इन 15 क्रियाशील निधियों में ₹ 4,505.58 करोड़ की अवशेष धनराशि थी और तीन अक्रियाशील निधियों में ₹ 20.67 करोड़ की अवशेष धनराशि मौजूद थी। अक्रियाशील आरक्षित निधियों के अन्तर्गत अवशेष राशि का अर्थ है कि ये निष्क्रिय निधि के रूप में पड़ी हैं। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने विभिन्न आरक्षित निधियों में (–) ₹ 68,298.52 करोड़ का निवल अन्तरण किया। ये सभी संव्यवहार बुक समायोजन की प्रकृति के थे और वास्तविक नकद अन्तरण का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।

ब्याज सहित और ब्याज रहित निधियाँ: वर्तमान आरक्षित निधियों में से, 17 ब्याज रहित निधियाँ थीं, जिनमें ₹ 2,768.94 करोड़ का अवशेष था और एक ब्याज सहित निधि[34] यथा "राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि" थी। इसमें 31 मार्च 2020 को ₹ 1,757.31 करोड़ का अवशेष था। कुछ प्रमुख निधियों के विवरण की चर्चा नीचे की गयी है।

2.5.2.1 समेकित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग (2005–10) ने अनुशंसा किया (नवम्बर 2004) कि सभी राज्यों द्वारा बैंकों से ऋण, एनएसएसएफ के कारण देनदारियां आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिये निक्षेप निधि की स्थापना की जानी चाहिये। इस निधि का रखरखाव राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखे से अलग किया जाना चाहिये और इसका उपयोग ऋणों के विमोचन के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जाना चाहिये। राज्य सरकारों की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बाजार ऋणों/दायित्वों के परिशोधन को सुगम बनाने के लिये समेकित निक्षेप निधि का रख रखाव करता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बकाया दायित्वों[35] के विमोचन के लिये समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ) का गठन[36] (मार्च 2020) किया। यह 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप किया गया था। नव सृजित सीएसएफ वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागू होना है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित किया जायेगा। निधि का कोष जिसमें समय–समय पर अंशदान साथ ही साथ इस पर मिलने वाली आय शामिल है, को सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखा जायेगा। इस निधि से वर्ष 2024–25 तक आहरण की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, मार्च 2020 के अंत में वर्तमान निक्षेप निधि के अवशेष धनराशि को समेकित निक्षेप निधि में स्थानान्तरित किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने लोक लेखे के अन्तर्गत वर्तमान निक्षेप निधि के सम्पूर्ण अवशेष धनराशि ₹ 71,180.23 करोड़ को राज्य सरकार के करेतर राजस्व में अन्तरित किया (30 मार्च 2020)। ₹ 71,180.23 करोड़ का यह अन्तरण एक बुक समायोजन था और इस संव्यवहार से राज्य सरकार को कोई नकद धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2020 को राज्य सरकार के पास ₹ 21,386.75 करोड़ का सामान्य नकद अवशेष था, जो कि निक्षेप निधि (करेतर राजस्व में हस्तांतरण से पूर्व) के अन्तर्गत बुक बैलेन्स से कम था। इस प्रकार राज्य सरकार निक्षेप निधि के बुक बैलेन्स राशि को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रक्षित समेकित निक्षेप निधि में अंतरित करने की स्थिति में नहीं थी, जिसमें वास्तविक नकद अंतरण सम्मिलित होता। तथापि निक्षेप निधि की धनराशि घटकर शून्य होने से राज्य सरकार के पास ₹ 2,91,185.86 करोड़ की धनराशि के खुले बाजार ऋणों के परिशोधन के लिये 31.03.2020 को निक्षेप निधि/समेकित निक्षेप निधि के अन्तर्गत कोई अवशेष धनराशि उपलब्ध नहीं थी। अग्रेतर, 2020–21 से 2023–24 के दौरान उ0प्र0 राज्य विकास ऋण (बाजार ऋण) के ₹ 45,330 करोड़ को सम्मिलित करते हुए आंतरिक ऋण ₹ 89,047 करोड़ के पुनर्भुगतान हेतु देय थे।

वर्तमान निक्षेप निधि को बंद करते समय, राज्य सरकार ने संघ और राज्यों के मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची में निर्धारित लेखा सिद्धान्तों का अनुपालन नहीं किया। संघ और राज्यों के मुख्य और लघु शीर्ष लेखाओं की सूची (एलएमएमएच) के मुख्य शीर्ष

---

[34] एक निधि जिसमें जमा धनराशि पर राज्य सरकार द्वारा ऐसी दर पर ब्याज दिया जाना है जिसे सरकार निर्धारित करे।

[35] राज्य सरकार के आंतरिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्व को मिलाकर परिभाषित।

[36] नोटिफिकेशन संख्या 52/X–2020–10(4)–2006 दिनांक 17.03.2020 द्वारा।

8222–निक्षेप निधि के अन्तर्गत नोट (1) निर्धारित करता है कि ऋण की परिपक्वता पर, इस शीर्ष के बकाया अवशेष को शीर्ष '8680–विविध शासकीय लेखे 101–लेजर अवशेष समायोजन लेखे' में जमा किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 13,877.20 करोड़ के बाजार ऋण का पुनर्भुगतान किया। इस प्रकार निक्षेप निधि से ₹ 13,877.20 करोड़ विविध शासकीय लेखे (मुख्य शीर्ष 8680) में अन्तरित किया जाना वांछनीय था, इसके बजाय राज्य सरकार ने निक्षेप निधि के सम्पूर्ण अवशेष धनराशि ₹ 71,180.23 करोड़ को राजस्व प्राप्तियों (मुख्य शीर्ष 0075–विविध सामान्य सेवाओं–800–अन्य प्राप्तियां के अन्तर्गत) में अन्तरित एवं जमा कर दिया। इस प्रकार एलएमएमएच के मुख्य शीर्ष 8222 के नीचे नोट (1) में उल्लिखित लेखांकन प्रक्रियाओं के उल्लंघन के कारण वर्ष में राजस्व प्राप्तियॉ अधिक दर्शायी गयीं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को वास्तविक नकद प्राप्ति के बिना वर्ष 2019–20 में निक्षेप निधि (₹ 57,303.03 करोड़) से अवशेष धनराशि का अन्तरण प्राप्तिपक्ष का एक असाधारण मद था।

इस प्रकार वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 67,560.14 करोड़ के राजस्व अधिशेष एवं ₹ 11,082.69 करोड़ के राजकोषीय अधिशेष को बिना वास्तविक नकद प्राप्ति के राज्य की राजस्व प्राप्ति के रूप में निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ के अन्तरण के आलोक में पढ़ा जाना चाहिये। अग्रेतर, वर्तमान निक्षेप निधि की करेतर राजस्व में जमा धनराशि का उपयोग उन ऋणों के परिशोधन के लिये नहीं किया जा सका, जिसके लिये इसे सृजित किया गया था। ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये समेकित निक्षेप निधि में पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय विवेकशीलता की इस कमी के निराकरण की आवश्यकता है।

2.5.2.2 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि

भारत सरकार (जीओआई) ने पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से प्रतिस्थापित किया। एसडीआरएफ का उपयोग मुख्य रूप से आपदा के पीड़ितों के व्यय की पूर्ति हेतु तत्काल राहत प्रदान करने के लिये किया जाना हैं। इस निधि के दिशा–निर्देशों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र और राज्यों द्वारा एक निश्चित अनुपात में निधि में अंशदान किया जाना वांछनीय है। अंशदान को लोक लेखा में मुख्य शीर्ष–8121 में अंतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान व्यय मुख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक आपदाओं पर राहत के परिचालन के द्वारा किया जाना है। एसडीआरएफ के दिशा–निर्देश निम्नलिखित का निर्धारण करते है:

- निधि का परिचालन मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ–122–राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के नीचे 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' श्रेणी के अन्तर्गत किया जाना चाहिये।

- राज्य सरकार एसडीआरएफ को ब्याज का भुगतान आरबीआई के ओवरड्राफ्ट नियमन दिशानिर्देश के अन्तर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज के आधार पर करेगी। ब्याज अर्धवार्षिकी आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ की प्राप्तियों को केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किये गये कोषागार बिलों एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों के अन्य ब्याज अर्जित करने वाले जमाओं में निवेश किया जाना है।

तथापि, यह देखा गया कि राज्य सरकार अपने एसडीआरएफ को मुख्य शीर्ष 8235–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां–111–राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के नीचे 'ब्याज रहित आरक्षित निधियां' श्रेणी के अन्तर्गत संचालित करती है। निधि में अवशेष धनराशि भी भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निवेश नहीं की जाती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान निधि में ₹ 820 करोड़ की धनराशि का योगदान किया गया, जिसमें ₹ 615 करोड़ भारत सरकार द्वारा और ₹ 205 करोड़ राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में किया गया अंशदान सम्मिलित है। इसके अलावा, ₹ 234.30 करोड़ केन्द्रीय अंश का बकाया तथा ₹ 78.10 करोड़ राज्यांश के रूप में (90:10 के अनुपात में) भी अंशदान किया गया था।

वर्ष 2019–20 के प्रारम्भ में एवं 01.10.2019 को, एसडीआरएफ के पास क्रमशः ₹ 956.94 करोड़ और ₹ 1,838.98 करोड़ का अवशेष था। अतः इस अवशेष धनराशि पर ₹ 116.55 करोड़ के कुल ब्याज (वर्ष 2019–20 में अर्द्धवार्षिक आधार पर ओवरड्राफ्ट पर लागू औसत ब्याज दर आगणित) का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में किया जाना वांछनीय था। तथापि, राज्य सरकार ने दिशा–निर्देशों की शर्तों के अनुसार निधि के अनिवेशित अवशेष पर कोई ब्याज एसडीआरएफ में जमा नहीं किया। निधि को ब्याज रहित आरक्षित निधि के रूप में रखे जाने के कारण अव्ययित धनराशि के निवेश नहीं किये जाने से निधि का कार्पस प्रभावित हुआ। अग्रेतर, वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य के राजस्व के साथ–साथ राजकोषीय अधिशेष ₹ 116.55 करोड़ अधिक बताया गया।

2.5.2.3 प्रत्याभूति विमोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा निर्गत किये गये बाण्डों एवं अन्य उधार पर ऋण लेने वाली एजेंसी द्वारा डिफाल्ट होने पर सरकार द्वारा अपनी ऋण सर्विस दायित्यों को पूरा करने के लिये निर्गत प्रत्याभूतियों की लाभार्थियों द्वारा इनवोक होने की स्थिति में, राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिये। तथापि, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन नहीं किया।

वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति का विवरण वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20 में दिया गया है, जो राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 में 23 इकाईयों यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋणों पर प्रत्याभूति प्रदान किया था। वर्ष 2019–20 के अंत में ₹ 1,18,696.49 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 4,439.64 करोड़ की निवल प्रत्याभूति (जीएसडीपी का लगभग 0.25 प्रतिशत) का निष्पादन किया। अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष में प्रत्याभूति प्रदान किये जाने की कोई सीमा निर्धारित नहीं किया।

23 इकाइयों में से, 2019–20 में ₹ 4.93 करोड़ की प्रत्याभूति शुल्क केवल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से प्राप्त होनी थी, जो प्राप्त हो गयी। संघ और राज्य सरकारों पर लागू एलएमएमएच मुख्य शीर्ष (0075–विविध सामान्य सेवाएं–108–प्रत्याभूति शुल्क) के अन्तर्गत एक विशिष्ट लघु शीर्ष के रूप में प्रत्याभूति शुल्क के लेखांकन का प्रावधान करता है। तथापि, उत्तर प्रदेश के प्रकरण में यह पाया गया कि एलएमएमएच के प्रावधानों के अनुसार प्रत्याभूति शुल्क का संग्रहण/लेखांकन नहीं किया जा रहा है।

2.5.2.4 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत, राज्य सरकार राज्य के लोक लेखे के अन्तर्गत एक विशिष्ट निधि की स्थापना करेगी जिसे प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एससीएएफ) कहा जायेगा। प्रयोक्ता एजेंसियों से राज्य सरकारो द्वारा प्राप्त धनराशि को मुख्य शीर्ष 8336–सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष स्तर पर राज्य के लोक लेखा में ब्याज सहित खण्ड के अन्तर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा किया जाना

है। इसमें से 90 प्रतिशत को राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां के नीचे लघु शीर्ष 129–एससीएएफ में अंतरित किया जायेगा और शेष 10 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3(4) के अनुसार वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जायेगा, बशर्ते निधि के केन्द्रीय अंश के 10 प्रतिशत को मासिक आधार पर जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे कि इसे राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि में स्थानान्तरित किया जा सके।

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थितिः वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार ने एससीएएफ में जमा करने हेतु भारत सरकार से ₹ 1,819.63 करोड़ प्राप्त किया (अगस्त 2019)। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 62.32 करोड़ व्यय किया गया। 31 मार्च 2020 को, एससीएएफ में अवशेष ₹ 1,757.31 करोड़ था।

'8336–सिविल जमा' के अन्तर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा' और 8121–सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां के अन्तर्गत 'एससीएएफ' के अधीन उपलब्ध अवशेष धनराशि पर ब्याज का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर घोषित दर के अनुसार किया जाना है। वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा तीन प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाना वांछनीय था। तथापि, राज्य सरकार ने वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ₹ 31.69 करोड़ ब्याज का भुगतान नहीं किया। इससे वर्ष के दौरान राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष/राजकोषीय अधिशेष को ₹ 31.69 करोड़ अधिक बताया गया।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यक मात्रा में निधियों की उगाही, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों की प्राप्ति और कोई अन्य संप्रभु ऋण प्रबन्धन लक्ष्य जिसे अधिनियम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं द्वारा निर्धारित किया गया हो, को पूर्ण किया जा सके।

2.6.1 ऋण रूपरेखा : घटक

राज्य सरकार के कुल ऋण का गठन आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम तथा लोक लेखा देयताएं से होता है। वित्त लेखे का विवरण 6 राज्य सरकार की बकाया देनदारियों की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसे **तालिका 2.23** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.23 : अवधि 2015–20 में घटक वार ऋण की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अवशेष कुल ऋण		**3,67,251**	**4,23,224**	**4,67,842**	**5,18,095**	**5,02,412**
लोक ऋण	**आन्तरिक ऋण**	2,40,836	2,88,627	3,21,479	3,53,190	4,05,049
	भारत सरकार से ऋण	13,658	13,250	12,812	11,980	11,529
लोक लेखा दायित्व		1,12,757	1,21,347	1,33,551	1,52,925	85,834[37]
अवशेष कुल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)		**19.29**	**15.24**	**10.54**	**10.74**	**(-)3.03**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)		11,37,808	12,90,289	14,60,443	16,68,229	17,94,508
ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)		32.28	32.80	32.03	31.06	28.00
लोक त्रण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियॉं		1,13,502	1,13,172	90,052	1,13,504	1,12,696
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज)		75,557	84,099	74,570	95,293	1,63,192
उपलब्ध निवल निधियाँ		**37,945**	**29,073**	**15,482**	**18,211**	**(-)50,496**
उपलब्ध निवल निधियों की लोक ऋणों एवं अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियों से प्रतिशतता		**33.43**	**25.69**	**17.19**	**16.04**	**(-) 44.81**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.23 से स्पष्ट है कि अवधि 2015–20 के दौरान राज्य सरकार के समग्र ऋण के अन्तर्गत आंतरिक ऋण वर्ष 2015–16 में ₹ 2,40,836 करोड़ से 68 प्रतिशत बढ़कर 2019–20 में ₹ 4,05,049 करोड़ हो गया। वर्ष 2019–20 के दौरान आन्तरिक ऋण में विगत वर्ष की तुलना में 14.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि प्रस्तर 2.7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार ₹ 60,098 करोड़ के वास्तविक राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए आवश्क था। अवधि 2015–20 के दौरान केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम में कमी देखी गई है। अग्रेतर, लोकलेखा देनदारियों में 44 प्रतिशत की कमी मुख्य रूप से निक्षेप निधि के अवशेष ₹ 71,180.23 करोड़ के राजस्व प्राप्तियों में अन्तरण के कारण आयी थी। परिणामस्वरूप, राज्य का सकल ऋण वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में 3.03 प्रतिशत कम हो गया।

लोकऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत उपलब्ध निवल निधि का उनकी प्राप्तियों से प्रतिशत में, वर्ष 2015–16 (33.43 प्रतिशत) से वर्ष 2018–19 (16.04 प्रतिशत) तक कमी की प्रवृत्ति थी। लोकऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत निवल निधि, वर्ष 2019–20 के दौरान मुख्य रूप से निक्षेप निधि के अवशेष धनराशि के राजस्व प्राप्तियों के बुक अंतरण के कारण ऋणात्मक अर्थात् (–) ₹ 50,496 करोड़ हो गयी।

चार्ट 2.13 वर्ष 2019–20 के अन्त में राज्य सरकार के बकाया सकल ऋण की स्थिति को दर्शाता है।

---

[37] 2019–20 में कमी मुख्य रूप से मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स के करेतर राजस्व में अन्तरण के कारण थी।

चार्ट 2.13 : वर्ष 2019–20 के अन्त में बकाया सकल ऋण का ब्यौरा

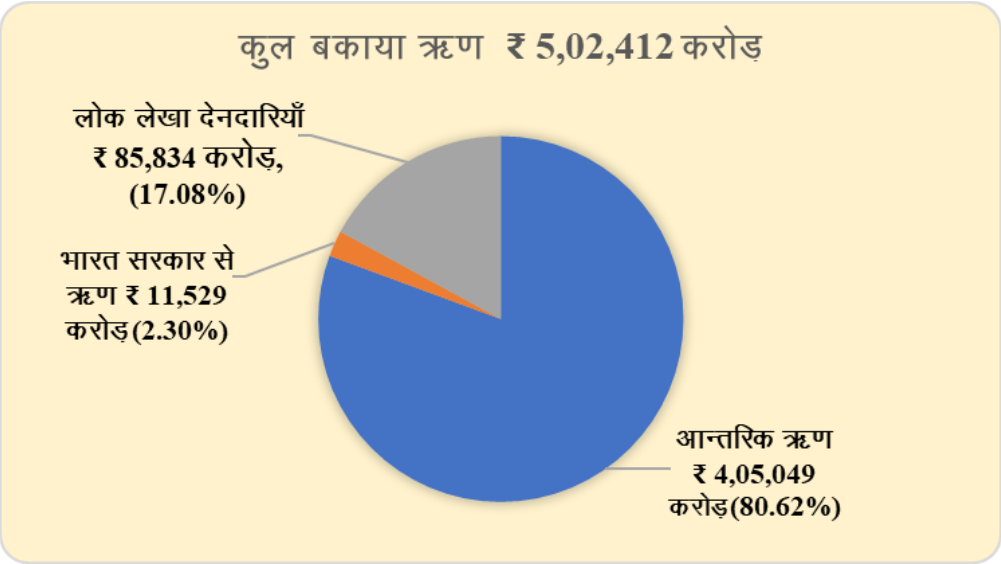

अवधि 2015–20 के दौरान लिये गये लोकऋण एवं उसके पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.14** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.14: अवधि 2015–20 के दौरान लिये गये लोकऋण के सापेक्ष पुर्नभुगतान

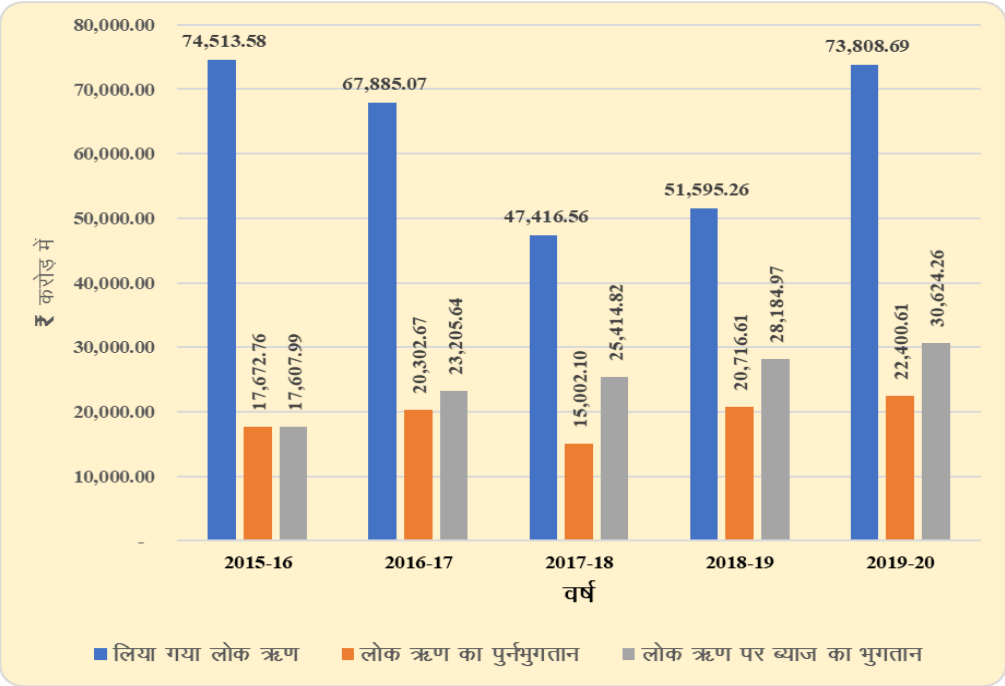

उपर्युक्त **चार्ट 2.14** से स्पष्ट है कि अवधि 2015–16 से 2019–20 के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी लोक ऋण प्राप्त धनराशि का 47 से 95 प्रतिशत का उपयोग पिछले लोकऋणों और ब्याज की देनदारियों के पुनर्भुगतान में किया, परिणामस्वरूप, लोक ऋण का मात्र 5 से 53 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध था। यह उपलब्धता वर्ष 2018–19 में न्यूनतम और वर्ष 2015–16 में अधिकतम थी। वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार ने अपनी ऋण प्राप्त धनराशि का 72 प्रतिशत पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान में उपयोग किया, परिणामस्वरूप मात्र 28 प्रतिशत धनराशि ही पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध थी।

2.7 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड–राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष–एक निर्दिष्ट अवधि में राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखे में घाटा प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन की विवेकशीलता का सूचक है। अग्रेतर, जिस तरह से घाटे को वित्तपोषित किया जाता है और संसाधनों को लागू किया जाता है, यह इसके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह खंड प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण और इन घाटों के वित्तपोषण के तरीके को प्रस्तुत करता है। प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों की समग्र स्थिति **तालिका 2.24** में दी गई है।

तालिका 2.24 : राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजकोषीय घाटे का संघटन		**(-)58,475**	**(-) 55,988**	**(-) 27,810**	**(-)35,203**	**(+) 11,083**
1	राजस्व घाटा/अधिशेष	(+)14,340	(+) 20,283	(+) 12,552	(+)28,250	(+)67,560
2	निवल पूंजीगत व्यय[38]	(-) 64,423	(-) 69,789	(-) 39,088	(-) 62,463	(-) 59,998
3	निवल ऋण एवं अग्रिम[39]	(-) 8,392	(-) 6,482	(-) 1,274	(-) 990	**(+)** 3,521
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरुप (निवल)						
1	बाजार ऋण	25,300.84	36,904.42	37,178.00	33,306.67	55,825.80
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 803.44	(-) 408.59	(-) 437.81	(-) 832.22	(-) 450.84
3	एनएसएसएफ को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	4,338.68	(-) 4,531.58	(-) 4,643.05	(-) 4,871.64	(-) 5,122.07
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	28,004.73	15,418.15	317.32	3,275.84	1,155.20
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	1,534.36	1,619.10	2,530.12	3,645.59	3,313.67
6	जमा एवं अग्रिम	(-) 1,542.84	(-) 300.62	1,413.38	2,196.34	(-) 2,089.80
7	उचन्त एव विविध	(-) 677.42	591.36	(-) 2,214.62	222.67	(-) 1,828.11
8	प्रेषण	(-) 196.61	747.79	(-) 3,906.31	312.67	313.50
9	आरक्षित निधि	2,560.53	7,225.02	8,264.72	13,544.71	(-) 68,298.52
10	आकस्मिकता निधि	157.21	(-) 176.04	(-) 154.96	(-) 166.65	629.73
11	सकल घाटा	**58,676.04**	**57,089.01**	**38,346.79**	**50,633.98**	**(-) 16,551.44**
12	नगद अवशेष में आधिक्य (-)/कमी (+)	**(-) 201.04**	**(-) 1,100.99**	**(-) 10,537.00**	**(-) 15,431.00**	**5,468.75**
13	**सकल राजकोषीय घाटा**	**58,475.00**	**55,988.02**	**27,809.79**	**35,202.98**	**(-) 11,082.69**

नोट: राजकोषीय घाटा के आकड़े संबंधित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं। वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में उदय को छोड़कर राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 34,143 करोड़ एवं ₹ 41,187 करोड़ था।

राजस्व अधिशेष, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में अंतर को दर्शाता है। राजस्व अधिशेष ऋण को कम करने में सहायक होता है। राजकोषीय घाटा सरकार के निवल वृद्धि शील दायित्वों या उसके अतिरिक्त ऋणों का प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का ब्यौरा राज्य द्वारा राजस्व और गैर ऋण प्राप्तियों से अधिक निधि की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न ऋणों का सहारा लेने की मात्रा को उद्घाटित करता है। राजकोषीय घाटा राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर राजस्व व्यय और ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय का आधिक्य है।

---

[38] निवल पूंजीगत व्यय = पूंजीगत प्राप्तियाँ (-) पूंजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक है।

[39] निवल ऋण एवं अग्रिम = ऋण एवं अग्रिमों की वसूली (-) संवितरित ऋण एवं अग्रिम; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान संवितरित ऋण एवं अग्रिम वसूली से अधिक है।

चूँकि अवधि 2015–20 के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था, बाजार ऋण, भारत सरकार से ऋण आदि सहित राजस्व लेखे पर अधिशेष का उपयोग पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए किया गया। अवधि 2015–20 के दौरान राजस्व अधिशेष में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। यह 2017–18 में न्यूनतम ₹ 12,552 करोड़ और 2019–20 में अधिकतम ₹ 67,560 करोड़ था। राजकोषीय घाटे मे 2015–19 के दौरान परिवर्तनशील प्रवृत्ति थी। राजकोषीय घाटा वर्ष 2015–16 में ₹ 58,475 करोड से घटकर 2017–18 में ₹ 27,810 करोड़ हो गया और फिर 2018-19 में बढ़कर ₹ 35,203 करोड़ हो गया। जबकि, 2019–20 में, राज्य सरकार ने ₹ 11,083 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष दर्शाया। तथापि, 2019–20 के दौरान राजस्व और राजकोषीय अधिशेष मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स के राजस्व प्राप्ति लेखे में अंतरण के कारण था। यदि वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य के राजकोष में बिना किसी वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के निक्षेप निधि के अवशेष के इस बुक अंतरण को छोड़ दिया जाये तो वास्तव में, राजस्व घाटा ₹ 3,620.09 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 60,097.54 करोड़ था ।

2.7.1 ऋण रूपरेखाः परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान रूपरेखा ऋण के पुनर्भुगतान या ऋण के सर्विस के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 31 मार्च 2020 को ₹ 5,02,412 करोड़ के बकाया समग्र ऋण/सकल बकाया वित्तीय दायित्वों में से ₹ 85,834 करोड़ लोक लेखे/अन्य दायित्वों की देनदारियों से संबंधित हैं। लोक ऋण (₹ 4,16,578 करोड़) की परिपक्वता रूपरेखा **तालिका 2.25** एवं **चार्ट 2.15** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.25 : राज्य ऋण भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	धनराशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत (लोक ऋण के संदर्भ में)
0 – 1	24,711.75	5.93
1 – 3	50,751.85	12.18
3 – 5	48,491.48	11.64
5 – 7	89,578.87	21.51
7 एवं अधिक	1,98,881.08	47.74
अन्य[40] (राज्य सरकार से मिलान के अधीन)	4,162.56	1.00
योग	**4,16,577.59**	**100.00**

स्रोतः वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे

चार्ट 2.15 : ऋण परिपक्वता रूपरेखा

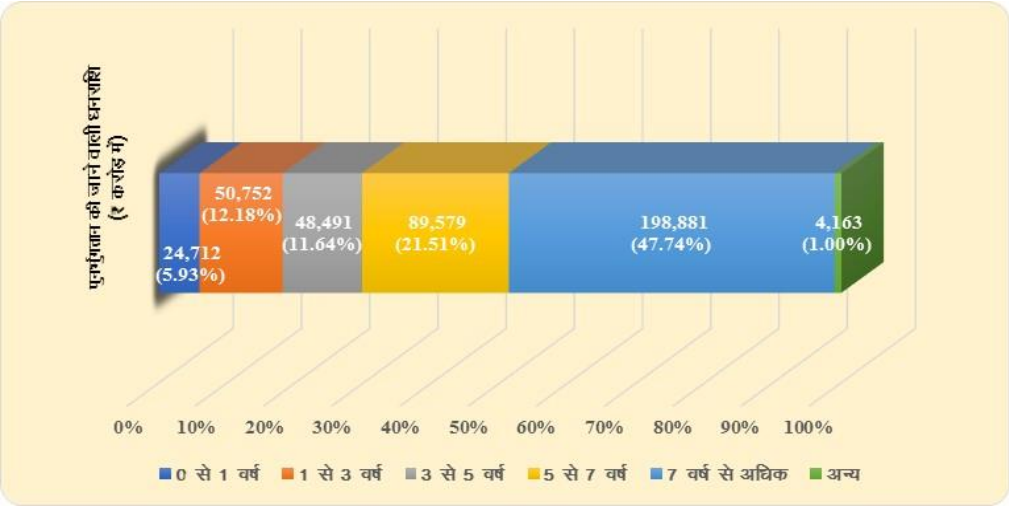

40 इस धनराशि की भुगतान अनुसूची का रख–रखाव महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा नहीं किया जाता है

लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि वर्ष 2020–21, 2021–23, 2023–25 और 2025–27 की अवधि के दौरान ऋण चुकाने के लिए राज्य की देयता क्रमशः ₹ 24,711.75 करोड़ (5.93 प्रतिशत), ₹ 50,751.85 करोड़ (12.18 प्रतिशत), ₹ 48,491.48 करोड़ (11.64 प्रतिशत) और ₹ 89,578.87 (21.51 प्रतिशत) होगी। अग्रेतर, कुल लोक ऋण के ₹ 1,98,881.08 करोड़ (47.74 प्रतिशत) का सात वर्षों के बाद भुगतान किया जायेगा।

2.7.2 ऋण संवहनीयता

ऋण संवहनीयता को भविष्य में अपनी ऋण देयता की सर्विस करने की राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए ऋण की संवहनीयता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल संपत्ति की पर्याप्तता और ऐसे उधारों से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि की ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के साथ तारतम्यता होनी चाहिए। ऋण संवहनीयता संकेतक **चार्ट 2.16** में दर्शाए गए हैं और **तालिका 2.26** में संक्षेपित हैं।

चार्ट 2.16 : ऋण संवहनीयता संकेतांक

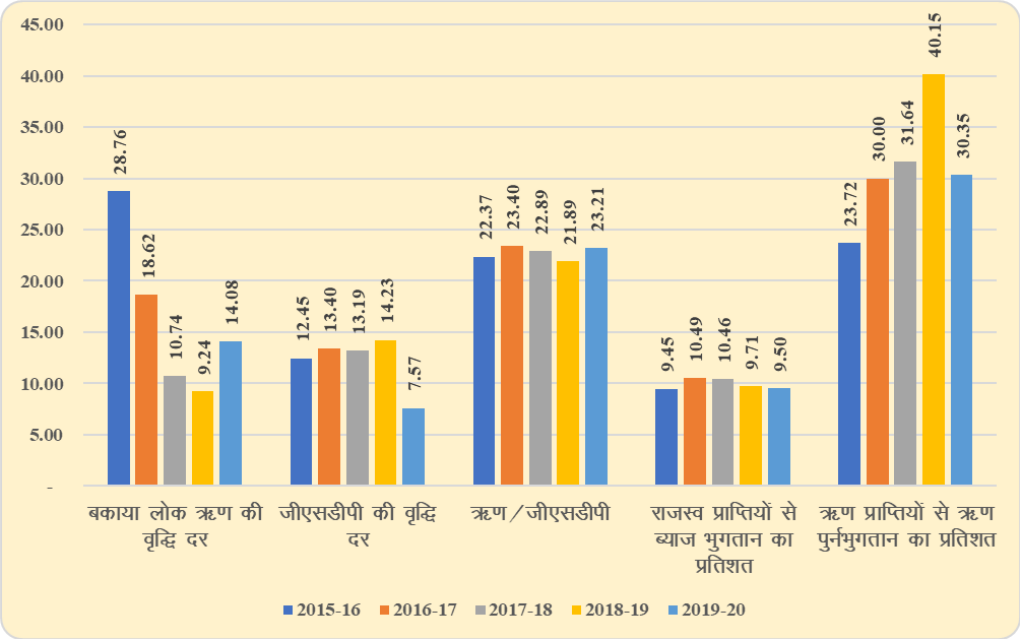

तालिका 2.26 : ऋण संवहनीयता संकेतक की प्रवृत्ति

ऋण संवहनीयता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया लोक ऋण[41] (₹ करोड़ में)	2,54,494	3,01,877	3,34,291	3,65,170	4,16,578
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	28.76	18.62	10.74	9.24	14.08
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	11,37,808	12,90,289	14,60,443	16,68,229	17,94,508
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.45	13.40	13.19	14.23	7.57
लोक ऋण / जीएसडीपी	22.37	23.40	22.89	21.89	23.21
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.79	8.34	7.99	8.06	7.83

[41] बकाया लोक ऋण मुख्यशीर्ष 6003–आंतरिक ऋण तथा 6004–केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम में अवशेष का योग है

ऋण संवहनीयता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	7.75	9.03	9.12	8.54	8.36
लोक ऋण भुगतान का लोक ऋण प्राप्तियों से प्रतिशत	23.72	30.00	31.64	40.15	30.35
राज्य के लिए उपलब्ध निवल लोक ऋण[42]	39,233	24,177	7,000	2,694	20,784
ऋण प्राप्तियों[43] के सापेक्ष निवल लोक ऋण की उपलब्धता प्रतिशतता में	52.65	35.72	14.76	5.22	28.16
ऋण संवहनीयता[44] (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक घाटा)	11,48,915	14,98,446	17,39,639	22,49,938	(-) 62,415

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

ऋण संवहनीयता ऋण विमोचन (मूलधन एवं ब्याज भुगतान) के सकल ऋण प्राप्तियों से अनुपात और उपलब्ध ऋण धनराशि के प्रयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण विमोचन का ऋण प्राप्तियों से अनुपात पूंजीगत व्यय हेतु लिये गये ऋण की शुद्ध उपलब्धता को इंगित करते हुये यह दर्शाता है कि ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन में किस सीमा तक किया गया।

तालिका 2.26 का विश्लेषण इंगित करता है कि राज्य का कुल बकाया लोक ऋण वर्ष 2015–16 के ₹ 2,54,495 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹ 4,16,578 करोड़ हो गया। वर्ष 2019–20 के दौरान इसमे विगत वर्ष की तुलना में 14.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि ब्याज और अवशेष ऋण के भुगतान के पश्चात् वर्तमान परिचालनों के लिए उपलब्ध निवल ऋण की राशि लगातार घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 39,233 करोड़ से 2018–19 में ₹ 2,694 करोड़ हो गई और वर्ष 2019–20 में बढ़कर ₹ 20,784 करोड़ हो गई, यद्यपि यह लिए गए कुल ऋण का मात्र 28.16 फीसदी थी।

राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज भुगतान का अनुपात राज्य की ऋण संवहनीयता को निर्धारित करता है। वर्ष 2019–20 के दौरान ब्याज भुगतान में विगत वर्ष की तुलना में 0.23 प्रतिशत बिन्दुओं की कमी आई और यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 8.36 प्रतिशत पर संस्थापित हुई। यह 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित अनुपात (7.38 प्रतिशत) से अधिक था। इस प्रकार, ऋण स्थिरता वर्ष 2015–16 में ₹ 11,48,915 करोड़ की तुलना मे घटकर वर्ष 2019–20 के लिए (–) ₹ 62,415 करोड़ हो गया था। वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान औसत ऋण भुगतान व्यय ₹ 44,226.49 करोड़ था, जो इसी अवधि में औसत लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 63,003.83 करोड़) का 70.20 प्रतिशत था, जिसका अर्थ है कि ऋण का एक बड़ा प्रतिशत ऋण भुगतान के लिए प्रयोग किया जा रहा था।

---

42 राज्य सरकार के लिए निवल लोक ऋण उपलब्धता की गणना लोक ऋण की अदायगी तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

43 लोक ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लोक ऋण की उपलब्धता ऋण प्राप्तियों के उस स्तर को दर्शाती हैं जिस स्तर तक ऋण प्राप्तियों का पुराने ऋण के विमोचन में उपयोग किया गया है।

44 क्वांटम स्प्रेड=ऋण स्टाक x इंटरेस्ट स्प्रेड एवं इंटरेस्ट स्प्रेड=(जीएसडीपी वृद्धि दर–औसत ब्याज दर)

2.7.2.1 उधार लिये गये निधि का उपयोग

उधार लिये गये निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूंजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान उपयोग और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी को पूरा करने के लिए ऋण ली गई धनराशि का उपयोग स्थिर नहीं है। उधार ली गई धनराशि की स्थिति को **तालिका 2.27** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27 : ऋण ली गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	लोक ऋण प्राप्तियाँ	74,514	67,685	47,417	51,595	73,809
2	पूर्व के ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	17,673 (23.72)	20,303 (30.00)	15,002 (31.64)	20,717 (40.15)	22,401 (30.35)
3	शुद्ध पूंजीगत व्यय (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	64,423 (86.46)	69,789 (103.11)	39,088 (82.43)	62,463 (121.06)	59,998 (81.29)
4	निवल ऋण एवं अग्रिम (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	8,392 (11.26)	6,482 (9.58)	1,274 (2.69)	990 (1.92)	(-)3,521 (-) 4.77
5	निवल उपलब्ध ऋण से किये गये राजस्व व्यय का भाग क्र.सं. 5 = क्र.सं. (1-2-3-4) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	-15,974 (- 21.44)	-28,889 (- 42.68)	-7,947 (-16.76)	-32,575 (-63.14)	-5,069 (-6.87)

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि 2015–16 से 2019–20 की अवधि में ऋण (लोक ऋण) पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत किये गये व्यय से कम था, अर्थात् लोक ऋण का भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं ऋण और अग्रिमों के वितरण, जिसका तात्पर्य है कि 2015–16 से 2019–20 की अवधि में राज्य के राजस्व अधिशेष से पूंजीगत लेखे पर व्यय की पूर्ति भी की गयी। तथापि जैसा कि **प्रस्तर 2.6.1** में चर्चा की गयी है, राज्य सरकार द्वारा 2019–20 की अवधि में पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज देयता इसकी लोक ऋण प्राप्ति के 47 प्रतिशत से 95 प्रतिशत था। इस प्रकार लोक ऋण का केवल 5 प्रतिशत से 53 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिये उपलब्ध था।

2.7.2.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति–आकस्मिक देयताए

प्रत्याभूति उधारकर्ता, जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक की स्थिति में यह राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

वित्त लेखे का विवरण संख्या 20 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण दर्शाता है। इस संकलन में विवरण सीधे राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों की प्रत्याभूति और बकाया प्रत्याभूति की अधिकतम राशि **तालिका 2.28** में दी गई है।

तालिका 2.28 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति की स्थिति

(₹ करोड. में)

प्रत्याभूति	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	78,825.64	66,702.21	74,303.03	90,662.48	1,32,499.27
ब्याज सहित प्रत्याभूति की बकाया राशि#	57,618.35	55,825.49	74,841.22	1,10,032.12	1,18,696.49

#ब्याज की सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी

अवशेष प्रत्याभूति वर्ष 2018–19 के ₹ 1,10,032.12 करोड़ से 7.87 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹ 1,18,696.49 करोड़ हो गयी, यह राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 3,66,393 करोड़) का 32.40 प्रतिशत था। वर्ष 2019–20 में बकाया निवल प्रत्याभूति में वृद्धि ₹ 4,439.64 करोड़ की थी, जो कि जीएसडीपी का लगभग 0.25 प्रतिशत है। 31 मार्च 2020 को सकल बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,18,696.49 करोड़ थी, जो मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र की चार कंपनियों (₹ 94,251 करोड़), औद्योगिक विकास विभाग (₹ 12,010 करोड़), लोक निर्माण विभाग (₹ 4,844 करोड़) और सहकारिता एवं चीनी उद्योग विकास विभाग (₹ 4,803 करोड़) से संबंधित थी। ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के सापेक्ष प्रत्याभूति ऋण/ओवरड्राफ्ट की अदायगी, बांड/डिबेंचर निर्गत करके एकत्र की गई धनराशि और निर्धारित दरों पर ब्याज के भुगतान के लिए दी गई थी।

अग्रेतर, वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार द्वारा उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए प्रत्याभूति की अधिकतम राशि ₹ 27,280.31 करोड़ के सापेक्ष ₹ 28,371.91 करोड़ की धनराशि की प्रत्याभूति दी गयी थी और यूपीईआईडीए के लिए प्रत्याभूति की अधिकतम राशि ₹ 10,509.64 करोड़ की तुलना मे ₹ 12,009.64 करोड़ की प्रत्याभूति प्रदान की गयी। इस प्रकार सरकार द्वारा प्रत्याभूति हेतु निर्धारित अधिकतम राशि से अधिक धनराशि की प्रत्याभूति प्रदान की गयी थी।

2.7.3 नकदी का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद अवशेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन अवशेष न्यूनतम सहमत धनराशि कम हो जाती है, तो समय–समय पर सामान्य आर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष आर्थोपाय अग्रिम (एसडब्ल्यूएमए)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य डब्ल्यूएमए की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद अवशेष को भारत सरकार की लघु और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को शीर्ष '0049–ब्याज प्राप्तियां' के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद अवशेष को समेकित निक्षेप निधि एवं प्रत्याभूति विमोचन निधि में भी निवेश किया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार अधिक नकद अवशेष होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा ले क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकद अवशेष में और वृद्धि होती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान नकद अवशेष तथा राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेष में से किए गए निवेश को **तालिका 2.29** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.29 : वर्ष 2019–20 के दौरान नकद अवशेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2020 को अन्तिम अवशेष
अ. सामान्य नकद अवशेष		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	171.10	236.04
अन्य बैकों के पास जमा	0.00	0.00
पारगमन में प्रेषण–स्थानीय	0.00	0.00
योग	171.10	236.04
नकद अवशेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	26,684.36	21,150.71
योग (अ)	**26,855.46**	**21,386.75**
ब. अन्य नकद अवशेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण, वन अधिकारी के पास नकद	10.96	10.91
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.49	0.50
निर्धारित निधियों में निवेश	45.20	45.20
योग (ब)	**56.65**	**56.61**
योग (अ+ब)	**26,912.11**	**21,443.36**

स्रोतः वित्त लेखा 2019–20

वर्तमान वर्ष के अंत में राज्य सरकार की नकद अवशेष धनराशि ₹ 21,443.36 करोड़ थी। वर्ष 2018–19 के अंत में अवशेष की तुलना में इसमें ₹ 5,468.75 करोड़ (20.32 प्रतिशत) की कमी आई। वर्ष 2019–20 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा में निवेश का प्रारंभिक अवशेष ₹ 26,684.36 करोड़ था। ₹ 4,93,843 करोड़ के ट्रेजरी बिल खरीदे गए और ₹ 4,99,376.65 करोड़ की धनराशि के इन इन्स्ट्रूमेंट को बेच दिया गया, जिससे वर्ष के अंत में लेखे में ₹ 21,150.71 करोड़ की धनराशि अवशेष रही। ट्रेजरी बिलों और भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 582.23 करोड़ और ₹ 13.92 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

नकद अवशेष निवेश लेखे के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के ट्रेजरी बिलों में निवेश करने के राज्य सरकार के संव्यवहार वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 1,43,679 करोड़ से लगातार बढ़कर वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 5,44,061 करोड़ हो गये लेकिन वर्ष 2019–20 के दौरान यह घटकर ₹ 4,93,843 करोड़ हो गये। नकद अवशेष निवेश लेखे के अनुरूप, नकद अधिशेष अवधि 2015–16 से 2018–19 के दौरान (–) ₹ 213 करोड़ से बढ़कर ₹ 26,855 करोड़ हो गया जो वर्ष 2019–20 के दौरान घटकर ₹ 21,387 करोड़ हो गया। राज्य सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण और राज्य सरकार के पास उपलब्ध नकद अवशेष की स्थिति **चार्ट 2.17** में प्रस्तुत की गई है।

चार्ट 2.17 : अवधि 2015–20 के दौरान बाजार ऋण के सापेक्ष नकद अवशेष

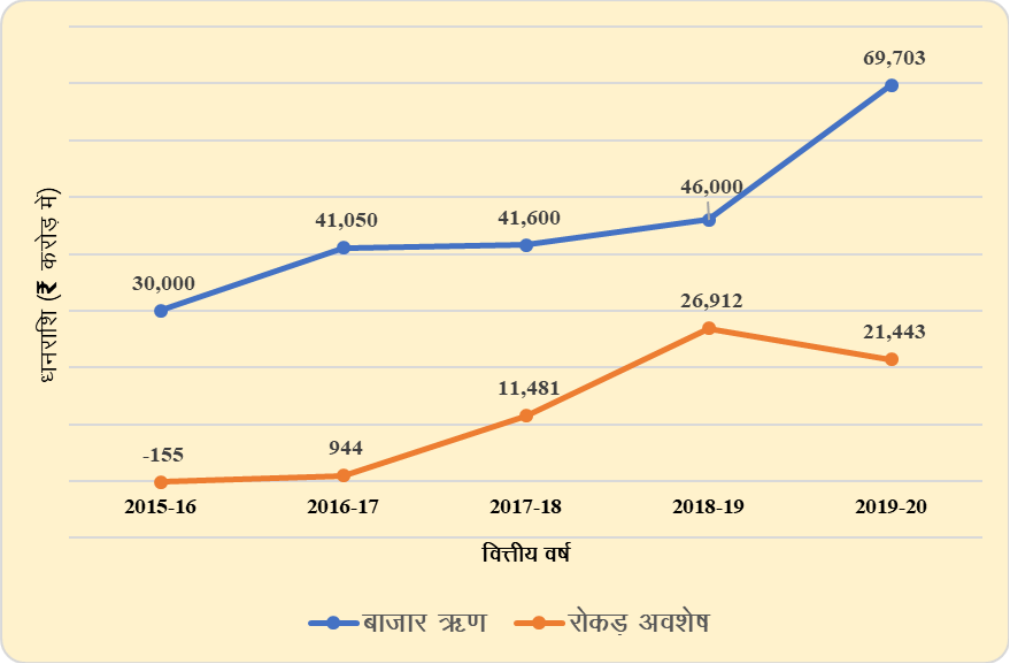

XIIIवें वित्त आयोग (एफसी) ने अत्यधिक नकदी अवशेष रखने वाली राज्य सरकारों द्वारा नए ऋण का सहारा लेने से पहले अपने मौजूदा नकद अवशेष का उपयोग करने की दिशा में प्रयास की अनुशंसा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया था कि अधिक नकद अवशेष आधिक्य का संचय राज्य सरकार के ऋण पर ब्याज लागत के भार को बढ़ाता है, यदि यह उधार के संसाधनों से निर्मित है[45]।

2.7.3.1 नकद अवशेष में भिन्नता

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत अवशेष धनराशि की पुष्टि के प्रमाण पत्र के अनुसार, राज्य के पास ₹ 154.61 करोड़ का क्रेडिट अवशेष था जबकि माह 31 मार्च 2020 को राज्य का अंतिम नकद अवशेष जैसा कि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा प्रमाणित किया गया, ₹ 236.04 करोड़ था। इस प्रकार, राज्य सरकार के नकद अवशेषों, जैसा कि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा गणना की गयी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया (31.03.2020 को), में पिछले वर्षों के अवशेष सहित ₹ 81.43 करोड़ का अंतर था जो समाधान के अधीन था।

अग्रेतर, एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी खाते में विलम्ब से प्रेषण/दोहरे/गलत भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान किया जाना वांछनीय है। इस आधार पर, अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2019 की अवधि के लिए सरकारी खाते में ₹ 714.31 करोड़ की धनराशि के विसंगतिपूर्ण मदों के सापेक्ष एजेंसी बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 4.69 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का दावा किया गया, यद्यपि, बैंकों द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। यह प्रकरण महालेखाकार (ले0 एवं हक0) उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया गया (अगस्त 2020) और इसके बाद, कोषागार निदेशालय ने राज्य के कोषागारों को संबंधित एजेंसी बैंकों से दंडात्मक ब्याज का दावा करने का निर्देश दिया (सितम्बर 2020)। तथापि, वर्ष 2019–20 के दौरान इस संबंध में आरबीआई/बैंकों द्वारा राज्य के खाते में दावा किया गया कोई ब्याज जमा नहीं किया गया। 2015–20 की अवधि में नकद अवशेष निवेश लेखा और उस पर अर्जित ब्याज की स्थिति को **तालिका 2.30** में दर्शाया गया है।

[45] XIVवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.40 एवं 4.41

तालिका 2.30: नकद अवशेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष–8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	अंतिम अवशेष	वृद्धि (+) / कमी (-)	अर्जित ब्याज
2015-16	595.35	1,196.44	601.09	113.76
2016-17	1,196.44	2,168.23	971.79	578.36
2017-18	2,168.23	11,159.38	8,991.15	486.61
2018-19	11,159.38	26,684.36	15,524.98	1088.56
2019-20	26,684.36	21,150.71	(-)5,533.65	596.15

वर्ष 2019–20 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश के माहवार प्रवाह को **चार्ट 2.18** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.18 : वर्ष 2019–20 के दौरान नगद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश का माहवार प्रवाह

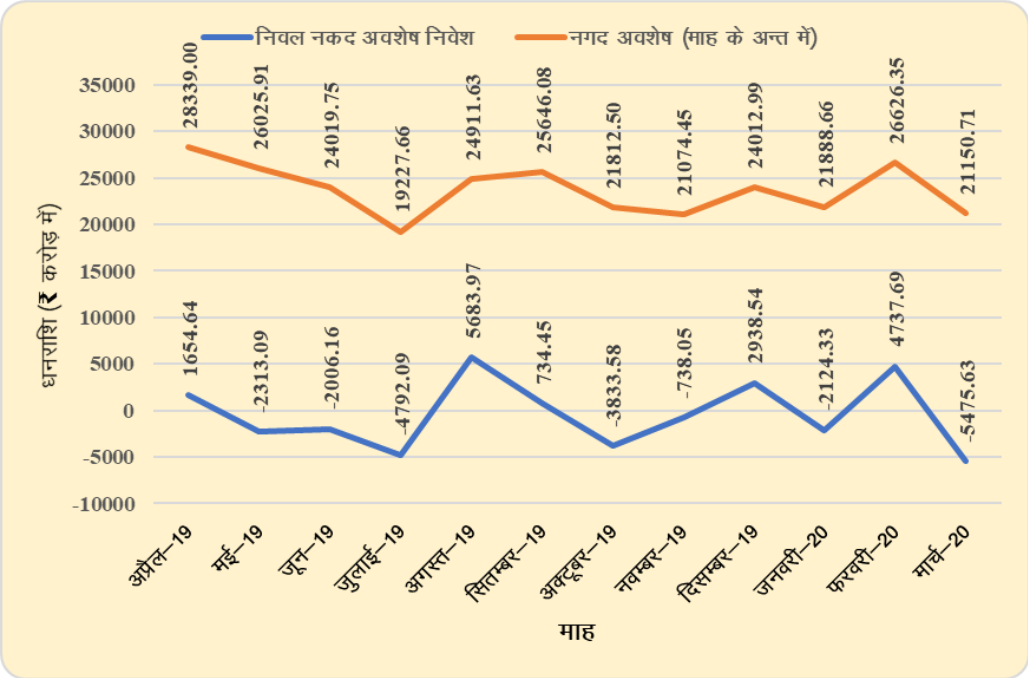

2.8 संस्तुतियाँ

- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि की अवशेष धनराशि को वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निवेशित किया जाये न कि यह केवल बुक प्रवृष्टि हो। समेकित निक्षेप निधि में पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में वांछित है, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निधि में वार्षिक अंशदान बकाया देयताओं का कम से कम 0.5 प्रतिशत हो। अग्रेतर, निधि से अन्तरण को राजस्व प्राप्तियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिये और ऋण के विमोचन पर ऋण के पुनर्भुगतान के समान धनराशि को निक्षेप निधि से मुख्य शीर्ष 8680 (विविध शासकीय लेखे) में अन्तरित किया जाना चाहिये।*
- *राज्य सरकार को एसडीआरएफ की अवशेष धनराशि को "ब्याज सहित आरक्षित निधियां" श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों में अन्तरित करना चाहिए और एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार उपार्जित*

ब्याज को निधि में प्रेषित करना चाहिए। राज्य सरकार को एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधि में अवशेष धनराशि का निवेश भी करना आवश्यक है।

- *राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन एवं परिचालन करना चाहिये। राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्याभूति शुल्क की शीघ्र वसूली हो। सरकार को उन संस्थाओं की वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिये जिन्होंने प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया है और/या जिनके लेखे बकाया हैं। अग्रेतर, प्रत्याभूति शुल्क का संग्रहण/लेखांकन मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुरूप किया जाना चाहिये।*

अध्याय - III

बजटीय प्रबन्धन

अध्याय–III

बजटीय प्रबन्धन

यह अध्याय बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता, जिसमें अनुपूरक अनुदानों और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन शामिल हैं, यह आंकलन करते हुए कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को धन के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया है, से संबंधित है।

3.1 बजट प्रक्रिया

वार्षिक बजट की कार्यवाही, सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश देने का एक साधन है। उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (यूपीबीएम) उत्तर प्रदेश सरकार हेतु बजट तैयार करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।

यूपीबीएम के प्रस्तर–8 के अनुसार "वित्त विभाग वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। विभागीय अधिकारियों एवं सचिवालय के प्रशासनिक विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। विभागाध्यक्ष और अन्य प्राक्कलन अधिकारी जिससे वह सम्बन्धित हैं प्रत्येक लेखा शीर्ष के लिए अनुमान तैयार करते हैं और इन्हें वित्त विभाग को अग्रेषित करते हैं"। बजट अनुमान वित्त विभाग को निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बजट को अंतिम रूप देने के बाद उसमें नए व्यय के प्रावधान को शामिल करने के बाद, इसे संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत राज्यपाल की संस्तुति पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। विधान सभा द्वारा अनुदानों पर मतदान हो जाने के बाद, राज्य की संचित निधि से मतदेय एवं भारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक धन के विनियोग के लिए विधान सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक जब विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और इसे राज्यपाल की सहमति भी प्राप्त हो जाती है, तो उसमें दर्शायी गई धनराशि संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जा सकती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 में प्रावधान है कि वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में पारित प्रावधानों पर अनुपूरक अनुदान या विनियोग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जहां उस वर्ष, जिसके लिए विनियोग अधिनियम के प्रावधान अपर्याप्त पाए जाते हैं या जब वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है अथवा यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की जा रही है, जिसकी मूल बजट में परिकल्पना नहीं की गई थी।

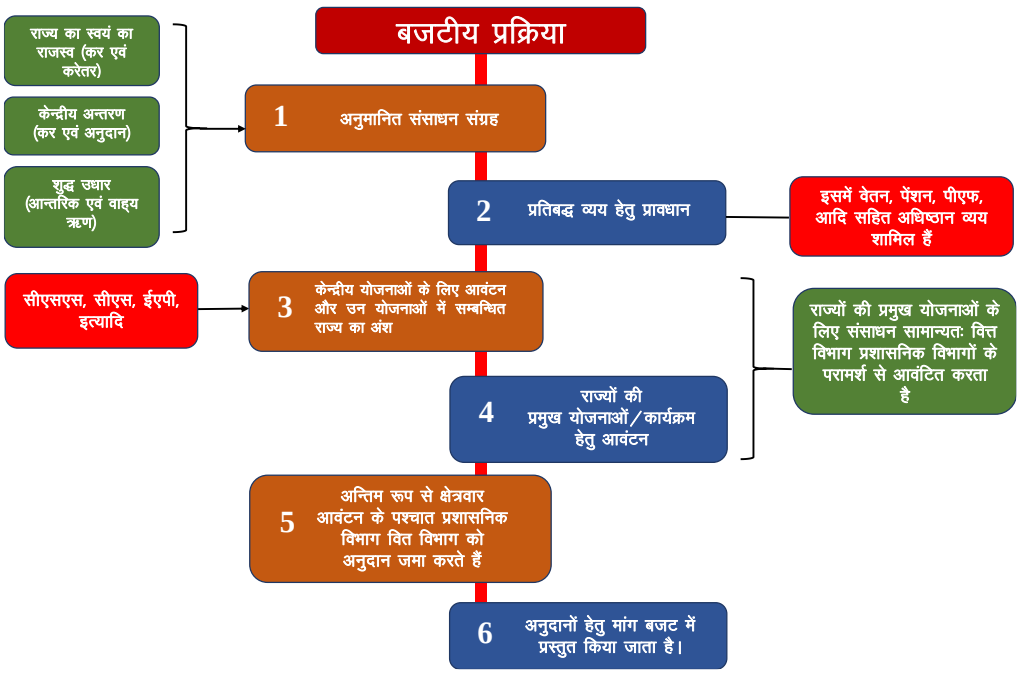

सीएसएस: केन्द्र प्रायोजित योजनाएं; सी.एस.: केन्द्रीय योजनाएं।

अनुपूरक अनुदान के अलावा, पुनर्विनियोग का उपयोग उसी अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत निधियों के पुनः आवंटन के लिए भी किया जा सकता है। पुनर्विनियोग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोग की एक इकाई से बचत का स्थानांतरण उसी अनुदान के अन्दर (अर्थात राजस्व–मतदेय, राजस्व–भारित, पूंजीगत–मतदेय, पूंजीगत–भारित) अनुदान या आरोपित विनियोग किसी अन्य इकाई के अन्तर्गत मौजूदा सेवा पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है । वर्ष 2019–20 के बजट के विभिन्न घटकों को दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है।

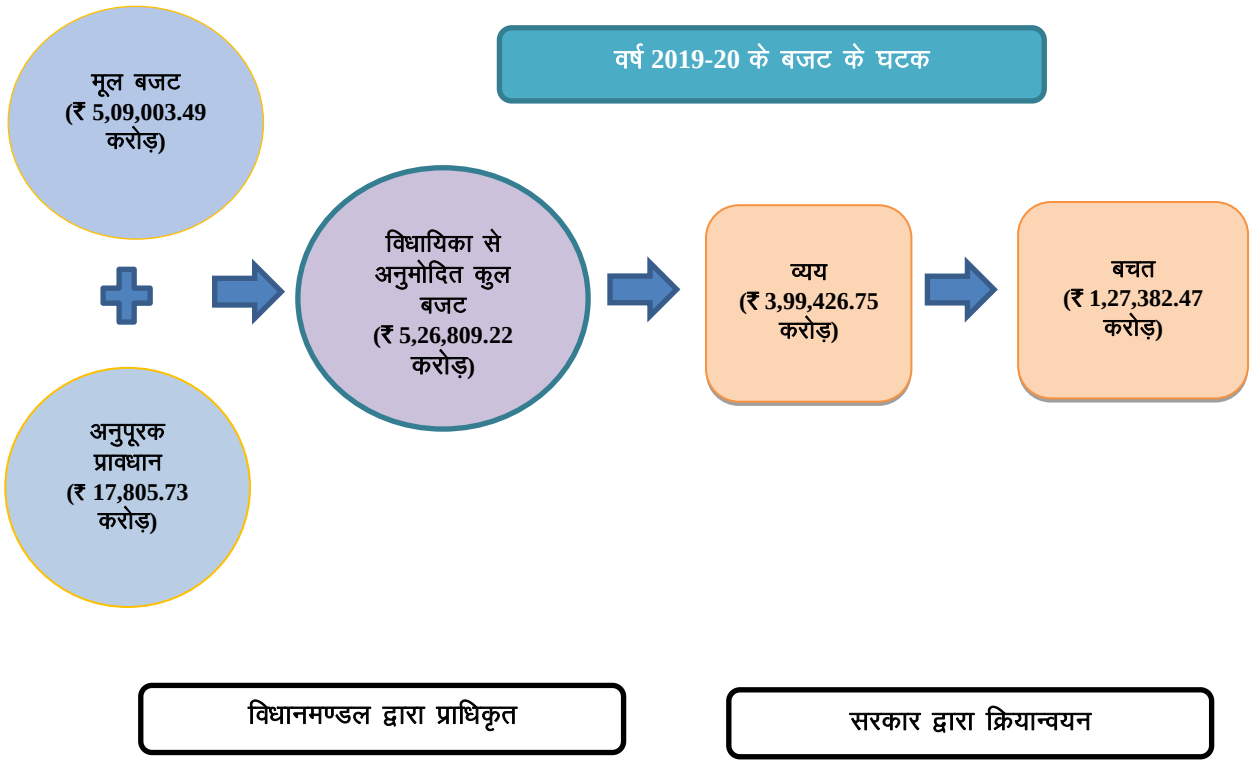

स्रोत : उ.प्र. वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुपूरक अनुदान एवं वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत बजट के भारित और मतदेय दोनों मदों के संबंध में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी व्यय और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं और विनियोग लेखे में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। सीएजी द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अधीन किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकार के अधीन है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभारित किए जाने के लिए आवश्यक व्यय प्रावधानों के अधीन प्रभारित है। यह भी पता चलता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.1.1 2019–20 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधानों, व्यय और बचत की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: 2019-20 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत

(₹ करोड में)

	कुल बजट प्रावधान		व्यय		बचत	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
राजस्व	3,30,196	58,007	2,66,083	35,367	64,113	22,640
पूंजीगत	1,03,193	35,413	75,556	22,420	27,637	12,993

स्रोत : 2019–20 के विनियोग लेखे का सारांश

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व मतदेय के अधीन बजट प्रावधान ₹ 3,30,196 करोड़ था, जबकि इसके सापेक्ष व्यय ₹ 2,66,083 करोड़ (बजट प्रावधानों का 80.58 प्रतिशत) और राजस्व भारित के अधीन बजट प्रावधान ₹ 58,007 करोड़ था, जिसके सापेक्ष व्यय ₹ 35,367 करोड़ (बजट प्रावधानों का 60.97 प्रतिशत) था। इस प्रकार, वास्तविक व्यय बजट प्रावधानों से अत्यन्त कम था।

इसी प्रकार, पूंजीगत मतदेय के अधीन बजट प्रावधान ₹ 1,03,193 करोड़ था और व्यय ₹ 75,556 करोड़ (कुल प्रावधान का 73.22 प्रतिशत) था और पूंजीगत भारित के लिए प्रावधान ₹ 35,413 करोड़ एवं प्रावधान के सापेक्ष कुल व्यय ₹ 22,420 करोड़ (बजट प्रावधानों का 63.31 प्रतिशत) था जो पुनः कुल बजट प्रावधान से अत्यन्त कम था।

3.1.2 भारित और मतदेय व्यय

2015-20 की अवधि के दौरान कुल भारित और मतदेय व्यय और उनके सापेक्ष बचतों का वर्गीकरण **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: वर्ष 2015-20 के दौरान मतदेय तथा भारित व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व				पूंजीगत			
	व्यय		बचत		व्यय		बचत	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
2015-16	1,85,503	28,777	31,591	826	86,430	17,702	8,246	3,732
2016-17	2,01,666	38,072	28,724	510	89,186	20,309	14,129	4,767
2017-18	2,26,083	41,806	59,686	4,111	51,973	15,014	23,000	6,972
2018-19	2,47,287	58,976	51,703	433	82,792	20,729	27,377	9,838
2019-20	2,66,083	35,367	64,113	22,640	75,556	22,420	27,637	12,993

स्रोतः विनियोग लेखे का सम्बन्धित वर्षों का सारांश

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि 2015-20 की अवधि के दौरान राजस्व मतदेय के अधीन व्यय ₹ 1,85,503 करोड़ से सतत रूप से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 2,66,083 करोड़ हो गया है। तथापि, राजस्व मतदेय में बचत 2015–16 में 14.55 प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 19.42 प्रतिशत हो गयी जो नियोजन एवं क्रियान्वयन के मध्य अन्तर को प्रदर्शित करती है।

अग्रेतर, 2015–19 के मध्य राजस्व भारित के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि हुई है किन्तु वर्ष 2018–19 की तुलना में 2019–20 में 40.03 प्रतिशत की कमी हुई है। यह मुख्य रूप से वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय) के राजस्व भारित अनुभाग में ₹ 22,455 करोड़ की बचत के कारण हुआ है।

इसी प्रकार, पूंजीगत मतदेय अनुभाग के अधीन व्यय 2015-20 की अवधि के दौरान परिवर्तनशील था एवं यह वर्ष 2016-17 के दौरान उच्चतम और वर्ष 2017-18 के दौरान न्यूनतम था। वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत मतदेय अनुभाग के अधीन व्यय ₹ 75,556 करोड़ था जो वर्ष 2018-19 के दौरान संवितरित की गई राशि से 8.74 प्रतिशत कम था।

3.2 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार कानून द्वारा पारित किए गए विनियोग के बजाय राज्य की संचित निधि से कोई धनराशि नहीं निकाली जाएगी। निर्धारित प्रक्रिया से विचलन इस अनुभाग में चर्चा किए जा रहे हैं।

3.2.1 बिना विधायी प्राधिकार के व्यय

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा भूमि के क्रय एवं कार्यालय भवन समूह के निर्माण पर व्यय ₹ 51.21 करोड़ के विधायी प्राधिकार सुनिश्चत करने में असफल रही।

विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 की धारा 17 और धारा 22 की उप–धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) की अधिसूचना दिनांक 10 सितंबर 1998 द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) की स्थापना हुई। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया (नवंबर 2000) के अनुसार, यूपीईआरसी अपने द्वारा संग्रहीत किए गए शुल्क को कोषागार में जमा करेगा और राज्य सरकार यूपीईआरसी को सहायता अनुदान आवंटित करेगी। इसके बाद, विद्युत अधिनियम, 2003 ने प्रावधानित किया कि यूपीईआरसी द्वारा प्राप्त सभी शुल्क यूपीईआरसी निधि में जमा किए जाएंगे और राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के परामर्श से, यूपीईआरसी के व्ययों को पूरा करने के लिए निधि को व्यय करने का तरीका निर्धारित कर सकती है। तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक यूपीईआरसी निधि की स्थापना नहीं की है और यूपीईआरसी को सहायता अनुदान निर्गत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया (नवंबर 2000) का पालन जारी रखा गया था। तदनुसार, राज्य सरकार ने यूपीईआरसी को अनुदान संख्या 09 (ऊर्जा विभाग) में मद शीर्ष–2045 (वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क) – 103 (संग्रहण प्रभार ईडी) – 04 (यूपीईआरसी) के अधीन मानक मदों 31–वेतन और 20–गैर–वेतन शीर्ष के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्रदान किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार ने यूपीईआरसी को आवंटित भूमि पर कार्यालय भवन निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (सितम्बर 2010) प्रदान की। यूपीईआरसी ने राज्य सरकार से कार्यालय भवन के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं ₹ 24.47 करोड़ (वर्ष 2010-11 में ₹ 14.07 करोड़ और वर्ष 2011-12 में ₹ 10.40 करोड़) के आवंटन के लिए अनुरोध (नवंबर 2010) किया। तथापि, यूपीईआरसी ने प्रशासनिक अनुमोदन/निधि के आवंटन को प्राप्त किए बिना, भूमि की लागत तथा अन्य

प्रभारों हेतु ₹ 12.67 करोड़ का भुगतान (दिसंबर 2010) अपने पक्ष में भूमि के हस्तांतरण के लिए किया। राज्य सरकार ने बाद में, यूपीईआरसी को अवगत कराया (नवंबर 2013) कि भूमि की खरीद पर किए गए व्यय के कार्योत्तर अनुमोदन और भवन निर्माण पर होने वाले अनुमानित व्यय के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी तथा यूपीईआरसी के स्तर पर इसके अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। यद्यपि, राज्य सरकार का निर्देश विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 102 और 106 के उल्लंघन में था, जिसमें प्रावधान है कि यूपीईआरसी अपना बजट राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार, आयोग को ऐसी राशि के अनुदान और ऋण जो राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद, राज्य सरकार आवश्यक समझे कर सकती है। इसके अलावा, राज्य सरकार का निर्देश भी निर्धारित प्रक्रिया (नवंबर 2000) के अनुरूप नहीं था, जिसमें यूपीईआरसी को राज्य सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान से व्यय करने की बाध्यता थी।

31 मार्च 2020 तक यूपीईआरसी ने कार्यालय भवन के निर्माण पर ₹ 51.21 करोड़[46] व्यय किए थे। यह व्यय संविधान के अनुच्छेद 204 का उल्लंघन था, क्योंकि कार्यालय भवन के निर्माण हेतु यूपीईआरसी को सहायता अनुदान के लिए आवश्यक विधायी प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया था।

यूपीईआरसी ने उत्तर में बताया (जनवरी 2021) कि आयोग ने भूमि और भवन परियोजना के लिए बजट आवंटन हेतु राज्य सरकार से बार–बार अनुरोध किया था। यूपीईआरसी ने आगे तर्क दिया कि आयोग ने राज्य सरकार के आदेशों (सितंबर 2010 और नवंबर 2013) के अनुपालन में कार्य किया था।

अतएव आयोग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि यूपीईआरसी को राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से व्यय करना आवश्यक था। इस प्रकार, यूपीईआरसी द्वारा पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु मानक मद 35–अनुदान के अन्तर्गत बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से राज्य विधानमंडल द्वारा उचित प्राधिकार के बाद राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से किसी भी पूंजीगत प्रकृति का व्यय किया जाना था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (दिसंबर 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।

3.2.2 व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली (यूपीबीएम) के अनुसार, पूंजीगत और राजस्व के मध्य व्यय का वर्गीकरण निम्न प्रकार है।

(अ) पूंजीगत व्यय :– पूंजीगत व्यय को मुख्यतः भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। पूंजीगत, एक परियोजना के प्रथम निर्माण के लिए सभी प्रभारों के साथ–साथ सेवा के लिए नहीं खोले जाने तक काम के मध्यवर्ती रखरखाव के लिए प्रभार वहन करती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत ऐसे अग्रेतर परिवर्धन और सुधार के लिए अनुमोदित किए गए प्रभार भी वहन करती है।

(ब) राजस्व व्यय :– राजस्व व्यय प्रकृति में आवर्ती है और राजस्व प्राप्तियों से व्यय को पूरा करने हेतु उद्देशित है। अग्रेतर, भारत सरकार के लेखा मानक–2 (आईजीएएस–2) के अनुसार, सहायता अनुदान पर व्यय को अनुदानकर्ता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में और प्राप्तकर्ताओं की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलेखित किया जाना है। पूंजीगत परियोजनाओं के अनुरक्षण और रखरखाव का व्यय भी राजस्व व्यय में शामिल होता है।

[46] भूमि एवं अन्य प्रभार मूल्य ₹ 14.26 करोड़ एवं कार्यालय भवन परिसर के निर्माण में ₹ 36.95 करोड़।

तथापि, वर्ष 2019-20 के दौरान अनेक प्रकरणों में पूंजीगत के रूप में राजस्व और राजस्व के रूप में पूंजीगत के बीच त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण देखा गया, जैसा कि आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

3.2.2.1 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण

वित्त विभाग ने व्यय की आर्थिक प्रकृति को दर्शाने वाले विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में मानक मदों की एक सूची को अपनाया है। इस प्रकार, कुछ मानक मद केवल व्यय की राजस्व प्रकृति के अनुरूप हैं क्योंकि यह यूपीबीएम में परिभाषित परिसंपत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते हैं।

नीचे दी गई तालिका में सारांशित राजस्व प्रकृति मानक मदों के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था जैसा कि **तालिका 3.3** में वर्णित है।

तालिका 3.3: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मानक मद	मानक मद नामकरण	अनुदान संख्या	2019–20 के लिए बजट प्रावधान	2019–20 में वास्तविक व्यय
1	**15**	**वाहनों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद आदि:** इसमें पेट्रोल /डीजल हेतु प्रावधान एवं सरकारी कार्यालयों/ कार्यात्मक प्रतिष्ठानों/ अतिथिगृहों आदि के उपयोग हेतु मोटर वाहनों से संबंधित अनुरक्षण का प्रावधान शामिल है। सरकारी प्रयोजन हेतु मोटर वाहनों की अनुबंध आधार पर होने वाला व्यय भी इस मद में सम्मिलित है।	60	0.11	0.10
2	**16**	**वाणिज्यिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान:** इसमें कानूनी/ विशेषज्ञ सेवाओं पर खर्च, परामर्श सेवाओं के लिए शुल्क, परीक्षकों को देय राशि आदि शामिल हैं।	61 एवं 72	9.27	3.81
3	25	**लघु निर्माण कार्य:** जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–VI के प्रस्तर 314 में दिया गया है, ₹ 1.00 लाख से अधिक किन्तु ₹ 2.00 लाख लागत से कम के कार्य लघु कार्य हैं।	01, 04, 08, 10, 11, 13, 20, 22, 25, 26, 31, 32, 34, 36, 42, 46, 49, 50, 52, 55, 58, 59, 60, 65, 69, 72, 73, 75, 77, 81, 83, 87, 89, 92 एवं 94	92.76	73.00

क्र. सं.	मानक मद	मानक मद नामकरण	अनुदान संख्या	2019–20 के लिए बजट प्रावधान	2019–20 में वास्तविक व्यय
4	47	**कम्प्यूटर अनुरक्षण/ प्रासंगिक स्टेशनरी की खरीदः** इसमें कम्प्यूटरों के अनुरक्षण तथा कम्प्यूटर लेखन सामग्री, प्रिंटर रिबन/कार्ट्रिज आदि की खरीद पर व्यय शामिल है।	58, 72 एवं 73	0.24	0.10
		योग		**102.38**	**77.01**

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण ₹ 77.01 करोड़ के व्यय को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया है, जिसका राज्य के 2019–20 के दौरान राजस्व अधिशेष पर समान राशि का प्रभाव पड़ा है।

3.2.2.2 कुम्भ मेले से सम्बन्धित व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

कुम्भ मेले के व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण होने से ₹ 15.21 करोड़ को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में अंकित किया गया

सरकारी लेखा नियम, 1990 के नियम 30 में प्रावधान है कि पूंजीगत अनुभाग में वर्गीकृत किए जाने वाले पूंजीगत प्रकृति के व्यय को मुख्यतः एक भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस संपत्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इसके अलावा, एक अस्थायी संपत्ति पर व्यय को नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर, सामान्यतः पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, और पूंजीगत लेखे के शीर्ष पर डेबिट नहीं किया जाएगा।

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 के दौरान प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेला–2019 हेतु अनुदान संख्या–37 (नगर विकास विभाग) के पूंजीगत लेखे में अनुपूरक बजट (जुलाई 2019) में ₹ 349 करोड़, आवंटित किये थे, जैसा कि नीचे वर्णित है।

लेखा शीर्ष	विवरण
अनुदान संख्या–37 लेखा शीर्ष - 4070-800-06-24	अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूंजीगत परिव्यय–अन्य व्यय–कुंभ मेला 2019, प्रयागराज–वृहत निर्माण कार्य

तत्पश्चात, इस अनुपूरक आवंटन से ₹ 161.98 करोड़ की राशि को आर्थिक मितव्यता के रूप में 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित कर दिया गया था। तथापि, ₹ 437.61 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 250.59 करोड़ का अधिक व्यय हुआ, जिसके लिए सरकार द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया।

कुंभ मेले के इस अनुपूरक प्रावधान से व्यय के वाउचरों की नमूना जांच से पता चला कि पूंजीगत कार्यों के निष्पादन के प्रावधानों के विरुद्ध अस्थायी प्रकृति के कार्यों (जैसे अस्थायी घाटों का निर्माण, नदी तलकर्षण, मेला क्षेत्र में साइनेज कार्य और पहुंच मार्ग आदि का निर्माण कार्य) पर ₹ 15.21 करोड़ व्यय किया गया। इस प्रकार के व्यय को बजट और व्यय के राजस्व शीर्ष से व्यय किया जाना चाहिए था। इस त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण से 2019-20 के दौरान राजस्व अधिशेष में ₹ 15.21 करोड़ की वृद्धि का प्रभाव

पड़ा। इस प्रकरण में बजटीय वर्गीकरण और व्यय की प्रकृति पूंजीगत/राजस्व व्यय के वर्गीकरण के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कुंभ मेला वर्ष 2019 पर शेष व्यय की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या इसे निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बजट और वर्गीकृत किया गया है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2021)।

3.2.2.3 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकरण

कुछ मानक मदों को केवल व्यय की पूंजीगत श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि इन प्रावधानों से संपत्ति बनाई जाती है और तदानुसार बजट और लेखांकन की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि अनेक मानक मदों पर व्यय को पूंजीगत की जगह राजस्व शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जैसा कि **तालिका 3.4** में संक्षेपित है।

तालिका 3.4: पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मानक मद	मानक मद नामकरण	अनुदान संख्या	वर्ष 2019–20 के लिए बजट प्रावधान	2019–20 में वास्तविक व्यय
1.	14	मोटर वाहन की खरीद	01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91 एवं 95	9.10	7.21
योग				**9.10**	**7.21**

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण, ₹ 7.21 करोड़ के व्यय को पूंजीगत व्यय के स्थान पर राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया गया है, जिसका 2019–20 की अवधि में राज्य के राजस्व अधिशेष पर समान राशि से प्रभाव पड़ा है।

3.2.3 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

सार्वजनिक वित्त के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में विश्वसनीय, प्रासंगिक और समय पर सूचनाओं की उपलब्धता से सरकार की वित्तीय स्थिति और सरकारी गतिविधियों की सही लागत का आकलन किया जा सकता है। पारदर्शिता शासन व्यवस्था को मजबूत करने का एक साधन है।

यूपीबीएम के प्रस्तर 31 के अनुसार अप्रत्यशित मामलों को छोड़कर नियमतः, अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए, जहां आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए या किसी परियोजना/योजना के प्रारंभिक व्ययों जिसे वित्तीय वर्ष में लिए जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है उनको पूर्ण करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने हैं। प्रस्तावित प्रावधानों को उचित ठहराने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट नोट में दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2019-20 के दौरान, 18 अनुदानों के विभिन्न शीर्षों के आधीन ₹ 6,767.78 करोड़ के एकमुश्त प्रावधान योजना के विवरण को दर्शाए बिना किए गए थे ***(परिशिष्ट–3.1)***। तीन अनुदानों (अनुदान संख्या 40, 57 और 58) के अन्तर्गत एकमुश्त प्रावधान कुल बजट प्रावधानों के क्रमशः 49.10 प्रतिशत, 10.62 प्रतिशत एवं 23.61 प्रतिशत थे। अग्रेतर, 18 अनुदानों में 14 के अन्तर्गत एकमुश्त प्रावधानों के सापेक्ष ₹ 6,572.33 करोड़ (प्रावधान का 97 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। व्यय शीर्ष के आंकलन के बिना एकमुश्त बजटीय प्रावधान पारदर्शिता के सिद्धांत के विपरीत है।

3.2.4 व्यय आधिक्य एवं उसका नियमितीकरण

3.2.4.1 संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) में प्रावधान है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष के लिए उस सेवा के लिए स्वीकृत राशि से अधिक राशि खर्च की गई है, तो राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान सभा में इस प्रभार की अधिकता की मांग को प्रस्तुत करना होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के पूंजीगत भारित मद में ₹ 10.71 लाख का अधिक संवितरण विनियोग लेखे में कारणों को सम्मिलित किए बिना हुआ था। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत किए गए अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय का विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: 2019–20 के दौरान राज्य की संचित निधि से प्राधिकृत के सापेक्ष अधिक संवितरण

(₹ लाख में)

अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	नियमितीकरण हेतु व्ययाधिक्य
55 - लोक निर्माण विभाग (भवन)–पूँजीगत भारित	100.00	110.71	10.71

स्रोतः विनियोग लेखे 2019-20

बजटीय प्रावधान से अधिक संवितरण, अनुदान तथा अनुपूरक अनुदानों की मांग तैयार करते समय बजट नियंत्रण प्राधिकारी की ओर से अप्रभावी अनुश्रवण का संकेत था। संवितरण आधिक्य को राज्य विधानमंडल के माध्यम से नियमित करने की आवश्यकता है।

3.2.4.2 विगत वित्तीय वर्षों के अधिक व्यय का नियमितीकरण

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 137 में निर्देशित है कि यदि वर्ष की समाप्ति के उपरान्त, यह पता चलता है कि किसी अनुदान या भारित विनियोग के अधीन उस वर्ष के लिए उस अनुदान या भारित विनियोग के अधीन कुल विनियोग से अधिक व्यय किया गया था, अतिरिक्त व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) के अधीन अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान की मांग को विधानसभा में प्रस्तुत कर लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2005-06 से 2018-19 तक जैसा कि संबंधित वर्षों के विनियोग लेखों में टिप्पणी की गई है, से सम्बन्धित 102 अनुदानों और 46 विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 32,525.25 करोड़ के संवितरण आधिक्य को अब तक राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना शेष है, जैसा कि **तालिका 3.6** में वर्णित है।

तालिका 3.6: विगत वित्तीय वर्षों का अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग का विवरण	अधिक राशि जिसको नियमित करने की आवश्यकता है
2005-06	राजस्व मतदेय- 8,12,53,55,57,58,72; पूँजीगत मतदेय-15,16,18,23, 33, 34,37,38,40, 55,56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित-1,52; पूँजीगत भारित-52,55;	869.05
2006-07	राजस्व मतदेय -9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूँजीगत मतदेय -3,16,31, 37, 55,57,58,89,96; राजस्व भारित -2,3,10,52,62,89;	2,484.47
2007-08	राजस्व मतदेय -51,55,57,58,62; पूँजीगत मतदेय - 13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित -51,66	3,610.65
2008-09	राजस्व मतदेय -62,96; पूँजीगत मतदेय -55,58,96; राजस्व भारित -52;	3,399.42
2009-10	राजस्व मतदेय -58; पूँजीगत मतदेय -1,16,55,58,59; राजस्व भारित -3,10,16,48,52,66;	1,250.16
2010-11	राजस्व मतदेय -30,51,91; पूँजीगत मतदेय -10,55,58; राजस्व भारित -10,23,61,82;	1,702.62
2011-12	राजस्व मतदेय -21,62,91; पूँजीगत मतदेय -1,55,58; राजस्व भारित -13,18,23,61,62,82;	1,889.66
2012-13	राजस्व मतदेय -51,57; पूँजीगत मतदेय -55,58; राजस्व भारित -55,62,89;	2,380.23
2013-14	पूँजीगत मतदेय - 55, 58; पूँजीगत भारित - 52;	2,608.18
2014-15	राजस्व मतदेय - 57,91; पूँजीगत मतदेय -1,40,55,57,58; राजस्व भारित -13;	2,225.32
2015-16	पूँजीगत मतदेय - 55,57,58,87; राजस्व भारित - 2,23,52,62;	1,566.71
2016-17	पूँजीगत मतदेय - 55,58,87; राजस्व भारित - 89; पूँजीगत भारित – 61;	5,662.17
2017-18	राजस्व मतदेय - 62; पूँजीगत मतदेय -55; राजस्व भारित -91; पूँजीगत भारित -58	1,337.17
2018-19	राजस्व मतदेय -57; पूँजीगत मतदेय – 55, 57, 58; राजस्व भारित – 52; पूँजीगत भारित – 10, 21, 55	1,539.44
नियमितीकरण की आवश्यकता वाले विगत वर्षों के कुल व्ययाधिक्य		**32,525.25**

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

अधिक व्यय, बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक धन के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है और इसको नियमित न किया जाना संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है, जो यह प्रावधानित करता है कि राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा कोई भी धन संचित निधि से नहीं निकाला जाएगा।

प्राधिकृत से अधिक व्यय और अधिक व्यय को नियमित न किया जाना उत्तर प्रदेश सरकार के विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से सूचित किया गया है। तथापि, वर्ष 2005-06 से 2018-19 से संबंधित अधिक व्यय के मामलों को उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 172 के अनुसार वित्त विभाग द्वारा नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना शेष है।

3.2.5 हरित कर के लेखांकन के लिए उप–शीर्ष/विस्तृत शीर्ष नहीं बनाया जाना

राज्य सरकार द्वारा एकत्रित हरित कर के लेखांकन के लिए विशिष्ट उपशीर्ष, विस्तृत शीर्ष का सृजन/ संचालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.39 करोड़ की प्राप्ति सरकारी लेखे में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए जाने के कारण हरित कर के रूप में एकत्रित राजस्व का वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम 2014 प्रावधान करता है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकरण की वैधता समाप्त होने के बाद परिवहन वाहन के अलावा किसी भी मोटर वाहन का उपयोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा, जब तक कि मोटर वाहन अधिनियम–1988 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट दर पर हरित कर का भुगतान उसके संबंध में नहीं किया गया हो। हरित कर का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना था और इस प्रकार एकत्रित राजस्व का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने (जनवरी 2015) अधिसूचित किया कि वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण के समय पंजीकरण के समय एक बार भुगतान किये जाने वाले कर पर 10 प्रतिशत की दर से हरित कर देय होगा।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना से ज्ञात हुआ कि परिवहन विभाग ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान ₹ 12.39 करोड़[47] हरित कर संग्रहीत किया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि हरित कर के लेखांकन के लिए कोई पृथक उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष नहीं बनाया गया था और इसे राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अन्य करों के साथ मुख्य शीर्ष–0041–वाहन कर में जमा किया गया था। उपरोक्त एकत्रित हरित कर का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी नहीं किया जा रहा था क्योंकि इसके लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया था। इस प्रकार, हरित कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के इच्छित उद्देश्य हेतु नहीं किया जा रहा था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी 2021); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2021)।

3.2.6 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2043–संग्रहण प्रभार का संचालन न करना

यूपीबीएम के प्रस्तर 21 में बताया गया है कि राज्य प्राप्तियों और संवितरणों के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची, जैसा कि लेखा महानियंत्रक (सीजीए), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के संदर्भ में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के परामर्श द्वारा निर्धारित किया गया है, का उपयोग लेखा शीर्षों के वर्गीकरण के लिए किया जाना चाहिए। अग्रेतर, सरकारी लेखा नियम 1990 का नियम 26 निर्धारित करता है कि संघ एवं राज्यों के प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची में निर्दिष्ट वर्गीकरण (मुख्य शीर्षों और लघु शीर्षों के स्तर तक दी गई कोड संख्या सहित) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सीजीए ने (जून 2017) वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रभावी राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से संबंधित व्यय के लेखांकन के लिए राज्य वस्तु और सेवा कर के अन्तर्गत नया मुख्य शीर्ष 2043–संग्रह प्रभार आवंटित किया। तथापि, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने मुख्य लेखाशीर्ष 2043 का उपयोग नहीं किया है और इसके बजाय, एसजीएसटी संग्रह से संबंधित व्यय को मुख्य अनुदान संख्या 89 (संस्थागत वित्त विभाग) में लेखाशीर्ष 2040 (बिक्री, व्यापार, आदि पर कर) के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित किया जा रहा है जो सरकारी लेखा नियम 1990 के नियम 26 का उल्लंघन है।

---

[47] वर्ष–वार संग्रहीत किया गया हरित करः 2015–16– ₹ 1.49 करोड़, 2016–17– ₹ 1.72 करोड़, 2017–18–₹ 2.12 करोड़, 2018–19– ₹ 2.66 करोड़ और 2019–20– ₹ 4.40 करोड़।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (सितम्बर 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2021)।

3.2.7 केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वर्णन में विसंगति

शासकीय खाते छः स्तरीय वर्गीकरण संरचना का पालन करते हैं। बजट अभिलेखों में बजटीय प्रावधानों को दर्शाने के तरीके का उल्लेख बजट अभिलेखों की प्रस्तावना में किया गया है।

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली और बजट तैयार करने के लिए जारी दिशा–निर्देशों में प्रावधान है कि बजट प्रावधानों से केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में उप–शीर्ष 01 या 02 के अधीन विस्तृत शीर्ष के साथ निर्दिष्ट वित्त पोषण प्रतिरूप (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थान) के साथ किए जाने चाहिए।

तथापि, 2019-20 के बजट अभिलेखों की जांच से पता चला कि वित्त पोषण प्रतिरूप को लेखांकित करने के लिए उपरोक्त मानदंडों का पालन निम्नलिखित तरीकों से नहीं किया गया है

(i) ***परिशिष्ट 3.2*** में दिए गए विवरण के अनुसार कुछ केंद्रीय योजनाओं/केंद्र प्रायोजित योजनाओं में विस्तृत शीर्ष के साथ वित्त पोषण प्रतिरूप (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थान) का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ii) कुछ प्रकरणों में बिना कोई कारण बताए केन्द्रांश और राज्यांश का कुल योग 100 प्रतिशत से कम अथवा अधिक है। ***परिशिष्ट 3.3*** में दिए गए विवरण के अनुसार लागू मामलों में अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदान प्राप्तकर्ता के निधि अंश को भी अभिलिखित नहीं किया गया है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (सितम्बर 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2021)।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

बजटीय आवंटन, वास्तविक संवितरण, बचत और अभ्यर्पण का विवरण और परिकल्पित योजनाओं, परियोजनाओं पर उनके प्रभाव की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

3.3.1 बजट अनुमान और अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच का अंतर

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधानों एवं वास्तविक व्यय के सापेक्ष कुल बजट प्रावधानों एवं बचत का मतदेय राजस्व, मतदेय पूंजीगत, भारित राजस्व तथा भारित पूंजीगत खंडों का सारांश **तालिका 3.7** में विस्तृत रूप में दिया गया है।

तालिका 3.7: वर्ष 2019-20 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति।

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	वास्तविक अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	
							धनराशि	प्रतिशत
मतदेय	I. राजस्व	3,19,696.99	10,499.19	3,30,196.18	2,66,083. 12	64,113.06	15,067.22	23.50
	II. पूँजीगत	93,276.05	6,559.46	99,835.51	73,436. 47	26,399.04	4,585.38	17.37
	III. ऋण एवं अग्रिम	2,728.45	629.44	3,357.89	2,120.00	1,237.89	1.03	0.08
	योग	**4,15,701.49**	**17,688.09**	**4,33,389.58**	**3,41,639.59**	**91,749.99**	**19,653.63**	**21.42**

	व्यय की प्रकृति	वास्तविक अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	
							धनराशि	प्रतिशत
भारित	V. राजस्व	57,890.39	116.17	58,006.56	35,367.05	22,639.51	2.25	0.01
	VII. पूँजीगत	37.13	0.00	37.13	19.50	17.63	0.05	0.28
	VIII. सार्वजनिक ऋण– पुर्नभुगतान	35,374.48	1.47	35,375.95	22,400.61	12,975.34	2.76	0.02
	योग	**93,302.00**	**117.64**	**93,419.64**	**57,787.16**	**35,632.48**	**5.06**	**0.01**
	समग्र योग	**5,09,003.49**	**17,805.73**	**5,26,809.22**	**3,99,426.75**	**1,27,382.47**	**19,658.69**	**15.43**

स्रोतः 2019-20 के विनियोग लेखे

2019–20 के दौरान कुल प्रावधान ₹ 5,26,809.22 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक व्यय ₹ 3,99,426.75 करोड़ था। ₹ 1,27,382.47 करोड़ की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान का 24.18 प्रतिशत थी, जिसमें राजस्व मतदेय (19.42 प्रतिशत), पूंजीगत मतदेय (26.44 प्रतिशत) और राजस्व भारित (39.03 प्रतिशत) भाग थे। यह राज्य सरकार के नियोजन एवं क्रियान्वयन में बड़े अन्तर को इंगित करता है।

3.3.2 विगत पांच वर्षों (2015–20) में बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय एवं बचत

विगत पांच वर्षों (2015-20) के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत **तालिका 3.8** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 3.8: 2015–20 के दौरान मूल बजट, वास्तविक व्यय एवं बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मूल बजट	3,15,221.94	3,60,797.65	4,17,256.95	4,56,248.38	5,09,003.49
अनुपूरक बजट	47,583.96	27,030.98	11,388.17	42,887.73	17,805.73
कुल बजट	3,62,805.90	3,87,828.63	4,28,645.12	4,99,136.11	5,26,809.22
वास्तविक व्यय	3,18,412.23	3,49,232.60	3,34,876.62	4,09,784.50	3,99,426.75
बचत/आधिक्य	**44,393.67**	**38,596.03**	**93,768.50**	**89,351.61**	**1,27,382.47**
बचत का प्रतिशत	**12.24**	**9.95**	**21.88**	**17.90**	**24.18**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि 2015-20 की अवधि के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष बचत (निधि का कम उपयोग) 9.95 प्रतिशत (2016-17) से 24.18 प्रतिशत (2019-20) के मध्य थी। विगत पांच वर्षों (2015-20) के दौरान प्रावधान की तुलना में बजट के कम उपयोग को **चार्ट 3.1** में भी देखा जा सकता हैं।

चार्ट 3.1 : विगत पांच वर्षों (2015–20) के दौरान बजट प्रावधान और बजट उपयोग

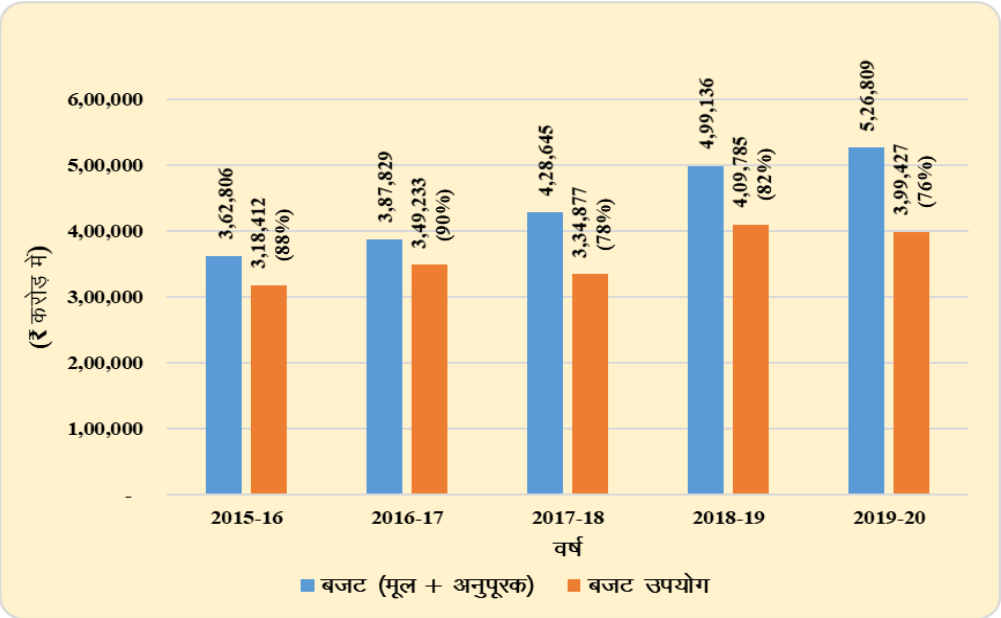

उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि विगत पांच वर्षों (2015-20) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई है, किन्तु बजट का उपयोग 76 प्रतिशत (2019-20) से 90 प्रतिशत (2016-17) के बीच था। 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान व्यय में ₹ 10,358 करोड़ (2.53 प्रतिशत) की कमी आई। इस प्रकार, कम बजट उपयोग से 2019-20 के लिए उच्च प्रावधानों का लाभ निष्प्रभावी हो गया।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि पिछले पांच वर्षों (2015-20) में से कम से कम एक वर्ष में 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले आठ अनुदान थे जिनका विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: 2015–20 के दौरान बजट का 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग

क्रम सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बजट प्रावधानों के सापेक्ष व्यय प्रतिशत (व्यय प्रतिशत में)					50 प्रतिशत से कम उपयोग वाले वर्षों की संख्या
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1.	12	कृषि तथा अन्य संम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	64.95	66.18	74.30	38.96	12.98	02
2.	16	कृषि तथा अन्य संम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	95.48	94.60	98.53	64.76	30.83	01
3.	37	नगरीय विकास विभाग	77.02	69.09	54.34	76.01	48.79	01
4.	40	नियोजन भिाग	67.64	79.92	60.11	85.61	45.86	01
5.	44	पर्यटन विभाग	89.70	69.27	17.77	67.11	47.41	02
6.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	52.86	47.41	55.34	36.54	31.69	03
7.	63	वित्त विभाग (कोषागार एवं लेखा प्रशासन)	64.51	65.88	70.67	0.00	40.95	02
8.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	96.27	74.91	93.95	95.00	48.90	01

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

3.3.3 अव्ययित राशि और बड़ी मात्रा में अभ्यर्पित विनियोग

यूपीबीएम के प्रस्तर 174 के संदर्भ में दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण बजट, बड़े समर्पण की आवश्यकता या इसके परिणामस्वरूप अधिकता को एक गंभीर वित्तीय अनियमितता माना गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट प्रक्रिया शुरू होने पर बजट तैयार करने हेतु जारी दिशा–निर्देश भी अनुमानों की सटीकता पर बल देते हैं और त्रुटिपूर्ण मांगों

को तैयार करने के लिए जिम्मेदार पाये गए अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने पर जोर देते है।

उत्तर प्रदेश के विगत राज्य वित्त लेखा प्रतिवदेनों में विभिन्न योजनाओं में सतत बचतों (₹ 100 करोड़ या अधिक) एवं प्रावधानों के उपयोग न होना प्रतिवेदित किया गया था एवं राज्य सरकार को कारणों की समीक्षा व भविष्य के वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधान करने सम्बन्धी परामर्श दिया गया था। वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखे के अन्तर्गत 92 अनुदानों के संबंध में बचत सहित मूल/अनुपूरक अनुदानों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 41 अनुदानों से सम्बन्धित 41 प्रकरणों में राजस्व–मतदेय के अधीन एवं 27 प्रकरणों में 27 अनुदानों से सम्बन्धित पूंजीगत–मतदेय अनुभागों के अधीन क्रमशः ₹ 62,693.14 करोड़ एवं ₹ 26,825.36 करोड़ की बचत अभिलेखित हुई। इसी प्रकार, राजस्व भारित मद के अधीन एक अनुदान से सम्बन्धित एक प्रकरण में और पूंजीगत भारित अनुभाग के अधीन दो अनुदानों से सम्बन्धित दो प्रकरणों में (जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी) क्रमशः ₹ 22,455.49 करोड़ और ₹ 12,972.49 करोड़ की बचत अंकित की गई। इस प्रकार, 49 अनुदानों के 71 मामलों में कुल ₹ 1,24,946.48 करोड़ की बचत हुई (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक) जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4*** में वर्णित है और **तालिका 3.10** में संक्षेपित है।

तालिका 3.10: वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक बड़ी बचतों वाले अनुदानों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का अनुभाग	मामलों की संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	कुल प्रावधान के सापेक्ष बचतें (प्रतिशत)
1.	राजस्व मतदेय	41	2,86,444.76	10,198.06	2,96,642.82	2,33,949.68	62,693.14	21.13
2.	पूंजीगत मतदेय	27	90,988.06	6,124.12	97,112.18	70,286.82	26,825.36	27.62
कुल मतदेय			3,77,432.82	16,322.18	3,93,755.00	3,04,236.50	89,518.50	22.73
1.	राजस्व भारित	68	52,719.67	0.00	52,719.67	30,264.18	22,455.49	42.59
2.	पूंजीगत भारित	2	35,347.43	1.47	35,348.90	22,376.41	12,972.49	36.70
कुल भारित		3	88,067.10	1.47	88,068.57	52,640.59	35,427.98	40.23
समग्र योग		**71**	**4,65,499.92**	**16,323.65**	**4,81,823.57**	**3,56,877.09**	**1,24,946.48**	**25.93**

स्रोतः विनियोग लेखा–20-2019

विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही सम्बन्धित योजनाओं के संबंध में बड़ी बचत त्रुटिपूर्ण बजट या निष्पादन में कमी या दोनों का संकेत है।

3.3.4 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

यूपीबीएम का प्रस्तर 162, अन्य बातों के अतिरिक्त यह निर्धारित करता है कि अनुपूरक अनुदान या विनियोग की आवश्यकता तब होती है जब विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत अनुदान या विनियोग में शामिल राशि वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या जब उस वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में विचार नहीं की गई कुछ नई सेवाओं, योजना या मद पर व्यय करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न होती है।

वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखों से पता चला कि 39 अनुदानों के 55 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) किये गये ₹ 10,273.85 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, इन अनुदानों में ₹ 75,472.51 करोड़ बचत के कारण अनावश्यक साबित हुए।

इस प्रकार, व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था जैसा कि ***परिशिष्ट–3.5*** में वर्णित है एवं **तालिका 3.11** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.11: उन मामलों का सारांश जिनमें वर्ष 2019–20 में अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले मे ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का अनुभाग	कुल मामलें	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	बचत
1.	राजस्व मतदेय	29	2,22,128.25	8,398.02	1,81,096.47	49,429.80
2.	पूंजीगत मतदेय	25	66,495.66	1,874.36	45,409.07	22,960.95
3.	पूंजीगत भारित	1	3,152.79	1.47	72.50	3,081.76
योग		**55**	**2,91,776.70**	**10,273.85**	**2,26,578.04**	**75,472.51**

स्रोतः विनियोग लेखे 2019–20

यह अनुपूरक प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप इन अनुदानों के अन्तर्गत बचत हुई। इसके अतिरिक्त, अनुपूरक प्रावधान धनराशि की आवश्यकता का मूल्यांकन सावधानी से नहीं किया जाना खराब बजट अनुशासन का भी सूचक है।

3.3.5 अनावश्यक पुनर्विनियोग

यूपीबीएम के प्रस्तर 147 में प्रावधान है कि विनियोग की प्रत्येक इकाई के अन्तर्गत व्यय को विनियोग की उस इकाई को अधीन मूल रूप से प्रदान की गई राशि के भीतर रखा जाना चाहिए। तथापि, यदि किसी योजना/सेवा पर मूल/अनुपूरक प्रावधान आवश्यकता से कम पाया जाता है, तो सरकार पुनर्विनियोग का सहारा ले सकती है जो उसी अनुदान के एक लेखाशीर्ष से दूसरे लेखाशीर्ष में बचत का हस्तांतरण है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2019-20 के दौरान, 22 अनुदानों के 38 उप–शीर्षों में, मूल बजट प्रावधान ₹ 4,314.42 करोड़ थे, अनुपूरक प्रावधान ₹ 256.30 करोड़ थे एवं ₹ 828.06 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया। इसके अलावा, 22 अनुदानों के 38 उप शीर्षों में ₹ 1,455.62 करोड़ की बचत हुई जो यह दर्शाती है कि इन मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक था। पुनर्विनियोग और बचतों का विवरण ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है और **तालिका 3.12** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.12: अनावश्यक पुनर्विनियोग की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

अनुदानों की संख्या	उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुर्नविनियोजन	कुल प्रावधान	व्यय	बचतें
22	38	4,314.42	256.30	828.05	5,398.77	3,943.15	1,455.62

स्रोतः विनियोग लेखे 2019–20

यह इन अनुदानों के तहत पुनर्विनियोग का सहारा लेने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं था जबकि पर्याप्त बजटीय प्रावधान पहले से ही उपलब्ध थे।

3.3.6 व्यय की अनुचित तीव्रता

व्यय की एक स्थिर गति को बनाए रखना, सार्वभौमिक रूप से एक ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के रूप में स्वीकार किया गया है। केन्द्र सरकार में लागू सामान्य वित्तीय नियमों में, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अनुचित तीव्रता को वित्तीय औचित्य के उल्लंघन के रूप में माना गया है। तथापि, व्यय के संकेन्द्रण को रोकने के लिए यूपीबीएम में कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है।

वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखों में यह पाया गया कि चार अनुदानों पर उनके कुल बजटीय प्रावधानों का 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम माह अर्थात मार्च 2020 में किया गया। बजट प्रावधान और उस पर किये गये ऐसे व्यय का विवरण **तालिका 3.13** में दिया गया है।

तालिका 3.13: केवल मार्च 2020 में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	अनुदान का विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल व्यय	मार्च 2020 में व्यय	कुल व्यय से चतुर्थ तिमाही के व्यय का प्रतिशत	कुल व्यय से मार्च के व्यय का प्रतिशत
1	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4.78	5.83	1.01	225.83	237.45	199.31	95.11	83.94
2	44	पर्यटन विभाग	21.89	45.77	48.50	368.69	484.85	276.95	76.04	57.12
3	57	लोक निर्माण विभाग (संचार एवं सेतु)	150.86	184.74	552.29	1582.74	2470.63	1395.78	64.06	56.49
4	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	4.47	38.25	65.58	226.78	335.08	184.24	67.68	54.98

स्रोतः महालेखाकार (ले. एवं हक.)-I उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2019–20 के वीएलसी आंकड़े

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 237.45 करोड़ था जिसमें से ₹ 199.31 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय किया गया था, जो कि कुल बजट प्रावधान का 83.94 प्रतिशत था। अग्रेतर संवीक्षा में पाया गया कि अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग में हुए ₹ 276.95 करोड़ में से ₹ 100 करोड़ वैयक्तिक जमा खाता/वैयक्तिक बही खाता के अधीन 8443 (सिविल जमा)–117 (सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिए किए गये कार्यों के लिए जमा राशि) में स्थानान्तरित कर दिए गए। वैयक्तिक जमा खाते में धनराशि का यह हस्तान्तरण प्रशासनिक विभागों द्वारा संचित निधि से धनराशि का आहरण कर व्यक्तिगत खातों/व्यक्तिगत जमा खाता में प्रचलन को रोकने के राज्य सरकार के निर्देशों (मार्च 2018) का उल्लंघन था।

3.3.7 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

यूपीबीएम के प्रस्तर 212 में योजनाओं और परियोजनाओं के सूत्रीकरण और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा निम्नानुसार है:

"शक्तिशाली परियोजना सूत्रीकरण और मूल्यांकन का परियोजनाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव के साथ–साथ उनके समय पर कार्यान्वयन पर एक बड़ा असर पड़ता है। परियोजना सूत्रीकरण और मूल्यांकन चरण में दिये गए अतिरिक्त समय और प्रयास के परिणामस्वरूप अंतिम परियोजना प्रभाव के मामले में गुणात्मक सुधार होगा।"

विनियोग लेखे 2019-20 की लेखापरीक्षा संवीक्षा में ऐसी योजनायें पाई गई जिनके लिए सरकार ने मूल/अनुपूरक प्रावधान किए लेकिन विनियोग लेखों में बिना कारण बताए कोई धनराशि व्यय नहीं की गई। इसी प्रकार, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां मूल और अनुपूरक प्रावधानों को अन्य परियोजनाओं/योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया था और उन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया था जिनके लिए मूल रूप से विनियोग किया गया था। ऐसे मामलों के विवरण का उल्लेख नीचे किया गया है:

3.3.7.1 योजना जिसके लिए मूल और अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका

विनियोग लेखे 2019-20 से देखा गया कि राज्य सरकार ने बजट में 42 अनुदानों के अन्तर्गत 193 योजनाओं के लिए ₹ 43,865.90 करोड़ का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अन्य 28 योजनाओं के लिए ₹ 5,143.73 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान 13 अनुदानों के अन्तर्गत किया, जिसमें दो योजनाओं में ₹ 2.00 करोड़ के मूल प्रावधान भी थे। इस प्रकार वर्ष 2019-20 के दौरान 45 अनुदानों के अंतर्गत 221 योजनाओं के लिए ₹ 49,011.63 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया, किन्तु कोई व्यय नहीं किया गया। इससे प्रदर्शित होता है कि 221 योजनाएं जिनके मूल या अनुपूरक प्रावधानों में आवंटन किया गया था, निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

वह योजनाएं जिनके लिए मूल और अनुपूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था, का विवरण ***परिशिष्ट 3.7*** में दिया गया है और **तालिका 3.14** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.14: उन योजनाओं का सारांश जिनमें मूल और अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

अनुदान की संख्या	योजनाओं की संख्या	मूल प्रावधान	पूरक अनुदान	कुल प्रावधान	कुल व्यय
45	221	43,867.90	5,143.73	49,011.63	0.00

221 योजनाओं के अन्तर्गत निधियों का उपयोग न करने से यह संकेत मिलता है कि बजट या तो उचित विवेक के बिना तैयार किया गया था या कार्यक्रम क्रियान्वयन में गंभीर चूक हुई थी।

3.3.7.2 योजनायें जिसके लिए मूल, अनुपूरक प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया

राज्य सरकार ने 2019–20 के बजट में 24 अनुदानों के अन्तर्गत 56 योजनाओं के लिए ₹ 480.00 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान सहित ₹ 4,373.57 करोड़ का प्रावधान किया ***(परिशिष्ट 3.8)***। तथापि, इन योजनाओं के प्रावधानों (₹ 3,274.46 करोड़) का पुनर्विनियोजन किया गया था साथ ही शेष निधि (₹ 1,099.11 करोड़) का इन योजनाओं पर उपयोग नहीं किया गया था। कुछ योजनाएं जिनमें बजटीय प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया था, उन्हें **तालिका 3.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15 : वर्ष 2019–20 के दौरान योजनाओं में बजट प्रावधानों का उपयोग न करना।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय
1.	7- औद्योगिक विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	इनक्यूबेटर और स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने के लिए प्रारम्भिक निधि (सीड निधि)	100.00	0.00
2.	40- नियोजन विभाग	बुन्देलखन्ड के लिये विशेष योजना	112.27	0.00
3.	44- पर्यटन विभाग	वाराणसी जिले में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना	200.00	0.00
4.	51- राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदा राहत)	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से व्यय	1,000.00	0.00
5.	37-नगर विकास विभाग	वाह्य सहायतित परियोजनायें	235.00	0.00
		योग	**1,647.27**	**0.00**

3.3.8 बचत का विलंबित अभ्यर्पण

यूपीबीएम का प्रस्तर 141 नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित करता है कि सभी अंतिम बचत 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर दी जानी चाहिए। यदि वित्त विभाग ऐसे अभ्यर्पणों को स्वीकार करने में असमर्थ रहता है तो देरी से अभ्यर्पण करने वाले अधिकारी को, परिणामी वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योकि बचत का उचित अनुमान लगाया जा सकता था और पहले अभ्यर्पण किया जा सकता था।

बचत और अभ्यर्पण का विवरण नीचे **चार्ट 3.2** में दिया गया है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2019–20 के दौरान कुल बचत और अभ्यर्पण

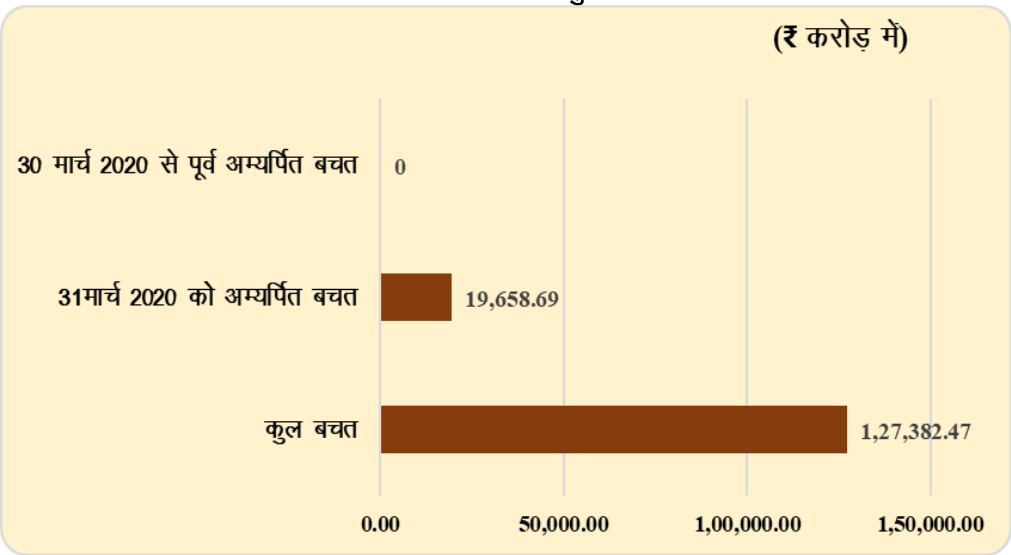

उपरोक्त चार्ट में देखा जा सकता है कि ₹ 1,27,382.47 करोड़ की कुल बचत में से केवल ₹ 19,658.69 करोड़ (15.43 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित किए गए थे एवं शेष धनराशि ₹ 1,07,723.78 करोड़ व्ययगत हो गई। इसके अलावा, यूपीबीएम के निर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए समस्त अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किए गए थे।

3.3.9 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

यूपीबीएम का प्रस्तर 107 नियंत्रण अधिकारी को अनुदान के लिए आवंटित निधियों की संभावित बचत/व्यपगत राशियों का जल्द से जल्द अभ्यर्पण करने के लिए बाध्य करता है।

पांच अनुदानों के छः मामलों में, ₹ 189.86 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 190.55 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 के दौरान ₹ 0.69 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ, जैसा कि **तालिका 3.16** में वर्णित है।

तालिका 3.16: 2019–20 के दौरान वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित धनराशि	अभ्यर्पण का आधिक्य
1	10	कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय (मतदेय)	18.72	8.07	8.21	**0.14**
			4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय (मतदेय)				
			4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय (मतदेय)				
			4851- गांव एवं लघु उद्योग (मतदेय)				
2			2401- फसल कृषि कर्म (भारित)	2.21	0.05	0.06	**0.01**
			2406- वानिकी तथा वन्य जीव (भारित)				
			2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा (भारित)				
			2851- गांव तथा लघु उद्योग (भारित)				
3	18	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (सहकारिता)	2013- मंत्रिपरिषद (मतदेय)	572.39	81.44	81.56	**0.12**
			2049- ब्याज अदायगियां (मतदेय)				
			2425- सहकारिता (मतदेय)				
4	44	पर्यटन विभाग	3452- पर्यटन (मतदेय)	137.72	81.66	81.67	**0.01**
5	45	पर्यावरण विभाग	3435- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण (मतदेय)	15.38	7.41	7.42	**0.01**
6	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक कल्याण (मतदेय)	2,657.38	11.23	11.63	**0.40**
			2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (मतदेय)				
योग				**3,403.80**	**189.86**	**190.55**	**0.69**

स्रोतः विनियोग लेखे 2019–20

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण इंगित करता है कि संबंधित विभागों के नियंत्रक अधिकारियों ने अपने नियंत्रण प्राधिकारियों के माध्यम से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के मासिक व्यय विवरण के व्यय प्रवाह की पर्याप्त निगरानी न करके बजट नियंत्रण का उपयोग नहीं किया।

3.4 संस्तुतियाँ

- *राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना किया गया व्यय संविधान के अनुच्छेद 204 में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है अतः इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य*

सरकार को विधानमंडल के प्राधिकार के बिना यूपीईआरसी के भवन निर्माण पर व्यय के कारणों की जांच एवं जिम्मेदारी नियत की जानी चाहिए।

- *विधायी प्राधिकार से अधिक व्यय (2005-06 से 2019-20 की अवधि से सम्बन्धित) संविधान के अनुच्छेद 205 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमितीकरण हेतु राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।*
- *कुछ व्यय मदों का पूँजीगत या राजस्व प्रकृति के रूप में वर्गीकरण कुछ मानक मदों में सम्मिलित था, जैसा कि प्रस्तर 3.2.2 में बताया गया है, इसे यूपी बजट मैनुअल (यूपीबीएम) के साथ संरेखित करने के लिए समीक्षा और निवारण की आवश्यकता है।*
- *एकमुश्त बजटीय प्रावधान यूपीबीएम के प्रस्तर 31 का उल्लंघन है और यूपीबीएम के प्रावधानों के आलोक में इसे प्रतिबंधित या पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है।*
- *अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोग निधि आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। वित्त विभाग संबंधित विभागों को निधियों के इष्टतम उपयोग के क्रम में संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय योजनाओं/परियोजनाओं के लागत अनुमान में सुधार करने के लिए परामर्श दे सकता है।*
- *25 मार्च तक निधियों के अभ्यर्पण के संबंध में यूपीबीएम के प्रस्तर 141 के निर्देशों के अनुपालन में निधियों के इष्टतम उपयोग एवं बजटीय अनुशासन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *सरकार व्यय की स्थिर गति को बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में विशेष रूप से मार्च में व्यय की अनुचित तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।*

अध्याय - IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें

अध्याय–IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना सहित एक मजबूत आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार को दक्ष एवं प्रभावी शासन प्रदान करती है। अतः वित्तीय नियमों, पद्धतियों एवं निर्देशों के अनुसार अनुपालन साथ ही साथ उन अनुपालनों के रिपोर्टिंग की समयबद्धता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन का एक गुण है। अनुपालनों एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि यह प्रभावी एवं प्रचालन योग्य है, सरकार के सामरिक नियोजन एवं निर्णय निर्माण सहित मूलभूत प्रबन्धकीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। यह अध्याय सम्पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के सम्बन्ध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों सहित वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराओं में राज्य सरकार के लेखे की गुणवत्ता एवं अनुपालन पर एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

लेखे की सम्पूर्णता सम्बन्धी मुद्दे

4.1 राज्य की संचित निधि या लोक लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ

अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अनुच्छेद 266(1) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, सरकार द्वारा राज हुंडियाँ निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिये गये सभी उधार एवं उधारों के प्रति संदाय में सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से एक संचित निधि बनेगी जो ''राज्य की संचित निधि'' के नाम से ज्ञात होगी। अनुच्छेद 266(2) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य लोक धनराशियाँ राज्य के लोक लेखे में जमा की जायेंगी। तथापि, निम्नलिखित प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व राज्य की संचित निधि/लोक लेखे का भाग नहीं बना जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

4.1.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं बीओसीडब्ल्यू (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 ऐसे प्रतिष्ठान, जिनके द्वारा किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में विगत बारह महीने के किसी भी दिन दस या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया गया हो, को समाविष्ट करता है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ, श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने तथा निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार, राज्य सरकार ने उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड का गठन (नवम्बर 2009) किया तथा उपकर अधिनियम के अनुसार एक प्रतिशत की दर से उपकर उद्ग्रहण किया जाता है। समय–समय पर यथा संशोधित, उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 में पंजीकरण शुल्क ₹ 20 एवं पंजीकृत श्रमिकों से वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 20 का संग्रहण करने का प्रावधान है जिन्हे बाद में (दिसम्बर 2020) कोविड महामारी को देखते हुए 31.03.2021 तक घटाकर शून्य कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

शासकीय लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ

उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड ने अपने गठन (नवम्बर 2009) से ही अपने लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया। 2015–20 की अवधि में उपकर की प्राप्तियों एवं उपभोग का विवरण, जैसा कि बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया, **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2015–20 की अवधि के दौरान पंजीकरण शुल्क, संग्रहीत उपकर एवं उपभोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियां				कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अन्तिम अवशेष
		पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	श्रम उपकर		जमा धनराशि पर ब्याज			
			बोर्ड के खाते में प्राप्त	कोषागार (राज्य सरकार) से प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7 (स्तंभ 2 से 6)	8	9 (स्तंभ 7–8)
2015-16	1,830.59	14.55	686.81	0.00	128.37	2,660.32	202.41	2,457.91
2016-17	2,457.91	13.00	829.60	10.00	162.23	3,472.74	277.78	3,194.96
2017-18	3,194.96	10.54	789.79	36.96	214.36	4,246.61	324.14	3,922.47
2018-19	3,922.47	07.42	891.31	09.99	247.86	5,079.05	193.85	4,885.20
2019-20	4,885.20	13.15	916.45	08.73	323.18	6,146.71	362.67	5,784.04

स्रोत: उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड (अनन्तिम आकड़े)

राज्य सरकार ने संग्रहीत उपकर को बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में जमा करने का आदेश निर्गत (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) किया। उपकर को शासकीय लेखे में लिये बिना बोर्ड के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित करने का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 का उल्लंघन करता है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2020 को बोर्ड के पास ₹ 5,784.04 करोड़ उपलब्ध थे। आगे यह पाया गया कि:

(i) उपकर के लेखाकरण हेतु अपनायी गयी प्रणाली बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998[48] के अनुरूप नहीं है जिसमें यह प्रावधान है कि संग्रहीत उपकर राज्य के लेखाकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत बोर्ड के लेखाशीर्ष में बोर्ड को अन्तरित किया जायेगा। तद्नुसार, संग्रहीत उपकर लोक लेखे में रखा जाना चाहिए एवं वहाँ से यह बोर्ड के खाते में अन्तरित किया जा सकता है।

(ii) अग्रेतर, सरकार के लेखे के माध्यम से उपकर का लेखाकरण नहीं अपनाये जाने के कारण राज्य सरकार के लेखे से यह भी निश्चित नहीं किया जा सकता है कि उपकर, फीस आदि के मद में कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी और कितनी राशि बोर्ड को अन्तरित की गयी।

श्रमिक उपकर का उपभोग

राज्य सरकार ने बीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि से निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों यथा पेंशन, आवासीय विद्यालय, आवास के क्रय/निर्माण हेतु अग्रिम, अन्तेष्टि सहायता, चिकित्सकीय सहायता, मेधावी छात्रों को नगद पुरस्कार, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह, गंभीर बीमारी, सौर ऊर्जा, कौशल विकास एवं तकनीकी प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता आदि को अधिसूचित किया। 2015–20 की अवधि के दौरान इन योजनाओं पर व्यय का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

[48] भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 14 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्र सरकार ने बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम 1998 बनाया जिसे भारत के गजट दिनांक 26 मार्च, 1998 में प्रकाशित किया गया।

तालिका 4.2: 2015–20 की अवधि के दौरान बीओसीडब्ल्यू पंजीकरण, आच्छादन एवं उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड द्वारा योजनाओं पर व्यय

वर्ष	उपलब्ध निधि (₹ करोड़ में)	संचालित योजनायें		योजनाओं पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	वर्ष के अन्त तक पंजीकृत श्रमिक	आच्छादित श्रमिक	प्रतिशत्ता		
		संख्या	बीओसीडब्ल्यू द्वारा आवंटन (₹ करोड़ में)				आच्छादित श्रमिक	आवंटन के सापेक्ष निधि का उपभोग	उपलब्धता के सापेक्ष निधि का उपभोग
2015-16	2,660.32	21	605.61	141.82	27,41,452	2,77,909	10.14	23.42	05.33
2016-17	3,472.74	23	752.83	249.88	34,27,104	5,16,851	15.08	33.19	07.20
2017-18	4,246.61	18	514.06	282.57	42,08,744	3,50,384	08.33	54.97	06.65
2018-19	5,079.05	16	361.75	193.62	48,56,323	2,69,424	05.55	53.52	03.81
2019-20	6,146.71	16	696.94	357.25	53,70,729	12,54,380	23.36	51.26	05.65

स्रोतः उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड (अनन्तिम आकड़े)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण पर उपलब्ध निधियों के सापेक्ष 3.81 से 7.20 प्रतिशत व्यय किया गया और 5.55 से 23.36 प्रतिशत श्रमिकों को आच्छादित किया गया। आगे यह पाया गया कि गत वर्ष 2018–19 के सापेक्ष वर्ष 2019–20 में व्यय में वृद्धि मुख्यतया कोविड महामारी से प्रभावित श्रमिकों के लिये आपदा राहत सहायता योजना पर ₹ 96.69 करोड़ की धनराशि के व्यय के कारण थी।

4.1.2 राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 82 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग का गठन करेगी। अधिनियम की धारा 103 में आगे प्रावधान है कि राज्य सरकार एक निधि का गठन करेगी जिसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के रूप में जाना जायेगा एवं जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिये गये कोई भी अनुदान एवं ऋण, अधिनियम के अन्तर्गत राज्य आयोग को प्राप्त सभी फीस एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से आयोग को प्राप्त अन्य सभी निधियाँ जमा होंगी।

उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का गठन 10 सितम्बर 1998 को हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा प्राप्त फीस आयोग द्वारा संचालित एक बैंक खाते में जमा की गयी। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) का उलंघन करते हुए 31 मार्च 2020 तक ₹ 110.16 करोड़ की धनराशि राज्य के लोक लेखे से बाहर रखी गयी। यहाँ यह प्रासंगिक है कि समान मामले में, केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 99 के अन्तर्गत गठित (अक्टूबर 2007) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि को भारत के लोक लेखा के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था।

प्रकरण को 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 6.1 में भी रेखांकित किया गया था। उत्तर (जून 2020) में, वित्त विभाग ने ऊर्जा विभाग से उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक निधि के लिये नियम बनाने एवं धनराशि को राज्य के लोक लेखे में अंतरित करने हेतु अनुरोध किया। प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रतीक्षित (जुलाई 2021) थी।

4.1.3 जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास

जनवरी 2015 में यथा संशोधित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9बी में प्रावधान है कि खनन सम्बन्धी संक्रियाओं से प्रभावित किसी जिले में, राज्य सरकार जिला खनिज फाउन्डेशन के नाम से ज्ञात एक अलाभकारी निकाय के रूप में एक न्यास की स्थापना करेगी। तदनुरूप,

उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला खनिज फाउन्डेशन न्यासों (डीएमएफटी) की स्थापना (अप्रैल 2017) किया।

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9बी (3), 15 एवं 15ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत माडल जिला खनिज फाउन्डेशन (न्यास) नियम, 2015 को अपनाते हुए, राज्य सरकार ने डीएमएफटी की संरचना एवं कार्यों को विनियमित करने हेतु उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियम, 2017 बनाया (मई 2017)। लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त नियम के नियम 15 के अनुसार, प्रत्येक जिले में न्यास निधि न्यास के नाम से अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जानी थी। 2017–18 एवं 2019–20 के मध्य आरोपित एवं संग्रहीत ₹ 699.54 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के डीएमएफटी के खातों में जमा की गयी। इसमें से, विभिन्न उद्देश्यों के लिए ₹ 202.91 करोड़ का व्यय किया गया।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) के मामले में, भारत सरकार, खनन मंत्रालय, जिसने पहले न्यास को अनुसूचित बैंक में खाता खोलने एवं संचालित करने की अनुमति प्रदान की थी (अगस्त 2015), ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास नियम, 2015 को संशोधित किया (मार्च 2018) एवं न्यास के बैंक खाते को शीघ्रातिशीघ्र बन्द करने का निर्देश दिया। संशोधित नियम के अन्तर्गत, एमएमईटी निधि गैर–व्यपगत एवं ब्याज रहित लेखा के रूप में भारत के लोक लेखा के अधीन खोली जायेगी एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित होगी। निधि के अधीन व्यय करने के लिये समुचित शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की अनुदान मांगों के लिये भी वार्षिक बजट में प्रावधान किया जायेगा एवं इसके समतुल्य धनराशि निधि से पूरी की जायेगी।

इस प्रकार, प्रश्नगत मामले में, राज्य सरकार को न्यास निधि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में रखने के वर्तमान प्रावधान पर पुनर्विचार करना चाहिए एवं इसे संविधान के अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुरूप लाना चाहिए। इस सम्बन्ध में, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व), उत्तर प्रदेश के प्रस्तर 5.3 में यह उल्लेख किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 266 (1) का उलंघन करते हुए राज्य सरकार ने डीएमएफटी निधि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में रखा था। यह संस्तुति की गयी थी कि न्यास में अंशदान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि राज्य के शासकीय लेखे का भाग होना चाहिए एवं सरकार कोडल प्रावधानों के अनुरूप व्यय को अधिकृत करने के लिये लोक लेखे में डीएमएफटी निधि का सृजन करे।

विभाग ने बताया (जनवरी 2021) कि डीएमएफटी के खाते केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत माडल जिला खनिज फाउन्डेशन (न्यास) नियम, 2015 को अपनाकर बनाये गये उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियम, 2017 के नियम 15 में निहित प्रावधानों के अनुसार खोले गये थे।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एनएमईटी के प्रकरण में, भारत सरकार ने दिनांक 7 मार्च 2018 की अधिसूचना के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 266(1) के संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया था और न्यास में देय अंशदान को भारत के लोक लेखे का भाग बनाया। अतः राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 266 के संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

4.2 राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त गैर–बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मानदंडों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से संचित निधि में जमा नहीं किए जा रहे गैर–बजट ऋण का सहारा लिया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2004 में रेखांकित किया गया है कि राज्य सरकार प्रतिभूतियों के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक देनदारियों; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्पेशल पर्पज वेहिकल द्वारा लिये गये ऋण से उत्पन्न वास्तविक देनदारियों तथा अन्य समकक्ष प्रपत्र, जहाँ पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के आवंटन पर है, को प्रकट करते हुए लोक हित में अपने राजकोषीय संक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2006 में प्रावधान किया गया है कि बजट अभिलेखों के साथ विधानमंडल के समक्ष रखे जाने वाले 'मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) विवरण' में राज्य सरकार के राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं कुल बकाया ऋण[49] के सम्बन्ध में पांच साल का रोलिंग लक्ष्य शामिल होगा। वर्ष 2019–20 के लिए ऋण–स्टॉक को जीएसडीपी के 29.98 प्रतिशत के रूप में लक्षित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/प्राधिकरणों[50] के माध्यम से बजट से बाहर ऋण प्राप्त किया। पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा इस प्रकार के ऋण का ऋण–स्टॉक की स्थिति एवं जीएसडीपी से ऋण–स्टॉक के अनुपात पर प्रभाव पड़ा।

इस संबंध में विवरण इस प्रकार है:

(i) गैर–बजट ऋण: 2017–19 की अवधि के दौरान, ₹ 7,279 करोड़ की स्वीकृत ऋण राशि के सापेक्ष, कुछ राज्य पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ₹ 6,494 करोड़ की धनराशि का ऋण लिये गये, जिसका सर्विस राज्य सरकार के बजट से किया गया। 2017–19 की अवधि के दौरान ऐसे ऋणों की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 4.3** में दी गई है।

तालिका 4.3: 2017–19 की अवधि के दौरान गैर–बजट ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकार की ओर से ऋण लेने वाली इकाईयाँ	ऋण देने वाली एफ.आई.	स्वीकृत ऋण	संवितरित ऋण
2017-18	यूपीएसबीसीएल, यूपीआरएनएन, यूपीएसएचए एवं यूपीईआईडीए	हुडको	7,279.00	6,260.00
2018-19	यूपीईआईडीए	हुडको		234.00
योग			**7,279.00**	**6,494.00**

स्रोत:: सम्बन्धित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनायें।

(ii) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता: वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य के बजट से इन पीएसयू/प्राधिकरणों को ₹ 1,953.08 करोड़ (ब्याज भुगतान के सापेक्ष ₹ 566.66 करोड़ और मूलधन के पुनर्भुगतान के सापेक्ष ₹ 1,386.42 करोड़) प्रदान किए। ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 4.4** में दी गई है।

---

[49] राज्य का कुल बकाया ऋण राज्य के ऋण स्टॉक की स्थिति या कुल ऋणग्रस्तता जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, आरक्षित निधियाँ एवं जमा और अग्रिम शामिल हैं, को इंगित करता है।

[50] उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसीएल), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन), उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (यूपीएसएचए) एवं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए)।

तालिका 4.4: ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाइयों के नाम	ब्याज राशि के भुगतान के लिए सहायता	मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए सहायता
1	यूपीएसबीसीएल	61.27	77.13
2	यूपीआरएनएन	243.29	200.51
3	यूपीएसएचए	238.45	192.78
4	यूपीईआईडीए	23.65	916.00
योग		**566.66**	**1,386.42**

स्रोत:: सम्बन्धित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनायें

(iii) ऋण–स्टॉक: चूंकि ये गैर–बजट ऋण राज्य के ऋण–स्टॉक का भाग नहीं हैं, ऋण–स्टॉक की स्थिति वास्तविक ऋण भार को नहीं दर्शाती है जैसा कि **तालिका 4.5** में दिया गया है।

तालिका 4.5: गैर–बजट ऋणों सहित ऋण–स्टॉक की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण–स्टॉक	गैर–बजट ऋण	संचयी गैर–बजट ऋण	वित्तीय सहायता के माध्यम से गैर–बजट ऋण का भुगतान	गैर–बजट ऋण और पुनर्भुगतान के लिए वित्तीय सहायता को समाहित करने के बाद ऋण स्टॉक
1	2	3	4	5	6 = (2+4-5)
31-03-2018 को ऋण स्टॉक	4,67,842.00	6,260.00	6,260.00	0.00	4,74,102.00
31.03.2019 को ऋण स्टॉक	5,18,095.00	234.00	6,494.00	0.00	5,24,589.00
31.03.2020 को ऋण स्टॉक	5,02,412.02	0.00	6,494.00	1,386.42	5,07,519.60

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे और सम्बन्धित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि 31 मार्च 2020 तक के गैर–बजट ऋण को समाहित करने पर 2019–20 में ऋण स्टॉक ₹ 5,107.58 करोड़[51] अधिक था। तदनुसार, 31.03.2020 को जीएसडीपी[52] से ऋण–स्टॉक का अनुपात गैर–बजट ऋण को बिना समाहित किये 28 प्रतिशत के सापेक्ष गैर–बजट ऋण सहित 28.28 प्रतिशत था।

प्रकरण सरकार के संज्ञान में लाया गया (जनवरी 2021), सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2021) है।

4.3 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियाँ

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना हेतु ₹ 2,023.76 करोड़ नामित निधि प्रबन्धक को अग्रेतर निवेश हेतु, प्रेषित नहीं किया।

1 अप्रैल 2005 या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत आच्छादित हैं। यह सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के नए प्रवेशकों पर भी लागू होता है। योजना के शर्तों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं और राज्य सरकार द्वारा भी 2018–19 तक समान राशि का योगदान किया जाता था। राज्य सरकार ने 1.4.2019

[51] ₹ 5,07,519.60 करोड़ - ₹ 5,02,412.02 करोड़

[52] जीएसडीपी: 2019-20 ₹ 17,94,508 करोड़

से अपना अंश 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रारम्भ में दोनों योगदान सरकारी कर्मचारियों के लिये सम्बन्धित लेखा शीर्ष 8342–अन्य जमा–117 डीसीपीएस तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और स्वायत्त निकायों के लिये 8342–120–विविध जमा के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा किये जाने हैं। इसके बाद, डीसीपीएस में योगदान की गई सम्पूर्ण धनराशि (सरकार का योगदान और कर्मचारियों का योगदान) को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित किया जाना वांछनीय है। अग्रेतर, मुख्य शीर्ष 8342 ब्याज सहित जमा की श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ है कि सरकार को अहस्तांतरित शेष पर ब्याज का भुगतान करना वांछनीय है।

तथापि, राज्य सरकार ने उपर्युक्त प्रक्रिया का सम्पूर्णता से पालन नहीं किया। वर्ष 2019–20 के दौरान, सरकारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, एवं स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने सरकार के योगदान के रूप में ₹ 3,478.57 करोड़ (सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹ 2,299.04 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए ₹ 1,179.42 करोड़ और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए ₹ 0.11 करोड़) लेखा शीर्ष 2071–01–117–डीसीपीएस के लिए सरकार का योगदान में पुस्तांकित किया। इसके सापेक्ष, राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 1,232.29 करोड़ (सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹ 78.68 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए ₹ 1,153.50 करोड़ और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए ₹ 0.11 करोड़) की धनराशि नामित लेखा शीर्ष 8342–117/120 अन्य जमा में हस्तान्तरित नहीं किया। इस प्रकार, 2019–20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सरकार के योगदान की धनराशि ₹ 1,232.29 करोड़, जिसे लेखे में राजस्व व्यय पुस्तांकित किया गया, डीसीपीएस हेतु नामित मुख्य शीर्ष 8342 में हस्तान्तरित नहीं किया गया। मुख्य शीर्ष 2071 से नामित मुख्य शीर्ष 8342 में ₹ 530.59 करोड़ की धनराशि के योगदान के अल्प अन्तरण को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश सरकार–वर्ष 2020 के प्रतिवेदन सं0 2 के प्रस्तर 1.5.1.3) में संज्ञान में भी लाया गया। तथापि, जैसा कि वित्त लेखे में बताया गया, राज्य सरकार द्वारा अहस्तान्तरण का कारण प्रेषित नहीं किया गया।

अग्रेतर, वर्ष 2019–20 के दौरान, सरकार को ₹ 7,104.45 करोड़ (सरकार का योगदान ₹ 3,478.57 करोड़, कर्मचारियों का योगदान ₹ 3,624.21 करोड़ और डीसीपीएस पर ब्याज का भुगतान ₹ 1.67 करोड़) नामित निधि प्रबंधक को हस्तान्तरित करना वांछनीय था। तथापि, सरकार ने नामित निधि प्रबंधक को मात्र ₹ 5,080.69 करोड़ हस्तान्तरित किया। इस प्रकार, योजना के प्रावधान के अनुसार इसके अग्रेतर निवेश के लिए 2019–20 के दौरान नामित प्राधिकारी को ₹ 2,023.76 करोड़ (₹ 7,104.45 करोड़ – ₹ 5,080.69 करोड़) का अल्प हस्तांतरण हुआ। नामित निधि प्रबन्धक को डीसीपीएस के योगदान के इस प्रकार के अल्प हस्तान्तरण को 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्षों हेतु राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पूर्व में संज्ञान में लाया गया।

इस प्रकार, राज्य सरकार ने डीसीपीएस हेतु सांविधिक देयता का उन्मोचन नहीं किया और वर्तमान देयता भविष्य के वर्षों हेतु स्थगित है। परिणामस्वरूप, गैर–प्रेषित निधि से कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई क्योंकि यह अभिदाताओं के निवेश के कोष का अंश नहीं बन सकी। अग्रेतर, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को देय लाभों/भविष्य में सरकार के परिहार्य वित्तीय देयता के सम्बन्ध में अनिश्चितता का सृजन किया और इस प्रकार योजना संभावित विफलता की ओर अग्रसर हुई। प्रकरण सरकार के संज्ञान में लाया गया (जनवरी 2021), सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2021) है।

4.4 उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न होना

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) की स्थापना नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 536.38 करोड़ की धनराशि यूपीआरटीएआरएफ में जमा नहीं की जा रही थी।

2009 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (यूपीएमवीटी) अधिनियम, 1997 की धारा 8(1) के प्रावधानों के अनुसार, किसी सार्वजनिक सेवायान के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) स्थापित करेगी। धारा 4 के अधीन उद्ग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा 6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि निधि में जमा की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना नहीं किये जाने का प्रकरण, जिसमें यूपीएमवीटी अधिनियम के प्रावधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य को नकार दिया गया था, का उल्लेख 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश सरकार–वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं0 04 का प्रस्तर सं0 1.9.3.2) में किया गया था। उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया था कि यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना अभी तक नहीं किया था।

2015–20 की अवधि के दौरान, परिवहन विभाग ने यूपीएमवीटी अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अन्तर्गत ₹ 26,818.61 करोड़ का कर वसूल किया, जिसका विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6: 2015–20 की अवधि के दौरान यूपीआरटीएआरएफ में जमा किए जाने योग्य कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	धारा 4 के अधीन वसूल किया गया कर			धारा 6 के अधीन वसूल किया गया अतिरिक्त कर	धारा 4 और 6 के अधीन वसूल किया गया कुल कर	यूपीआरटीएआरएफ में हस्तांतरित किये जाने हेतु 2 प्रतिशत
लेखाशीर्ष	0041-102-01	0041-102-03	योग	0041-102-01		
1	2	3	4 = 2+3	5	6 = 4+5	7= स्तम्भ 6 का 2%
2015-16	3,710.60	159.40	3,870.00	213.00	4,083.00	81.66
2016-17	4,357.84	168.27	4,526.11	243.67	4,769.78	95.40
2017-18	5,186.72	186.02	5,372.74	270.73	5,643.47	112.87
2018-19	5,585.21	199.77	5,784.98	259.01	6,043.99	120.88
2019-20	5,843.87	203.25	6,047.12	231.25	6,278.37	125.57
योग	**24,684.24**	**916.71**	**25,600.95**	**1217.66**	**26,818.61**	**536.38**

स्रोतः कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 2015–20 की अवधि के लिए यूपीआरटीएआरएफ में ₹ 536.38 करोड़ की धनराशि जमा की जानी थी परन्तु निधि की स्थापना नहीं होने के कारण जमा नहीं की जा सकी। ₹ 536.38 करोड़ में से, ₹ 125.57 करोड़ वर्ष 2019–20 से सम्बन्धित है। इसका राज्य के राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय आधिक्य पर भी प्रभाव पड़ा जो वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 125.57 करोड़ अधिक बताये गये।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने बताया (जनवरी 2021) कि यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। आगे यह भी सूचित किया गया कि 2015–20 की अवधि के दौरान, परिवहन विभाग के अनुदान 43

के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से दुर्घटनाग्रस्त सम्बन्धित पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 1.01 करोड़[53] की धनराशि प्रदान की गयी। इस प्रकार, दुर्घटना के कारण पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता यूपीआरटीएआरएफ से प्रदान नहीं की जा रही है जिसे यूपीएमवीटी अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत स्थापित किया जाना वांछनीय था। वर्ष 2015–20 के दौरान निधि में जमा की जानी वाली धनराशि (₹ 536.38 करोड़) एवं पीड़ितों को प्रदान की गयी सहायता (₹ 1.01 करोड़) में भी बड़ा अन्तर था। सरकार को लोक लेखा में यूपीआरटीएआर निधि की स्थापना करके अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

लेखाओं की पूर्णता एवं पारदर्शिता से सम्बन्धित मुद्दे

4.5 उपभोग प्रमाणपत्र के प्रेषण में विलम्ब

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड–V भाग–I, प्रस्तर 369–एच में प्रावधान है कि जहां अनुदान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किए गये हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को अनुदान प्राप्तकर्ता से उपभोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त करना चाहिए, जिसे सत्यापन के बाद महालेखाकार (ले. एवं हक.) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अग्रेतर, उन अनुदानों के सम्बन्ध में, जिसे स्वीकृति की तारीख से अगले 12 महीनों के दौरान उपभोग किए जाने की उम्मीद है, सक्षम प्राधिकारी को अनुदान की स्वीकृति के दिनांक से 18 महीने से अनधिक समय में अपेक्षित प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रेषित करना चाहिए।

जिस उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान का उपयोग किया गया था, उसकी पुष्टि केवल यूसी प्राप्त होने पर ही की जा सकती है जो अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों के अपयोजन से बचाव करेगा। इस प्रकार, लेखे में दर्शाए गए व्यय को यूसी के अप्राप्त रहने की मात्रा तक अंतिम नहीं माना जा सकता है। 30 सितंबर 2018 तक दिए गए अनुदानों के लिए 31 मार्च 2020 को बकाया उपभोग प्रमाणपत्रों की स्थिति **तालिका 4.7** में दी गई है।

तालिका 4.7: उपभोग प्रमाण पत्र के प्रेषण में बकाया

वर्ष *	प्रतीक्षित उपभोग प्रमाणपत्रों की संख्या (31 मार्च को)	धनराशि (₹ करोड़ में)
2017-18 तक	40,846	14,147.29
2018-19	530	1,550.65
योग	41,376	15,697.94

स्रोत: वित्त लेखा 2019–20 और म.ले. (ले. एवं हक.), उ.प्र., प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें।

*(*उपर्युक्त वर्ष उस 'निर्गत वर्ष' से सम्बन्धित है जिसके लिए यूसी देय थे, लेकिन मार्च 2020 तक यूसी प्राप्त नहीं हुए)*

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि 2001–02 से 2018–19 (सितंबर 2018 तक) की अवधि के दौरान निर्गत अनुदानों के लिए कुल ₹ 15,697.94 करोड़ के 41,376 यूसी 31 मार्च 2020 को बकाया थे। लम्बित यूसी की वर्ष–वार स्थिति का सार **तालिका 4.8** में है।

[53] वर्ष 2015-16- ₹ 5.85 लाख (41 दुर्घटनायें), वर्ष 2016-17- ₹ 19.35 लाख (77 दुर्घटनायें), वर्ष 2017-18- ₹ 24.00 लाख (121 दुर्घटनायें), वर्ष 2018-19- ₹ 19.15 लाख (143 दुर्घटनायें) एवं वर्ष 2019-20- ₹ 33.07 लाख (176 दुर्घटनायें)।

तालिका 4.8: बकाया यूसी का वर्षवार ब्योरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	यूसी की संख्या	धनराशि
2001-02 से 2009-10	28,692	6,211.41
2010-11	1,205	736.71
2011-12	951	510.39
2012-13	1,232	674.18
2013-14	1,965	1,691.44
2014-15	2,126	1,136.19
2015-16	1,345	675.72
2016-17	1,547	1,050.35
2017-18	1,783	1,460.90
2018-19	530	1,550.65
योग	**41,376**	**15,697.94**

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं म.ले. (ले. एवं हक.), उ.प्र., प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें

कुल बकाया यूसी में से, ₹ 13,448.93 करोड़ (85.67 प्रतिशत) धनराशि के 20,365 यूसी (49.22 प्रतिशत) छह विभागों (अनुदान); समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज), शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) और कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास) से सम्बन्धित थे जैसा कि **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: विभागवार बकाया यूसी की धनराशि

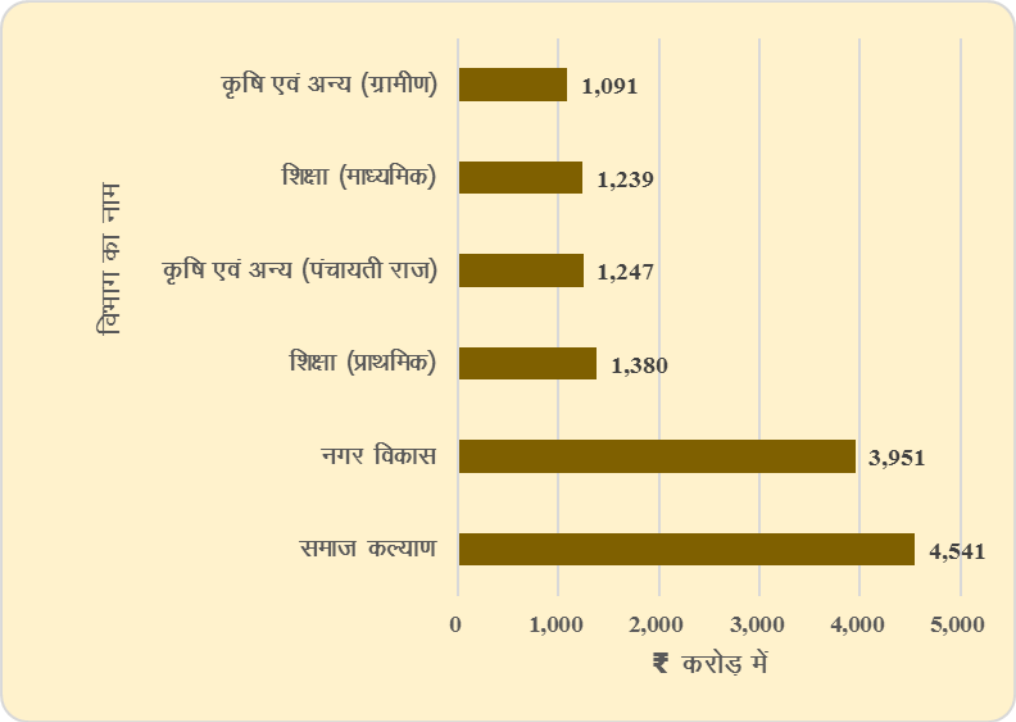

यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित सहायता अनुदान वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया गया है जिसके लिए उन्हें विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूसी के उच्च लम्बितता की स्थिति निधियों के गबन, अपयोजन एवं दुर्विनियोजन के जोखिम से भरी हुई थी।

4.6 संक्षिप्त आकस्मिक बिल

राज्य सरकार द्वारा उन व्यय की मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण, जिसके लिए आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण और समर्थित वाउचर उपलब्ध नहीं हैं, 'संक्षिप्त आकस्मिक' (एसी) बिलों पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश कोषागार नियमावली के प्रस्तर 62 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब तक तत्काल संवितरण आवश्यक न हो, एसी बिलों के माध्यम से किसी धनराशि का आहरण नहीं किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड–V) भाग–। के प्रस्तर 183 के अनुसार, धनराशि के उपभोग के बाद, विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल अगले माह के अन्त तक नियंत्रण अधिकारी को या जहां कोई नियंत्रण अधिकारी नहीं है, महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है। लंबे समय तक समर्थित डीसी बिलों को प्रस्तुत न करने से एसी बिलों के अन्तर्गत किया गया व्यय अपारदर्शी हो जाता है। 31 मार्च 2020 को लम्बित डीसी बिलों का विवरण **तालिका 4.9** में दिया गया है।

तालिका 4.9: 2019–20 तक के संक्षिप्त आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने की वर्षवार स्थिति

वर्ष	लम्बित डीसी बिलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2017-18 तक	1,185	10.98
2018-19	30	0.16
2019-20	108	5.92
योग	**1,323**	**17.06**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं म.ले. (ले. एवं हक.), उ.प्र., प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, ₹ 10.98 करोड़ की धनराशि के 1,185 बिल 2017–18 से पूर्व की लंबी अवधि से लम्बित थे और ₹ 6.08 करोड़ की धनराशि के 138 बिल पिछले दो वर्षों से लम्बित थे। कुल बकाया ए.सी. बिलों में से, ₹ 13.96 करोड़ (81.83 प्रतिशत) की धनराशि के 300 बिल (22.68 प्रतिशत) चार विभागों: सचिवालय प्रशासन विभाग (₹ 7.06 करोड़ धनराशि के 129 एसी बिल); निर्वाचन विभाग (₹ 4.57 करोड़ धनराशि के 79 एसी बिल); महिला एवं बाल कल्याण विभाग (₹ 1.30 करोड़ धनराशि के 81 एसी बिल) और गृह विभाग (होमगार्ड) (₹ 1.03 करोड़ धनराशि के 11 एसी बिल) से सम्बन्धित थे।

विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब इंगित करता है कि निधियां बिना तत्काल भुगतान की आवश्यकता के आहरित की गई थीं। एसी बिल के माध्यम से धनराशि का आहरण संचित निधि में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के सापेक्ष लेखाबद्ध किया जाता है। जब तक निर्धारित समय के अन्दर लेखे का समायोजन नहीं किया जाता है, व्यय उस सीमा तक बढ़ा रहता है। अग्रेतर, निर्धारित समय के अन्दर डीसी बिलों को प्रस्तुत न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन होता है बल्कि अपव्यय/दुर्विनियोजन/कदाचार आदि की संभावना भी बढ़ जाती है। एक करोड़ से अधिक धनराशि के बकाया एसी बिल वाले विभागों को **चार्ट 4.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.2: ₹ एक करोड़ से अधिक धनराशि के लम्बित डीसी बिल

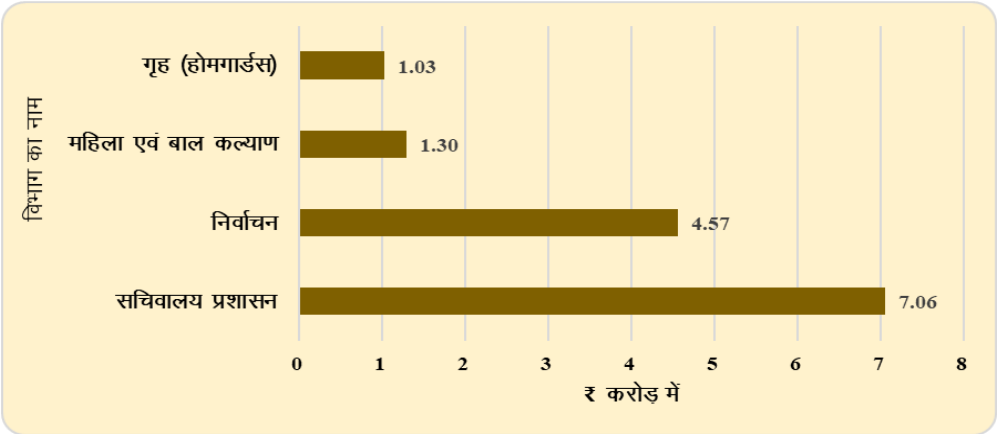

4.7 वैयक्तिक जमा/वैयक्तिक लेजर खाते

संघ और राज्यों के लेखे के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अन्तर्गत, वैयक्तिक जमा, 8443–सिविल जमा–106–व्यक्तिगत जमा के अन्तर्गत खोले गए ब्याज रहित जमा की प्रकृति के होते हैं। उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता (पीएलए) नियमावली 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार, राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वैयक्तिक जमा (पीडी) खाते/पीएलए खोलने के लिए अधिकृत है। नामित प्रशासक राज्य की संचित निधि से निधियों के अंतरण द्वारा इन पीडी खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। अग्रेतर, उक्त नियम के प्रस्तर 11(2) में प्रावधान है कि यदि किसी पीडी खाते में तीन साल तक कोई संव्यवहार नहीं होता है, तो कोषागार अधिकारी ऐसे खातों को बन्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुरोध करेगा, और यदि तीन माह के अन्दर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो महालेखाकार की सलाह पर अवशेष धनराशि, यदि कोई हो, को सम्बन्धित लेखा शीर्ष में स्थानांतरित करने के बाद पीडी खाते को बंद कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2020 को पीएलए/पीडी खातों का विवरण **तालिका 4.10** में दिया गया है।

तालिका 4.10: वर्ष 2019–20 के दौरान पीएलए/पीडी खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक अवशेष (01–04–2019 को)		वर्ष के दौरान वृद्धि (खोले गए खाते) और प्राप्तियां		वर्ष के दौरान खातों की बन्दी और खातों से संवितरण		अन्तिम अवशेष (31–03–2020 को)	
खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि
1,070	4,362.43	0	1,206.55	289	1,220.24	781	4,348.74

स्रोत: वित्त लेखा 2019–20 (राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 289 पीएलए/पीडी खाते बन्द किये गये और इन खातों में पड़े ₹ 9.75 करोड़ के अव्ययित अवशेष को संचित निधि में पुनः अन्तरित किया गया। अग्रेतर, 31 मार्च 2019 को अन्तिम अवशेष और 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक अवशेष के मध्य ₹ 14.54 करोड़ (35 खातों के लिए) का अंतर था, जो कि कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज और राज्य सरकार के मध्य समाधान के अधीन है।

असंचालित पीएलए/पीडी खाते

वर्ष 2019–20 के अंत में संचालित और असंचालित पीएलए/पीडी खातों का संघटन **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.11: 2019–20 के अन्त में संचालित और असंचालित पीएलए/पीडी खाते

(₹ करोड़ में)

पीएलए/पीडी खाते					
संचालित		असंचालित		योग	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
556	4,336.79	225	11.95	781	4,348.74

स्रोतः वित्त लेखा 2019–20 (राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

कुल 781 पीएलए/पीडी खातों में से, 225 पीएलए/पीडी खाते, जिनमें अवशेष राशि ₹ 11.95 करोड़ थी, असंचालित थे क्योंकि इन खातों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई संव्यवहार नहीं किया गया। प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश सरकार ने असंचालित पीएलए/पीडी खातों को बंद करने का आदेश निर्गत (जनवरी 2018) किया और सभी कोषागार अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार असंचालित पीएलए/पीडी खातों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता नियमावली, 1998 के कोडल प्रावधानों और शासनादेश (जनवरी 2018) के उलंघन में इन असंचालित पीएलए/पीडी खातों को बंद नहीं किया गया। कोडल प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी संज्ञान में लाया गया था।

पीएलए/पीडी खातों का मिलान

राज्य के पीएलए/पीडी खातों को संचालित करने वाले 77 कोषागारों में से, वर्ष 2019–20 के दौरान मात्र 47 कोषागारों ने पीडी/पीएलए खातों के सम्बन्धित प्रशासक के अभिलेखों के साथ स्वयं के द्वारा अनुरक्षित पीएलए/पीडी खातों के आंकड़ों का मिलान किया। शेष 30 कोषागारों के मिलान की स्थिति कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को सम्बन्धित कोषागारों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

4.8 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग

बजट और लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, लेखे के प्रारूपों, जिसमें सरकार की प्राप्तियों और व्यय को विधानमंडल में प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए और उसे अद्यतन किया जाना चाहिए जिससे वे वास्तव में सभी महत्वपूर्ण हितधारकों की आधारभूत सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्तियों और व्यय को पारदर्शी तरीके से प्रतिबिंबित कर सकें। इस प्रयोजन हेतु, अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लेखे अपारदर्शी हो जाते हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, व्यय पक्ष में 82 राजस्व और पूंजीगत मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 36,247.60 करोड़, जो कि ₹ 3,58,831.08 करोड़ के कुल व्यय (राजस्व और पूंजीगत) का 10.10 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत अभिलेखित किया गया। 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित व्यय की प्रवृत्ति और कुल व्यय से इसका प्रतिशत **चार्ट 4.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: 2015–20 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय का परिचालन

ऐसे उदाहरण जहां व्यय के बहुत महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे, **तालिका 4.12** में सूचीबद्ध हैं।

तालिका 4.12: वर्ष 2019–20 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत्ता
5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	1,328.79	1,328.79	100.00
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	792.48	792.48	100.00
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	651.85	651.85	100.00
2885	उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	572.04	572.04	100.00
2705	कमान्ड क्षेत्र विकास	104.16	104.16	100.00
2575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	70.32	70.32	100.00
4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	9.32	9.32	100.00
4853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	5.02	5.02	100.00
2407	वृक्षारोपण	4.69	4.69	100.00
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.14	1.14	100.00
2041	वाहनों पर कर	0.73	0.73	100.00
4404	डेयरी विकास पर पूंजी परिव्यय	0.20	0.20	100.00
2852	उद्योग	1,257.81	1,391.58	90.39
2216	आवास	577.74	681.79	84.74
3053	नागरिक उड्उयन	19.01	23.22	81.87
4575	अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	590.09	750.40	78.64
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	518.91	667.60	77.73
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	1,612.61	2,111.55	76.37
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	134.66	195.27	68.96

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत्ता
4401	फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	122.29	177.45	68.92
2801	ऊर्जा	11,388.41	17,290.13	65.87
3452	पर्यटन	35.72	56.06	63.72
2700	वृहद सिंचाई	402.26	640.16	62.84
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	656.07	1,098.08	59.75
2245	प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत	731.57	1,316.79	55.56
2211	परिवार कल्याण	3,305.72	6,364.87	51.94

स्रोतः वित्त लेखे 2019–20

इसी प्रकार, वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्ति पक्ष (इसमें मौजूदा निक्षेप निधि के अवशेष के गैर कर–राजस्व में अन्तरण के कारण शीर्ष 0075–विविध सामान्य सेवायें–800–अन्य प्राप्तियों में पुस्तांकित ₹ 71,180.23 करोड़ शामिल है) के 54 राजस्व मुख्य लेखाशीर्षों में लघुशीर्ष 800–अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत कुल ₹ 76,255.58 करोड़, जो कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 3,66,393.18 करोड़ का 20.81 प्रतिशत है, को पुस्तांकित किया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान लघु शीर्ष–800 के अन्तर्गत बड़ी धनराशि पुस्तांकित करने वाले प्रमुख विभाग **तालिका 4.13** में दिये गये है।

तालिका 4.13: वर्ष 2019–20 के दौरान लघु शीर्ष 800 – अन्य प्राप्तियां के अन्तर्गत पुस्तांकित महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत्ता
0801	ऊर्जा	1,044.14	1,044.14	100.00
1456	नागरिक आपूर्ति	21.25	21.25	100.00
0217	नगर विकास	20.37	20.37	100.00
0875	अन्य उद्योग	10.84	10.84	100.00
0506	भूमि सुधार	2.71	2.71	100.00
0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.49	1.49	100.00
0023	होटल प्राप्तियाँ कर	1.21	1.21	100.00
0415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0.62	0.62	100.00
0810	ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत	0.13	0.13	100.00
0215	जल आपूर्ति और स्वच्छता	0.07	0.07	100.00
0047	अन्य राजकोषीय सेवायें	0.04	0.04	100.00
0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	34.03	34.13	99.71
1053	नागरिक उड्डयन	22.38	22.50	99.47
0075	विविध सामान्य सेवायें	71,454.20	72,043.54	99.18
0211	परिवार कल्याण	0.25	0.26	96.15
0700	वृहद सिंचाई	38.19	40.00	95.48
1054	सड़कें एवं पुल	674.18	706.81	95.38
1055	सड़क परिवहन	0.19	0.20	95.00
0056	जेल	4.06	4.38	92.69
0059	लोक निर्माण	42.34	46.02	92.00
0029	भू–राजस्व	459.34	503.62	91.21
0425	सहकारिता	5.26	5.94	88.55
0852	उद्योग	3.44	4.03	85.36
0406	वानिकी एवं वन्य जीवन	262.68	312.08	84.17
0851	ग्राम एवं लघु उद्योग	6.58	8.10	81.23
0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	76.55	102.79	74.47

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत्ता
0230	श्रम एवं रोजगार	46.04	67.53	68.18
0403	पशु पालन	19.17	30.84	62.16
0401	फसल पालन	87.98	142.26	61.84
0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.78	2.91	61.17
0070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	273.13	493.71	55.32

स्रोतः वित्त लेखे 2019–20

4.9 बहुप्रयोजनीय मानक मदः '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत अत्यधिक व्यय

राज्य सरकार के बजट में अधिक पारदर्शिता लाने तथा योजना एवं क्रियान्वयन में पर्याप्त सुरक्षा एवं नियंत्रण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से बहुप्रयोजनीय मानक मद '42–अन्य व्यय' के बजाय उपयुक्त शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान की आवश्यकता है। जैसा कि बजट दस्तावेजों में परिभाषित है 'अन्य व्यय' अवशिष्ट मदों से सम्बन्धित है और इसमें पारिश्रमिक तथा पुरस्कार संबंधी व्यय एवं विवेकाधीन निधियों से व्यय शामिल हैं ।

लेखे की जांच में पाया गया कि मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत ₹ 11,820.86 करोड़ का व्यय किया गया, जो 2019–20 के दौरान राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत कुल व्यय ₹ 3,83,351.68 करोड़ (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं लोक ऋण का पुनर्भुगतान) का 3.08 प्रतिशत है। अग्रेतर यह देखा गया कि 18 अनुदानों में, मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय इन अनुदानों के कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक था और इसने इन अनुदानों के कुल व्यय में 24.63 प्रतिशत का योगदान दिया जैसा कि **तालिका 4.14** में दिया गया है।

तालिका 4.14: विभिन्न अनुदानों में मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय और कुल व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं0	अनुदान विवरण	कुल व्यय	मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय का प्रतिशत
1	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.53	0.38	71.70
2	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	5,169.12	3,307.53	63.99
3	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प और निबन्धन)	297.32	171.54	57.70
4	45	पर्यावरण विभाग	7.97	4.00	50.19
5	28	गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन और अन्य व्यय)	296.41	145.47	49.08
6	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	403.55	179.10	44.38
7	76	श्रम विभाग (श्रमिक कल्याण)	493.48	197.57	40.04
8	13	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	10,164.33	3,452.48	33.97
9	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	897.28	282.45	31.48
10	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	764.67	196.16	25.65
11	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	820.54	191.60	23.35
12	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक और यूनानी)	819.81	101.94	12.43

क्र. सं.	अनुदान सं0	अनुदान विवरण	कुल व्यय	मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय का प्रतिशत
13	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	18,608.12	2,259.98	12.15
14	22	खेल विभाग	153.89	17.56	11.41
15	92	संस्कृति विभाग	123.48	12.92	10.46
16	29	गोपनीय विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	15.52	1.15	7.41
17	66	वित्त विभाग (समूह बीमा)	240.51	14.03	5.83
18	11	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	4,433.33	230.42	5.20
कुल (5 प्रतिशत से अधिक)			**43,709.86**	**10,766.28**	**24.63**

स्रोतः वीएलसी से लिये गये आंकड़े

मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत अत्यधिक व्यय का वर्गीकरण वित्तीय रिर्पोटिंग का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता है।

प्रकरण सरकार के संज्ञान में लाया गया (सितम्बर 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2021) है।

माप से सम्बन्धित मुद्दे

4.10 मुख्य उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल अवशेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष की गणना विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अलग–अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को समेकित करके की जाती है। उचन्त और प्रेषण मदों का समाशोधन राज्य कोषागारों/निर्माण, वन प्रभागों, आदि द्वारा प्रेषित विवरणों पर निर्भर करता है।

कुछ मुख्य उचन्त लेखा शीर्षों के अर्न्तगत अवशेष, जैसा कि कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा अनुरक्षित लेजर में दर्ज है, **तालिका 4.15** में इंगित किया गया है।

तालिका 4.15: उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत अवशेष

(₹ करोड़ में)

उचन्त शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20*	
मुख्य शीर्ष 8658– उचन्त	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101 – पीएओ उचन्त	0.0	10.84	238.98	5.51	427.72	181.76
निवल		क्रे. 10.84		डे. 233.47		डे. 245.96
102 – उचन्त लेखा –सिविल	19.70	0.00	424.01	(-)31.62	17,250.45	15,426.11
निवल		डे. 19.70		डे. 455.63		डे. 1,824.34
109 – रिजर्व बैंक उचन्त –मुख्यालय	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00[54]
निवल		क्रे. 0.01		0.00		0.00[54]
110 – रिजर्व बैंक उचन्त – सीएओ	66.74	11.77	11.69	11.89	(-)88.84	(-)83.08

[54] ₹ 0.02 लाख

उचन्त शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20*	
निवल		डे. 54.97		क्रे. 0.20		क्रे. 5.76
मुख्य शीर्ष 8782–नकद प्रेषण						
102 – पी0डब्ल्यू0 प्रेषण	(-)37.40	1,446.77	(-)0.41	2.47	1,41,969.51	1,44,127.12
निवल		क्रे. 1,484.17		क्रे. 2.88		क्रे. 2,157.61
103 – वन प्रेषण	112.39	317.55	125.65	390.18	3,100.31	3,293.99
निवल		क्रे. 205.16		क्रे. 264.53		क्रे. 193.68
8793–अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	35.67	0.03	2.09	0.16	60.46	(-)0.09
निवल		डे. 35.64		डे. 1.93		डे. 60.55

स्रोतः वित्त लेखा 2019–20

(*) यह राज्य के वित्त लेखा 2019–20 (विवरणी 21) के अनुसार वर्ष के अंत में शीर्षों के अन्तर्गत अवशेष की स्थिति प्रदर्शित करता है।

इन शीर्षों के अन्तर्गत अवशेषों के निहितार्थों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

वेतन और लेखा कार्यालय उचन्त

(i) यह लघु शीर्ष वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ) और म0ले0 (ले0 एवं हक0) की बहियों में उत्पन्न होने वाले अंतर–विभागीय और अंतर–सरकारी संव्यवहारों के निपटान के लिए संचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत संव्यवहार उस अन्य लेखा अधिकारी की ओर से किसी लेखा अधिकारी द्वारा की गयी वसूलियों या किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है जिसके विरूद्ध लघु शीर्ष 'पीएओ उचन्त' संचालित किया गया है। जब लेखाधिकारी, जिसके बही में प्रारम्भिक वसूली लेखांकित की गयी है, द्वारा चेक निर्गत किया गया है, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट का 'माइनस क्रेडिट' द्वारा समाशोधन होता है। लेखाधिकारी, जिसके लिये भुगतान किया गया, से चेक की प्राप्ति एवं वसूली होने पर 'पीएओ उचन्त' के अन्तर्गत डेबिट का 'माइनस डेबिट' द्वारा समाशोधन होता है।

लघु शीर्ष के अन्तर्गत बकाया डेबिट शेष का अर्थ यह होगा कि म0ले0 (ले0 एवं हक0) द्वारा अन्य लेखा अधिकारी की ओर से भुगतान किया गया है, जिसे अभी वसूला जाना है। बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ यह होगा कि म0ले0 (ले0 एवं हक0) द्वारा अन्य लेखा अधिकारी की ओर से भुगतान प्राप्त किया गया है, जिसका अभी पुनर्भुगतान/समायोजन किया जाना है। 31 मार्च 2020 को इस शीर्ष के अन्तर्गत निवल डेबिट शेष ₹ 245.96 करोड़ था।

उचन्त लेखे (सिविल)

(ii) यह अस्थायी लघु शीर्ष उन संव्यवहारों के लेखांकन के लिए संचालित किया जाता है, जिन्हें कुछ सूचना/दस्तावेजों यथा वाउचरों, चालानों, आदि के अभाव में व्यय या प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियों को दर्ज करने के लिए क्रेडिट और किए गए व्यय के लिए डेबिट किया जाता है। अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों की प्राप्ति पर, लघु शीर्ष को संबंधित मुख्य/उप–मुख्य/लघु लेखाशीर्षों में कान्ट्रा डेबिट या क्रेडिट द्वारा माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट से समाशोधित किया जाता है।

31 मार्च, 2020 को, इस मद में ₹ 1,824.34 करोड़ का निवल डेबिट शेष था, जो यह दर्शाता है कि विवरण के अभाव में अंतिम प्राप्ति और व्यय का वर्गीकरण नहीं किया जा सका।

रिजर्व बैंक उचन्त–केन्द्रीय लेखा कार्यालय

(iii) यह शीर्ष उन अंतर–सरकारी संव्यवहारों को दर्ज करने के लिए संचालित किया जाता है, जहां दो सरकारों के नकद अवशेषों के बीच मौद्रिक निपटान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय लेखा अनुभाग को एडवाइस भेजकर किया जाता है।

आरबीआई द्वारा किए गए मौद्रिक निपटान की सूचना प्राप्त होने पर अन्तिम लेखा शीर्ष में धनराशि का अंतरण करके इस शीर्ष का समाशोधन किया जाता है। इस उचन्त शीर्ष के माध्यम से निपटान किये गये प्रमुख संव्यवहार भारत सरकार से प्राप्त अनुदान/ऋण और उनका पुनर्भुगतान तथा प्रतिभूतियों का उन्मोचन और आरबीआई के सार्वजनिक ऋण कार्यालयों द्वारा उस पर ब्याज भुगतान हैं। 31 मार्च 2020 को, इस शीर्ष के अन्तर्गत निवल क्रेडिट शेष ₹ 5.76 करोड़ था।

4.11 ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष

प्रतिकूल अवशेष (डेबिट शीर्षों में क्रेडिट शेष और क्रेडिट शीर्षों में डेबिट शेष) उन लेखाशीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये ऋणात्मक अवशेष हैं, जहां ऋणात्मक अवशेष नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी ऋण या अग्रिम के लेखाशीर्ष के सापेक्ष, ऋणात्मक अवशेष मूल अग्रिम धनराशि से अधिक पुनर्भुगतान का संकेत देगा।

31 मार्च 2020 को, वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे में ऋण और अग्रिमों के निम्नलिखित प्रतिकूल अवशेष शामिल थे: उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को ऋण (लेखाशीर्ष 6408–01–190 के अन्तर्गत ₹ 7.31 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा निर्गत ऋण पत्रों में निवेश हेतु ऋण (लेखा शीर्ष 6425–108 के अन्तर्गत ₹ 45.66 करोड़), राज्य कर्मचारियों के आवास हेतु ऋण (लेखा शीर्ष 6551–60 के अन्तर्गत ₹ 0.57 लाख), अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण (लेखा शीर्ष 6801–205 के अन्तर्गत ₹ 356.18 करोड़), मोटर वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम (लेखा शीर्ष 7610–202 के अन्तर्गत ₹ 12.86 करोड़), अन्य वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम (लेखा शीर्ष 7610–202 के अन्तर्गत ₹ 25.23 करोड़) एवं अन्य अग्रिम (लेखा शीर्ष 7610–810 के अन्तर्गत ₹ 3.01 करोड़)। ये प्रतिकूल अवशेष कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.) उत्तर प्रदेश एवं राज्य सरकार के मध्य समाधान के अधीन थे।

4.12 विभागीय आंकड़ों का मिलान न किया जाना

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 124 के अनुसार, राजस्व/व्यय पर प्रभावी बजटीय नियंत्रण को लागू करने और लेखे में परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु, मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (सीसीओ)/नियंत्रण अधिकारियों (सीओ) द्वारा प्रत्येक माह उनकी बहियों में दर्ज प्राप्तियों एवं व्यय का महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा लेखे में लिए गए आंकड़ों के साथ मिलान वांछनीय है। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आंकड़ों के मिलान की स्थिति **तालिका 4.16** में नीचे दी गयी है।

तालिका 4.16: नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति

वर्ष	नियन्त्रण अधिकारियों की कुल संख्या	प्राप्तियों/व्यय का मिलान करने वाले नियन्त्रण अधिकारियों की संख्या		
		पूर्ण मिलान किया गया	आंशिक मिलान किया गया	मिलान नहीं किया गया
प्राप्तियां				
2017-18	45	43	--	02
2018-19	48	45	--	03
2019-20	48	43	--	05
व्यय				
2017-18	170	166	--	04
2018-19	179	178	--	01
2019-20	179	166	--	13

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

48 सीसीओ में से 43 द्वारा प्राप्तियों का मिलान पूर्ण किया गया, जैसा कि उन्होंने 2019–20 के दौरान ₹ 1,37,928.05 करोड़ (मिलान हेतु नियत ₹ 1,39,690.34 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 98.74 प्रतिशत) की प्राप्तियों का मिलान किया। अग्रेतर, 179 सीसीओ

में से, 166 सीसीओ ने ₹ 2,59,720.89 करोड़ (मिलान हेतु नियत ₹ 2,62,324.82 करोड के कुल व्यय का 99.01 प्रतिशत) के अपने व्यय के आंकड़ों का मिलान किया था, जैसा कि **चार्ट 4.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4: वर्ष 2017–20 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति

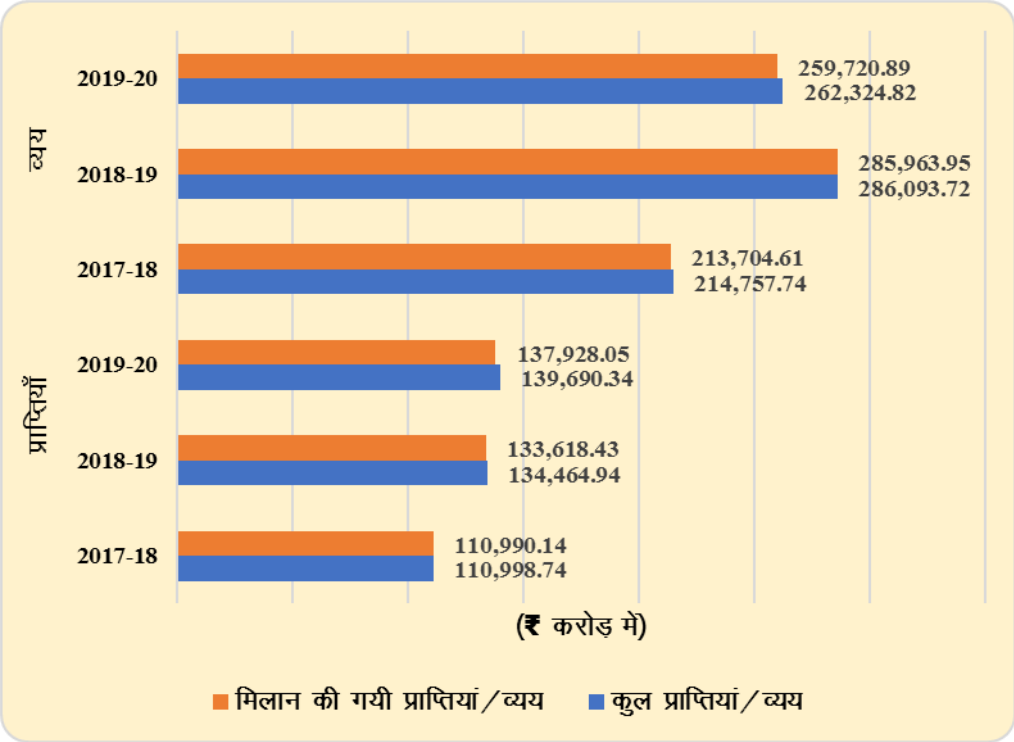

सभी प्राप्तियों और व्यय के सम्बन्ध में मिलान के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना वांछनीय है।

प्रकटीकरण से सम्बन्धित मुद्दे

4.13 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना

सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक लोकहित में, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखे की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी से अनुरोध कर सकेगा और जब ऐसा अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उसे निगम के बहियों एवं लेखाओं तक पहुंच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अलावा, जहां किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा सीएजी को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहां यदि, उससे, यथास्थिति, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जिस पर उसके और सम्बन्धित सरकार के बीच सहमति हो और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये, उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा (सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20)।

उपर्युक्त स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के प्रकरण में लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, यदि सीएजी एकल लेखापरीक्षक हो। अतः इन निकायों और प्राधिकरणों

द्वारा वार्षिक लेखे तैयार करना और इसे लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करना वांछनीय है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अलावा, वित्तीय लेखापरीक्षा सम्पन्न होने पर लेखापरीक्षा कार्यालय एक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) निर्गत करता है, जो कि लेखे पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का भाग होता है। इन एसएआर को राज्य विधायिका के समक्ष रखा जाता है।

यह देखा गया कि 63 स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के 218 वार्षिक लेखे (2019–20 तक बकाया) संबंधित संस्थाओं द्वारा 30 सितंबर 2020 तक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। स्वायत निकायों और प्राधिकरणों के बकाया लेखाओं का विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 4.1*** में दिया गया है। इन 218 लेखाओं की अवधिवार लम्बित स्थिति **तालिका 4.17** में दी गई है।

तालिका 4.17: लेखापरीक्षा हेतु देय परन्तु प्रस्तुत नहीं किये गये वार्षिक लेखाओं का अवधिवार विश्लेषण

वर्षों की संख्या में देरी	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	लेखाओं की संख्या
1-2	23	26
3-4	34	102
5-10	शून्य	शून्य
10 से अधिक	6	90
योग	**63**	**218**

वार्षिक लेखे और उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित सहायता अनुदानों और ऋणों के समुचित उपभोग और उनके लेखांकन को संप्रमाणित नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने बकायेदार निकायों के लेखाओं को प्रस्तुत न करने का मुद्दा सम्बन्धित प्राधिकारियों के समक्ष समय–समय पर उठाया, लेकिन कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ।

4.14 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/निगम/कम्पनियां

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा वार्षिक लेखे को अंतिम रूप दिया जाना एवं लेखाबन्दी के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है। तथापि, राज्य के नौ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में से तीन ने कई वर्षों से अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था (***परिशिष्ट 4.2***)।

पीएसयू/निगमों के लेखे को अंतिम रूप देने में देरी

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 और 210 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु कंपनियों के वित्तीय विवरण को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह के अन्दर अर्थात् 30 सितंबर तक अंतिम रूप दिया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के साथ पठित धारा 129(2) के अन्तर्गत भी समान प्रावधान निहित हैं। अग्रेतर, भारत सरकार ने परिपत्र दिनांक 17 अगस्त 2020 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कंपनियों के एजीएम के आयोजन की तिथि दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। समय से लेखे को अन्तिम रूप देने में विफलता कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) के अन्तर्गत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करती है, जिसमें प्रावधान है कि अनुपालन नहीं करने के उत्तरदायी बकायेदार कंपनी के प्रत्येक अधिकारी, कारावास की सजा जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या अर्थदण्ड जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा परन्तु जिसे पांच लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ दण्डनीय होंगे। सांविधिक निगमों के लेखाओं को उनसे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिमीकृत, सम्प्रेक्षित एवं विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 31 दिसम्बर 2020 तक लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति पर इस प्रतिवेदन के **प्रस्तर 5.16** में विस्तार से चर्चा की गई है।

4.15 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खंड–V भाग–I के प्रस्तर 82 में व्यक्तियों की धोखाधड़ी या लापरवाही से होने वाली हानि, सरकारी संपत्ति की हानि या विनाश के लिये जिम्मेदारी तय करने और उसे महालेखाकार को सूचित करने के बारे में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 9.31 करोड़ की शासकीय सामग्री/धनराशि के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी आदि के 135 प्रकरण[55] सूचित किये, जिन पर 31 मार्च, 2020 तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी। दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार ब्यौरा एवं अंतिम निस्तारण में विलम्ब के कारणों का विवरण **तालिका 4.18** में दिया गया हैं।

तालिका 4.18: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरण

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	शासकीय सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों के अंतिम निस्तारण में विलम्ब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जांच प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया		आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया परन्तु धनराशि की वसूली लम्बित	
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	9	28.78	-	-	7	26.83	2	1.95
समाज कल्याण	3	0.95	-	-	2	0.70	1	0.25
उद्यान	1	3.59	-	-	1	3.59	-	-
ग्रामीण विकास	9	3.28	1	0.74	7	2.34	1	0.20
शिक्षा	8	171.16	2	101.08	4	55.55	2	14.53
प्राविधिक शिक्षा	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
पशुपालन	16	6.55	7	5.20	9	1.35	-	-
मत्स्यिकी	3	2.61	-	-	3	2.61	-	-
कृषि	3	7.62	2	2.17	1	5.45	-	-
सिंचाई	41	121.03	4	16.07	35	36.95	2	68.01
सहकारिता	2	1.45	-	-	1	0.17	1	1.28
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11	15.89	1	0.30	9	14.22	1	1.37
गृह (पुलिस)	8	56.09	7	8.61	-	-	1	47.48
राजस्व	5	14.49	3	8.81	2	5.68	-	-
वित्त	1	0.67	1	0.67	-	-	-	-
बाट एवं माप	1	1.01	-	-	-	-	1	1.01
लोक निर्माण विभाग	9	147.8	4	27.26	1	0.12	4	120.42
राजस्व (भूमि अधिग्रहण)	3	331.78	-	-	3	331.78	-	-
न्याय	1	4.44	-	-	1	4.44	-	-
योग	**135**	**930.78**	**32**	**170.91**	**86**	**491.78**	**17**	**268.09**

स्रोतः सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनायें

₹ 930.78 लाख से सम्बन्धित कुल 135 लम्बित प्रकरणों (31 मार्च 2020 को) में से ₹ 170.91 लाख धनराशि के 32 प्रकरणों में विभागीय और आपराधिक जांच प्रारम्भ नहीं की गई थी। 86 प्रकरणों (₹ 491.78 लाख से सम्बन्धित) में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ

[55] जनवरी 1961 से 2019–20 की अवधि से सम्बन्धित

की गई जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया। 17 प्रकरणों (₹ 268.09 लाख से सम्बन्धित) में आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया, लेकिन धनराशि की वसूली लम्बित थी।

4.16 संस्तुतियाँ

- *उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि राज्य के लोक लेखे का भाग होनी चाहिये एवं वहाँ से यह बोर्ड के खाते में अन्तरित की जा सकती है। उ.प्र. बीओसीडब्ल्यू बोर्ड को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार करने एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अपने अधिदेश को पूर्ण करना चाहिये।*

- *राज्य सरकार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन करना चाहिए और निधि के अवशेष को राज्य के लोक लेखे में जमा करना चाहिए।*

- *राज्य सरकार को 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व), उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तर 5.3 में दी गयी संस्तुति पर कार्यवाही करनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अनुपालन में न्यास निधि सरकार के लेखे का भाग हो। सरकार कोडल प्रावधानों के अनुरूप व्यय को अधिकृत करने के लिये डीएमएफटी निधि का लोक लेखे में सृजन कर सकती है।*

- *राज्य सरकार को गैर–बजट ऋण से बचना चाहिये एवं राज्य सरकार की ओर से पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा लिए गए परन्तु राज्य सरकार द्वारा सर्विस किये गये ऋणों को संचित निधि में जमा करना चाहिये।*

- *राज्य सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित करना चाहिये जिससे गैर–हस्तान्तरित धनराशि अभिदाताओं के निवेश के कोष का भाग बन सके और मूल्य वृद्धि प्राप्त कर सके।*

- *सांविधिक आवश्यकता होने के कारण, सरकार को 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' की स्थापना करनी चाहिए जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधि का उपयोग किया जा सके।*

- *सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्गत अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे एवं बकायेदार अनुदान प्राप्तकर्ता को नया अनुदान निर्गत करने से पूर्व सभी बकाये की समीक्षा की जा सकती है।*

- *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण अधिकारी निर्धारित समय के अन्दर संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का समायोजन करें जैसा कि नियमों में वांछनीय है।*

- *वित्त विभाग को सभी पीडी खातों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये करनी चाहिए कि इन पीडी खातों में अनावश्यक रूप से पड़ी सभी धनराशियों को तत्काल संचित निधि में प्रेषित किया जाय। अग्रेतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमों/कोडल प्रावधानों में निहित निर्देशों को दोहराना चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने वाले विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की गयी है।*

- *वित्त विभाग को, महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श से, वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियां और व्यय भविष्य में समुचित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित किए जाएं। अग्रेतर, मानक मद के स्तर पर मानक मद 42–अन्य व्यय का अविवेकपूर्ण प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।*

- *वित्त विभाग को निकायों/प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखे के संकलन और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु नियमित समीक्षा को समाहित करती एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिए ।*

- *सरकार दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करे।*

अध्याय - V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य–कलाप

अध्याय–V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य–कलाप

5.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के पीएसयूज की स्थापना जन–कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिए तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए की जाती है। 31 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 113 पीएसयूज थे जिनमें छः सांविधिक निगम[56] एवं 107 सरकारी कम्पनियाँ (जिनमें 44 अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ[57] सम्मिलित हैं) थी। वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान दो कम्पनियाँ यथा मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को जोड़ा गया। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

इस अध्याय में 31 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 33 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 22 पीएसयूज जिनका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–5.1*** में है) के वित्तीय निष्पादन को शामिल किया गया है। इस अध्याय में 80 पीएसयूज (68 सरकारी कम्पनियाँ, नौ अन्य सरकारी नियंत्रित कम्पनियाँ[58] एवं तीन सांविधिक निगम सहित) शामिल नहीं हैं जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या विचलन/परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे जिनका विस्तृत वर्णन ***परिशिष्ट–5.2*** में है। तथापि, यह अध्याय राज्य के सभी पीएसयूज के संबंध में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (प्रस्तर 5.2), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता (प्रस्तर 5.3), उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान (प्रस्तर 5.4), सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ (प्रस्तर 5.14 एवं 5.15) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण (प्रस्तर 5.16) को सम्मिलित करता है।

पीएसयूज राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, ये पीएसयूज राज्य के जीडीपी में भी उल्लेखनीय योगदान प्रदान करते हैं। पीएसयूज के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयूज की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। 31 मार्च 2020[59] को समाप्त चार वर्षों की अवधि के लिए, पीएसयूज के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण **तालिका–5.1** में दिया गया है।

---

[56] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम।

[57] वर्ष 2019–20 के दौरान, दो अकार्यरत कम्पनियाँ यथा सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड को बंद कर दिया गया।

[58] केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण वाली कम्पनियाँ।

[59] 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

तालिका 5.1: उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का टर्नओवर	54,223	56,651	61,846	61,846[60]
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज का टर्नओवर	7,647	8,032	7,909	7,940
कुल टर्नओवर	61,870	64,683	69,755	69,786
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत में	-	4.48	9.17	0.00
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत में	-	5.04	(-) 1.53	0.39
उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी[61]	12,90,289	14,60,443	16,68,229	17,94,508
पूर्ववर्ती वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में परिवर्तन प्रतिशत में	-	13.19	14.23	7.57
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	4.20	3.88	3.71	3.45
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	0.59	0.55	0.47	0.44

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2020 को जारी जीएसडीपी आंकड़ों एवं पीएसयूज के टर्नओवर के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज के टर्नओवर में वर्ष 2017–18 से 2018–19 की अवधि के दौरान 4.48 प्रतिशत से 9.17 प्रतिशत के मध्य वृद्धि के साथ बढ़त की प्रवृति दिखाई दी। चूंकि वर्ष 2019–20 के लिए किसी भी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिये वर्ष के दौरान विकास दर को स्थापित/विश्लेषित नहीं किया जा सका।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 22 पीएसयूज के टर्नओवर में 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान, वर्ष 2018–19 को छोड़कर जिसमें 1.53 प्रतिशत की कमी आई थी, बढ़त की प्रवृति दिखाई दी है। 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान टर्नओवर में वृद्धि की दर 0.39 प्रतिशत से 5.04 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान वृद्धि दर 7.57 प्रतिशत से 14.23 प्रतिशत के मध्य रही।

चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 11.62 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि[62] के सापेक्ष पीएसयूज के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 4.09 प्रतिशत की कम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी। इससे 2016–17 से 2019–20 की अवधि के दौरान, जीएसडीपी में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के टर्नओवर की हिस्सेदारी घटकर क्रमशः 4.20 प्रतिशत से 3.45 प्रतिशत एवं 0.59 प्रतिशत से 0.44 प्रतिशत हो गयी।

---

[60] वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का टर्नओवर समान माना गया है, क्योंकि वर्ष 2019–20 का कोई लेखा 31 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

[61] वर्ष 2016–17 से 2018–19 के लिए वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया था, इसलिए 2016–17 से 2018–19 के लिए जीएसडीपी के संदर्भ में विभिन्न मानकों का प्रतिशत अनुपात/उछाल जो कि पहले की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया है, को भी संशोधित किया गया।

[62] चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर [{(2019–20 का मूल्य/2016–17 का मूल्य) ^ (1/3 वर्ष)}-1]*100

5.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2020 को 113 राज्य पीएसयूज में क्षेत्र–वार निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) का सारांश **तालिका–5.2** में दिया गया है:

तालिका 5.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	पीएसयूज की संख्या	निवेश								
		पूँजी				दीर्घावधि ऋण				महायोग
		जीओयूपी	जीओआई	अन्य[63]	योग	जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	
इस अध्याय में सम्मिलित पीएसयूज										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज	11	1,26,160.55	0.00	0.36	1,26,160.91	618.56	0.00	81,026.22	81,644.78	2,07,805.69
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज	22	2,487.14	1,887.57	1,014.87	5,389.58	2,583.09	584.10	4,941.29	8,108.48	13,498.06
इस अध्याय में सम्मिलित पीएसयूज का योग	**33**	**1,28,647.69**	**1,887.57**	**1,015.23**	**1,31,350.49**	**3,201.65**	**584.10**	**85,967.51**	**89,753.26**	**2,21,303.75**
इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किये गये पीएसयूज										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज	2	2.22	0.00	0.05	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज	78	2,590.89	123.58	2,246.14	4,960.61	4,572.59	1.10	2,053.23	6,626.92	11,587.53
इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किये गये पीएसयूज का योग	**80**	**2,593.11**	**123.58**	**2,246.19**	**4,962.88**	**4,572.59**	**1.10**	**2,053.23**	**6,626.92**	**11,589.80**
महायोग	**113**	**1,31,240.80**	**2,011.15**	**3,261.42**	**1,36,513.37**	**7,774.24**	**585.20**	**88,020.74**	**96,380.18**	**2,32,893.55**

स्रोतः वार्षिक लेखाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित आंकड़े।

31 मार्च 2020 को, इस अध्याय में शामिल 11 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,07,805.69 करोड़ था। निवेश में 60.71 प्रतिशत पूँजी एवं 39.29 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण (₹ 618.56 करोड़) कुल दीर्घावधि ऋणों का 0.76 प्रतिशत थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 99.24 प्रतिशत (₹ 81,026.22 करोड़) वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था जिसका वर्णन ***परिशिष्ट–5.3*** में है।

31 मार्च 2020 को, इस अध्याय में सम्मिलित 22 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 13,498.06 करोड़ था। निवेश में 39.93 प्रतिशत पूँजी एवं 60.07 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 31.86 प्रतिशत (₹ 2,583.09 करोड़) थे, जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 68.14 प्रतिशत (₹ 5,525.39 करोड़) भारत सरकार एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किये गये थे जिसका विस्तृत वर्णन ***परिशिष्ट–5.3*** में है।

5.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2020 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान बजटीय सहायता (पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी) तथा ऋण पुनर्भुगतान/अपलिखित/ऋण का पूँजी/अनुदान में परिवर्तन का सारांश **तालिका–5.3** में दिया गया है:

[63] 'अन्य' में स्वामित्व कम्पनियों के अलावा, वित्तीय संस्थान एवं बैंको द्वारा किया गया निवेश सम्मिलित है।

तालिका 5.3: 2017–18 से 2019–20 के दौरान पीएसयूज को बजटीय सहायता का विवरण

विवरण	2017-18		2018-19		2019-20	
	पीएसयूज की संख्या	राशि [64] (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	राशि [64] (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	राशि [64] (₹ करोड़ में)
(अ) ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज						
अंश पूँजी की सहायता (i)	4[65]	8,234.53	3[65]	13,409.18	3[65]	8,248.83
दिए गए ऋण (ii)	-	0.00	1	615.45	-	0.00
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	2	7,593.19	2	17,157.09	2	19,065.56
कुल सहायता (i+ii+iii)	4[66]	15,827.72	3[66]	31,181.72	3[66]	27,314.39
ऋण पुनर्भुगतान/अपलिखित	-	-	1	4,891.72	-	61.54
ऋणों का पूँजी/अनुदान में परिवर्तन	-	-	-	-	-	4,891.72
अदत्त प्रत्याभूतियाँ	3	57,912.93	4	85,998.73	3	91,645.29
प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	2	31,488.20	3	13,198.56	2	9,919.23
(ब) ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज						
अंश पूँजी की सहायता (i)	3	136.26	3	55.60	4	288.63
दिए गए ऋण (ii)	6	372.40	8	990.49	8	403.32
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	10	809.72	15	1,721.09	17	712.21
कुल सहायता (i+ii+iii)	18[66]	1,318.38	25[66]	2,767.18	27[66]	1,404.16
ऋण पुनर्भुगतान/अपलिखित	-	-	-	-	-	0.00
ऋणों का पूँजी/अनुदान में परिवर्तन	-	-	-	-	-	0.00
अदत्त प्रत्याभूतियाँ	4	154.62	6	3,518.37	7	3,569.84
प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	-	-	-	-	-	0.00

स्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, सरकारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित।

मार्च 2020 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता से सम्बन्धित विवरण **चार्ट 5.1** में दिया गया है।

चार्ट 5.1: पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता

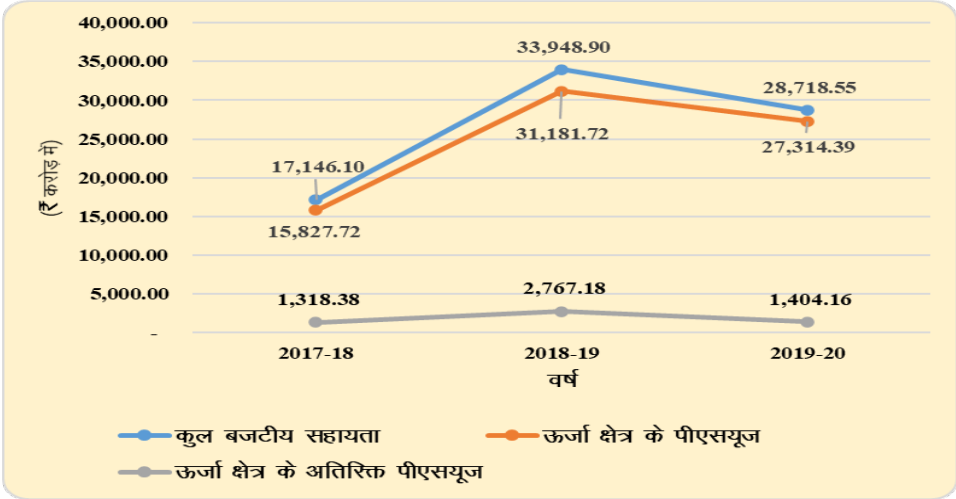

2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 15,827.72 करोड़ से ₹ 31,181.72 करोड़ के मध्य थी। 2019–20

---

[64] राशि केवल राज्य बजट से जावक को दर्शाती है।

[65] उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सहायक कम्पनियों हेतु पूँजी देती है। अतः सरकार के धन के निवेश के उद्देश्य से, केवल स्वामित्व धारक कंपनियों पर उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से विचार किया गया है। शेष दो ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड हैं। उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के दौरान पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की गयी थी।

[66] यह आंकड़ा उन पीएसयूज की संख्या को दर्शाते हैं, जिन्हें एक या अधिक मदों से राशि प्राप्त की है यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

के दौरान प्राप्त ₹ 27,314.39 करोड़ की बजटीय सहायता में क्रमशः ₹ 8,248.83 करोड़ एवं ₹ 19,065.56 करोड़ पूँजी एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में थे। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की बजटीय सहायता की जाँच में अनुदान/सब्सिडी में तीव्र वृद्धि वर्ष 2017–18 में ₹ 7,593.19 करोड़ से 2018–19 में ₹ 17,157.09 करोड़ एवं वर्ष 2019–20 में ₹ 19,065.56 करोड़ पायी गयी। यह मुख्य रूप से वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ₹ 4,891.72 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋणों का अनुदान में परिवर्तन एवं हानियों के वित्त पोषण के लिए उदय के अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदान क्रमशः ₹ 761.09 करोड़ एवं ₹ 2,400 करोड़ वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में थे।

वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज को वार्षिक बजट की सहायता ₹ 1,318.38 करोड़ से ₹ 2,767.18 करोड़ के मध्य थी। 2019–20 के दौरान प्राप्त ₹ 1,404.16 करोड़ की बजटीय सहायता में क्रमशः ₹ 288.63 करोड़, ₹ 403.32 करोड़ एवं ₹ 712.21 करोड़ पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ₹ 712.21 करोड़ के अनुदान में से, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹ 447.27 करोड़ प्रदान किये गये।

बैंको एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) प्रत्याभूति देती है जिसके लिए 0.25 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से प्रत्याभूति कमीशन लिया जाता है जो कि जीओयूपी द्वारा उधारकर्ताओं के आधार पर तय किया गया है (15 सितम्बर 2000)। 31 मार्च 2020 को ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में अदत्त प्रत्याभूति ₹ 91,645.29 करोड़ एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में ₹ 3,569.84 करोड़ थी। वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में दो पीएसयूज[67] द्वारा ₹ 0.07 करोड़ के प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान किया गया।

5.4 उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शायें गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिये। यदि उक्त आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बन्धित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चाहिये। लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2020 को चार ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को शामिल करते हुए 64 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में ऐसे अन्तर विद्यमान थे जिनका विवरण ***परिशिष्ट–5.4*** में है एवं **तालिका–5.4** में संक्षेपित है:

तालिका 5.4: वित्त लेखाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

मद के सम्बन्ध में बकाया	राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	वित्त लेखाओं के अनुसार धनराशि	अन्तर
पूँजी	33,911.40	34,377.11	(-) 465.71
ऋण	7,220.33	3,244.89	3,975.44
प्रत्याभूतियाँ	30,308.46	32,211.29	(-) 1,902.83

स्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियाँ के लिए स्वीकृत/निर्गम आदेश, पीएसयूज से प्राप्त सूचना एवं वित्त लेखाओं के आधार पर संकलित।

आंकड़ों के अंतर गत कई वर्षों से विद्यमान है। अन्तर के समाधान हेतु लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित पीएसयूज एवं विभागों के साथ इस मुद्दे को समय–समय पर उठाया गया

[67] उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

है। दो ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज[68] एवं चार ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज[69] के शेष राशि में बड़ा अन्तर पाया गया।

5.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

31 दिसम्बर 2020 को उनके नवीनतम अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार 33 पीएसयूज की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम ***परिशिष्ट–5.1*** में दिये गये हैं।

सरकार द्वारा उपक्रमों में किये गये निवेश पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उचित प्रतिफल प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार एवं अन्य का पीएसयूज में कुल निवेश ₹ 2,21,303.75 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 1,31,550.49 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 89,753.26 करोड़ थे जिनका वर्णन ***परिशिष्ट–5.3*** में है। इन 33 पीएसयूज में से उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 पीएसयूज में ₹ 1,31,849.34 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 1,28,647.69 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 3,201.65 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल हैं। 2017–18 से 2019–20 की अवधि के अंत में पीएसयूज में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के निवेश की संचयी स्थिति को **चार्ट 5.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्तर प्रदेश सरकार का कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

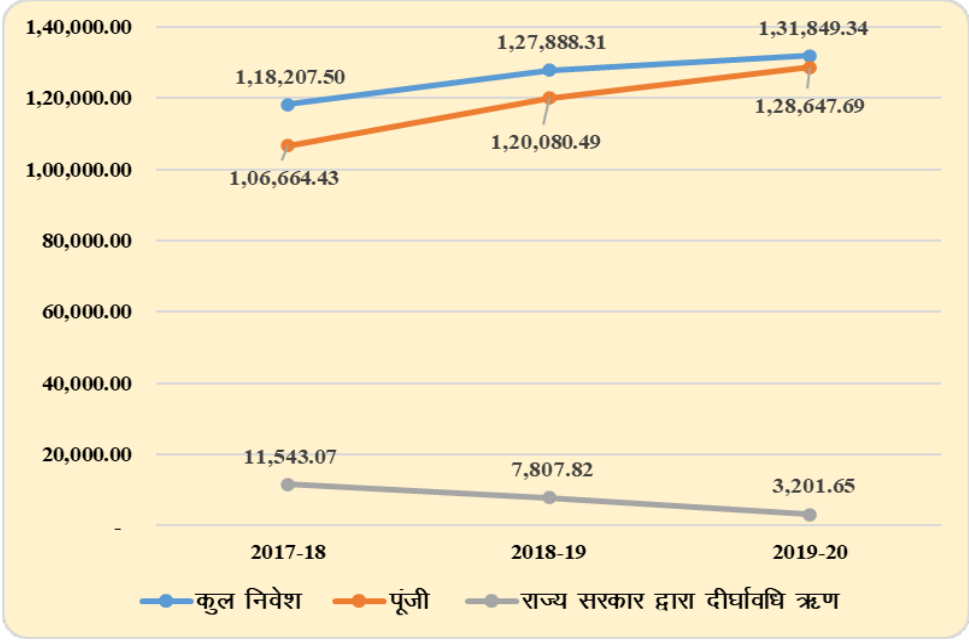

5.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का लाभ/हानि

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान हुई कुल हानि[70] को **चार्ट 5.3** में दर्शाया गया है।

---

[68] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (परिशिष्ट–5.4 में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के क्रमांक 02 एवं 03)

[69] द प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतू निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के परिशिष्ट–5.4 में क्रम संख्या 09, 14, 15 एवं 17)

[70] आंकड़े 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार हैं।

चार्ट 5.3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वहन की गयी हानि

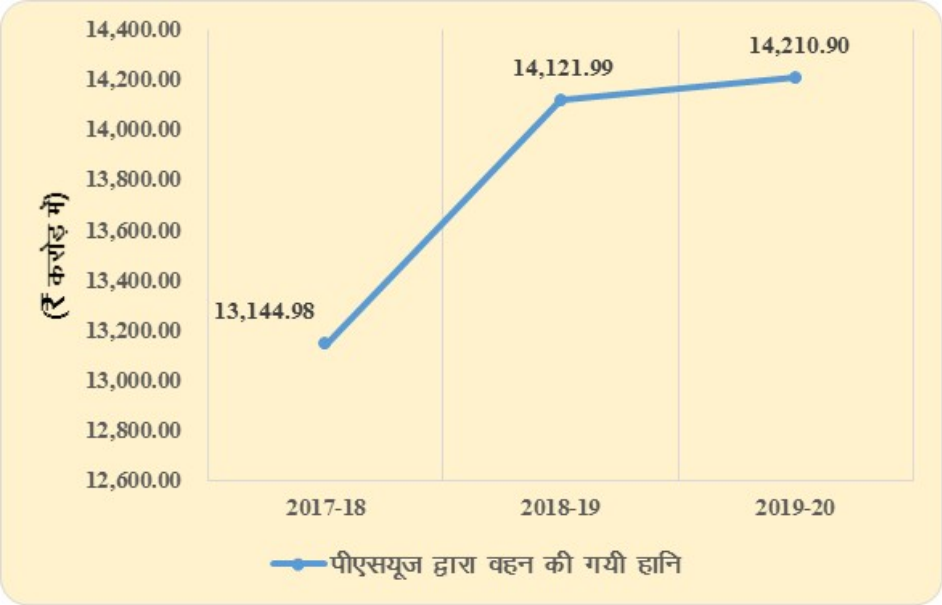

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को हुई कुल हानि वर्ष 2017–18 के ₹ 13,469.37 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹ 14,407.44 करोड़ *(परिशिष्ट–5.1)* हुई। पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, दो पीएसयूज ने ₹ 126.39 करोड़ (₹123.75 करोड़ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा एवं ₹ 2.64 करोड़ जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा) का लाभ अर्जित किया एवं नौ पीएसयूज को ₹ 14,533.83 करोड़ की हानि हुयी। शीर्ष हानि वहन करने वाले पीएसयूज में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 8,118.80 करोड़) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,567.16 करोड़) थे।

इसके अलावा, नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के अतिरिक्त 22 पीएसयूज में से 13 पीएसयूज ने ₹ 391.22 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं नौ पीएसयूज को ₹ 194.68 करोड़ की हानि हुई, जैसा कि ***परिशिष्ट–5.1*** में वर्णित है। शीर्ष लाभ अर्जित वाले पीएसयूज में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 167.37 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश वन निगम (₹ 80.38 करोड़) थे। शीर्ष हानि वहन करने वाले पीएसयूज नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 92.47 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 72.11 करोड़) थे ।

वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित अथवा हानि वहन करने वाले पीएसयूज की स्थिति **तालिका 5.5** में दर्शायी गयी है।

तालिका 5.5: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने लाभ अर्जित किया/हानि वहन की

वर्ष के दौरान	इस अध्याय में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के कुल पीएसयूज	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान बिना लाभ/हानि वाले पीएसयूज की संख्या
2017–18	33	17	16	–
2018–19	33	17	16	–
2019–20	33	15	18	–

5.7 निवल मूल्य का क्षरण

प्रदत्त पूँजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष के योग में से संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर निवल मूल्य आता है। वास्तव में यह माप है कि एक उपक्रम स्वामियों के लिये कितना मूल्यवान है। ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि स्वामियों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है।

31 मार्च 2020[71] को इस अध्याय में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज की कुल संचित हानि ₹ 1,62,205.75 करोड़ थी। इनमें से नौ पीएसयूज ने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 14,533.83 करोड़ की हानि उठाई। इसके अलावा, दो पीएसयूज ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 126.39 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं उनका संचित लाभ ₹ 1,176.05 करोड़ था।

संचित हानि के कारण ऊर्जा क्षेत्र के छः पीएसयूज के निवल मूल्य का पूरी तरह से क्षरण हो गया था। 31 मार्च 2020 को इन छः पीएसयूज में 72,338.46 करोड़ के पूँजी निवेश के विरुद्ध निवल मूल्य नकारात्मक (–₹ 74,102.48 करोड़) था ***(परिशिष्ट–5.1)***। पांच[72] में से दो[73] पीएसयूज, जिनका निवल मूल्य मार्च 2020 के अंत में सकारात्मक था, उनका निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी के आधे से कम था, जो उनकी संभावित वित्तीय रूग्णता को दर्शाता है।

31 मार्च 2020 को ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 22 पीएसयूज में से, 10 पीएसयूज को ₹ 2,015.38 करोड़ की संचित हानि हुई थी। इन 10 पीएसयूज में से, उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, छः पीएसयूज को ₹ 183.05 करोड़ की हानि हुई एवं चार पीएसयूज ने ₹ 55.20 करोड़ का लाभ कमाया, हालांकि उनमे ₹ 1,424.29 करोड़ की संचित हानि थी।

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के अतिरिक्त छः पीएसयूज में संचित हानि के कारण निवल मूल्य का पूरी तरह से क्षरण हो गया था एवं 31 मार्च 2020 को ₹ 1,162.17 करोड़ के पूँजी निवेश के विरुद्ध निवल मूल्य (–) ₹ 551.60 करोड था। तथापि, उन छः पीएसयूज में से जिनके निवल मूल्य का क्षरण हो गया था, तीन पीएसयूज ने उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 54.89 करोड़ का लाभ अर्जित किया था जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अर्जित ₹ 39.85 करोड़ का लाभ शामिल था। इन छः पीएसयूज में 31 मार्च 2020 को ₹ 1,095.95 करोड का सरकारी ऋण बकाया था।

तालिका 5.6, 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 33 पीएसयूज (11 ऊर्जा क्षेत्र के एवं 22 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज) के 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को दर्शाती है।

तालिका 5.6: 2017–18 से 2019–20 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष के दौरान	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ (+)/हानि (–)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज				
2017-18	1,04,324.11	(-) 1,56,262.10	3.95	(-) 51,941.94
2018-19	1,16,579.79	(-) 1,62,205.75	0.18	(-) 45,626.14

[71] 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार।

[72] मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[73] मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड।

वर्ष के दौरान	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ (+)/हानि (–)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2019-20	1,16,579.79	(-) 1,62,205.75	0.18	(-) 45,626.14
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज				
2017-18	4,100.91	(+) 5,074.08	0.06	9,174.93
2018-19	4,896.79	(+) 5,234.70	0.47	10,131.02
2019-20	4,922.06	(+) 5,142.80	0.21	10,064.65

5.8 लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) तैयार की थी जिसके तहत लाभ में चल रहे पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई अंश पूँजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत के प्रतिफल का भुगतान करना होता है।

पीएसयूज द्वारा लाभांश भुगतान जिनमें जीओयूपी द्वारा 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान पूँजी का निवेश किया गया था उसे **तालिका 5.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.7: वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

वर्ष के दौरान	कुल पीएसयूज जिनमें जीओयूपी द्वारा पूँजी का निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयूज		पीएसयूज जिनके द्वारा वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/प्रदत्त किया गया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी[74] (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा लाभांश की घोषणा/प्रदत्त (₹ करोड़ में)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 (7/5*100)**
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज							
2017-18	4	1,04,504.71	1	10,796.79	-	-	-
2018-19	4	1,17,911.72	1	12,305.55	-	-	-
2019-20	4	1,26,160.55	-	-	-	-	-
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज							
2017-18	13	2,159.72	6	98.57	3[75]	0.71	0.72
2018-19	13	2,168.77	3	1.48	2[76]	0.07	4.73
2019-20	13	2,487.14	-	-	-	-	-

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के संबंध में, 2017–18 एवं 2018–19 की अवधि के दौरान, एक पीएसयू यथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड लाभ में चल रहा था। तथापि, कम्पनी ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोई लाभांश घोषित/प्रदत्त नहीं किया था। ऊर्जा क्षेत्र के किसी भी पीएसयूज ने वर्ष 2019–20 के अपने लेखाओं को 31 दिसंबर 2020 तक अन्तिमीकृत नहीं किया था।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के संबंध में 2017–18 से 2019–20 की अवधि में लाभ में चल रहे पीएसयूज की संख्या तीन से लेकर छः के मध्य थी। वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को लाभांश घोषित/प्रदत्त करने वाले पीएसयूज की संख्या दो से तीन थी। ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी

[74] उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उनकी सहायक कंपनियों हेतु पूँजी जारी की। अतः शासकीय धन के निवेश हेतु केवल स्वामित्व कंपनियों पर उनकी सहायक कंपनियों की ओर से विचार किया गया है।

[75] उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

[76] उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

पीएसयूज जिसने वर्ष 2019–20 के लिए लेखाओं को अन्तिमीकृत किया, वर्ष के दौरान लाभ अर्जित नही किया। लाभांश भुगतान अनुपात 2017–18 में 0.72 प्रतिशत एवं 2018–19 में 4.73 था।

5.9 पूँजी पर प्रतिफल

पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)[77] एक कम्पनी के वित्तीय निष्पादन की माप है इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के बाद शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों के कोष से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं किसी भी कम्पनी के लिये जिसके शेयरधारकों का कोष सकारात्मक है, इसकी गणना की जा सकती है।

वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान अध्याय में शामिल पीएसयूज का आरओई **तालिका 5.8** में दिया गया है:

तालिका 5.8: सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयूज में पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों का कोष (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज			
2017-18	-13,469.37	-51,941.94	-
2018-19	-14,407.44	-45,626.14	-
2019-20	-14,407.44	-45,626.14	-
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज			
2017-18	324.39	9,174.93	3.54
2018-19	285.45	10,131.02	2.82
2019-20	196.54	10,064.65	1.95

स्रोत: 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आंकड़े

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के संबंध में, मार्च 2020 को समाप्त विगत तीन वर्षों की अवधि के दौरान, शुद्ध आय एवं शेयरधारक कोष दोनो नकारात्मक रहे। 2017–18 से 2019–20 के संबंध में आरओई की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि शेयरधारक कोष नकारात्मक था जो इंगित करता है कि इन पीएसयूज की देयताएं संपत्ति से अधिक हो गयी एवं अंश पूँजी पर प्रतिफल का भुगतान करने के बजाय, संचित घाटे ने सम्पूर्ण अंश पूँजी को समाप्त कर दिया है।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के संबंध में, वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान आरओई 1.95 प्रतिशत से लेकर 3.54 प्रतिशत तक रहा। सकारात्मक आरओआई मुख्यता इन तीन वर्षों में सरकारी कम्पनियों की (-) 2.86 प्रतिशत से लेकर (-) 0.08 प्रतिशत नकारात्मक आरओआई के सापेक्ष सांविधिक निगमों के 4.46 प्रतिशत से लेकर 5.19 प्रतिशत सकारात्मक आरओई के कारण था।

5.10 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है।

आरओसीई की गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[78] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान 33 पीएसयूज के आरओसीई का विवरण **तालिका 5.9** में दिया गया है:

---

[77] पूँजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/पूँजी)*100 जबकि पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानि – आस्थगित आयगत व्यय।

[78] नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घवधि ऋण – संचित हानियाँ – आस्थगित आयगत व्यय।

तालिका 5.9 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष के दौरान	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज			
2017-18	-8,369.45	24,544.71	-34.10
2018-19	-7,963.65	33,816.74	-23.55
2019-20[79]	-7,963.65	33,816.74	-23.55
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज			
2017-18	369.36	14,053.57	2.63
2018-19	327.54	17,212.48	1.90
2019-20	301.12	17,854.89	1.69

स्रोतः 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आंकड़े

2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का कुल आरओसीई (–) 23.55 प्रतिशत से लेकर (–) 34.10 प्रतिशत के मध्य था।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1,928.93 करोड़) एवं नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1,094.81 करोड़) की नियोजित पूँजी में 2017–18 एवं 2019–20 के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि होने के कारण ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 2017–18 के दौरान की 2.63 प्रतिशत की कुल आरओसीई कम होकर 2019–20 के दौरान 1.69 प्रतिशत हो गयी। तीन पीएसयूज की नियोजित पूँजी (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) सभी तीन वर्षों (2017–18 से 2019–20) में नकारात्मक रही।

5.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण

2017–18 से 2019–20 के दौरान पीएसयूज के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण किया गया, जिससे पीएसयूज की क्षमता का आंकलन किया जा सके कि इन पीएसयूज ने सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से जो ऋण लिए हैं उससे सम्बंधित भुगतान में सक्षम हैं। इसे ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से आंकलित किया जाता है।

5.12 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चो से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी अपने ब्याज के व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। पीएसयूज जिनमें 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, से सम्बंधित ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 5.10** में दिया गया है।

तालिका 5.10: दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज के दायित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयूज का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष के दौरान	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमे सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋणों पर ब्याज की देयता है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज					
2017-18	5,064.12	-250.35	8	2	6
2018-19	6,405.53	152.60	8	1	7

[79] चूंकि ऊर्जा क्षेत्र के किसी भी पीएसयूज ने वर्ष 2019–20 के लिए अपने लेखाओं को 31 दिसंबर 2020 तक अन्तिमीकृत नहीं किया था, 2018–19 एवं 2019–20 के लिए आरओसीई नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर समान है।

वर्ष के दौरान	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमे सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋणों पर ब्याज की देयता है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
2019-20	6,405.53	152.60	8	1	7
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज					
2017-18	30.99	175.89	6	3	3
2018-19	24.37	36.03	7	4	3
2019-20	86.93	10.27	7	3	4

वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में, ब्याज सहित ऋण की देयता वाले आठ पीएसयूज में से दो पीएसयूज[80] का 2017–18 के दौरान एवं एक पीएसयू[81] का 2018–19 एवं 2019–20 के दौरान ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था जबकि शेष छः/सात पीएसयूज में ऋणात्मक/ एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात था। यह इंगित करता है कि ये पीएसयूज इस अवधि के दौरान ब्याज पर खर्चों की पूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में ऋण की देयता वाले छः/सात पीएसयूज में से तीन पीएसयूज का 2017–18 एवं 2019–20 में एवं चार पीएसयूज का 2018–19 में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था। तीन/चार पीएसयूज का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था जो दर्शाता है कि इस अवधि मे ये पीएसयूज ब्याज पर अपने खर्चों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

5.13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

31 मार्च 2020 को जीओयूपी द्वारा छः पीएसयूज को प्रदान किए गए दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 2317.81 करोड़ का ब्याज बकाया था। पीएसयूज में जीओयूपी के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण **तालिका 5.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.11: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का नाम	31 मार्च 2020 को ऋण पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम बकाया	एक से तीन वर्षो का बकाया	तीन वर्षो से अधिक का बकाया
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज				
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	225.37	10.60	21.19	193.58
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	29.90	29.90	0.00	0.00
उप योग (I)	**255.27**	**40.50**	**21.19**	**193.58**
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज				
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	49.35	2.20	6.62	40.53
नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,953.55	0.00	268.14	1,685.41
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	28.51	4.46	10.79	13.26
द प्रदेशिया इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	31.13	0.00	0.00	31.13
उप योग (II)	**2,062.54**	**6.66**	**285.55**	**1,770.33**
कुल योग	**2,317.81**	**47.16**	**306.74**	**1,963.91**

[80] कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

[81] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि ₹ 2,317.81 करोड़ की कुल ब्याज राशि में से, ₹ 1,963.91 करोड़ तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं जो यह दर्शाता है कि ये पीएसयूज नियमित रूप से ब्याज का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

5.14 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान 26 कम्पनियों ने 32 लेखापरीक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 25 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। 2017–20 के लेखाओ पर सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के सकल मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका 5.12** में दिया गया है।

तालिका 5.12: सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयूज पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2017-18		2018-19		2019-20	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	13	136.70	12	162.85	5	89.31
2.	लाभ में वृद्धि	2	0.71	5	33.81	2	0.25
3.	हानि में वृद्धि	8	1,308.64	12	481.67	7	37.73
4.	हानि में कमी	4	8.02	6	49.03	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया	15	728.33	13	385.32	1	0.11
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	10	196.70	20	1,762.50	6	137.45

स्रोतः राजकीय उपक्रमों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के संबंध में, वर्ष 2019–20 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षक ने क्वालीफाईड प्रमाण पत्र जारी किये एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड के वर्ष 2017–18 के लेखाओं पर लेखांकन मानकों का अनुपालन न करने के एक उदाहरण को इंगित किया।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि में, 14 लेखाओं पर क्वालीफाईड प्रमाण पत्र जारी किए थे। उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लेखाओं के संबंध में एवं उत्तर प्रदेश स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2017–18 के लिए, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक प्रतिकूल राय दी थी। पीएसयूज द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 18 लेखाओं में लेखांकन मानकों के अनुपालन न करने के 76 उदाहरण इंगित किये। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखाओं पर सीएजी ने भी प्रतिकूल प्रमाण पत्र (वित्तीय विवरणों द्वारा सत्य और निष्पक्ष राय प्रस्तुत न करनां) निर्गत किया।

5.15 सांविधिक निगमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

राज्य में छः सांविधिक निगम अर्थात (i) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (यूपीएईवीपी), (ii) उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन), (iii) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी), (iv) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), (v) उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम (यूपीएसडब्ल्यूसी) एवं (vi) उत्तर प्रदेश वन निगम हैं। यूपीएसडब्लूसी एवं यूपीएफसी को छोड़कर जिनमे सीएजी शासित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं इन सांविधिक निगमों के एकमात्र लेखापरीक्षक सीएजी हैं।

छः कार्यरत सांविधिक निगमों में से, एक निगम (यूपीएईवीपी) ने 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान वर्ष 2018–19 के अपने वार्षिक लेखे को अग्रेषित किया जिसे लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की एकल/अनुपूरक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के सकल मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका 5.13** में दिया गया है।

तालिका 5.13: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	3	26.33	3	65.90
2.	लाभ में वृद्धि	2	2.09	3	5.61
3.	हानि में वृद्धि	-	-	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया	-	-	1	236.36
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	1	0.71	2	5.86

स्रोतः सांविधिक निगमों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित

5.16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

कुल 113 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयूज में से 69 कार्यरत पीएसयूज (63 सरकारी कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) एवं 44 अकार्यरत पीएसयूज 31 मार्च 2020 को सीएजी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत थे। लेखाओं की तैयारी के लिये राज्य पीएसयूज द्वारा समय सीमा के अनुपालन की स्थिति निम्नवत दर्शायी गयी है।

5.16.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

वर्ष 2019–20 के लिए सभी पीएसयूज द्वारा 30 सितंबर 2020 तक लेखे प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। तथापि, भारत सरकार ने अपने परिपत्र[82] दिनांक 17 अगस्त 2020 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कम्पनियों की एजीएम आयोजित करने की तिथि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2020 तक कर दिया था।

- 63 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से, केवल तीन सरकारी कम्पनियों[83] ने वर्ष 2019–20 के लिए अपने लेखे 31 दिसंबर 2020 को अथवा उससे पूर्व सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए। परिणामस्वरूप, 60 कार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाये थे।

- छः सांविधिक निगमों में से, चार सांविधिक निगमों (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम) में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। 31 मार्च 2020 को इन चार सांविधिक निगमों के सात[84] लेखे बकाया थे। किसी सांविधिक निगम ने वर्ष 2019–20 के लेखे 31 दिसंबर 2020 तक सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये।

---

[82] एफ. सं. 2/4/2020–सीएल–V दिनांक 17 अगस्त, 2020।

[83] परिशिष्ट–5.1 का क्रमांक 2, 12 एवं 16 अर्थात (i) नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (ii) उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद एवं (iii) अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड (सरकारी नियंत्रण वाली कम्पनी)।

[84] (i) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वर्ष 2019–20; (ii) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद वर्ष 2019–20; (iii) उत्तर प्रदेश जल निगम वर्ष 2017–18 से 2019–20 तथा (iv) उत्तर प्रदेश वन निगम वर्ष 2018–19 व 2019–20 के लेखे।

31 दिसंबर 2020 को राज्य पीएसयूज द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे तालिका 5.14 में दिया गया है।

तालिका 5.14: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

विवरण		लेखाओं प्रस्तुत करने से संबंधित स्थिति			
		सरकारी कम्पनियाँ	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
31 मार्च 2020 को सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाले पीएसयूज की कुल संख्या		94	13	6	113
घटाया: नए पीएसयूज जिनके 2019–20 के लेखे देय नहीं थे		-	-	-	-
घटाया: पीएसयूज जो परिसमापन के अन्तर्गत है जिनके लेखे 2019–20 के लिए देय नहीं थे		12	1	-	13
2019–20 के देय लेखाओं के लिए पीएसयूज की संख्या		82	12	6	100
31 दिसंबर 2020 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 2019–20 के अपने लेखे प्रस्तुत करने वाले पीएसयूज की संख्या		3[85]	1	-	4
पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे बकाया थे		89[86]	12	6	107[87]
बकाया लेखाओं की संख्या		856	56	17	929
बकाया का ब्योरा	परिसमापन के अधीन	112	8	-	120
	अकार्यरत	529	25	-	554
	प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	45	17	-	62
	अन्य	170	6	17	193
अन्य श्रेणी के विरूद्ध बकाया का आयुवार विश्लेषण	एक वर्ष (2019–20)	15	3	2	20
	दो वर्ष (2018–19 एवं 2019–20)	18	-	2	20
	तीन वर्ष एवं अधिक	137	3	13	153

ऊर्जा क्षेत्र के 13 में से नौ पीएसयूज जिनके लेखाओं को 31 दिसंबर 2020 तक अन्तिमीकृत नहीं किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 55,325.92 करोड़ (पूँजी: ₹ 18,583.61 करोड़, ऋण: ₹ 615.45 करोड़, अनुदान: ₹ 12,403.61 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 23,723.25 करोड़) प्रदान किये थे, जबकि शेष चार ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था।

इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त के 94 पीएसयूज में से 32 पीएसयूज को जिनके लेखाओं को 31 दिसंबर 2020 तक अन्तिमीकृत नहीं किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 4,506.32 करोड़ (पूँजी: ₹ 97.47 करोड़, ऋण: ₹ 1,221.82 करोड़, अनुदान: ₹ 3,121.46 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 65.57 करोड़) प्रदान किये थे जबकि शेष 62 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान

[85] इसमें एक अकार्यरत कम्पनी (यूपी स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड) शामिल है।

[86] 94 (कुल पीएसयूज) - 5 (3 पीएसयूज ने 2019–20 के लिए लेखे प्रस्तुत किए एवं परिसमापन के अधीन 2 पीएसयूज जिनके लेखे बकाया नहीं थे)

[87] इसमें दो ऐसे पीएसयूज शामिल नहीं है जो परिसमापन के अधीन हैं जिनका परिसमापन में जाने की तिथि तक कोई लेखा बकाया नहीं है।

कोई निवेश नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान किए गए निवेश का पीएसयूजवार विवरण ***परिशिष्ट–5.5*** में दर्शाया गया है।

इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी करने एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखाओं को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिये जाने एवं अंगीकृत किये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व उनके प्रशासनिक विभागों पर है। संबंधित विभागों को बकाया लेखाओं के संबंध में नियमित रूप से सूचित किया गया था।

5.16.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने का प्रभाव

लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा कपट एवं सार्वजनिक धन के रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणित हो सकता है। उपरोक्त लेखाओं के बकाया की स्थिति को देखते हुए, बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान अर्जित लाभ/वहन हानि को शामिल करते हुए इन 107 पीएसयूज[88] के वास्तविक निष्पादन एवं राज्य के जीडीपी में योगदान का आकलन नहीं किया जा सका तथा राज्य विधानमंडल को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। इन पीएसयूज द्वारा लेखाओं को अन्तिमीकृत किये जाने एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये है तथा निधियों का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया था जिसके लिए राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया गया था। ऐसे सांविधिक निगमों के संबंध में जहाँ प्रमाणन का सम्पूर्ण दायित्व एकल अंकेक्षक के रूप में सीएजी पर है, यह मुद्दा बड़ी चिन्ता का विषय है।

5.17 अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

31 मार्च 2020 को, 44 राज्य पीएसयूज अकार्यरत थे जिनमें पूँजी (₹ 1,015.21 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 697.86 करोड़) के रूप में ₹ 1,713.07 करोड़ का निवेश था। इनमें मुख्य निवेश नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 256.80 करोड़), उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 232.18 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 224.67 करोड़) में था। अग्रेतर, 27 पीएसयूज वर्ष 2000–01 से अकार्यरत थे। अकार्यरत पीएसयूज में 13 पीएसयूज परिसमापन के अधीन है। राज्य सरकार इन अकार्यरत पीएसयूज की स्थिति की समीक्षा कर सकती है।

5.17.1 अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया लेखे

31 दिसम्बर 2020 को 44 अकार्यरत पीएसयूज (परिसमापन के अधीन 13 पीएसयूज को शामिल करके) में से 41 अकार्यरत पीएसयूज के 674 लेखे बकाया थे। इन पीएसयूज के बकाया लेखाओं का आयुवार विश्लेषण **तालिका 5.15** में दिया गया है।

तालिका 5.15: अकार्यरत पीएसयूज के बकाया लेखाओं का आयुवार विश्लेषण

		बकाया का आयुवार विश्लेषण				कुल
		1 से 5 वर्ष	6 से 10 वर्ष	11 से 20 वर्ष	21 वर्ष एवं अधिक	
बकाया लेखाओं वाले अकार्यरत पीएसयूज	परिसमापन के अधीन	4	1	5	1	11
	अन्य	6	6	4	14	30
बकाया लेखाओं की संख्या	परिसमापन के अधीन पीएसयूज	9	8	74	29	120
	अन्य अकार्यरत पीएसयूज	15	47	68	424	554

[88] ऊर्जा क्षेत्र के 13 पीएसयूज एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 94 पीएसयूज।

5.18 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 से तैयार किया जा रहा है एवं राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

5.19 संस्तुतियाँ

- *राज्य सरकार एवं संबंधित पीएसयूज को पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आंकड़ों के अन्तर को जीओयूपी के वित्त लेखाओं और पीएसयूज के अभिलेखों के आधार पर समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिये।*
- *प्रशासनिक विभाग को पीएसयूज के लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिये सख्ती से अनुश्रवण करना चाहिये एवं आवश्यक निर्देश निर्गत करने चाहिये। सरकार पीएसयूज के लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं को भी देख सकती है एवं लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठा सकती है।*

लखनऊ,
दिनांक 29 सितंबर 2021

(राज कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
दिनांक 5 अक्टूबर 2021

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट–2.1

(प्रस्तर 2.2.1 में संदर्भित)

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भाग अ–प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**2,27,076**	**2,56,875**	**2,78,775**	**3,29,978**	**3,66,393**
(i) स्वयं के कर राजस्व	81,106(36)	85,966(33)	97,393(35)	1,20,122(36)	1,22,826(34)
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	-	-	25,374(26)	46,108(38)	47,232(38)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	47,692(59)	51,883(60)	31,113(32)	23,798(20)	20,517(17)
राज्य आबकारी	14,084(17)	14,274(17)	17,320(18)	23,927(20)	27,325(22)
वाहनों पर कर	4,410(5)	5,148(6)	6,404(7)	6,929(6)	7,715(6)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	12,404(15)	11,564(13)	13,398(14)	15,733(13)	16,070(13)
भू–राजस्व	505(1)	760(1)	1,336(1)	631(1)	504(0.41)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,338 (2)	1,556 (2)	2,124 (2)	2,978 (2)	3,453(3)
अन्य कर	673 (1)	781(1)	324(0.33)	18(0.01)	10(0.01)
(ii) करेतर राजस्व	23,135(10)	28,944(11)	19,795(7)	30,101(9)	81,705(22)
(iii) केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश	90,974(40)	1,09,428(43)	1,20,939(43)	1,36,766(42)	1,17,818(32)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	31,861(14)	32,537(13)	40,648(15)	42,989(13)	44,044(12)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0	0	0	0	0
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**726**	**259**	**236**	**5,313**	**5,641**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**2,27,802**	**2,57,134**	**2,79,011**	**3,35,291**	**3,72,034**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**74,514**	**67,685**	**47,417**	**51,595**	**73,809**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	69,421(93)	57,959(86)	43,381(92)	50,791(98)	72,554(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेन–देन	4,499(6)	8,695(13)	2,933(6)	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	594(1)	1,031(1)	1,103(2)	804(2)	1,255(2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**3,02,316**	**3,24,819**	**3,26,428**	**3,86,886**	**4,45,843**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	**201**	**173**	**258**	**230**	**662**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**2,65,972**	**3,06,406**	**3,20,471**	**3,80,994**	**3,70,692**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**5,68,489**	**6,31,398**	**6,47,157**	**7,68,110**	**8,17,197**
भाग ब–व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**2,12,736(74)**	**2,36,592(76)**	**2,66,224(87)**	**3,01,728(81)**	**2,98,833(83)**
आयोजनागत	43,251(20)	49,706(21)			
आयोजनेत्तर	1,69,485(80)	1,86,886(79)			
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	72,228(34)	88,255(37)	1,05,782(40)	1,31,057(44)	1,17,675(39)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामाजिक सेवाएं	82,487(39)	91,861(39)	84,252(32)	91,312(30)	1,03,849(35)
आर्थिक सेवाएं	47,881(22)	45,834(19)	64,635(24)	67,259(22)	62,809(21)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,140(5)	10,642(5)	11,555(4)	12,100(4)	14,500(5)
11. पूंजीगत व्यय	**64,423(23)**	**69,789(22)**	**39,088(13)**	**62,463(17)**	**59,998(17)**
आयोजनागत	49,045(76)	60,573(87)			
आयोजनेत्तर	15,378(24)	9,216(13)			
सामान्य सेवाएं	5,259(8)	5,727(8)	2,776(7)	3,419(5)	2,495(4)
सामाजिक सेवाएं	11,707(18)	17,151(25)	11,625(30)	10,589(17)	10,515(18)
आर्थिक सेवाएं	47,457(74)	46,911(67)	24,687(63)	48,455(78)	46,988(78)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**9,118(3)**	**6,741(2)**	**1,509(0)**	**6,303(2)**	**2,120(1)**
13. कुल व्यय (10+11+12)	**2,86,277**	**3,13,122**	**3,06,821**	**3,70,494**	**3,60,951**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**17,673**	**20,303**	**15,002**	**20,717**	**22,401**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर))	10,045(57)	10,168(50)	10,528(70)	19,080(92)	20,695(92)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत लेन–देन	6,231(35)	8,695(43)	2,933(20)	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,397(8)	1,440(7)	1,541(10)	1,637(8)	1,706(8)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (कुल व्यय) (13+14+15)	**3,03,950**	**3,33,425**	**3,21,823**	**3,91,211**	**3,83,352**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**44**	**349**	**413**	**396**	**32**
18. लोक लेखे संवितरण	**2,64,294**	**2,96,523**	**3,14,384**	**3,61,072**	**4,39,282**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**5,68,288**	**6,30,297**	**6,36,620**	**7,52,679**	**8,27,666**
भाग स– घाटा					
20. राजस्व घाटा (–)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	**(+) 14,340**	**(+)20,283**	**(+)12,552**	**(+)28,250**	**(+)67,560**
21. राजकोषीय घाटा (–)/ राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	**(-) 58,475**	**(-)55,988**	**(-)27,810**	**(-)35,203**	**(+)11,083**
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	**(-) 37,027**	**(-)29,052**	**(+)1,326**	**(-)3,161**	**(+)45,896**
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**21,448**	**26,936**	**29,136**	**32,042**	**34,813**

परिशिष्ट–2.2

(प्रस्तर 2.3.3 में संदर्भित)

2015–20 की अवधि में स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 बजट अनुमान	वास्तविक
(अ) वर्ष 2015-20 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व						
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	25,374	46,108	52,980	47,232
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	47,692	51,883	31,113	23,798	24,660	20,517
राज्य आबकारी	14,084	14,274	17,320	23,927	31,517	27,325
वाहनों पर कर	4,410	5,148	6,404	6,929	7,864	7,715
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	12,404	11,564	13,398	15,733	19,179	16,070
भू–राजस्व	505	760	1,336	631	856	504
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,338	1,556	2,124	2,978	3,120	3,453
अन्य कर	673	781	324	18	0	10
योग (अ)	**81,106**	**85,966**	**97,393**	**1,20,122**	**1,40,176**	**1,22,826**
(ब) वर्ष 2015-20 की अवधि में करेतर राजस्व						
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	676	1,251	1,124	1,888	1,250	1,509
सामान्य सेवायें	6,114	5,994	6,806	15,366	15,875	73,484
सामाजिक सेवायें	11,264	14,653	1,571	872	1,290	978
आर्थिक सेवायें	5,081	7,046	10,294	11,975	12,218	5,735
योग (ब)	**23,135**	**28,944**	**19,795**	**30,101**	**30,633**	**81,705**
महायोग (अ+ब)	**1,04,241**	**1,14,910**	**1,17,188**	**1,50,223**	**1,70,809**	**2,04,531**

परिशिष्ट–2.3
(प्रस्तर 2.5.2 में संदर्भित)
आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अन्तिम शेष
वर्ष 2019-20				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
8115- मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**(-) 4,441.57**	**0**	**0**	**(-) 4,441.57**
105- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश खाता	(-) 4,441.57	0	0	(-) 4,441.57
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	**0**	**1,81,692.68**	**6,231.54**	**1,75,731.14**
129-राज्य वनीकरण क्षतिपूर्ति निधि	0	1,81,692.68	6,231.54	1,75,731.14
योग	0	**1,81,692.68**	**6,231.54**	**1,75,731.14**
निवेश	**(-) 4,441.57**	**0**	**0**	**(-) 4,441.57**
ब्याज रहित आरक्षित निधियां				
8222- निक्षेप निधि	**71,18,023.33**	**0**	**71,18,023.33**	**0**
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	71,18,023.33	**0**	71,18,023.33	**0**
101- निक्षेप निधि				
8223- अकाल राहत निधि	**(-) 78.01**	**0**	**0**	**(-) 78.01**
102- अकाल राहत निधि–निवेश लेखा	(-) 78.01	0	0	(-) 78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	**(-) 27,099.68**	**3,00,000.00**	**2,47,084.51**	**25,815.81**
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 27,099.68	3,00,000.00	2,47,084.51	25,815.81
8226- मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**(-) 799.03**	**0**	**0**	**(-) 799.03**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	(-) 799.03	0	0	(-) 799.03
8229- विकास एवं कल्याण निधि	**77,176.64**	**12.61**	**0**	**77,189.25**
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,236.71	12.61	0	4,249.32
106- औद्योगिक विकास निधि	1,174.75	0	0	1,174.75
109- सहकारी विकास निधि	0.01	0	0	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	71,765.17	0	0	71,765.17
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	**1,15,175.65**	**1,37,901.34**	**78,389.48**	**1,74,687.51**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	7,319.89	(-) 4,164.77	0	3,155.12
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (राज्य न्यूनीकरण निधि के अवशेष ₹ 1,000 लाख को सम्मिलित करते हुए)	96,693.67	1,29,666.11	72,659.83	1,53,699.95
अन्य कर	11,162.09	12,400.00	5,729.65	17,832.44
योग	**72,82,476.91**	**4,37,913.95**	**74,49,728.86**	**4,52,624.68**
निवेश	**(-) 78.01**			**(-)78.01**
महायोग	**72,82,476.91**	**6,19,876.63**	**74,49,728.86**	**4,52,624.68**
निवेश	**(-)4,519.58**			**(-)4,519.58**

परिशिष्ट–3.1

(प्रस्तर 3.2.3 में संदर्भित)

वर्ष 2019–20 के दौरान एकमुश्त प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0 और लेखा शीर्ष	प्रावधान	अनुदान में कुल प्रावधान	प्रतिशतता
1.	1-4059	0.50	258.93	0.19
2.	4-4853	5.05	55.53	9.09
3.	9-2045	16.94	34,861.67	0.05
4.	11-2071	14.00	5,971.62	0.23
5.	25-4070	30.00	1,165.65	2.57
6.	40-2575	1,026.14	2,090.09	49.10
	40-4059			
	40-4202			
	40-4210			
	40-4215			
	40-4575			
	40-4702			
	40-4801			
	40-5054			
7.	47-2071	2.50	652.99	0.38
8.	48-2071	1.00	3,284.90	0.03
9.	50-4059	65.95	1,351.95	4.88
	50-4216			
10.	57-5054	251.98	2,372.12	10.62
11.	58-5054	4,536.59	19,211.29	23.61
12.	59-4059	0.50	367.90	0.14
13.	61-2049	178.34	1,00,268.94	0.18
14.	83-5054	255.28	26,272.90	0.97
15.	84-2075	3.00	252.52	1.19
16.	87-2075	1.51	74.19	2.04
17.	94-4711	356.50	12,017.14	2.97
18.	95-2701	22.00	4,912.17	0.45
	योग	**6,767.78**	**2,15,442.50**	**3.14**

परिशिष्ट–3.2

(प्रस्तर 3.2.7 में संदर्भित)

2019–20 के बजट अभिलेख में केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थायें) का उल्लेख नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं0 और नाम	लेखा शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
03- उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-00-102-01-0103	लघु उद्योग सामूहिक विकास योजना	1.00
11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	4401-00-800-02-0207	उद्यान एवं उर्वरक प्रसंस्करण पूँजीगत योजना	15.00
17- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-00-101-01-0102	नीली क्रांति मत्स्य योजना का समेकित विकास एवं प्रबंधन	53.96
21-खाद्य एवं रसद विभाग	4059-60-051-01-0102	द्वितीय स्तर का प्रयोगशाला/मापाकंन टावर का भवन	10.00
37- नगर विकास विभाग	2217-05-191-01-0102	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के लिए सहायता	15.00
	2230-02-101-01-01	राज्य स्तर प्रकोष्ठ की स्थापना	0.09
	4216-02-800-01-01	राजीव आवास योजना	30.00
42- न्याय विभाग	4059-01-051-01-0110	माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ पीठ के लिए नये भवन का निर्माण	150.00
44- पर्यटन विभाग	5452-80-104-01-0109	प्रसाद योजना के अन्तर्गत चिन्हित स्थानों पर पर्यटन सुविधा की स्थापना	25.00
47- प्राविधिक शिक्षा विभाग	4202-02-105-01-0105	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर0यू0एस0ए0) के तहत तकनीकी संस्थानों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण	6.00
49- महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4235-02-102-01-0127	आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन	13.80
75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-01-201-01-0104	03 जनपदों (गाजियाबाद, अमेठी, कासगंज) में नई डायट संस्थान	5.00
81- समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	4202-01-796-01-0108	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.12
83- समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2235-02-789-01-03	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस0ए0जी0)	29.24
	4202-01-789-01-0108	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	3.00
92-संस्कृति विभाग	2205-00-800-01-0101	वृन्दावन शोध संस्थान के निर्माण हेतु ब्रज संस्कृति संग्रहालय मथुरा को अनुदान सहायता	0.38
योग			**357.59**

परिशिष्ट–3.3

(प्रस्तर 3.2.7 में संदर्भित)

उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कुल केन्द्रांश और वित्त पोषण प्रतिरूप में राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानकर्ता के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है।

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं0 और नाम	लेखा	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
011 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-00-114-01-0101	राष्टीय खाद्य सुरक्षा अभियान (ओएस/टीबीओ) (के० 60%/रा० 60%)	18.40
037- नगर विकास विभाग	2217-03-191-01-0102	छोटे एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी आधारिक संरचना विकास योजना (के० 80%/,रा० 10%)	22.00
045-पर्यावरण विभाग	3435-04-103-01-0101	अपशिष्ट निष्पादन सुविधा की स्थापना एवं अनधिकृत अपशिष्ट जल निष्पादन स्थल का (के० 0%/रा० 50%)	0.50
047- प्राविधिक शिक्षा विभाग	4202-02-105-01-0102	पीपीपीई प्रारूप पर आईआईआईटी की स्थापना(के० 50%/रा० 35%)	10.00
049- महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-103-01-0104	उज्जवला योजना (के० 60%/रा० 30%)	1.50
083- समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2401-00-789-01-0110	राष्टीय खाद्य सुरक्षा अभियान (ओ.एस./टी.बी.ओ.) (के० 60%/रा० 60%)	3.40
योग			**55.80**

परिशिष्ट–3.4

(प्रस्तर 3.3.3 में संदर्भित)

वर्ष 2019–20 में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण के अतिरिक्त बचत
	राजस्व मतदेय							
1.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	597.07	0.00	597.07	388.11	208.96	208.96
2.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,766.36	1,039.92	2,806.28	1,896.24	910.04	907.99
3.	9	ऊर्जा विभाग	17,233.75	1,600.00	18,833.75	16,333.65	2,500.09	2492.50
4.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	680.44	5.00	685.44	559.97	125.47	32.66
5.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	5,352.03	54.00	5,406.03	4,327.79	1,078.24	938.16
6.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	802.48	0.00	802.48	104.16	698.31	698.31
7.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	3,719.53	0.00	3,719.53	3,070.98	648.55	489.39
8.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	18,769.38	18.85	18,788.23	14,625.65	4,162.58	4,142.62
9.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	1,645.16	11.27	1,656.43	1,432.59	223.83	223.83
10.	26	गृह विभाग (पुलिस)	21,705.24	0.00	21,705.24	19,895.38	1,809.86	1,809.86
11.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	3,628.40	0.00	3,628.40	3,382.50	245.91	245.91
12.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	7,889.07	0.00	7,889.07	5,953.98	1,935.09	2.60
13.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	1,129.43	0.00	1,129.43	797.89	331.55	0.06

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण के अतिरिक्त बचत
14.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	476.30	0.00	476.30	355.00	121.30	121.30
15.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	5,934.41	50.00	5,984.41	4,995.94	988.46	988.46
16.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	821.77	4.00	825.77	564.06	261.71	14.15
17.	37	नगर विकास विभाग	15,354.80	1,306.46	16,661.26	7,907.29	8,753.97	11.73
18.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	202.96	0.00	202.96	62.68	140.28	0.00
19.	40	नियोजन विभाग	337.85	0.63	338.48	228.51	109.97	109.97
20.	41	निर्वाचन विभाग	576.19	0.00	576.19	432.01	144.17	1.14
21.	42	न्याय विभाग	2,529.85	180.00	2,709.85	1,896.68	813.17	813.17
22.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2,453.81	42.85	2,496.66	1,415.45	1,081.21	1,081.21
23.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	9,536.15	20.00	9,556.15	6,001.92	3,554.23	1,315.17
24.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	1,115.81	0.00	1,115.81	882.38	233.43	233.43
25.	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	1,827.60	0.00	1,827.60	1,295.16	532.44	532.44
26.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	4,714.67	0.00	4,714.67	3,167.08	1,547.59	1,547.59
27.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,695.16	0.00	2,695.16	816.39	1,878.77	1,878.77
28.	60	वन विभाग	873.30	0.00	873.30	627.40	245.90	245.90
29.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	49,828.89	3,000.00	52,828.89	48,425.32	4,403.56	4,403.56
30.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	307.18	0.00	307.18	125.94	181.24	181.24
31.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	704.45	13.50	717.95	593.05	124.91	124.91
32.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	53,408.65	1,300.00	54,708.65	40,300.94	14,407.71	14,407.71
33.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	11,160.24	536.22	11,696.46	10,194.29	1,502.17	1,502.17

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण के अतिरिक्त बचत
34.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,613.70	171.97	2785.67	2,443.02	342.64	342.64
35.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	1,075.85	8.00	1,083.85	894.28	189.56	189.56
36.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	4,811.15	0.00	4,811.15	4,671.63	139.51	139.51
37.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	858.35	22.25	880.61	695.45	185.15	185.15
38.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	17,427.54	13.14	17,440.68	13,185.01	4,255.67	3,774.68
39.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	1,021.98	0.00	1,021.98	806.19	215.79	215.79
40.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,947.63	800.00	4,747.63	4,631.76	115.88	115.88
41.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	4,910.17	0.00	4,910.17	3,565.96	1,344.21	1,344.21
		योग	**2,86,444.76**	**10,198.06**	**296,642.82**	**2,33,949.68**	**62,693.14**	**48,014.29**
	पूँजीगत मतदेय							
1.	2	आवास विभाग	1,310.41	0.00	1,310.41	846.47	463.94	463.94
2.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	4,149.34	2,825.25	6,974.59	6,651.73	322.86	322.86
3.	9	ऊर्जा विभाग	8,247.66	311.63	8,559.29	6,244.09	2,315.20	0.00
4.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	565.40	0.00	565.40	381.37	184.02	123.19
5.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	16,485.27	9.77	16,495.04	7,123.38	9,371.66	9,371.50
6.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	175.39	163.49	338.87	220.15	118.73	114.19

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण के अतिरिक्त बचत
7.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध विकास)	231.51	0.00	231.51	25.21	206.31	0.00
8.	21	खाद्य तथा रसद विभाग	14,006.88	3.03	14,009.91	13,708.27	301.64	208.47
9.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	1,600.58	0.01	1,600.59	1,044.89	555.70	555.70
10.	25	गृह विभाग (कारागार)	338.75	50.41	389.17	251.75	137.41	137.41
11.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2,668.87	250.00	2,918.87	996.88	1,921.99	1,921.99
12.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2,071.41	363.14	2,434.55	1,701.08	733.47	733.47
13.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	666.09	0.00	666.09	321.45	344.64	344.64
14.	37	नगर विकास विभाग	498.17	869.00	1,367.17	889.53	477.64	5.12
15.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	2,001.00	0.00	2,001.00	1,332.34	668.66	0.00
16.	40	नियोजन विभाग	1,715.66	35.95	1751.61	730.08	1021.53	1021.53
17.	42	न्याय विभाग	1,963.63	57.00	2,020.63	643.37	1,377.26	1,377.26
18.	44	पर्यटन विभाग	732.90	152.00	884.90	428.79	456.11	0.00
19.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	593.22	195.00	788.22	420.13	368.09	368.09
20.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	13,073.97	201.00	13,274.97	13,082.32	192.65	192.65
21.	60	वन विभाग	543.58	314.72	858.30	695.65	162.65	162.65
22.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	320.46	0.00	320.46	63.41	257.04	257.04
23.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	581.45	0.00	581.45	326.05	255.41	255.41
24.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	374.42	25.01	399.43	147.28	252.14	252.14
25.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	211.59	61.43	273.02	163.61	109.41	0.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण के अतिरिक्त बचत
26.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	8,630.78	201.43	8,832.22	5,525.82	3,306.39	3,192.47
27.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	7,229.67	34.84	7,264.51	6,321.67	942.84	942.84
योग			**90,988.06**	**6,124.12**	**97,112.18**	**70,286.82**	**26,825.36**	**22,324.56**
महायोग (मतदेय)			**3,77,432.82**	**16,322.18**	**3,93,755.00**	**3,04,236.50**	**89,518.50**	**70,338.89**
राजस्व भारित								
1.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	52,719.67	0.00	52,719.67	30,264.18	22,455.49	22,455.49
योग			**52,719.67**	**0.00**	**52,719.67**	**30,264.18**	**22,455.49**	**22,455.49**
पूँजीगत भारित								
1.	9	ऊर्जा विभाग	3,152.79	1.47	3,154.26	72.50	3,081.76	3,081.76
2.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	32,194.64	00.0	32,194.64	22,303.91	9,890.73	9,890.73
योग			**35,347.43**	**1.47**	**35,348.9**	**22,376.41**	**12,972.49**	**12,972.49**
महायोग (भारित)			**88,067.10**	**1.47**	**88,068.57**	**52,640.59**	**35,427.98**	**35,427.98**

परिशिष्ट–3.5

(प्रस्तर 3.3.4 में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	मतदेय/भारित	मूल	अनुपूरक	व्यय	बचत
राजस्व मतदेय							
1.	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	मतदेय	46.72	3.76	38.62	11.86
2.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	मतदेय	193.99	1.53	170.57	24.95
3.	9	ऊर्जा विभाग	मतदेय	17,233.75	1,600.00	16,333.65	2,500.10
4.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	मतदेय	680.44	5.00	559.97	125.47
5.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	मतदेय	5,352.03	54.00	4,327.79	1,078.24
6.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	मतदेय	18,769.38	18.85	14,625.65	4,162.58
7.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	मतदेय	1,645.16	11.27	1,432.59	223.84
8.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	मतदेय	5,934.41	50.00	4,995.94	988.47
9.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	मतदेय	821.77	4.00	564.06	261.71
10.	37	नगर विकास विभाग	मतदेय	15,354.80	1,306.46	7,907.29	8,753.97
11.	40	नियोजन विभाग	मतदेय	337.85	0.63	228.51	109.97
12.	42	न्याय विभाग	मतदेय	2,529.85	180.00	1,896.68	813.17
13.	44	पर्यटन विभाग	मतदेय	126.72	11.00	56.06	81.66
14.	45	पर्यावरण विभाग	मतदेय	14.38	1.00	7.97	7.41
15.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	मतदेय	453.05	4.00	410.46	46.59

क्र0सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	मतदेय/भारित	मूल	अनुपूरक	व्यय	बचत
16.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	मतदेय	2,453.81	42.85	1,415.45	1,081.21
17.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	मतदेय	9,536.15	20.00	6,001.92	3,554.23
18.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	मतदेय	298.86	1.73	207.41	93.18
19.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	मतदेय	49,828.89	3,000.00	48,425.32	4,403.57
20.	68	विधानसभा सचिवालय	मतदेय	199.64	9.54	181.96	27.22
21.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	मतदेय	704.45	13.50	593.05	124.90
22.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	मतदेय	415.26	2.50	356.41	61.35
23.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	मतदेय	53,408.65	1,300.00	40,300.94	14,407.71
24.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	मतदेय	11,160.24	536.22	10,194.29	1,502.17
25.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	मतदेय	2,613.70	171.97	2,443.02	342.65
26.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	मतदेय	1,075.85	8.00	894.28	189.57
27.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	मतदेय	2,652.56	4.82	2,646.15	11.23
28.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	मतदेय	858.35	22.25	695.45	185.15
29.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	मतदेय	17,427.54	13.14	13,185.01	4,255.67
		योग		**2,22,128.25**	**8,398.02**	**1,81,096.47**	**49,429.80**

क्र0सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	मतदेय/भारित	मूल	अनुपूरक	व्यय	बचत
पूँजीगत मतदेय							
1.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	मतदेय	20.98	5.00	17.00	8.98
2.	9	ऊर्जा विभाग	मतदेय	8,247.66	311.63	6,244.09	2,315.20
3.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	मतदेय	16,485.27	9.77	7,123.38	9,371.66
4.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	मतदेय	233.68	11.50	195.05	50.13
5.	21	खाद्य तथा रसद विभाग	मतदेय	14,006.88	3.03	13,708.27	301.64
6.	25	गृह विभाग (कारागार)	मतदेय	338.75	50.41	251.75	137.41
7.	26	गृह विभाग (पुलिस)	मतदेय	2,668.87	250.00	996.88	1,921.99
8.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	मतदेय	2,071.41	363.14	1,701.08	733.47
9.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	मतदेय	5.92	11.56	2.04	15.44
10.	40	नियोजन विभाग	मतदेय	1,715.66	35.95	730.08	1,021.53
11.	42	न्याय विभाग	मतदेय	1,963.63	57.00	643.37	1,377.26
12.	44	पर्यटन विभाग	मतदेय	732.90	152.00	428.79	456.11
13.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	मतदेय	593.22	195.00	420.13	368.09
14.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	मतदेय	82.00	32.21	46.14	68.07
15.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	मतदेय	76.01	5.00	74.19	6.82
16.	59	लोक निर्माण विभाग (सम्पत्ति निदेशालय)	मतदेय	57.61	9.70	31.55	35.76
17.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	मतदेय	15.00	10.00	0.00	25.00
18.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	मतदेय	374.42	25.01	147.28	252.15
19.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	मतदेय	282.98	25.00	233.00	74.98

क्र0सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	मतदेय/भारित	मूल	अनुपूरक	व्यय	बचत
20.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	मतदेय	211.59	61.43	163.61	109.41
21.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	मतदेय	143.52	2.89	125.09	21.32
22.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	मतदेय	8,630.78	201.43	5,525.82	3,306.39
23.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	मतदेय	223.47	6.36	221.46	8.37
24.	92	संस्कृति विभाग	मतदेय	83.78	4.50	57.35	30.93
25.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	मतदेय	7,229.67	34.84	6,321.67	942.84
		योग		**66,495.66**	**1,874.36**	**45,409.07**	**22,960.95**
पूँजीगत भारित							
1.	9	ऊर्जा विभाग	भारित	3,152.79	1.47	72.50	3,081.76
योग				**3,152.79**	**1.47**	**72.50**	**3,081.76**
महायोग				**2,91,776.70**	**10,273.85**	**2,26,578.04**	**75,472.51**

परिशिष्ट–3.6

(प्रस्तर 3.3.5 में संदर्भित)

अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+) बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्वियोजन	योग		
1.	02- आवास विभाग	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 800-अन्य व्यय 03-नियत अधिकारी का अधिष्ठान	939.02	0.00	7.95	946.97	932.50	(-)14.47
2.	10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2401-फसल कृषि कर्म 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04-फल	6348.73	0.00	925.00	7273.73	6154.01	(-)1119.72
3.	13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 001-निदेशन एवं प्रशासन 03-विकास आयुक्त (मुख्यालय)	2424.71	0.00	35.69	2460.40	2020.20	(-)440.20
4.		2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 001-निदेशन एवं प्रशासन 04- विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय	1747.68	0.00	13.50	1761.18	1656.49	(-)104.69
5.		2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 102-सामुदायिक विकास 06-संग्रहीत जिला कार्यालय	20530.36	0.00	75.50	20605.86	18990.42	(-)1615.44
6.		2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 102-सामुदायिक विकास 09- ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ	54.89	0.00	6.10	60.99	49.00	(-)11.99
7.	17- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-मत्स्य पालन 101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	5395.78	0.00	28.20	5423.98	4764.05	(-)659.93

8.	23- गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2401-फसल कृषि कर्म 001-निदेशन एवं प्रशासन 03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान	1346.82	0.00	3.00	1349.82	1098.03	(-)251.79
9.	25-गृह विभाग (कारागार)	2056-जेल 001-निदेशन एवं प्रशासन 03-मुख्य	2189.54	0.00	15.00	2204.54	1692.23	(-)512.31
10.	29-गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 090-सचिवालय 03- अधिष्ठान व्यय	1146.57	0.00	48.80	1195.37	975.18	(-)220.19
11.		2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 105-चिकित्सा सुविधाएँ 03-चिकित्सा से संबंधित व्यय	119.20	0.00	13.06	132.26	110.01	(-)22.25
12.	31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 105-एलोपैथी 79- रायबरेली में एम्स की स्थापना	1000.00	0.00	3040.33	4040.33	0.00	(-)4040.33
13.	34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 102-होमियोपैथी 03-शिक्षा	6439.57	0.00	90.00	6529.57	5496.30	(-)1033.27
14.	40-नियोजन विभाग	2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम 800-अन्य व्यय 04-बुन्देलखण्ड विशेष योजना	11337.00	0.00	1145.00	12482.00	7032.07	(-)5449.93
15.		4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 04-बुन्देलखण्ड विशेष योजना	48773.15	0.00	10307.00	59080.15	25450.17	(-)33629.98
16.	42-न्याय विभाग	2014-न्याय प्रशासन 105-सिविल और सेशन्स न्यायालय 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	890.59	0.00	50.00	940.59	794.38	(-)146.21

17.		2014- न्याय प्रशासन 105-दीवानी और सत्र न्यायालय 16-वाणिज्यिक नयायालय	1085.55	0.00	2.00	1087.55	208.86	(-)878.69
18.		2052- सचिवालय सामान्य सेवाएँ 091-सम्बद्ध कार्यालय 03-वैद्यानिक प्रकोष्ठ उ0प्र0 भवन, नई दिल्ली	284.09	0.00	2.50	286.59	216.25	(-)70.34
19.		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 200-अन्य कार्यक्रम 04-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा	2221.50	0.00	97.00	2318.50	1751.55	(-)566.95
20.	47-प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-तकनीकी शिक्षा 001- निदेशन एवं प्रशासन 04-क्षेत्रीय कार्यालय	303.85	0.00	10.56	314.41	289.04	(-)25.37
21.	51- राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	2245-दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत 800-अन्य व्यय 06-राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय	82000.00	0.00	59827.00	141827.00	72659.83	(-)69167.17
22.	59-लोक निर्माण विभाग (सम्पत्ति निदेशालय)	2059- लोक निर्माण 053-अनुरक्षण एवं मरम्मत 09- जवाहर भवन एवं इन्दिरा भवन परिसर	3216.01	0.00	75.00	3291.01	1242.65	(-)2048.36
23.		2059-लोक निर्माण 053-अनुरक्षण एवं मरम्मत 03-लखनऊ स्थित अतिथि भवन के लिए व्यवस्था	1727.99	0.00	60.00	1787.99	502.57	(-)1285.42
24.		2059- लोक निर्माण 053-अनुरक्षण एवं मरम्मत 04-दिल्ली में स्थित अतिथि भवन के लिए व्यवस्था	786.76	140.00	50.00	976.76	895.81	(-)80.95
25.		2216-आवास 700-अन्य भवन 09-विधायकों को आवास आबंटन	3062.91	0.00	60.34	3123.25	2060.43	(-)1062.82

26.		4059-लोक निमार्ण पर पूँजीगत परिव्यय 051-निर्माण 20- जवाहर भवन एवं इन्दिरा भवन के भूमिगत पार्किंग का निर्माण	0.00	0.00	138.05	138.05	0.00	(-)138.05
27.	60- वन विभाग	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय 102-समाज तथा फार्म वानिकी 03- सामाजिक वानिकी (सीसीएल पद्धति) (जिला योजना)	23984.00	14569.85	892.84	39446.69	38245.80	(-)1200.89
28.	63- वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2054-कोषागार एवं लेखा प्रशासन 095-लेखा एवं कोषागार निदेशालय 03-कोषागार निदेशालय	2170.00	0.00	52.00	2222.00	1816.29	(-)405.71
29.	68- विधान परिषद सचिवालय	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल 103-विधानमंडल सचिवालय 03- विधान परिषद सचिवालय	6633.46	619.87	56.03	7309.36	6838.52	(-)470.84
30.	72- शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-सामान्य शिक्षा 103- संस्कृत शिक्षा 04- संस्कृत विद्यालय के सहायक अनुदान	24225.19	0.00	600.00	24825.19	22308.77	(-)2516.42
31.	74- गृह विभाग (होमगार्ड्स)	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें 107-होमगार्ड्स 03-सामान्य अधिष्ठान	83157.01	10000.00	5.00	93162.01	89221.90	(-)3940.11
32.	78- सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-मंत्रीपरिषद् 800-अन्य व्यय 03-मंत्री तथा उपमंत्रियों के विविधव्यय	185.00	0.00	23.00	208.00	71.33	(-)136.67
33.		2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ 090-सचिवालय 03-सचिवालय	52283.99	300.00	4556.39	57140.38	45864.89	(-)11275.49

34.	80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक का कल्याण 277-शिक्षा 03-औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	979.88	0.00	45.42	1025.30	948.76	(-)76.54
35.		2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 105-नशाबंदी 01-केन्द्रीय योजना/केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	(-)225.00
36.	94- सिंचाई विभाग (निर्माण)	2701-मध्यम सिंचाई 25-टांडा पम्प नहर (वाणिज्यिक) 101-अनुरक्षण एवं मरम्मत 03-अन्य अनुरक्षण व्यय	209.71	0.00	99.65	309.36	192.53	(-)116.83
37.		2701-मध्यम सिंचाई 50-डुमरियागंज पम्प नहर (वाणिज्यिक) 101-अनुरक्षण एवं मरम्मत 03-अन्य अनुरक्षण व्यय	141.61	0.00	23.75	165.36	117.30	(-)48.06
38.		4711-बाढ़ नियत्रंण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियत्रंण 103-सिविल कार्य 09- कटाव निरोधक योजना से	32100.00	0.00	100.00	32200.00	31647.17	(-)552.83
योग (₹ लाख में)			**431442.12**	**25629.72**	**82805.66**	**539877.50**	**394315.29**	**(-) 145562.21**
योग (₹ करोड़ में)			**4,314.42**	**256.30**	**828.05**	**5,398.77**	**3,943.15**	**(-)1,455.62**

परिशिष्ट–3.7

(प्रस्तर 3.3.7.1 में संदर्भित)

योजनायें जिनके लिए मूल और अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
(अ) अनुपूरक प्रावधान रहित योजनाएँ									
1	2	आवास विभाग	4202-04-800-04	गोमती नगर लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00
2			4202-04-800-05	संस्कृति विद्यालय, लखनऊ	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
3			4216-01-106-03	लोक सेवा संस्थान के टावरों का निर्माण	13.34	0.00	0.00	13.34	0.00
4			4217-60-190-07	वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, झाँसी में मेट्रो रेल परियोजनायें	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
6			2851-102-24	सलाहकारों को भुगतान/अध्ययन में दक्ष/राज्य में उद्योगों की उन्नति के लिए रूपरेखा कार्यक्रम	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7			2851-102-29	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
8			4851-104-03	सन्त रविदास नगर (भदोही) में कालीन बाजार	8.98	0.00	0.00	8.98	0.00
9	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	2851-103-07	मुख्यमंत्री हथकरघा बुनाई सम्मान	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
10			2851-108-07	मुख्यमंत्री हथकरघा उद्योग का विकास कार्यक्रम	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
11	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-07-202-16	उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी–2012 का क्रियान्वयन	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
12			2852-07-202-22	इलेक्ट्रॉनिक मिशन निदेशालय	1.52	0.00	0.00	1.52	0.00
13			2885-60-800-21	विशेष निवेश बोर्ड	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
14			4859-02-800-11	इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
15			4859-02-800-14	लखनऊ में इन्क्यूबेटर की स्थापना	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
16			6860-01-190-05	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लि0 को ऋण	2.39	0.00	0.00	2.39	0.00
17	9	ऊर्जा विभाग	6003-109-04	उदय योजना के अन्तर्गत निर्गत सरकारी प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान	3,081.76	0.00	0.00	3,081.76	0.00
18	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2851-107-14	केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा सहायतित रेशम विकास योजना	1.81	0.00	0.00	1.81	0.00
19	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-109-11	वैज्ञानिक खेती और जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रबंधन	15.07	0.00	0.00	15.07	0.00
20			2402-101-05	जैव उर्वरक सुरक्षा प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	4.06	0.00	0.00	4.06	0.00
21			2402-103-08	हमीरपुर जिले में जैविक खेती की विकास योजना	4.71	0.00	0.00	4.71	0.00
22			2415-80-120-29	चन्द्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय लखीमपुर खीरी की स्थापना	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
23			4415-80-277-29	कृषि विश्वविद्यालय बाँदा	7.38	0.00	0.00	7.38	0.00
24	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	2501-02-307-02	प्रधानमंत्री सिंचाई योजना	19.18	0.00	0.00	19.18	0.00
25			2501-05-101-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	1.37	0.00	0.00	1.37	0.00
26	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-102-08	विशेष रोजगार योजना	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
27			2702-02-800-12	समूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
28			4515-103-06	सामुदायिक विकास मुख्य अधिष्ठान	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
29			4702-800-12	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
30	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	4515-101-09	प्रत्येक न्याय पंचायत में दो चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
31	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-104-02	राष्ट्रीय जीवंत भंडार प्रबंधन कार्यक्रम	8.26	0.00	0.00	8.26	0.00
32			4403-101-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00
33			4403-101-09	बहुउद्देश्यीय सचल पशु चिकित्सा सेवा (राज्य योजना)	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
34			4403-800-06	पशुपालन निदेशालय	1.62	0.00	0.00	1.62	0.00
35	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-800-12	मछुआरा कल्याण निधि	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
36			4405-105-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
37	21	खाद्य तथा रसद विभाग	4408-800-04	अन्य व्यय	147.00	0.00	0.00	147.00	0.00
38	22	खेल विभाग	2204-104-36	एकलव्य क्रीड़ा निधि	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
39			4202-03-800-10	स्पोर्ट्स कालेज सहारनपुर	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
40			4202-03-800-12	के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ	6.04	0.00	0.00	6.04	0.00
41			4202-03-800-74	पश्चिमी उ0 प्र0 में कुश्ती, कबड्डी, भारोत्तोलन, वॉलीबाल, बास्केट बाल और मुक्केबाजी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
42	24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	6860-04-101-20	पीपीपी विधि द्वारा सहकारी चीनी मीलों का क्रियान्वयन	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
43			6860-04-190-08	बन्द सरकारी चीनी मीलों का पुनः क्रियान्वयन	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
44	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-101-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
45			2055-109-11	केन्द्रीय/वाहय प्रदेश के बलों के प्रतिस्थापन हेतु व्यवस्था	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
46			2055-109-12	स्मार्ट सिटी निगरानी पद्धति	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
47			2235-800-03	आतंकवादी गतिविधियाँ, अग्नि दुर्घटनाएँ इत्यादि से प्रभावित लोक व्यवस्थाएँ	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
48			4055-207-12	जिला यातायात प्रबंधन के लिए सीसीटीवी और सहवर्ती उपकरणों का क्रय	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
49			4055-207-22	आतंकवाद निरोधक दस्ता	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00
50			4055-211-04	लखनऊ में सुरक्षा रेखा की स्थापना	19.45	0.00	0.00	19.45	0.00
51			4070-800-11	अग्नि से रोकथाम एवं नियंत्रण प्रशासन	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
52	31	31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4210-03-105-13	संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में टर्शरी केयर केंसर केन्द्र की स्थापना (के0 60/रा0 40- के0 + रा0)	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
53			4210-03-105-61	मेडिकल कालेज कन्नौज में हृदय रोग अस्पताल की स्थापना	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
54			4210-03-105-62	मेडिकल कालेज कन्नौज में केंसर अस्पताल की स्थापना	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
55			4210-03-105-64	राजकीय मेडिकल कालेजों में गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) की स्थापना	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
56			6075-800-03	एसजीपीजीआई, लखनऊ में राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए रिवाल्विंग	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
57	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4210-01-110-04	टी.बी. उपचार भवन का निर्माण	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
58			4210-01-110-06	मण्डल मुख्यालयों पर 300 शैय्या से युक्त चिकित्सालयों की स्थापना	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
59			4210-01-110-55	कानपुर रोड लखनऊ में 300 शैय्या से युक्त चिकित्सालय की स्थापना	1.73	0.00	0.00	1.73	0.00
60			4210-01-110-82	राजकीय चिकित्सालयों हेतु 14 शववाहन	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
61			4210-01-800-05	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र के भवन का निर्माण	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
62			4210-02-110-07	मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में 100 शैय्या चिकित्सालय भवन का निर्माण	1.03	0.00	0.00	1.03	0.00
63	40	नियोजन विभाग	2575-06-101-03	सौर ऊर्जा/सौर पम्प/सौर ऊर्जा बाड़ के लिए एकमुश्त प्रावधान	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
64			2575-06-105-04	कौशल विकास अभियान के लिए एकमुश्त प्रावधान	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
65			4215-01-101-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
66			4215-01-102-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00
67			4215-02-101-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
68			4215-02-106-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
69			4406-01-102-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
70			4575-06-201-03	विद्यालय भवन के चहारदीवारी के निर्माण/विस्तारी करण के लिए एकमुश्त प्रावधान	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00
71			4575-06-800-13	शौचालयों के निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
72			4702-800-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
73			4801-05-800-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
74			4801-06-800-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
75			4801-80-800-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
76			5054-04-101-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
77	42	न्याय विभाग	2014-102-15	महिला शोषण से सम्बन्धित मुकदमों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालयों की स्थापना	22.28	0.00	0.00	22.28	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
78			2235-60-200-12	उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि के ट्रस्टी समिति को अनुदान	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
79			2235-60-200-13	युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पस निधि	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
80			2235-60-200-17	युवा अधिवक्ता के लिए किताबें और पत्रिकाएँ	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
81			4059-01-51-12	प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
82			4059-01-051-14	दण्ड संहिता	1.61	0.00	0.00	1.61	0.00
83			4059-01-52-03	अधीनस्थ न्यायालयों के सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा तथा सुरक्षा उपकरण	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00
84			4070-800-04	जनपद न्यायालय वाराणसी के नवीन परिसर हेतु भूमि अधिग्रहण	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
85			4216-01-700-10	माननीय उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
86	43	परिवहन विभाग	4047-800-01	केन्द्रीय योजना/केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	8.48	0.00	0.00	8.48	0.00
87			4059-01-051-15	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, आजमगढ़ में भवन का निर्माण	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
88	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-104-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
89			4202-02-105-13	इंजीनियरिंग कालेज कन्नौज	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
90			4202-02-105-17	इंजीनियरिंग कालेज मीरजापुर	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
91	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2225-80-800-01	केद्र प्रायोजित योजनायें	608.27	0.00	0.00	608.27	0.00
92			2250-102-05	उ0प्र0 शिया/सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्डके लिए अनावर्तक अनुदान	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00
93			4235-60-800-03	अल्पसंख्यकों के कब्रगाहों और उसके चारदीवारी का निर्माण	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
94			4250-800-03	हज हाउस लखनऊ तथा गाजियाबाद का निर्माण	2.34	0.00	0.00	2.34	0.00
95	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-102-05	किशोर न्याय निधि	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00
96			2235-02-103-03	महिला एवं बाल राज्य संसाधन केन्द्र	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
97			2235-02-103-12	रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र का संचालन	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
98			2235-02-103-13	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
99			2235-02-103-24	स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध महिला आश्रम की स्थापना	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00
100			2235-02-103-25	राजकीय महिला शरणस्थल की स्थापना	3.58	0.00	0.00	3.58	0.00
101			4235-02-103-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00
102			4235-02-103-03	रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र की स्थापना	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
103			4235-02-103-04	वृद्धाश्रम की स्थापना	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
104	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2235-60-110-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	134.83	0.00	0.00	134.83	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
105			2235-60-110-03	मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00
106			2235-60-110-04	मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना	845.50	0.00	0.00	845.50	0.00
107			4059-60-051-06	लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय चिनहट का उन्नयन	4.91	0.00	0.00	4.91	0.00
108	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5054-04-337-16	गंगा नहर के बायें पट्टी का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
109			5054-80-004-04	अनुसाधंन संस्थान एवं क्वालिटी प्रोमोशन सेल की प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00
110	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	4059-80-051-04	जवाहर भवन एवं इंदिरा भवन में वातानुकूलित सयंत्र एवं विद्युत आपूर्ति उपकरण का उन्नयन तथा नवीनीकरण	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
111	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2048-101-03	सिंकिंग फंड का उ0प्र0 राज्य विकास ऋण के ऋण सहायता राशि को हस्तांतरण	21,857.01	0.00	0.00	21,857.01	0.00
112			2049-200-03	रिजर्व बैंक से अल्प अवधि हेतु लिए गये कर्ज पर ब्याज	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
113			2217-80-800-03	राज्य सरकार द्वारा संकलित 2% अतिरिक्त निबंधन शुल्क को शहरी निकाय को हस्तांतरण	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00
114			4070-800-03	परियोजनाओं की डी.पी.आर. पर व्यय	5.01	0.00	0.00	5.01	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
115			6003-110-03	अर्थोपाय अग्रिम का पुर्नर्भुगतान	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
116	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	2071-01-101-04	जल निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों की राजकीय सेवा के लिए अंशदान	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
117			2071-01-115-05	अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत अधिकारियों का अवकाश नगदीकरण	2.45	0.00	0.00	2.45	0.00
118			2071-01-800-03	उ0प्र0 न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारियों के घरेलू सेवक भत्ता	1.91	0.00	0.00	1.91	0.00
119			2071-01-800-09	सेवानिवृत लाभों के विलम्ब से अदायगी पर देय ब्याज	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
120			2071-01-800-10	उ0प्र0 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत पेंशन देयताओं को प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार को देय राशि	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
121	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	5425-800-03	लाइट डिटेक्शन एवं रेंजिंग सर्वे तथा डेटा विश्लेषण प्रयोगशाला (एलआईडीईआर)	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
122	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-111-03	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षको के मानदेय के अंतर की राशि	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
123			4202-01-201-03	जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय भवन का निर्माण (जिला योजना)	1.55	0.00	0.00	1.55	0.00
124	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2071-01-109-03	सैनिक स्कूल लखनऊ के कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
125			2202-01-105-03	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तृतीय पक्ष विकास प्रदान करने हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
126			2202-01-109-01	केन्द्र प्रायोजित योजनायें	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
127			2202-01-110-01	केन्द्र प्रायोजित योजना	16.08	0.00	0.00	16.08	0.00
128			2202-01-800-10	राजा राम मोहन राय संस्थान कलकत्ता को सहायता अनुदान	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
129			2202-01-800-27	माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 से सम्बद्ध अशासकीय गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय का भुगतान	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
130			4202-01-202-18	ई-बुक्स की क्रय/ ई-लाइब्रेरी की स्थापना	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
131	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2071-01-117-04	राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षक/गैर शैक्षणिक कर्मचारी का टियर–1 खाते में अंशदान	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
132			2202-03-800-13	राज्य के डिग्री कालेज/विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
133			2202-03-800-17	अहिल्या बाई निः शुल्क कन्या मुफ्त योजना	21.12	0.00	0.00	21.12	0.00
134			2202-03-800-18	प्रत्येक कालेज, विश्वविद्यालयों में वाई फाई की सुविधा	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
135			4202-01-203-11	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी	3.67	0.00	0.00	3.67	0.00
136			4202-01-203-12	बलिया में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
137			4202-01-203-35	जिला सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
138			4202-01-203-36	बाबा साहेब डा0 भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में सावित्री बाई फुले महिला छात्रावास का निर्माण	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
139	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-01-111-03	असंगठित मजदूरों हेतु दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00
140			2230-01-111-06	असंगठित मजदूर हेतु अटल पेंशन योजना	12.52	0.00	0.00	12.52	0.00
141	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2235-01-277-20	सफाई और चमड़ा हटाने जैसे सेवाओं में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों हेतु प्री–हाईस्कूल (कक्षा 1 से 10) छात्रवृत्ति	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
142			2225-02-200-11	दिल्ली स्थित संस्थान में आई.ए.एस./पी.सी.एस. की प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
143	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2235-02-789-09	बीपीएल परिवारों के महिलाओं हेतु साड़ी	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
144			2501-02-789-02	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	5.40	0.00	0.00	5.40	0.00
145			2501-05-789-01	केन्द्र प्रायोजित योजनायें	36.50	0.00	0.00	36.50	0.00
146			2515-789-05	अम्बेडकर रोजगार योजना	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
147			2851-789-14	केन्द्रीय रेशम बोर्ड (राज्यांश) द्वारा विकसित रेशम विकास योजना	4.18	0.00	0.00	4.18	0.00
148			4202-02-789-09	इंजीनियरिंग कालेज कन्नौज	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00
149			4202-01-789-19	इंजीनियरिंग कालेज मिर्जापुर	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
150			4210-02-789-07	होम्योपैथिक चिकित्सालय का निर्माण	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00
151			4210-03-789-07	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय सहारनपुर	3.03	0.00	0.00	3.03	0.00
152			4210-03-789-08	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय अम्बेडकरनगर	3.03	0.00	0.00	3.03	0.00
153			4210-03-789-11	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इलाहाबाद	4.24	0.00	0.00	4.24	0.00
154			4210-03-789-12	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मेरठ	4.75	0.00	0.00	4.75	0.00
155			4210-03-789-13	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय झाँसी	4.67	0.00	0.00	4.67	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
156			4210-03-789-16	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बदायूँ	12.73	0.00	0.00	12.73	0.00
157			4210-03-789-17	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय आजमगढ़	8.48	0.00	0.00	8.48	0.00
158			4210-03-789-21	कन्नौज में हृदय रोग चिकित्सा महाविद्यालय	3.18	0.00	0.00	3.18	0.00
159			4210-03-789-22	कन्नौज में कैंसर चिकित्सा महाविद्यालय	3.18	0.00	0.00	3.18	0.00
160			4210-03-789-30	पैरामेडिकल संस्थान सैफई, इटावा	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
161			4210-03-789-33	चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
162			4215-01-789-07	बुन्देलखण्ड/विन्ध्य/गुणवत्ता प्रभावित ग्राम में पाइपलाइन पेयजल की परियोजना	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00
163			4216-03-789-01	केन्द्र प्रायोजित योजना	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
164			4700-22-789-10	नहरें	371.60	0.00	0.00	371.60	0.00
165			4711-01-789-09	कटाव निरोधक योजनाएँ	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
166	84	सामान्य प्रशासन विभाग	2250-101-10	श्री काशी विश्वनाथ विशेष विकास क्षेत्र परिषद् वाराणसी	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
167	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2040-800-12	जिला मध्यस्थता प्राधिकरण	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00
168			2049-60-701-03	प्रवेश कर के जमा खाते पर ब्याज भुगतान	65.35	0.00	0.00	65.35	0.00
169	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं निबन्धन)	2030-03-001-05	सभी दस्तावेजो का स्कैनिंग एवं इंडेक्सिंग	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
170	92	संस्कृति विभाग	4202-04-800-01	केन्द्र प्रायोजित योजनायें	14.38	0.00	0.00	14.38	0.00
171			4202-04-800-03	सभागार/खुले मंच का निर्माण	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
172			4202-04-800-06	भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय के नये परिसर हेतु भूमि की व्यवस्था तथा निर्माण	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
173			4202-04-800-08	आजमगढ़ में हरिऔध कलाकेन्द्र के भवन का निर्माण	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
174			4202-04-800-33	उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार लखनऊ के परिसर में संग्रह गैलरी निर्माण	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
175	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2700-80-800-01	केन्द्र प्रायोजित योजनायें	28.68	0.00	0.00	28.68	0.00
176			4700-05-050-10	नहरें	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
177			4700-06-050-10	नहरें	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
178			4700-06-051-15	जनपद मथुरा में वृंदावन में स्थित नदी के घाटी का विस्तार, सौंदर्यीकरण तथा नवीनीकरण परियोजना	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
179			4700-07-051-17	आगरा में अतंर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल ताजमहल के नींव की सुरक्षा नौकायन, सौन्दर्यीकरण व दृश्याभिराम, वातावरण बनाने, पानी भण्डारण करने, भू जल–स्तर सुधारने हेतु ताज महल के 1.50 किमी डाउन स्ट्रीम में रबर बैराज की निर्माण परियोजना	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
180			4700-08-050-10	नहरें	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
181			4700-09-051-15	लखनऊ में गोमती नदी का तटीकरण	38.32	0.00	0.00	38.32	0.00
182			4700-09-051-19	अमताही से गोकुल गाँव तक टिकरी रजवाहा के बायें पटरी पर (42.20 किमी0 से 46.75 किमी0) तक सड़क निर्माण	1.75	0.00	0.00	1.75	0.00
183			4700-14-050-10	नहरें	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00
184			4700-18-051-10	नहरें	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00
185			4700-19-050-10	नहरें	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
186			4700-23-051-10	नहरें	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00
187			4700-29-051-10	नहरें	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
188			4700-30-051-10	नहरें	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
189			4700-84-050-10	नहरें	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
190			4700-87-051-10	नहरें	4.77	0.00	0.00	4.77	0.00
191			4700-94-051-07	बैराज	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
192			4711-03-103-07	जल निकासी योजना (नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
193	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	4701-03-001-03	निदेशन	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00
योग					**43,865.90**	**0.00**	**0.00**	**43,865.90**	**0.00**
(ब) अनुपूरक प्रावधानों युक्त योजनाएँ									
1	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-80-800-18	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थान से लिए गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता	0.00	12.70	0.00	12.70	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
2			2852-80-800-19	यूपीडा द्वारा बुंदेलखण्ड लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थान से लिए गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता	0.00	46.28	0.00	46.28	0.00
3	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2071-01-117-07	कृषि विश्वविद्यालयों के एनपीएस के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के 31.03.2019 तक शेष नियोक्ता अंशदान का एक मुश्त भुगतान	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
4			2071-01-117-08	कृषि विश्वविद्यालयों के नियोक्ता द्वारा 31.03.2019 तक/विलम्ब से जमा की गयी शेष नियोक्ता की अंशदान पर देय ब्याज	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
5			2071-01-117-09	कृषि विश्वविद्यालयों के एनपीएस के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का अभिदाता अंशदान विलम्ब से जमा करने पर ब्याज का भुगतान	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
6			2401-113-06	प्रणाली प्रबंधन योजना	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
7	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4210-03-105-22	जे0के0 रेडियोलाजी तथा कैंसर अनुसंधान संस्थान कानपुर	1.00	20.00	0.00	21.00	0.00
8			4210-03-105-76	के0जी0एम0यू0 लखनऊ में वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
9	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	4210-04-107-01	केन्द्र प्रायोजित योजनायें	0.00	11.56	0.00	11.56	0.00
10	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2071-01-117-07	सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा संस्थान के एनपीएस के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के 31.03.2019 तक शेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
11			2071-01-117-08	सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थान के नियोक्ता के 31.03.2019 तक के विलम्ब से जमा किया गया अंशदान पर ब्याज	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
12	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2071-01-117-07	सहायता प्राप्त अरबी–फारसी मदरसों के एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के 31.03.2019 तक शेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
13	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-60-051-05	सरकारी भवनों के निर्माण हेतु परियोजना रिपोर्ट/मूल्यांकन	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
14	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5054-80-800-07	नयी तकनीकी, नयी तकनीकी परियोजना का गठन/पूर्व निर्मित परियोजना का अध्ययन और मूल्यांकन	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
15	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	2071-01-117-07	एनपीएस के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के 31.03.2019 तक शेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
16			2071-01-117-08	नियोक्ता का ऋण पर देय ब्याज का अंशदान 31.03.2019 तक/देर से जमा किये गये नियोक्ता का अंशदान	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
17			2071-01-117-09	नियोक्ता अंशदान के विलम्ब से जमा करने पर ब्याज भुगतान	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
18	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2071-01-117-07	एनपीएस के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के 31.03.2019 तक शेष योगदान का एकमुश्त भुगतान	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
19			2071-01-117-08	नियोक्ता का ऋण पर देय ब्याज का अंशदान 31.03.2019 तक/देर से जमा किया गया नियोक्ता का अंशदान	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
20			2071-01-117-09	अंशदान पर ब्याज का भुगतान	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2071-01-117-07	एनपीएस के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के 31.03.2019 के शेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00
22			2071-01-117-08	31.03.2019 तक विलम्ब से जमा नियोक्ता अंशदान पर ब्याज का भुगतान	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
23			2071-01-117-09	विलम्ब से जमा नियोक्ता अंशदान पर ब्याज भुगतान	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
24			2202-02-800-14	उ0प्र0 शैक्षिक सेवा न्यायाधिकरण	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00

क्र0 सं0	अनुदान	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
25	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2071-01-117-07	एनपीएस के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के 31.03.2019 तक शेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
26			2071-01-117-08	31.03.2019 तक विलम्ब से जमा किये देयशेष नियोक्ता अंशदान पर देय ब्याज	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00
27			2071-01-117-09	नियोक्ता द्वारा विलम्ब से जमा अंशदान पर ब्याज	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
28	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	4059-80-800-04	सी.सी.टी.वी. /निगरानी कैमरा और अनुषंगिक उपकरणों की स्थापना	1.00	8.00	0.00	9.00	0.00
योग					**2.00**	**5,143.73**	**0.00**	**5,145.73**	**0.00**
महायोग					**43,867.90**	**5,143.73**	**0.00**	**49,011.63**	**0.00**

परिशिष्ट–3.8

(प्रस्तर 3.3.7.2 में संदर्भित)

उन योजनाओं का विवरण जिनसे मूल, अनुपूरक प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
1.	**7**	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-07-202-05	इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने एवं स्टार्टअप के लिए प्रारम्भिक निधि	100.00	0.00	(-)30.15	69.85	0.00
2.			2852-80-800-08	सार्वजनिक निजी भागदारी (पीपीपी) परियोजनाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र एवं सहकारी इकाई का विनिवेश तथा निजीकरण	2.05	0.00	(-)2.05	0.00	0.00
3.	**9**	ऊर्जा विभाग	2801-05-800-21	विद्युत चोरी के रोकथाम हेतु	2.00	0.00	(-)2.00	0.00	0.00
4.			4801-06-190-06	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्य हेतु अंशपूँजी (सी.60/एस.10/बी.30-सी)	590.00	0.00	(-)590.00	0.00	0.00
5.			4801-80-190-04	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु अंशपूँजी (सी.60/एस.10/बी.30-सी +एस)	79.00	0.00	(-)79.00	0.00	0.00
6.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-107-06	अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम	2.00	0.00	(-)2.00	0.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
7.	**16**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध विकास)	2404-102-07	एन.पी.डी.डी. योजना के तहत दुग्ध संघों का पुनरोद्धार	19.66	0.00	(-)19.66	0.00	0.00
8.			2404-102-09	उ0प्र0 दुग्ध नीति 2018	5.00	0.00	(-)5.00	0.00	0.00
9.			6404-190-03	पी.सी.डी.एफ. के सशक्तिकरण के लिए ऋण	150.00	0.00	(-)150.00	0.00	0.00
10.			6404-190-08	मथुरा में नवीन डेयरी की स्थापना	56.23	0.00	(-)56.23	0.00	0.00
11.	**18**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2425-107-03	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में कम्प्यूटरीकरण (पीएसीएस)	24.96	0.00	(-)24.96	0.00	0.00
12.			6003-105-03	ऋणों का भुगतान	24.90	0.00	(-)24.90	0.00	0.00
13.	**24**	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	6860-04-190-05	निजी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु ऋण	500.00	0.00	(-)200.00	300.00	0.00
14.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-01-110-09	राज्य कर्मचारी नगदीरहित चिकित्सा योजना	50.00	0.00	(-)50.00	0.00	0.00
15.			2210-80-800-11	बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली	2.00	0.00	(-)2.00	0.00	0.00
16.	**33**	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	4210-01-800-08	आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना	10.00	0.00	(-)10.00	0.00	0.00
17.	**37**	नगर विकास विभाग	2215-02-106-01	केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनायें	29.69	0.00	(-)29.69	0.00	0.00
18.			4216-02-800-01	केन्द्र प्रायोजित योजनायें	30.00	0.00	(-)10.00	20.00	0.00
19.			4217-60-800-03	जनपद गाजियाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	50.00	0.00	(-)50.00	0.00	0.00
20.	**40**	नियोजन विभाग	2575-02-800-03	बुंदेलखण्ड के लिए विशेष योजनाएँ	36.63	0.00	(-)11.45	25.18	0.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
21.			4575-02-800-03	बुंदेलखण्ड के लिए विशेष योजनाएँ	112.27	0.00	(-)103.07	9.20	0.00
22.	**42**	न्याय विभाग	4059-01-52-04	निचली अदालत में सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना	20.00	0.00	(-)15.30	4.70	0.00
23.	**44**	पर्यटन विभाग	3452-80-104-09	रामायण कानक्लेव का गठन	3.00	0.00	(-)3.00	0.00	0.00
24.			3452-80-800-14	पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन	70.00	0.00	(-)70.00	0.00	0.00
25.			5452-80-104-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	77.40	0.00	(-)77.40	0.00	0.00
26.			5452-80-104-11	अलीगढ़ खाद्य शिल्प संस्थान	5.00	0.00	(-)5.00	0.00	0.00
27.			5452-80-104-22	मथुरा में प्राचीन समय के 50 ऐतिहासिक जल खण्डों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार	1.00	0.00	(-)1.00	0.00	0.00
28.			5452-80-104-37	वाराणसी जनपद में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना	200.00	0.00	(-)155.70	44.30	0.00
29.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-102-16	राज्य पोषण अभियान	14.00	0.00	(-)14.00	0.00	0.00
30.			2235-02-102-20	शबरी संकल्प अभियान	200.00	0.00	(-)200.00	0.00	0.00
31.	**51**	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	2245-05-800-05	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से व्यय	1,000.00	0.00	(-)598.27	401.73	0.00
32.	**60**	वन विभाग	4406-01-102-17	विन्ध्य और बुंदेलखण्ड क्षेत्र के छुटे पड़े खदानों और पठारी/पहाड़ी क्षेत्रों वृक्षारोपण कार्यक्रम (सीसीएल सिस्टम)	1.00	0.00	(-)1.00	0.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
33.			4406-02-110-06	एटा जिले में लायन सफारी पार्क और बब्बर शेर संवर्धन पार्क का विकास	10.00	0.00	(-)10.00	0.00	0.00
34.			4406-02-110-08	कुकराइल वन क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यावरण पर्यटन और जैव विविधता केन्द्र की स्थापना	5.00	0.00	(-)5.00	0.00	0.00
35.	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-102-03	मंत्रियों एवं उपमंत्रियों के भत्ते	9.00	0.00	(-)9.00	0.00	0.00
36.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2235-02-101-20	दिव्यांगजनों हेतु मोटर चालित तिपहिया साइकिल योजना	32.56	0.00	(-)32.56	0.00	0.00
37.			4225-03-277-01	केन्द्र प्रायोजित योजनायें	52.66	0.00	(-)52.66	0.00	0.00
38.			4235-02-101-01	केन्द्र प्रायोजित योजनायें	5.00	0.00	(-)5.00	0.00	0.00
39.			4235-02-101-11	स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का गठन	1.00	0.00	(-)1.00	0.00	0.00
40.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4210-01-789-03	जनपद/संयुक्त औषधालयों एवं अन्य औषधालयों के लिए उपकरणों की खरीद	20.00	0.00	(-)20.00	0.00	0.00
41.			4210-02-789-05	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सीएच केन्द्र और उपकेन्दों में जलापूर्ति विद्युतीकरण का सुधार विस्तार और पुनरोद्धार	1.00	0.00	(-)1.00	0.00	0.00
42.			4216-02-789-01	केन्द्र प्रायोजित योजनायें	15.00	0.00	(-)15.00	0.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
43.			4801-05-789-06	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिए पूँजीगत अंश	21.00	0.00	(-)21.00	0.00	0.00
44.	**86**	सूचना विभाग	4059-80-800-03	दूरदर्शन चलचित्र और उदार कलाओं की संस्था की स्थापना	1.00	0.00	(-)1.00	0.00	0.00
45.	**88**	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	2052-091-05	जमाकर्ता कल्याण संरक्षण अधिनियम 2016 का क्रियान्वयन	1.46	0.00	(-)1.46	0.00	0.00
46.			4059-01-051-03	लखनऊ जनपद में संस्थागत वित्त निदेशालय के कार्यालय भवन का निर्माण	4.10	0.00	(-)4.10	0.00	0.00
47.	**92**	संस्कृति विभाग	2205-800-15	लोक कलाकारों को अनुदान	1.00	0.00	(-)1.00	0.00	0.00
48.			2205-800-16	संस्कृति क्लब की स्थापना	1.00	0.00	(-)1.00	0.00	0.00
49.			4202-04-800-16	अयोध्या फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला परिसर की स्थापना	5.00	0.00	(-)0.85	4.15	0.00
50.	**37**	नगर विकास विभाग	2217-05-051-03	स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम	0.00	175.00	(-)175.00	0.00	0.00
51.			2217-80-192-08	पार्कों का निर्माण एवं विकास	0.00	60.00	(-)60.00	0.00	0.00
52.			4215-01-101-97	वाह्य सहायतित योजना	235.00	220.00	(-)235.00	220.00	0.00
53.	**44**	पर्यटन विभाग	5452-80-104-27	विन्ध्यवासिनी देवी धाम, जनपद मिर्जापुर में पर्यटन विकास	0.00	10.00	(-)10.00	0.00	0.00
54.	**45**	पर्यावरण विभाग	3435-04-800-05	जिला पर्यावरण समिति	0.00	1.00	(-)1.00	0.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
55.	**70**	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4810-102-04	सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना	5.00	10.00	(-)15.00	0.00	0.00
56.	**79**	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2235-02-101-38	जिला निःशक्तजन पुनर्वास केन्द्र की स्थापना/संचालन (डीडीआरसी)	0.00	4.00	(-)4.00	0.00	0.00
योग					**3,893.57**	**480**	**(-)3,274.46**	**1,099.11**	**0.00**

परिशिष्ट–4.1

(प्रस्तर 4.13 में सन्दर्भित)

विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण

क्र0सं0	विभाग का नाम	निकाय/प्राधिकारण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुये	लम्बित वार्षिक लेखाओं की कुल संख्या
1.	वन विभाग	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)	2019-20	01
2.	अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2019-20	15
3.	–तदैव–	ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2019-20	02
4.	–तदैव–	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2019-20	15
5.	–तदैव–	उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
6.	–तदैव–	सथारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2019-20	15
7.	–तदैव–	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2019-20	15
8.	–तदैव–	उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2019-20	02
9.	–तदैव–	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2019-20	15
10.	आवास एवं शहरी योजना विभाग	लखनऊ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
11.	–तदैव–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
12.	–तदैव–	आगरा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
13.	–तदैव–	मेरठ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
14.	–तदैव–	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
15.	–तदैव–	हापुड़/पिलखुंआ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
16.	–तदैव–	वाराणसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
17.	–तदैव–	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
18.	–तदैव–	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
19.	–तदैव–	मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
20.	–तदैव–	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
21.	–तदैव–	बरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
22.	–तदैव–	रायबरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
23.	–तदैव–	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
24.	–तदैव–	अयोध्या/फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
25.	–तदैव–	फिरोजाबाद/शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
26.	–तदैव–	कानपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
27.	–तदैव–	रामपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
28.	–तदैव–	उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
29.	–तदैव–	झाँसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
30.	–तदैव–	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
31.	–तदैव–	बुलंदशहर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
32.	–तदैव–	खुर्जा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03

क्र0सं0	विभाग का नाम	निकाय/प्राधिकारण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुये	लम्बित वार्षिक लेखाओं की कुल संख्या
33.	आवास एवं शहरी योजना विभाग	उरई विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
34.	–तदैव–	बाँदा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
35.	–तदैव–	बागपत बड़ौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
36.	–तदैव–	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
37.	–तदैव–	बस्ती विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2019-20	03
38.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शक्तिनगर	2017-18 से 2019-20	03
39.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट	2017-18 से 2019-20	03
40.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कपिलवस्तु	2017-18 से 2019-20	03
41.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विन्ध्याचल–मिर्जापुर	2017-18 से 2019-20	03
42.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर	2017-18 से 2019-20	03
43.	–तदैव–	उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण	2018-19 से 2019-20	02
44.	ऊर्जा विभाग	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग	2019-20	01
45.	बाल कल्याण विभाग	उ0प्र0 बाल अधिकार संरक्षण आयोग	2005-06 to 2019-20	15
46.	उच्च शिक्षा	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	2019-20	01
47.	–तदैव–	दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय	2019-20	01
48.	–तदैव–	डा. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ	2019-20	01
49.	–तदैव–	लखनऊ विश्वविद्यालय	2019-20	01
50.	–तदैव–	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय	2019-20	01
51.	–तदैव–	उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय	2019-20	01
52.	–तदैव–	प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय	2019-20	01
53.	–तदैव–	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर	2019-20	01
54.	–तदैव–	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	2019-20	01
55.	–तदैव–	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	2019-20	01
56.	–तदैव–	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय	2019-20	01
57.	–तदैव–	ख्वाजा मोउनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय	2019-20	01
58.	–तदैव–	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	2019-20	01
59.	औद्योगिक विकास	गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय	2019-20	01
60.	प्राविधिक शिक्षा	मदन मोहन मालवीय कृषि एवं प्राविधिक विश्वविद्यालय	2019-20	01
61.	–तदैव–	हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय	2019-20	01
62.	–तदैव–	डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय	2019-20	01
63.	विकलांग कल्याण	डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय	2019-20	01
		योग		**218**

परिशिष्ट–4.2
(प्रस्तर 4.14 में सन्दर्भित)
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण और निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक के लेखे अन्तिमीकृत किये गये	अन्तिम अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार निवेश
	सिंचाई विभाग		
1.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2019-20	1.94
2.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झांसी	2019-20	11.95
3.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2019-20	13.10
4.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2019-20	1.98
5.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2019-20	0.54
6.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, प्रयागराज	2019-20	3.97
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
7.	खाद्य आयुक्त एवं सीएओ	2014-15	4,002.95
	पशुपालन विभाग		
8.	उप निदेशक, पशुधन फार्म निगम	2015-16	32.61
	स्वास्थ्य विभाग		
9.	उप निदेशक, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि विभाग	1987-88	उपलब्ध नहीं
	योग		**4,069.04**

परिशिष्ट–5.1
(प्रस्तर 5.1, 5.5, 5.6, 5.7 एवं 5.16.1 में संदर्भित)

नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इस अध्याय में शामिल किए गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय परिणाम का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	लेखे की अवधि	ब्याज एवं करों से पूर्व के शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	आवेदित अंश पूँजी सहित प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी[1]	निवल मूल्य/शेयरधारकों की निधि	संचित लाभ/हानि
I	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज**								
अ	**सरकारी कम्पनियां**								
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	1138.79	123.75	9358.47	12305.55	23956.03	12928.09	1173.67
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2017-18	-3.15	-25.68	97.39	435.33	209.02	56.94	-378.39
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (क्रम सं0 1 की सहायक कम्पनी)	2018-19	3.74	2.64	0	551.05	1802.31	553.43	2.38
4	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	706.60	-356.27	2364.28	14060.07	23152.35	12250.65	-1809.24
5	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं0 10 की सहायक कम्पनी)	2018-19	163.88	-978.11	11036.93	18698.49	14175.13	-674.95	-19373.44
6	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं0 10 की सहायक कम्पनी)	2018-19	-577.61	-1290.50	16334.27	14679.36	9009.57	-1547.35	-16226.71
7	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं0 10 की सहायक कम्पनी)	2018-19	125.01	-746.48	10029.68	17440.46	14462.83	2687.23	-14753.23
8	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं0 10 की सहायक कम्पनी)	2018-19	-1121.60	-2567.16	10174.60	18412.68	7454.00	-9533.02	-27945.70

[1] शेयरधारकों की निधि एवं दीर्घावधि ऋण का कुल योग नियोजित पूँजी होता है।

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	लेखे की अवधि	ब्याज एवं करों से पूर्व के शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	आवेदित अंश पूँजी सहित प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी[1]	निवल मूल्य/शेयरधारकों की निधि	संचित लाभ/हानि
9	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (क्रम सं0 10 की सहायक कम्पनी)	2018-19	-279.32	-449.64	2449.94	1955.83	324.33	-1615.83	-3571.66
10	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	-8118.80	-8118.80	0	82991.49	-60729.08	-60729.08	-79321.02
11	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड (क्रम सं0 1 की संयुक्त उपक्रम कम्पनी)	2018-19	-1.19	-1.19	0	0.16	0.25	-2.25	-2.41
	उप योग (अ)		**-7963.65**	**-14,407.44**	**61,845.56**	**181530.47[2]**	**33816.74**	**-45626.14[3]**	**-162205.75**
II	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज**								
अ	**सरकारी कम्पनियां**								
1	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (लखनऊ मेट्रो)	2018-19	-70.02	-72.11	15.04	2041.00	6509.65	1897.60	-143.40
2	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	-16.14	-92.47	60.71	1400.24	3198.95	1245.40	-154.84
3	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	15.39	9.63	591.20	6.40	126.03	126.03	119.63
4	उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	2017-18	1.26	0.91	582.35	0.15	74.20	74.20	74.05
5	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2018-19	1.00	0.61	43.21	7.12	13.64	11.21	4.09

2 ₹ 1,81,530.47 करोड़ के प्रदत्त पूँजी में ₹ 64,950.68 करोड़ की धनराशि शामिल है जो कि सरकार द्वारा स्वामित्व धारक कम्पनियों क्रम सं0 1 (₹ 551.13 करोड़) एवं क्रम सं0 10 (₹ 64,399.55 करोड़) को उनकी सहायक/एसोसिएट्स/संयुक्त उपक्रम कम्पनियों के लिए जोकि क्रम सं0 3, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 11 पर बताई गयी है, दिया गया था। इसलिए, ₹ 64,950.68 करोड़ की धनराशि को निवल मूल्य और नियोजित पूँजी की गणना से बाहर रखा गया है।

3 प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचयों एवं अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर निवल मूल्य आता है। उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के निवल मूल्य निकालने के लिए ₹ 0.18 करोड़ का आस्थगित राजस्व व्यय घटाया गया है।

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	लेखे की अवधि	ब्याज एवं करों से पूर्व के शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	आवेदित अंश पूँजी सहित प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी[1]	निवल मूल्य/शेयरधारकों की निधि	संचित लाभ/हानि
6	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन की सहायक)	2017-18	0.60	0.31	17.48	4.07	2.53	2.53	-1.54
7	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	3.27	2.35	45.68	91.54	143.88	35.92	7.49
8	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	18.94	12.16	224.84	1.00	33.01	33.01	32.01
9	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2018-19	54.71	54.71	445.66	0.43	321.59	321.59	321.16
10	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	0.04	0.04	0.18	0.25	1.97	-0.51	-0.76
11	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2018-19	-11.30	-11.30	50.98	3.00	21.80	21.80	18.80
12	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	2019-20	-0.04	-0.04	1.38	0.05	6.07	1.07	1.02
13	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	-7.16	-7.16	16.03	4.91	-6.21	-14.95	-19.86
14	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2017-18	-4.23	-8.07	0.00	93.24	-73.72	-175.60	-268.84
15	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यूपी लिमिटेड	2018-19	18.80	15.00	9.25	135.58	697.22	-243.91	-379.49
उप योग (अ)			**5.12**	**-95.43**	**2103.99**	**3788.98**	**11070.61**	**3335.39**	**-390.48**
ब	**अन्य सरकारी नियंत्रित कम्पनियां**								
16	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड (139 (5) और (7) कम्पनी)	2019-20	-0.24	-0.29	24.15	2.00	7.60	7.30	5.51

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	लेखे की अवधि	ब्याज एवं करों से पूर्व के शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	आवेदित अंश पूँजी सहित प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी[1]	निवल मूल्य/शेयरधारकों की निधि	संचित लाभ/हानि
17	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	-1.81	-1.82	0.00	216.00	214.17	214.17	-1.83
18	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	-1.42	-1.42	0.02	2.00	-0.32	-0.32	-2.32
19	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	11.15	7.90	0.00	50.00	61.69	61.69	11.69
उप योग (ब)			**7.68**	**4.37**	**24.17**	**270.00**	**283.14**	**282.84**	**13.05**
स	**सांविधिक निगम**								
20	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2018-19	167.37	167.37	942.99	0.00	5039.65	5039.65	5039.65
21	उत्तर प्रदेश वन निगम	2017-18	81.10	80.38	345.50	0.00	1536.08	1523.08	1523.08
22	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	39.85	39.85	4523.19	926.19	-74.59	-116.31	-1042.50
उप योग (स)			**288.32**	**287.60**	**5811.68**	**926.19**	**6501.14**	**6446.42**	**5520.23**
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज का कुल योग (अ+ब+स)			**301.12**	**196.54**	**7939.84**	**4985.17[4]**	**17854.89**	**10064.65[5]**	**5142.80**
महायोग (I+II)			**-7662.53**	**-14210.90**	**69785.40**	**186515.64**	**51671.63**	**-35561.49**	**-157062.95**

[4] ₹ 4,985.17 करोड़ की प्रदत्त पूँजी में क्रम संख्या 7 पर दी गयी स्वामित्व कम्पनी में एक धनराशि ₹ 63.11 करोड़ सम्मिलित है जोकि सरकार द्वारा उनकी सहायक कम्पनियों को दी गयी थी। अतः निवल मूल्य तथा नियोजित पूँजी की गणना में ₹ 63.11 करोड़ को बाहर रखा गया है। इसके अलावा, जीओयूपी द्वारा क्रम संख्या 7 पर दी गयी स्वामित्व कम्पनी को इसकी सहायक कम्पनियों के लिए ₹ 2.46 करोड़ ऋण की धनराशि प्रदान की गयी थी। अतः नियोजित पूँजी की गणना में इसे बाहर रखा गया है।

[5] निवल मूल्य, कुल प्रदत्त पूँजी तथा मुक्त संचय और आधिक्य के योग से संचित हानियों तथा स्थगित राजस्व व्यय (डीआरई) को घटाने के पश्चात आता है। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड के प्रकरण में निवल मूल्य निकालने के लिए ₹ 0.21 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय को घटाया गया है।

परिशिष्ट–5.2
(प्रस्तर 5.1 में संदर्भित)
राज्य पीएसयूज का विवरण जो इस अध्याय में शामिल नहीं हैं

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	ब्याज, कर एवं लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
I	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज					
अ	कार्यरत पीएसयूज जिनके तीन या अधिक वर्षों के लेखे बकाया थे/प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए/देय नहीं हैं					
(ए)	सरकारी कम्पनियां					
1	यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2016-17	-0.02	शून्य	0.05
ब	अकार्यरत पीएसयूज					
(बी)	सरकारी कम्पनियां	2018-19	2019-20	0.00	शून्य	2.22
2	सदर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड			**-0.02**	शून्य	**2.27**
II	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज					
अ	कार्यरत पीएसयूज जिनके तीन या अधिक वर्षों के लेखे बकाया थे/प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए/देय नहीं हैं					
(ए)	सरकारी कम्पनियां					
1	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2017-18	-1.1	3.32	30
2	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2019-20	0.39	1.24	12.23
3	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	11.89	67.74	230.42
4	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2010-11	2018-19	10.86	1535.05	5.5
5	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2016-17	2019-20	0.1	0.17	1.5
6	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.36	0.6	5.19
7	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2016-17	-0.21	0.38	5.25
8	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2016-17	10.26	793.26	46.3
9	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2013-14	2018-19	82.47	3438.74	1
10	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	24.13	1892.52	15
11	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	2019-20	5.72	291.77	5.96
12	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2019-20	-35.94	229.63	6.92
13	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2019-20	0.92	8.58	1.07
14	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड	2009-10	2012-13	-8.53	0.33	1.1

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	ब्याज, कर एवं लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
15	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2015-16	2018-19	-11.5	0	880.13
16	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	0.87	100.39	1648.31
17	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	2007-08	2017-18	-0.13	10.65	7.24
18	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2019-20	0.52	34.03	32.6
19	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
20	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2013-14	2019-20	-0.17	17.19	0.05
21	आगरा–मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
22	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
23	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
24	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड (दिनांक 23.03.2018 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
25	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड (दिनांक 04.10.2018 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
	उप योग (ए)			**90.91**	**8425.59**	**2935.77**
(बी)	**अन्य सरकारी नियंत्रित कम्पनियां**					
26	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड (दिनांक 22.11.2016 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
27	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (दिनांक 08.12.2016 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
28	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड (दिनांक 03.04.2018 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
29	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड (दिनांक 29.08.2017 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
30	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17	2017-18	-0.22	0.00	0.50
31	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड (दिनांक 16.06.2018 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए		-	-	-
32	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (दिनांक 01.03.2018 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए		-	-	-
	उप योग (बी)			**-0.22**	**0.00**	**0.50**

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	ब्याज, कर एवं लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
(सी)	**सांविधिक निगम**					
33	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2012-13	2015-16	17.38	22.22	179.28
34	उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम	2016-17	2018-19	45.66	474.83	13.00
35	उत्तर प्रदेश जल निगम	2016-17	2018-19	-317.07	462.27	0.00
	उप योग (सी)			**-254.03**	**959.32**	**192.28**
	कुल योग (अ =ए+बी+सी)			**-163.34**	**9384.91**	**3128.55**
ब	**अकार्यरत पीएसयूज**					
ए	**सरकारी कम्पनियां**					
36	अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1997-98	1998-99	-0.4	1.29	1.05
37	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2016-17	-0.48	0	59.43
38	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2019-20	-0.6	0	81.38
39	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	-0.6	0	147.72
40	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2019-20	-0.57	0	256.8
41	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	2010-11	2012-13	-0.6	0.03	0.22
42	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2001-02	2005-06	-0.29	0.16	1.93
43	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	1997-98	2007-08	2.39	0.53	5.38
44	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	-12.19	0	160.79
45	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	1999-00	2018-19	-13.84	28.68	47.07
46	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	2000-01	2002-03	0.26	3.6	5.74
47	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	2019-20	2019-20	9.16	0	53.67
48	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	0.18	0	2.73
49	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशैअलिटीज लिमिटेड	2012-13	2018-19	-0.18	0	0.5
50	उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	1984-85	1994-95	-0.67	0.27	1.9

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	ब्याज, कर एवं लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
51	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	-0.12	0	0.64
52	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1995-96	2012-13	-0.16	0.45	1.46
53	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2007-08	-0.09	3.91	1
54	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1983-84	1992-93	-0.11	2.74	0.55
55	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2011-12	-0.39	3.33	1
56	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2013-14	-0.07	0.25	1.26
57	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1981-82	1992-93	0.01	1.7	0.5
58	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2010-11	-0.03	0	1
59	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1991-92	2011-12	-0.19	0.85	0.25
60	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1982-83	1990-91	-0.04	0.01	0.25
61	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2016-17	0.09	0	1.23
62	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	-0.38	0.12	8.18
63	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1994-95	-0.14	1.3	1.15
64	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1993-94	-0.03	1.47	0.7
	उप योग (ए)			**-20.08**	**50.69**	**845.48**
बी	**अन्य सरकारी नियंत्रित कम्पनियां**					
65	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1994-95	-	0.01	0.96	0.24
	उप योग (बी)			**0.01**	**0.96**	**0.24**
सी	**सांविधिक निगम**	-	-	-	-	-
	उप योग (सी)	-	-	-	-	-
	कुल योग (ब= ए + बी + सी)			**-20.07**	**51.65**	**845.72**
स	**परिसमापन के अधीन पीएसयूज (यूएल)**					
ए	**सरकारी कम्पनियां**					
66	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2002–03 (01 जुलाई 2003 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2004-05	-0.18	0.04	0.31
67	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2006–07 (01 जुलाई 2003 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2008-09	-1.05	0.11	0.71

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	ब्याज, कर एवं लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
68	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1995–96 (08 फरवरी 1999 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1996-97	-47.75	113.01	68.28
69	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1987–88 (28 नवम्बर 2002 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1995-96	-0.12	0	0
70	ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	1991–92 (14 फरवरी 2003 से)	1995-96	0.11	6.31	7.5
71	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1994–95 (20 फरवरी 1996 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	-1.66	0.27	3.76
72	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1997–98 (01 अप्रैल 2002 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2002-03	0	0	46.24
73	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	(10 जून 1996 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	0	0.05	0
74	उत्तर प्रदेश एब्स्काट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1975–76 (19 अप्रैल 1996 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	-0.02	0	0.05
75	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1992–93 (19 फरवरी 1994 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	-6.18	2.26	6.58
76	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1974–75 (नवम्बर 2003 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1984-85	-0.01	0.04	0.01
77	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1995–96	1997-98	-32.12	97.15	53.16
	उप योग (ए)			**-88.98**	**219.24**	**186.60**
बी	**अन्य सरकारी नियंत्रित कम्पनियां**					
78	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	(14 जुलाई 1981 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	0	0	0
	उप योग (बी)			**0**	**0**	**0**
	कुल योग (स= ए+ बी)			**-88.98**	**219.24**	**186.60**
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज का कुल योग (II= अ+ब +स)			**-272.39**	**9655.80**	**4160.87**
	महायोग (I+II)			**-272.41**	**9655.80**	**4163.14**

परिशिष्ट–5.3
(प्रस्तर 5.2 एवं 5.5 में संदर्भित)
इस अध्याय में शामिल किये गये राज्य पीएसयू से सम्बंधित 31 मार्च 2020 को पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर पूँजी				वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर दीर्घकालिक बकाया ऋण				कुल निवेश (पूँजी और दीर्घ–कालिक ऋण) राज्य सरकार
					राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार का ऋण	केंद्र सरकार का ऋण	होल्डिंग कम्पनी / अन्य वित्तीय संस्थानों का ऋण	दीर्घकालिक ऋण	
1	2	3	4	5	6 (a)	6 (b)	6 (c)	6 (d)	7 (a)	7 (b)	7 (c)	7 (d)	8
I	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज												
अ	सरकारी कम्पनियां												
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (सहायक कम्पनी जेवीयूएनएल सहित)	ऊर्जा	2	25 अगस्त 1980 (केवल यूपीआरवीयूएनएल)	15200.69	0.00	0.00	15200.69	0.00	0.00	16049.23	16049.23	31249.92
2.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	1	15 अप्रैल 1985	435.33	0.00	0.00	435.33	64.65	0.00	85.21	149.86	585.19
3.	यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल)	ऊर्जा	1	13 जुलाई 2006	15576.01[6]	0.00	0.00	15576.01	0.00	0.00	12987.04	12987.04	28563.05

[6] इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से प्राप्त ₹ 2,213.27 करोड़ के जीओयूपी के निवेश को शामिल किया गया है।

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर पूँजी				वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर दीर्घकालिक बकाया ऋण				कुल निवेश (पूँजी और दीर्घ–कालिक ऋण) राज्य सरकार
					राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार का ऋण	केंद्र सरकार का ऋण	होल्डिंग कम्पनी / अन्य वित्तीय संस्थानों का ऋण	दीर्घकालिक ऋण	
4.	यूपीपीसीएल (पूवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल एवं केस्को सहित)	ऊर्जा	6	30 नवंबर 1999 (केवल यूपीपीसीएल)	94948.52[7]	0.00	0.20[8]	94948.72	553.91	0.00	51902.24	52456.15	147404.87
5.	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	1	16 अक्टूबर 2008	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	2.50	2.50	2.66
	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का योग (I)		**11**		**126160.55**	**0.00**	**0.36**	**126160.91**	**618.56**	**0.00**	**81026.22**	**81644.78**	**207805.69**
II	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज**												
ब	**सरकारी कम्पनियां**												
1	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)	आवास और शहरी नियोजन	1	25 नवंबर 2013	1277.95	1138.94	0.05	2416.94	830.00	297.00	3502.00	4629.00	7045.94
2	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1	11 मई 2014	0.00	687.62	712.62	1400.24	240.55	283.00	1430.00	1953.55	3353.79
3	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	सिंचाई	1	26 मई 1976	5.40	1.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40

[7] इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से यूपीपीटीसीएल में जीओयूपी के निवेश का ₹ 2,213.27 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उसे जीओयूपी द्वारा यूपीपीटीसीएल में निवेश में शामिल किया गया है। इसके अलावा, इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से एसयूपीपीटीसीएल में जीओयूपी के निवेश ₹ 2.22 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि एसयूपीपीटीसीएल को इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है।

[8] डिस्कॉम्स द्वारा यूपीपीसीएल को आवंटित किए गए प्रवर्तकों के शेयरों का ₹ 0.20 करोड़ को ''अन्य'' की श्रेणी में दिखाया गया है। ₹ 5.00 लाख (प्रत्येक ₹ 1000 मूल्य के दर पर 500 अंश) मूल्य के 500 अंश चारो डिस्कॉम्स को।

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर पूँजी				वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर दीर्घकालिक बकाया ऋण				कुल निवेश (पूँजी और दीर्घ–कालिक ऋण) राज्य सरकार
					राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार का ऋण	केंद्र सरकार का ऋण	होल्डिंग कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों का ऋण	दीर्घकालिक ऋण	
4	उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	समाज कल्याण	1	25 जून 1976	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
5	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	02 अक्टूबर 1979	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
6	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	04 अक्टूबर 1974	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00	2.64	2.64	4.11
7	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	20 मार्च 1974	91.54[9]	0.00	0.00	91.54	112.08[10]	0.00	0.00	112.08	203.62

[9] उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रम संख्या 7 पर बताई गई नियंत्रक कम्पनी में ₹ 91.54 करोड़ अंशपूँजी के रूप में निवेशित किए जिसमे ₹ 8.95 करोड़ (₹ 6.35 करोड़ और ₹ 2.60 करोड़) की धनराशि शामिल थी जो कि क्रम संख्या 5 एंव 6 पर बताई गई इसकी सहायक कम्पनियों को दी गई थी। इसे निवेश की दोहरी गणना से बचने के लिए इन सहायक कम्पनियों की अंशपूँजी से बाहर रखा गया।

[10] उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रम संख्या 7 पर बताई गई नियंत्रक कम्पनी में ₹ 112.48 करोड़ दीर्घकालिक ऋण के रूप में निवेशित किए जिसमे ₹ 2.09 करोड़ की धनराशि शामिल थी जो कि क्रम संख्या 5 (₹ 2.06 करोड़) एंव क्रम संख्या 6 (₹ 0.03 करोड़) पर बताई गई इसकी सहायक कम्पनियों को दी गई थी। इसे निवेश की दोहरी गणना से बचने के लिए इन सहायक कम्पनियों के दीर्घकालिक ऋण से बाहर रखा गया है।

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर पूँजी				वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर दीर्घकालिक बकाया ऋण				कुल निवेश (पूँजी और दीर्घ–कालिक ऋण) राज्य सरकार
					राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार का ऋण	केंद्र सरकार का ऋण	होल्डिंग कम्पनी / अन्य वित्तीय संस्थानों का ऋण	दीर्घकालिक ऋण	
	लिमिटेड												
8	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	15 मार्च 1977	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
9	उत्तर प्रदश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	1	23 मई 1989	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
10	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	1	27 अगस्त 1975	0.15	0.00	0.10	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
11	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	1	27 मार्च 1987	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
12	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	1	11 अगस्त 2016	0.05	0.00	0.00	0.05	5.00	0.00	0.00	5.00	5.05
13	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	शहरी विकास	1	27 अप्रैल 2010	0.05	0.00	4.86	4.91	0.00	0.00	6.57	6.57	11.48
14	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	1	20 अगस्त 1976	93.24	0.00	0.00	93.24	148.25	0.00	0.00	148.25	241.49
15	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1	29 मार्च 1972	110.58	0.00	25.00	135.58	1212.21	4.10	0.00	1216.31	1351.89
	उप योग (ब)		**15**		**1583.54**	**1827.56**	**744.87**	**4155.97**	**2548.09**	**584.10**	**4941.21**	**8073.40**	**12229.37**

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर पूँजी				वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर दीर्घकालिक बकाया ऋण				कुल निवेश (पूँजी और दीर्घ–कालिक ऋण) राज्य सरकार
					राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार का ऋण	केंद्र सरकार का ऋण	होल्डिंग कम्पनी / अन्य वित्तीय संस्थानों का ऋण	दीर्घकालिक ऋण	
स	**अन्य सरकारी नियंत्रित कम्पनियां**												
16	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड (139 (5) और (7) कम्पनी)		1	27 अगस्त 1971	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.08	0.08	2.08
17	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	01 सितंबर 2017	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
18	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	30 अगस्त 2017	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
19	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	29 अक्टूबर 2016	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	उप योग (स)		4		**0.00**	**0.00**	**270.00**	**270.00**	**0.00**	**0.00**	**0.08**	**0.08**	**270.08**
द	**सांविधिक निगम**												
20	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास एवं शहरी नियोजन	1	04 मार्च 1966	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	1	25 नवंबर 1974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1	06 जनवरी 1972	903.60	60.01	0.00	963.61	35.00	0.00	0.00	35.00	998.61
	उप योग (द)		3		**903.60**	**60.01**	**0.00**	**963.61**	**35.00**	**0.00**	**0.00**	**35.00**	**998.61**
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज का कुल योग (ब+स+द)		**22**		**2487.14**	**1887.57**	**1014.87**	**5389.58**	**2583.09**	**584.10**	**4941.29**	**8108.48**	**13498.06**
	महायोग (I+II)		**33**		**128647.69**	**1887.57**	**1015.23**	**131550.49**	**3201.65**	**584.10**	**85967.51**	**89753.26**	**221303.75**

परिशिष्ट–5.4
(प्रस्तर 5.4 में संदर्भित)
31 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के बीच पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति के अन्तर को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9 =3-6**	**10 = 4-7**	**11 = 5-8**
I	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज**									
अ	**कार्यरत पीएसयूज**									
1	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	0.00	-	-	0.07	-	-	(-) 0.07	-	-
2	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	15,200.69	0.00	25766.22	12,305.55	0.00	28371.91	2895.14	0.00	(-) 2595.69
3	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरशन लिमिटेड	13362.68	0.00	972.40	15576.01	0.00	972.40	(-) 2213.33	0.00	0.00
4	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	435.33	64.65	0.00	435.33	0.00	0.00	0.00	64.65	0.00
	उप योग (अ)	**28998.70**	**64.65**	**26738.62**	**28316.96**	**0.00**	**29334.31**	**681.74**	**64.65**	**(-)2595.69**
ब	**अकार्यरत पीएसयूज**									
	शून्य									
	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का योग	**28998.70**	**64.65**	**26738.62**	**28316.96**	**0.00**	**29334.31**	**681.74**	**64.65**	**(-)2595.69**

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
II	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज**									
अ	**कार्यरत पीएसयूज**									
1	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)	1277.95	830.00	0.00	1278.00	991.00	0.00	-0.05	-161.00	0.00
2	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	0.00	240.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.55	0.00
3	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	-0.31	0.00
4	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	903.60	35.00	0.00	766.18	42.45	0.00	137.42	-7.45	0.00
5	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	1.80	0.00	0.00	-1.80
6	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	0.05	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	5.00	0.00
7	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
8	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	93.24	148.25	0.00	93.24	15.68	0.00	0.00	132.57	0.00
9	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	110.58	1212.21	1.39	110.58	452.54	1.39	0.00	759.67	0.00

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
10	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	30.00	0.00	0.00	30.00	15.18	0.00	0.00	-15.18	0.00
11	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	12.23	57.43	0.00	13.56	0.00	52.65	-1.33	57.43	-52.65
12	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	12.34	0.00	0.00	12.34	-7.31	0.00	0.00	7.31	0.00
13	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	58.32	29.00	0.00	59.01	4.69	0.00	-0.69	24.31	0.00
14	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	1.00	2179.24	2380.00	1.00	0.00	2150.91	0.00	2179.24	229.09
15	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	15.00	0.00	1000.00	15.00	0.00	542.41	0.00	0.00	-540.94
16	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	5.96	3.57	0.00	5.96	0.41	0.00	0.00	3.16	0.00
17	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	880.13	0.00	0.00	-880.13	0.00	0.00
18	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1648.31	861.00	183.96	1648.31	992.05	120.00	0.00	-131.05	63.96

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
19	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	6.34	12.44	0.00	6.34	5.95	0.00	0.00	6.49	0.00
20	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	32.60	0.30	0.00	32.60	2.76	0.00	0.00	-2.46	0.00
21	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84	0.00	0.00
22	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	0.00	0.00
23	आगरा–मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
24	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
25	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	91.54	112.08	0.00	91.54	31.23	0.00	0.00	80.85	0.00

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
28	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	114.51	395.59	2.46	114.51	15.11	2.46	0.00	380.48	0.00
29	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	7.61	0.00	1.47	7.60	0.63	0.00	0.01	-0.63	1.47
30	उत्तर प्रदेश जल निगम	0.00	537.96	0.00	0.00	388.77	0.00	0.00	149.19	0.00
	उप योग (अ)	**4453.62**	**6659.62**	**3569.28**	**5166.05**	**2951.45**	**2871.62**	**(-)712.43**	**3708.17**	**697.66**
ब	**अकार्यरत पीएसयूज**									
31	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	59.43	18.24	0.00	59.43	4.97	0.00	0.00	13.27	0.00
32	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	81.38	0.00	0.00	-81.38	0.00	0.00
33	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	147.72	0.00	0.00	-147.72	0.00	0.00
34	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	256.80	0.00	0.00	-256.80	0.00	0.00
35	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	0.19	5.33	0.00	0.30	1.99	1.76	-0.11	3.34	-1.76

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
36	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.09	5.55	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	5.55	0.00
37	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	5.28	1.94	0.00	5.28	0.15	0.00	0.00	1.79	0.00
38	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	197.10	90.86	0.00	160.79	205.11	0.00	36.31	-114.25	0.00
39	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	36.44	154.56	0.00	36.44	12.53	2.34	0.00	142.03	-2.34
40	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	5.74	1.91	0.00	5.74	1.40	0.00	0.00	0.51	0.00
41	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	53.67	62.21	0.00	31.91	9.06	0.00	21.76	53.15	0.00
42	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2.10	0.71	0.00	2.73	1.10	0.00	-0.63	-0.39	0.00
43	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशैअलिटीज लिमिटेड	2.88	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
44	उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	6.41	3.34	0.56	8.72	0.00	0.56	-2.31	3.34	0.00
45	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.51	0.00	0.00	0.51	0.00	0.70	0.00	0.00	-0.70
46	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.00	0.05	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
47	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.67	0.66	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00
48	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.94	0.65	0.00	0.93	0.00	0.00	0.01	0.65	0.00
49	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	0.70	0.86	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00
50	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.25	0.65	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00
51	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.45	1.25	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00
52	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1.23	0.05	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
53	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	8.18	2.47	0.00	8.18	0.31	0.00	0.00	2.16	0.00
54	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1.30	0.35	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
	उप योग (ब)	**384.56**	**351.64**	**0.56**	**812.99**	**236.62**	**5.36**	**(-)428.43**	**115.02**	**-4.80**

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
स	**परिसमापन के अधीन पीएसयूज**									
55	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.23	1.70	0.00	0.23	1.63	0.00	0.00	0.07	0.00
56	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.38	6.55	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	6.55	0.00
57	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	68.28	124.77	0.00	68.28	37.45	0.00	0.00	87.32	0.00
58	ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	5.63	0.38	0.00	5.63	14.89	0.00	0.00	-14.51	0.00
59	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	11.02	0.00	6.59	0.00	0.00	-6.59	11.02	0.00
60	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	-2.85	0.00
	उप योग (स)	**74.52**	**144.42**	**0.00**	**81.11**	**56.82**	**0.00**	**(-)6.59**	**87.60**	**0.00**
	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का कुल योग (अ +ब +स)	**4912.70**	**7155.68**	**3569.84**	**6060.15**	**3244.89**	**2876.98**	**(-)1147.45**	**3910.79**	**692.86**
	महायोग (I +II)	**33911.40**	**7220.33**	**30308.46**	**34377.11**	**3244.89**	**32211.29**	**(-)465.71**	**3975.44**	**(-)1902.83**

परिशिष्ट–5.5
(प्रस्तर 5.16.1 में संदर्भित)
राज्य पीएसयूज जिनके लेखे बकाया थे उनमें राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयूज की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशी सहित प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						पूँजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 (6+7+8+9)*
I	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज**									
अ	**कार्यरत पीएसयूज**									
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (सहायक कम्पनी सहित अर्थात जवाहरपुर वीयूएनएल)	2	2018-19	2019-20	12305.55	2895.14	0.00	0.00	0.00	2895.14
2	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरशन लिमिटेड	1	2018-19	2019-20	14060.07	1515.94	0.00	0.00	174.54	1690.48
3	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (सहायक कम्पनियो सहित अर्थात एमवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल, एवं केस्को)	6	2017-18	2018-19 एवं 2019-20	82991.49	14172.53	615.45	12403.61	23548.71	50740.30
	योग (अ)	**9**				**18583.61**	**615.45**	**12403.61**	**23723.25**	**55325.92**
ब	**अकार्यरत पीएसयूज**									
		शून्य								
	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का योग (अ + ब)					**18583.61**	**615.45**	**12403.61**	**23723.25**	**55325.92**

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयूज की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशी सहित प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						पूँजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
II	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज**									
अ	**कार्यरत पीएसयूज**									
1	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2018-19	2019-20	216.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2018-19	2019-20	50.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
3	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1	2018-19	2019-20	926.19	37.43	0.00	0.00	0.00	37.43
4	द प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	1	2018-19	2019-20	135.58	0.00	90.83	0.00	0.00	90.83
5	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2018-19	2019-20	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
6	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1	2017-18	2018-19 एवं 2019-20	4.91	0.00	0.00	26.62	0.00	26.62
7	यूपी मेडिकल सप्लाई कार्पोरशन लिमिटेड	1	—	2018-19 एवं 2019-20	-	10.16	0.00	800.61	0.00	810.77
8	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	1	2017-18	2018-19 एवं 2019-20	93.24	0.00	5.89	0.00	0.00	5.89
9	उत्तर प्रदेश जल निगम	1	2016-17	2017-18 से 2019-20	0.00	0.00	0.00	1714.91	0.00	1714.91
10	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1	2015-16	2016-17 से 2019-20	1648.31	0.00	849.00	0.00	0.00	849.00
11	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1	2015-16	2016-17 से 2019-20	230.42	9.95	0.00	0.00	62.11	72.06

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयूज की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशी सहित प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						पूँजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
12	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	1	2010-11	2011-12 से 2019-20	5.50	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83
13	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1	2013-14	2014-15 से 2019-20	5.19	0.00	0.00	18.92	0.00	18.92
14	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1	2003-04	2004-05 से 2019-20	5.25	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
15	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	1	2015-16	2016-17 से 2019-20	6.92	0.00	0.00	27.48	0.00	27.48
16	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	__	2016-17 से 2019-20	-	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00
17	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2010-11	2011-12 से 2019-20	46.30	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41
18	यू.पी. हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	1	2007-08	2008-09 से 2019-20	7.24	0.00	5.00	2.68	0.00	7.68
19	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	1	2016-17	2017-18 से 2019-20	1.50	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
20	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 01.02.2010 को निगमित)	1	-	2009-10 से 2019-20	-	17.84	0.00	112.75	0.00	130.59

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयूज की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशी सहित प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						पूँजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
21	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1	2013-14	2014-15 से 2019-20	0.05	0.00	0.00	20.02	0.00	20.02
22	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 28.04.2010 को निगमित)	1	-	2010-11 से 2019-20	0.00	0.05	0.00	67.03	0.00	67.08
23	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1	(15-06-10 को निगमित)	2010-11 से 2019-20	0.00	0.05	0.00	27.63	0.00	27.68
24	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1	2016-17	2017-18 से 2019-20	1.07	0.00	0.00	23.59	0.00	23.59
25	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1	2012-13	2013-14 से 2019-20	179.28	0.00	102.60	0.00	0.00	102.60
26	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1	2005-06	2006-07 से 2019-20	30.00	0.00	0.00	64.22	0.00	64.22
27	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1	2015-16	2016-17 से 2019-20	12.23	0.00	57.43	0.00	0.00	57.43
28	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	-	2017-18 से 2019-20	-	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
29	आगरा–मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1	-	2010-11 से 2019-20	-	0.00	0.00	0.00	3.46	3.46
	उप योग (अ)	29				**97.47**	**1110.75**	**3121.46**	**65.57**	**4395.25**

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयूज की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशी सहित प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						पूँजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
ब	**अकार्यरत पीएसयूज**									
30	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2018-19	2019-20	160.79	0.00	1.22	0.00	0.00	1.22
31	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	1	1999-2000	2000-2001 से 2019-20	47.07	0.00	109.51	0.00	0.00	109.51
32	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	1	2010-11	2011-12 से 2019-20	0.22	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34
	उप योग (ब)	**3**				**0.00**	**111.07**	**0.00**	**0.00**	**111.07**
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज का कुल योग (अ+ब)	**32**				**97.47**	**1221.82**	**3121.46**	**65.57**	**4506.32**
	ऊर्जा एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज का महायोग	**41**				**18681.08**	**1837.27**	**15525.07**	**23788.82**	**59832.24**

पदों की व्याख्या

पद	व्याख्या
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरूद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अन्तर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय का विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन–प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर, लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं।
आकस्मिक देयतायें	किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन किया/नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
विकास व्यय	व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यो पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूंजीगत परिव्यय एवं ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं में विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर विकास व्यय है।
ऋण संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।

पद	व्याख्या
ऋण स्थिरता	यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थिर होगा। बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो। आगणित दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर–ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण x दर विस्तार), के आधार पर यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या अंततोगत्वा ऋण में स्थिरता होगी। दूसरी स्थिति में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाय तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी एवं यदि किसी स्थिति में यह धनात्मक हो तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरेगा।
आन्तरिक ऋण	भारत में लोगों द्वारा प्राप्त नियमित ऋणों को आन्तरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकत्र ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	उधार निधियों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है।
प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण तथा अग्रिम
प्राथमिक राजस्व घाटा/आधिक्य	गैर ऋण प्राप्तियाँ – प्राथमिक राजस्व व्यय
प्राथमिक घाटा/ आधिक्य	ब्याज रहित राजकोषीय घाटे से प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी इस प्रकार भी व्याख्या की जा सकती है कि राज्य का ब्याज रहित व्यय राजस्व प्राप्तियों एवं गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक था।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखाओं, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखाओं या इस प्रकार के अन्य लेखाओं या वित्तीय या वित्तीय मामलों, जिसकी जाँच करना यह समिति आवश्यक समझे, की जाँच करे।
पुनर्विनियोग	मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण।
सिंकिंग फण्ड (निक्षेप निधि)	सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है।

प्रथमाक्षरी

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
एसी बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
एई	कुल व्यय
बोओसीडब्लू एक्ट	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम
सीएजी	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सीएजीआर	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर
सीसीओ	मुख्य नियंत्रक अधिकारी
सीई	पूँजीगत व्यय
सीएसएफ	समेकित निक्षेप निधि
डीसी बिल	विस्तृत आकस्मिक बिल
डीसीपीएस	परिभाषित अंशदान पेंशन योजना
डीसीयू	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम
डीडीआर	ऋण, जमा एवं प्रेषण
एफसी	वित्त आयोग
एफएचबी	वित्तीय हस्तपुस्तिका
एफआरबीएम एक्ट	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीओआई	भारत सरकार
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटीएन	वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
जेएससीज़	संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ
एमएच	मुख्य लेखाशीर्ष
एमटीएफआरपी	मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति
एनडीआरएफ	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि
एनएसडीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड
एनटीआर	करेतर राजस्व
ओटीआर	स्वयं का कर राजस्व
पीएसी	लोक लेखा समिति

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
पीएओ	वेतन एवं लेखाधिकारी
पीडी एकाउण्ट	वैयक्तिक जमा लेखा
पीएलए	व्यक्तिगत खाता लेखा
पीपीपी	सरकारी निजी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएं
पीएसयूज़	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आरई	राजस्व व्यय
आरआर	राजस्व प्राप्तियाँ
एसडीआरएफ	राज्य आपदा अनुक्रिया निधि
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
यूसी	उपभोग प्रमाण–पत्र
उदय	उज्जवल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना
यूपीबीएम	उत्तर प्रदेश बजट दिग्दर्शिका
यूपीइआईडीए	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
यूपीईआरसी	उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग
यूपीआरएनएन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
यूपीआरटीएआरएफ	उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि
यूपीएसबीसीएल	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड
यूपीएसएचए	उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
वैट	मूल्य वर्धित कर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in